चौधरी रणबीर सिंह शोधपीठ

1 फरवरी, 2009 को अंतिम सांस लेने वाले कर्मयोगी और महान स्वतंत्रता सेनानी चौधरी रणबीर सिंह की याद में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक ने शोधपीठ को स्थापित किया। चौधरी रणबीर सिंह हरियाणा क्षेत्र में जन्में एक महान स्वतंत्रता सेनानी, देशभक्त एवं तपे हुए राजनीतिज्ञ थे। इस पीठ का मूल उद्देश्य राष्ट्र के प्रति समर्पित उनके जीवन, व्यक्तित्व एवं कृत्तित्व का मूल्यांकन करना है। पीठ उनकी अनूठी एवं अनुकरणीय सोच, संकल्प और साहस को जीवन्त बनाए रखने और स्वराज की भावनाओं को निरन्तर प्रकाशमान बनाए रखने का विनम्र प्रयास है।

चौधरी रणबीर सिंह शोध पीठ
महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक

द्वितीय लोकसभा में चौधरी रणबीर सिंह भाग–2 सम्पादन : ज्ञान सिंह

द्वितीय लोकसभा में चौधरी रणबीर सिंह

भाग–2

सम्पादन : ज्ञान सिंह

पुस्तक

महान स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय चौधरी रणबीर सिंह द्वितीय लोकसभा (1952–57) के लिए निर्वाचित हुए। वे इससे पहले संविधान निर्मात्री सभा, अन्तरिम संसद और प्रथम लोकसभा के लिए भी चुने गए थे। उन्होंने द्वितीय लोकसभा में भी आम जनता से जुड़े विभिन्न मुद्दों को पुरजोर से उठाया तथा गरीबों, पिछड़ों, किसानों और मजदूरों के हितों की संसद में डटकर पैरवी की। चौधरी साहिब देहात को खुशहाल बनाने के लिए सतत तत्पर रहे।

चौधरी रणबीर सिंह ने द्वितीय लोकसभा में भी देहात से जुड़े मुद्दों को देश के सर्वोच्च सदन के समक्ष बड़ी बेबाकी के साथ रखा। उनके भाषणों का यह संकलन समय की रफ्तार को समझने में सहायक है।

द्वितीय लोकसभा
में
चौधरी रणबीर सिंह
(भाग-दो)

द्वितीय लोकसभा
में
चौधरी रणबीर सिंह

लोकसभा (1957-62) में
दिये भाषणों का संकलन

(भाग-दो)

संपादन
ज्ञान सिंह

चौधरी रणबीर सिंह शोध पीठ
महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक

© प्रकाशक

संस्करण: 2014

प्रकाशक
चौधरी रणबीर सिंह शोध पीठ
महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक

मुद्रकः
महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय प्रेस, रोहतक

विषय सूची

1. विस्थापित (मुआवजा और पुनर्वास)) दूसरा संशोधन विधेयक	01
2. शरणार्थियों की सम्पति के लिए प्रशासन (संशोधन) विधेयक	08
3. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा	15
4. पिछड़े समुदायों (धार्मिक संरक्षण) विधेयक	22
5. दिल्ली लैंड होल्डिंग्स (सीलिंग) विधेयक	25
6. कृषि अनुसंधान कार्यक्रम का मूल्यांकन	29
7. अनुदान मांगें	34
8. अनुदान मांगें	39
9. बम्बई पुनर्गठन	43
10. जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक	46
11. अनुदान मांगें	48
12. कैथोलिक चर्च परिसर और पादरी आदेश	57
13. रेलवे द्वारा देय लाभांश की दर की समीक्षा करने के लिए प्रस्ताव	59
14. कंपनियों के कार्य और प्रशासन अधिनियम पर वार्षिक रिपोर्ट	62
15. जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक	66
16. भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) विधेयक	68
17. बाल विधेयक	72
18. जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक	75
19. दिल्ली लैंड होल्डिंग्स (सीलिंग) विधेयक	80
20. दिल्ली लैंड होल्डिंग्स (सीलिंग) विधेयक	82
21. मणिपुर भूमि राजस्व और भूमि सुधार विधेयक	85
22. मणिपुर भूमि राजस्व और भूमि सुधार विधेयक	90
23. त्रिपुरा भूमि राजस्व और भूमि सुधार विधेयक	93
24. त्रिपुरा भूमि राजस्व और भूमि सुधार विधेयक	96
25. मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स विधेयक	102
26. कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक	105

27. शिपिंग लक्ष्य प्रस्ताव 107
28. महेंद्र प्रताप सिंह संपदा (निरस्त) विधेयक 110
29. मवेशी निर्यात पर प्रतिबंध विधेयक 113
30. उत्पादन वितरण और चीनी निर्यात प्रस्ताव 117
31. भारतीय टैरिफ (संशोधन) विधेयक 120
32. मतदान के नए अंकन प्रणाली 124
33. राजनीतिक प्रचार के लिए धार्मिक पूजा स्थल के उपयोग की रोकथाम 129
34. दो सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों (उन्मूलन) विधेयक 135
35. अनुपूरक मांगों (सामान्य) के लिए अनुदान 137
36. अनुदान मांगें (रेल) 141
37. आम बजट पर चर्चा 145
38. अनुदान मांगें 152
49. तेल विधेयक का हाइड्रोजनीकरण निवारण 159
40. बौद्ध धर्मान्तरण प्रस्ताव 163
41. अनुदान मांगें 166
42. अनुदान मांगें 172
43. अनुदान मांगें 175
44. आवश्यक वस्तु (मूल्य का निर्धारण विनियमन और नियंत्रण) विधेयक 179
45. दिल्ली (शहरी किरायेदार राहत) विधेयक 185
46. अतिरिक्त अनुदान मांगें (सामान्य) 190
47. कोयला खान (संरक्षण और सुरक्षा संशोधन) विधेयक 194
48. दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक 197
59. सालार जंग संग्रहालय विधेयक 199
50. आयकर विधेयक 202
51. आयकर विधेयक 205
52. पंजाबी सूबे के बारे में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए बयान पर चर्चा 208
53. बाढ़ की स्थिति पर प्रस्ताव 216
54. भारत में कृषि श्रम पर रिपोर्ट 220
55. नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अस्थियां 223
56. पंचायतराज की कार्यप्रणाली 226
57. पंचायत राज पर प्रस्ताव 227
58. अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण पर प्रस्ताव 231

Section-II
(Writter Questions & Answers)

1. Woollen Hosiery Yarn Distribution Scheme	235
2. Allotment of Accommodation to Government Employees.	237
3. Flag Station between Bazpur and Gularbhoj Stations	238
4. Flag Station between Rohtak and Makrauli Stations	239
5. Flag Station between Safidon and Budha Khera Stations	240
6. Flag Station between Narwana and Kalayat Stations	241
7. Central Secretariat Service Officers	242
8. Central Secretariat Service Officers	243
9. Seniority of Trains Examiners	244
10. Confirmation of Train Examiners	245

द्वितीय लोकसभा

बुधवार, 10 फरवरी, 1960 *

विस्थापित (मुआवजा और पुनर्वास) दूसरा संशोधन, विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के बारे में....

उपाध्यक्ष महोदय : अभी मैंने माननीय सदस्य को बुलाया नहीं है।

चौधरी रणबीर सिंह : मैंने शुरू कर दिया है। मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि .....

उपाध्यक्ष महोदय : मगर मुझे जरूर शिकायत है कि ऐसा नहीं होना चाहिये।

चौधरी रणबीर सिंह : ऐसा नहीं होगा।

बिल के बारे में यह जिक्र किया गया है कि किसी अनाथाराइज्ड आदमी के साथ हम कैसा व्यवहार करें। वैसे तो यह बहुत अच्छा और मासूम स्टेटमेंट लगता है बहुत सही बात लगती है कि जो शख्स बारह साल तक ज्यादती करता रहा है, उसके साथ हम रियायत क्यों करें ?। लेकिन, इसके पीछे क्या छिपा है, वह हमको देखने की कोशिश करनी चाहिये। अभी पंडित भार्गव ने कहा है कि ये अफसर अब तक क्या करते रहे हैं। मैं उनकी और इस सदन की जानकारी के लिये एक मिसाल रखना चाहता हूँ कि अन-अथराइज्ड का मतलब क्या है ?

किरकी गाँव में जो जमीन एलाट हुई, वह ऐसे भाईयों को हुई, जो पहले

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 10 फरवरी, 1960, पृष्ठ 359-367*

कभी इस सदन की जगह के मालिक थे। चूंकि यह सदन बनना था और नई दिल्ली आबाद होनी थी। इसलिए, उनको उखाड़ा गया और वे यहां से वेस्ट पाकिस्तान गए, जहां पर उनको जमीन दी गई। फिर देश का पार्टीशन हुआ और उनको वहां से उखड़ना पड़ा। उसके बाद इस मंत्रालय में यह फैसला हुआ कि जो भाई दिल्ली के रहने वाले थे, उनको हिसाब के मुताबिक जमीन दिल्ली में मिल सकती है, जैसे वेस्ट पंजाब के भाई को ईस्ट पंजाब में जमीन मिली। चुनांचे यहां पर सैंकड़ों कुनबों को जमीन दी गई। इनमें किरकी वाले भाई भी थे। इस सिलसिले में जो चिट्ठी निकली उसको मैंने पढ़ा और डिप्टी चीफ सैटलमेंट कमिश्नर को भी पढ़ाई। शायद अंग्रेजी मुझे कम आती हो। जो भी हो, उन्होंने उसका कुछ और मतलब निकाला। लेकिन, वहां पर सौ से ऊपर परिवार थे। उनमें से कुछ को मालिक बना दिया गया। दूसरों को कहा गया कि यह जमीन क्वासी-पर्मानेंट बेसिस पर जमीन दी गई है या नहीं। मैंने चिट्ठी का डारेक्ट इनफरेंस यहीं समझा कि वह जमीन क्वासी पर्मानेंट बेसिस पर समझी जायेगी। तेरह सौ एकड़ जमीन थी और सिर्फ एक हजार एकड़ जमीन उन्होंने ली। पंजाब में सिंध और बलोचिस्तान के भाईयों को बसाने के लिए पंजाब में जमीन दीये जाने का हुक्म निकाला गया। मुझे मालूम नहीं कि पंजाब सरकार ने जमीन दी या नहीं?। लेकिन, मुझे बताया गया है कि उससे भी ज्यादा पंजाब सरकार ने दी है। मेरा पंजाब सरकार या गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया के झगड़े से सरोकार नहीं है। अगर, गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया पंजाब सरकार से अपनी बात न मनवा सकी तो इसे उन गरीब आदमियों को कैसे सजा दी जा सकती है, जिनको सरकर की चिट्ठी के मुताबिक जमीन दी गई थी? आज बारह सालों के बाद एक चिट्ठी निकाली जाती है कि तुम इस जमीन के एलाटी नहीं रहे और तुम्हारे पास जमीन नहीं रह सकती है। उसके ऊपर कुएं बनाए गए, मकान बनाए गए। कुछ सरकार से कर्जा लिया गया। वह जमीन ऐसी है, जहां बरसात में कोई दस बारह फीट तक पानी खड़ा रहता है। लेकिन, किसी साहब के दिमाग में आ गया कि उस जमीन पर भी मकान बनाए जाने चाहिए, वहां शहर बसाया जाना चाहिए और उसको शहर में शामिल करना चाहिए। मुझे बताया गया है कि किसी साहब ने उनसे कुछ चाहा। उन्होंने तो मुझे नाम भी बताया था कि वह फलां अफसर है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। क्योंकि, यह मेरे लिये अच्छा नहीं है। लेकिन, यह वाकया है कि उनसे कुछ मांगा गया। अगर, एक आदमी का काम होता, तो शायद उनकी मंशा पूरी कर दी जाती और फिर न शहर बनाया जाता, न यह झगड़ा खड़ा होता और यह सवाल भी न उठता कि वह जमीन क्वीस-पर्मानेंट

बेसिस पर दी गई या नहीं? इसका ताल्लुक कई आदमियों से था, इस लिए उनकी मंशा पूरी नहीं हुई। उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि यही वजह है कि हम सांझी खेती मुश्किल से कर सकते हैं। क्योंकि, कई आदमियों का फैसला मुश्किल से ही होता है। जिस जमीन में बरसात में बांस भर पानी खड़ा होता है, उसके बारे में इस मंत्रालय के कुछ अफसरों ने कहा कि यह जमीन शहरी करार दी जायेगी और वह आपको छोड़नी पड़ेगी। एक बहुत ऊंचे दर्जे पर यह फैसला किया गया कि वे इसमें एक तिहाई या एक चौथाई जमीन रख सकते हैं, बाकी नहीं। हिसाब लगा दिया कि करोड़ रूपये का हिसाब बनता है और यह हम कुछ रियायत करते हैं। हमने अपने विधान में यह रखा है कि कोई कानून बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखा जायेगा कि किसी के साथ भेदभाव न हो और अगर, भेदभाव है तो वह कानूनन सही नहीं है। वहीं उसी जगह में मेरे जैसे कुछ भाईयों की जमीन की कीमत बढ़ी, जो उसी गाँव में पैदा हुए थे- पैदा तो वे भी वहां ही हुए थे। लेकिन, वे उखड़ कर फिर आए और उन पर कोई टैक्स नहीं है। वे सौदा कर सकते हैं, कम ज्यादा ले सकते हैं। उनकी जमीन की कीमत इस हिसाब से बढ़ गई। एक की कीमत बढ़ गई और उसको चाप ऑफ कर लिया जाये और दूसरे को रहने दिया जाये, इसके बारे में रीहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री के लोग शायद कहें कि यह हमारे महकमे का अख्तियार है। लेकिन, इस सदन का काम कानून बनाना है और वह दोनों के लिए कानून बना सकता है। मैं समझता हूँ कि इसमें भेदभाव हुई है। अगर, जमीन की कीमत बढ़ी है तो जो फालतू पैसा है, जैसे पंजाब में मरला टैक्स लगाया गया है, वैसा ही कोई टैक्स लगाय जाये, तो हम आपका समर्थन करेंगे। वह सब पर लागू होगा। जो भाई उजड़कर गए हैं, उन पर भी लागू होगा। लेकिन, यह कहना कि तुम्हारा इतना हिस्सा अब एलाटमेंट नहीं समझा जायेगा और इसलिए वह अन-अथराइज्ड समझा जायेगा, मुनासिब नहीं है। मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव से कहना चाहता हूँ कि हालांकि, उनको सारे देश के हालात का पता है?। लेकिन, क्या उनको इस तरह के केसिज का भी पता है। जहां तक मैं समझता हूँ कि अन-अथराइज्ड में यह कैटेगरी भी आयेगी, जिस पर तलवार चलेगी और जिसके लिए कोई अपील नहीं है। जब कानून बन जायेंगे, तो मिनिस्टर साहब भी कहेंगे कि मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन, जाकर उन्हें मना भी लिया कि ज्यादती है। फिर भी चूंकि इसकी कानून से मंजूरी होगी इस वास्ते उसके ऊपर कोई रहम नहीं हो सकता। जिस ढ़ंग से यह कानून पर इस मंत्रालय में अमल किया जाता है, जिस ढ़ंग से काम किया जाता है वह एक अजीब ढ़ंग है। अभी लाला अंचित राम जी ने कहा कि पूल से

कुछ वापिस ले लें। उन्होंने गिला भी जाहिर किया है। मुझे भी बहुत ज्यादा शौक नहीं है इसका। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब से, और मिनिस्टर साहब रिहैबिलिटेशन से अर्ज किया था कि पूल के पीछे के बेशक न पड़ें और बहुत सा जो रूपया रखा है उसको पूल में डाल दें। लेकिन, गरीब हरिजनों के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिये। वे कितने सालों से उस जमीन पर मकान बनाकर बैठे हुए हैं और अगर, मुसलमान भाई न भी जाते तो भी बगैर मुआवजा दिये वे उस जमीन के मालिक बन जाते। लेकिन, मुसलमान चले गए तो उनसे थोड़ा बहुत ले लीजिये या आपका जो फंड है, उसमें से दे दीजिये। यहां पर यह ऐलान हुआ, यहां पर जवाब दिया गया कि हमने फैसला कर दिया है। मगर जिन लोगों ने उस फैसले पर अमल करना होता है, जब कागज उसके पास जाते हैं तो होना कुछ और ही है। बड़े ऊंचे स्तर पर फैसला हुआ और उसका यहां ऐलान हुआ। लेकिन, उसके बाद हुआ है कि जिस जमीन की आज बाजार के अन्दर कीमत 20 रूपया गज है उसकी कीमत दो रूपया गज लगी हुई है और जिस हरिजन का मकान है, उसके नीचे जो जमीन है और उस मकान की कीमत किसी दूसरे भाई को देनी पड़े और फिर वह उसको खरीदे तो जहां उसकी कीमत तीन रूपया से ज्यादा नहीं होगी, वहां उसकी कीमत 1500 रूपये 50 गज की रखी हुई है। इसको दूर करने के लिए कहा गया है कि अर्जी दीजिये और इसका भी एक तरीका चलता है। जो रियायत हम आपसे लेते हैं और जिसका बहुत जिक्र होता है कि पूल में से इतना रूपया निकल गया है, वह सारी की सारी वहीं खत्म हो जाती है।

हमारे मिनिस्टर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छी तरह से बात को सुनते हैं और बड़े मजबूत इरादे के आदमी भी हैं। जो बात उनकी समझ में आ जाये उसको करने में भी बड़े माहिर हैं। उनका वकालत का तरीका भी बहुत अच्छा है। मुझे मालूम नहीं कि वह वकील है या नहीं या मेरी तरह से ही है। लेकिन, उनकीं वकालत का तरीका बहुत अच्छा है। अभी उन्होंने लाला अंचित राम जी से कहा कि यह तो क्लेम्स को एडजस्ट करने का सवाल है, रियायत देने का सवाल है और अगर, आपको यह मंजूर न हो तो इस पर सोचा जा सकता है। उनकी यह बात बड़ी अच्छी लगी। लेकिन, मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि कोआप्रेटिव सोसाइटीज में कुछ भाई ऐसे भी होते हैं, जिन्होंने कोई कर्ज नहीं किया होता या जिनके पास कोई क्लेम नहीं है। लेकिन, वहां पर वह रूपया एडजस्ट होगा। फर्ज किया 10,000 रूपया एडजस्ट कराया और उसकी मार्किट वैल्यू 8000 रूपये है तो उस सोसायटी को 2000 रूपया

का घाटा हो गया। लेकिन, जिन मैम्बर्स के क्लेम हैं, जो एडजस्ट हो गये, उनको तो कोई घाटा नहीं हुआ। उन मैम्बर्स ने क्या कसूर किया, जिनके क्लेम नहीं हैं या जिन्होंने कोई कर्जा नहीं लिया और उनको सजा क्यों? क्यों उनको 20 परसेंट या 25 परसेंट का घाटा उठाना पड़े या क्यों उस घाटे को वह सोसाइटी बरदास्त करे? सरकार अगर, चाहे कि उसको सहुलियत दी जाये तो कह सकती है कि वह प्रोनोट समझा जायेगा, जिस तरह से एक नोट एक आदमी को दे दिया जाता है, कर्जे में उसी तरह से सरकार पूरे पैसे दे देगी तो कोई ऐतराज की बात नहीं है। इसके बारे में अगर, सरकार यकीन दिलायें तो हम सैटिसफाइड हो जायेंगे, वर्ना मैं समझता हूँ कि जिस नागपुर प्रस्ताव को हमने पास किया और जिसके जरिये हम सहयोगी संस्थाओं को बढ़ावा देना चाहते हैं, वह हम नहीं दे सकेंगे और उनको एक धक्का सा लगेगा कुछ एक आदमियों की खातिर। मुझे मालूम नहीं है वे आदमी कौन हैं और मैं समझता हूँ कि मंत्रालय को भी यह बात मालूम नहीं है। मैं समझता हूँ कि एक आदमी जिसने कर्जा लिया है, क्यों न उसको इजाजत हो कि वह उस कर्जे की क्लेम में से अदायगी कर दे। इसके अन्दर जो पेचीदगी है, वह यह है कि जो मैंने अभी बतलाई है। मैं चाहता हूँ कि मिनिस्टर साहब इसको साफ करें और बतलायें कि वह इसका क्या हल ढूंढ़ रहे हैं।

साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि अनअथोराइज्ड (अनाधिकृत)लोगों के साथ जो गरीब हैं, कोई किसी किस्म का धोखा नहीं होना चाहिय।, जिनके पास चिट्ठियां मौजूद हैं, जिनके दो भाई हैं, जिनको क्वेसी परमानेंट बेसिस पर जमीन दी गई थी, उनमें से एक को कहा जाये कि तुम साबित करो कि यह क्वेसी-परमानेंट बेसिस पर है और दूसरे को कुछ भी न कहा जाये कि वह इस चीज को साबित करे, ठीक नहीं है। दो भाई थे, एक को एक गाँव में और दूसरे को दूसरे गाँव में जमीन दी गई। अब उनमें से एक को यह कहा जाये कि तुम इस चीज को साबि करो कि यह क्वेसी-परमानेंट बेसिस पर है तो इसको साबित करना, यह देखने वाली बात है। लेकिन, अगर, देखा जाये तो इस मामले में मिनिस्ट्री का कोई स्टेंड सही नहीं है। मैं चाहता हूँ कि उनको धोखा न हो और इस कानून के जरिये उन पर तलवार न चले।

दूसरी बात मैं किरकी गाँव के बारे में कहना चाहता हूँ। वहां सिंध, बलोचिस्तान तथा फ्रंटियर से आये लोगों को जमीन देने का जो तरीका था, वह उपाध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है। वेस्ट पंजाब से जो भाई आये यहां पर उनकी गिरदावरियां देखी गईं और इस बात की तसल्ली कर लेने के बाद कि उनके पास जमीन थी, इसकी तसदीक

कर लेने के बाद एक सिसिले से उनको जमीन मिली। इसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन, दूसरे भाइयों के साथ भी वही कायदे कानून बरते जाने चाहिये थे। ऐसा नहीं होना चाहिये कि एक वर्ग के साथ एक तरह का सलूक हो और दूसरे के साथ दूसरी तरह का और वह भी एक ही दिल्ली स्टेट में। यहां दिल्ली में कुछ भाईयों को एक तरह से डील किया गया और दूसरों को दूसरी तरह से, यह सही नहीं है। सबके साथ एक सा ही सलूक होना चाहिये।

अब मैं अनआथोराज्ड आक्युपेंट्स के बारे में कुछ और कहना चाहता हूँ। इन्होंने हेराफेरी से जमीन हासिल की है। इनमें बड़ी भारी तादाद फिरोजपुर जिले में रहती है। ये राय सिख हैं। इनकी काफी बड़ी तादाद है। इनको जरायम पेशा कहा जाता है। मैं मानता हूँ कि आज इस देश में कोई जरायम पेशा (कौम) नहीं है। इस चीज को हमने हटा दिया है। इनमें कुछ अपगुण भी होंगे। लेकिन, एक गुण है कि ये बहुत अच्छे काश्तकार हैं, बहुत मेहनत करने वाले हैं। रात को शायद कभी कभी चोरी भी कर लेते हैं और वह भी बड़ी मेहनत से करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : ये सारे मेरे जिले के हैं, इसलिये, ख्याल रखें।

चौधरी रणबीर सिंह : मैं उन्हीं की वकालत कर रहा हूँ। अगर, इनको सजा देना अदालतों का काम है, रिहैबिलिटेशन महकमे का नहीं। वह उनको सजा न दे। वे सरहद पर बैठे हुए हैं और वहीं पर हमारे जिले के एक साहब जनरल हैं, जिनका नाम उमराव खां साहब है। जिस तरह से पंजाब वालों ने झगड़ा किया था, उसी तरह से पंजाब वालों ने सरदार स्वर्ण सिंह ने और उमराव खां साहब ने उसका फैसला भी जल्दी कर दिया। आज सरहद पर बैठकर खेती करना आसान हो गया है। लेकिन, आज से दस बारह बरस पहले इन लोगों ने सरहद पर बैठ कर खेती की थी और अनाज पैदा किया था, जिससे इम्पोर्ट कम हुआ। उस वक्त वहां खेती करना कोई आसान काम नहीं था। इन लोगों ने जो इतनी सेवा की, उनके साथ इस वास्ते कि वे अनअथोराज्ड हैं, आम आदमियों की तरह से व्यवहार करना ठीक नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि उनके साथ आप हमदर्दी से पेश आयें।

जिस वक्त लाला अचिंत राम जी बोल रहे थे तो मैंने कहा था कि अगर, इस जमीन की मालिक सरकार न होती और इसका मालिक मैं होता तो मैं उनको जो उस पर बस गये थे नहीं निकाल सकता था और न कुछ और कर सकता था। लेकिन, आज खन्ना साहब उस जमीन के कानूनी तौर पर मालिक बन गये हैं तो उनको क्यों

निकाला जाता है यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। उनके साथ वही व्यवहार होना चाहिये जो व्यवहार मैं उस जमीन का अगर, मालिक होता तब होता। मैं से मेरा मतलब मैं नहीं है, बल्कि किसी भी भाई से हो सकता है। जब सरकार उस जमीन की मालिक समझी जाती है मैं चाहता हूँ कि उसमें कोई भी किसी किस्म का डिक्रिमिनेशन (भेदभाव) नहीं होना चाहिए।

द्वितीय लोकसभा

वीरवार, 11 फरवरी, 1960*

शरणार्थियों की सम्पति के लिए प्रशासन (संशोधन) विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के सिलसिले में जितनी टीका टिप्पणी हुई है, उसका यह मतलब नहीं कि जो कुछ हुआ है, वह सब गलत हुआ है। करोड़ों रूपये की जायेदाद का इस महकमे ने बारह साढ़े बारह साल तक ठीक तौर पर इन्तजाम किया है। जैसा लाला अचिंत राम जी ने कहा था कि लाखों आदमियों के क्लेम्स को भी निपटाया है। करोड़ों रूपये की जायेदाद का इन्तजाम ही नहीं किया, उसको कायदे कानून के मुताबिक बांटकर जो भाई उधर से उजड़ कर आये हैं, उनको उसका मालिक बनाया। लेकिन, आज उसकी इतनी टीका टिप्पणी क्यों होती है, इसकी वजह साफ है कि संसार में ज्यों-ज्यों समय बीतता है, जो मसले हल हो जाते हैं, आदमी उनको भूलता जाता है। कुछ मसले हल हो गये और हमने देखा कि उसका अच्छे ढ़ंग से निपटारा हुआ। जो बचे उनको हल करने के लिये ही उन्होंने यह संशोधन विधेयक रखा। इसी से साफ जाहिर है कि हमारी खराबियां थीं, कमजोरियां थीं, उन खराबियों और कमजोरियों को दूर करने के लिये उनको कानून की मदद चाहिये थी और इसलिए उन्होंने मौजूदा कानून को बदलवाना चाहा। कौन नहीं जानता कि इसी मंत्रालय ने चौधरी कमेटी को नियुक्त किया था और उसमें कुछ बड़े बड़े आदमियों और कुछ छोटे आदमियों के कागजात को भी संभाला गया था। कल मंत्री महोदय ने मुझसे कहा कि जो कुछ खराबियां हैं, मैं उनको बतलाऊं। उस कमेटी में बड़े बड़े लोगों की खराबियां सामने आईं, जो आईसीएस आफिसर्स

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 11 फरवरी, 1960, पृष्ठ 565-571*

थे। जलंधर के बारे में कहा जाता है कि एक हिस्सा जो शहर के बीच में है, जो बिल्कुल शहर में है उसको देहात करार दिया गया और देहात करार देने के बाद बड़े बड़े अफसरों के नाम उसको एलाट किया। और भी बहुत सी चीजें हुईं। छोटी छोटी खराबियां भी हुईं। मैं जानता हूँ और मंत्री महोदय भी इस बात को मानते हैं कि जो कुछ हुआ वह सारे का सारा ठीक था, ऐसा नहीं कहा जा सकता।

इस विधेयक के सिलसिले में जो कुछ मैं कहना चाहता था उसमें से काफी हमारे लाला अचिंत राम जी ने कह दिया, सरहदी साहब ने भी कह दिया जिनको कहने का मुझे हौंसला नहीं होता था। उन्होंने मुझे हौंसला दिया। शायद आज से कुछ साल पहले वह ऐसी बात इस सिलसिले में न कहते जिसके बारे में उन्होंने आज जिक्र किया और मैं करना चाहता हूँ। इसके अन्दर जितने क्लाजेज रखे गये हैं, जिस समय मंत्री महोदय ने इस विधेयक को सदन के सामने रखा था, उनको उसके कारण कुछ ज्यादा देने चाहिये थे। लेकिन, शायद उन्होंने यह समझा होगा कि बजट के वक्त या दूसरे डिस्कशन के वक्त कई बातों को सदन के सामने रखेंगे जैसे कितना किराया बाकी है। करोड़ों रूपया बाकी है। लेकिन, मैं समझता हूँ कि जिस वक्त इस कानून को तब्दील करने के लिये यह बल रखा गया उस समय मंत्री महोदय को उनके कारणों का अपनी तकरीर में जरूर जिक्र करना चाहिये था। उन्हें सदन को बतलाना चाहिये था कि कितना रूपया किराये का बाकी है, कितने करोड़ रूपये के मकानों का नुकसान हुआ है। उन्होंने जिक्र किया अगर, दो भाई यहां थे, उनमें एक भाई पाकिस्तान चला गया और एक भाई यहां रह गया, जब वह भाई पाकिस्तान गया तो यदि उसकी जायेदाद को उसका भाई खरीद नहीं सकता अब हम लोग उस दूसरे भाई की जायेदाद को जो इवैक्की प्रापर्टी हो गई बन्दोबस्त करने के लिए, दूसरा नान इवैक्की हिस्सा भी खरीदना चाहते हैं।

श्री मेहर चन्द खन्ना : यह बात नहीं है।

चौधरी रणबीर सिंह : सैक्शन 3 जो है वह बिल्कुल साफ है कि कस्टोडियन उसे खरीद सकता है। सवाल है कि कितनी परेशानियां थीं, कितने केस थे, मंत्रालय के सामने। किन परेशानियों की वजह से उन्होंने यह संशोधन रखा और कहां कहां है वह परेशानियां, यह भी नहीं बताया। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। क्योंकि, आप भी उजड़कर आने वालों में से एक हैं। लेकिन, एक सच्चाई है कि इस मंत्रालय के अन्दर जो भाई उधर से आये आम तौर से उनको ही ज्यादा नौकरियां दी गईं और दी जानी चाहियें थीं। क्योंकि, उनके रिहैबिलिटेशन का सवाल था। आप जानते हैं कि जिस

राज्य से मैं आता हूँ और जिस राज्य से आप आते हैं वहां की बदकिस्मती है कि जिस कौम या जिस मजहब के मानने वालों की जायेदाद को आप इवैक्की मानते हैं उनके मजहब का कोई अफसर नहीं। उस जायेदाद का इन्तजाम करने वाले जिसे आप इवैक्की कहते हैं, आम तौर पर वही भाई हैं जो भाई उधर से उजड़ कर आये हैं, और उनकी हमदर्दी जो भाई उजड़ कर आये हैं उनसे है। उस हमदर्दी के जोश में अगर, वह कुछ अपने अख्तयार से ज्यादा भी कर दें तो वह भी सही समझा जा सकता है और समझ में आ सकता है। कि वह ऐसा कर सकते हैं। मुझे मालूम नहीं कि यह समस्या कहां की है? बिहार की समस्या है तो शायद मुझे ज्यादा उज्र न हो। लेकिन, अगर, यह समस्या पंजाब की है तो मुझे उसमें बहुत डर है। मंत्री महोदय ने यहां पर जो दो धारायें रखी हैं, 3 और दूसरी 5, उनमें जो धारा 5 है, वह सारी धारा 3 से खत्म हो जाती है। आज तक किसी को यह अधिकार नहीं था कि जो भाई यहां है और जिसकी जायेदाद को इवैक्की प्रापर्टी करार न दी गई हो, उसकी जायेदाद के ऊपर कोई हाथ उठाये। लोगों को शायद पहले सही गिला था, मंत्रालय को भी आज गिला है। इसीलिये, उन्होंने सेक्शन 5 को यहां रखा है। कुछ ऐसी जायेदादें हैं यहां पर जो इवैक्की प्रापर्टी नहीं थी और न इवैक्की प्रापर्टी मानी ही जाती थी। लेकिन, फिर भी उसको इवैक्की बना दिया गया। यह सैक्शन 5 इसीलिये, लाया गया है कि वह ऐक्कायर की हुई प्रापर्टी उन आदमियों को वापस मिल सके। कुदरती बात है। हम मानते हैं कि यहां गलतियां हुई हैं। लेकिन, उन गलतियों के करने वालों के हाथ में आज आप एक दूसरी तलवार दे रहे हैं। मुझको यह बहुत खतरनाक लगता है। शायद मुझको यह ख्याल भी न आता, चुभता भी नहीं, अगर, आज से पांच या दस दिन पहले एक वाकया मेरे सामने न आता। रोहतक जिले के अन्दर एक सुभाष नगर गांव है। पहले तो उसका नाम कुछ और था। लेकिन, अब उसका नाम सुभाष नगर है। उसमें कुछ भाई हैं जो मुसलमान काश्तकार थे। वह अभी भी वहां हैं। वहां के एक भाई मेरे सामने आये। उनका एक भाई साल या डेढ़ साल पहले पाकिस्तान चला गया। उसके रहने वाले मकान को एक भाई ने बोली में ले लिया है। जिस भाई को वहां पहले जमीन एलाट हुई थी वह अपनी जमीन को बेच गया। दूसरे भाई की जायेदाद नीलाम हो रही है। वह वहां रहता है। लेकिन, उसके आधे मकान को दूसरे को बेचा गया। उसके खिलाफ अब अपील पेंडिंग है। लेकिन, आज तो उस भाई की सुनने वाला कोई नहीं है। कल कोई दूसरा भाई, असिस्टेंट कस्टोडियन या कोई दूसरा छोटा बड़ा आदमी लिख देगा कि यह प्रापर्टी खराब हो रही है और मुझको यह

दूसरा हिस्सा भी खरीदने की इजाजत दी जाये। ऐसी हालत में उस बेचारे को जो अब तक किसी तरह अपना गुजारा करता आ रहा है, अपने मकान से भी जाना होगा।

मैं जानता हूँ कि कानून में जो मसविदा रखा गया है वह इसलिए रखा गया है कि अगर, इवैक्की प्रापर्टी घटती है, उसकी वजह से पूल में घाटा न रहे। असल में क्या होता है? होता यह है कि अगर, किसी प्रापर्टी की कीमत बढ़ती है और किसी आदमी को फायदा दिलवाना है तो उस जायेदाद की कीमत लगायी जाएगी और वह उसको पहले ज्यादा दिखायेंगे, वह खरीद कर नहीं सकता। पर दूसरे के पास तो क्लेम हैं। आप मानिए या न मानिए, इसमें सबूत देने की कोई बात नहीं है कि रूपये का क्लेम 12 आने, आठ आने और सात आने में बिका है। इस बात को सब आदमी जानते हैं। मंत्री महोदय को भी यह बात मालूम होगी और मंत्रालय को भी मालूम होगी। मैं जानता हूँ कि जिन लोगों को इन हालात में अपने क्लेम बेचने पड़े उनकी भी बहुत बड़ी मजबूरी थी। तभी तो उन्होंने रूपये की चीज को सात आने में दे दिया। जिन्होंने उनको खरीदा–चाहे किन्ही हालात में खरीदा–उन्होंने उनको कानूनी तौर पर एक्सप्लाइट किया, लूटा। मैं नहीं कह सकता कि कितने करोड़ के क्लेम इस तरह से अण्डर बिड किए गए। लेकिन, अगर, हिसाब लगाया जाए तो यह एक बहुत बड़ी रकम होगी। जिन भाईयों को मजबूरी थी उनको हमारे इस इंतजाम से घाटा हुआ। हमारी भी मजबूरी थी हम उनको उसी वक्त क्लेम का रूपया नहीं दे सकते थे। लेकिन, बहरहाल उनकी इस हालत का कुछ भाईयों ने फायदा उठाया।

मैं कह रहा था कि जो बात जायेदाद खरीदने की, मुझे इसमें आशंका है, मुझे आशंका है। पहले जो चीज थी यह उससे भी ज्यादा खराब होगी। मैं नहीं चाहता कि यह अधिकार किसी छोटे–मोटे अधिकारी के हाथ में हो। अव्वल तो इस सदन को बताया जाना चाहिए था कि कितनी ऐसी प्रापर्टीज हैं, जिनको हमें खरीदना जरूरी है। मैं समझता हूँ कि ऐसी प्रापर्टीज की लिस्ट, जिनको खरीदना आप जरूरी समझते थे, हमको पहले ही मिलनी चाहिए थी। लेकिन, अगर, अब तक नहीं मिली और हमको अगर, यह कानून पास करना है तो कम से कम अब इस सदन के हर सदस्य को वह लिस्ट मिलनी चाहिए, ताकि अगर, उनके हलके में कोई ऐसा मामला हो तो वह देख सकें कि किसी गरीब भाई से धक्का न हो सके। पंजाब में कायम रहना कितना मुश्किल है, यह वह भाई जानते हैं जो उधर से आए हैं। पार्टीशन के 12–13 साल बाद अब उनको फिर बेघर होना पड़ेगा। हम तो समझते हैं कि इस कानून का सबसे खराब नतीजा यह होगा।

इस कानून में उन्होंने एक अच्छी बात की भी झलक दिखायी है। अगर, इसमें यह झलक न होती तो शायद यह पास भी न होता। मंत्री महोदय मेरी गुस्ताखी माफ करेंगे। मुझे पता लगा कि मंत्री महोदय वकील नहीं हैं। लेकिन, अपनी बात मनवाने में वह किसी वकील से भी ज्यादा होशियार हैं। मैं मानता हूँ कि इस बिल का क्लाज 3 कभी पास नहीं हो सकता था, अगर, इसके साथ क्लाज 5 भी न होता। मुझे मालूम नहीं। लेकिन, शायद मंत्रालय के भाई भी बहुत होशियार हैं। उनके सामने बहुत समस्याएं हैं। शायद वह इस बात को समझें हों कि इस सदन का मन कैसा है और इस सदन के सदस्य किस ढ़ंग से सोचते हैं। हो सकता है कि माननीय मंत्री का ध्यान उस तरफ न गया हो तो मैं उनका इस तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ। अगर, आप चाहते हैं कि आपको दफा 5 के लिए यश मिले तो आप दफा 3 को हटा दीजिए और जो समस्याएं हैं उनको इस सदन के सामने फिर रखिये। सारी समस्याएं सदन के सदस्यों के सामने आएं और उसके बाद इसको लाया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि यह एक अच्छा तरीका होगा।

सरदार अजित सिंह सरहदी ने जिक्र किया क्लाज 4 के बारे में । वैसे तो कोई आदमी इसकी खिलाफत नहीं कर सकता। आखिर देश के अन्दर हिसाब किताब तो सबका होना चाहिए। जो भाई उधर से आए हैं उनका भी होना चाहिए। लेकिन, इस चीज को किस ढ़ंग से चालू किया जाए। मुझे इस बात से इंकार नहीं कि अफसरों को अधिकार दे दिए जाएं। लेकिन, अफसर भी हमारी तरह के ही इन्सान होते हैं। जिससे वह नाराज हो जाते हैं उसके टिकने के लिए जगह नहीं रहती। खुदा ही उसकी रक्षा कर सकता है। मैं चाहता हूँ कि चाहे इस बारे में मंत्रालय द्वारा हिदायत दी जाये या मंत्री महोदय हिदायत दें। मैं जानता हूँ कि मंत्री महोदय के पास बहुत बड़ा काम है। जो भाई वैस्ट पाकिस्तान से आए थे, उनकीं समस्या तो किसी हद तक हल हो गयी है। कुछ उन भाईयों ने खुद अपनी समस्या हल कर ली है। उन्होंने अपने हौंसले से अपनी समस्या किसी हद तक हल कर ली है। लेकिन, जो भाई ईस्ट पाकिस्तान से आए हैं, उनका कुछ हौंसला भी कम है। गुहा साहब का तो गिला है कि मंत्रालय का हौंसला कम है। हमें तो दोनों का ही हौंसला कम दिखायी देता है।

श्री मेहरचन्द खन्ना : मैं आपको वहां ले चल कर दिखला सकता हूँ।

चौधरी रणबीर सिंह : मैंने जाकर देखा है। उनको जमीन मिली जिसमें अच्छा चावल हो सकता था। उनको मकान मिले हैं। लेकिन, वह उस जमीन में कुछ नहीं कर पाये और पंजाब के राय सिखों ने वहां जाकर उनसे बहुत जमीन खरीद ली।

आज उसमें चावल पैदा कर रहे हैं। वह भाई भी उजड़ कर आए हैं और यह भी उजड़ कर आए हैं। फर्क यह है कि जो बंगाल से उजड़ कर आए हैं वह पंजाब वालों जैसे हौंसले वाले नहीं हैं।

एक माननयी सदस्य : दोनों बहादुर हैं।

चौधरी रणबीर सिंह : बहादुर हैं, इससे मुझे इन्कार नहीं। बंगाल के भाई हमसे बहुत ज्यादा हैं। लेकिन, खेती के काम में हमसे पीछे हैं।

एक माननीय सदस्य : बुद्धि में ज्यादा हैं।

चौधरी रणबीर सिंह : मैं कह रहा हूँ कि बुद्धि में हमसे आगे हैं। बहादुर भी होंगे। लेकिन, शरीर के मामले में हम उनसे आगे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : चौधरी कौन सी चीज चाहता है?

चौधरी रणबीर सिंह : मुझे तो दोनों की ही जरूरत है। हर पांचवें साल चुनाव आते हैं। उस समय अगर, शरीर मजबूत न हो काम नहीं हो सकता। लेकिन, सदन में बुद्धि की आवश्यकता होती है।

मेरे साथी ने जो मेरे जिले से चुनकर आए हैं, गिला किया। उनकी आशा लगी थी केरल की ओर। वह समझते थे कि वहां वजारत की कुर्सी मिलेगी। वह समझते थे कि शायद पांजब में भी कुर्सी मिल जाएगी। लेकिन, केरल की कुर्सी तो खिसक गयी और ऐसा 7 जंतर मंतर रोड़ वालों की कोशिश से हुआ। इसलिए वह अपने दिल के फफोले यहां फोड़ रहे हैं। अगर, कम्युनिस्ट पार्टी के पास या दूसरी पार्टी के पास कोई ऐसी प्रापर्टी होती जो इवैक्की होती और पोलिटिकल के हाथ में होती और उसके साथ कोई दूसरे ढ़ंग का व्यवहार किया जाता तो मेरी समझ में आ सकता था। लेकिन, आज वह क्या चाहते हैं और क्या समझते हैं? वह पोलीटिकल पार्टी जिससे हर पंच साल बाद मुकाबला करना पड़े तो वह कंगाल हो जाती है। वह किसी साहूकार के बराबर आकर बोली नहीं दे सकेगी। मैं समझता हूँ कि कई दफा जब हम लड़ लेते हैं तो लड़ने के बाद समझ की बात भूल जाते हैं।

हम सबको इस बात को मानना चाहिए कि यह रजिस्टर्ड बाडी हमसे बेहतर नहीं है। इस देश के बनाने में अगर, सियासी आदमियों का हाथ नहीं है तो मैं समझता हूँ कि यह देश बना ही नहीं है। मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है कि उन बनाने वालों में आचार्य कृपलानी, गोपालन साहब, डांगे साहब और खुशवक्त राय साहब को और सबको शामिल कर लिया जाये। उनका जो तरीका है, काम करने का जो स्थान है,

उसकी रक्षा होनी चाहिए। प्रजातंत्रवाद के नाम पर जो दुहाई दी जाती है और इस ढ़ंग की बात को लूट कहा जाता है, वह गलत है। गलत वकालत है और वह इसलिए है कि किसी का एक पार्टी से गिला है। लेकिन, वह भूल जाता है कि कभी उसकी पार्टी के साथ भी ऐसा मामला आ सकता है और आया है। केरल में कितनी चीजों के ऊपर कम्युनिस्ट पार्टी के साथ रियायत नहीं हुई ? यह सदन जानता है और यह देश जानता है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं चौधरी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वह अब खत्म करने की कोशिश करें।

चौधरी रणबीर सिंह : आखिर में मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि उस मेरे भाई ने जो टीका-टिप्पणी की है, उसका कोई बहुत ज्यादा असर वह न समझें। क्योंकि, वे तो दो चार भाई हैं, हारे हुए भाई हैं। हारे हुए भाई के शब्द का गिला नहीं करना चाहिए, असर तो उसका होगा।

द्वितीय लोकसभा

मंगलवार, 16 फरवरी, 1960 *

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा

चौधरी रणबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो शुरू में ही चीन के अतिक्रमण का जिक्र किया गया है और हमारे राष्ट्रपति ने जो भावनाएं रखी हैं, वह इस देश के तकरीबन सब आदमियों की भावनाएं हैं। लेकिन, मसानी साहब ने आज सवेरे और श्री अशोक मेहता ने कल कांग्रेस पार्टी और प्राइम मिनिस्टर साहब को यह बताने की कोशिश की कि देश में चीन द्वारा जो हमारी सीमाओं पर अतिक्रमण हुआ है, उसके विरूद्ध भारतीय जनता में कितना रोष और असन्तोष है और उन्होंने चेतावनी दी कि अगर भारत सरकार या प्रधानमंत्री ने चीन से बातचीत करने और डील करने में जरा भी कमजोरी दिखालाई या चीन के प्रधानमंत्री से बातचीत शुरू की तो भारत की जनता इसके लिए उनको कभी माफ नहीं करेगी। मैं समझता हूँ कि उन्हें खुद ही याद नहीं है। यह आज की बात नहीं है, बल्कि जिस रोज कि यह देश आजाद हुआ उसके चन्द महीने बाद की बात है कि पाकिस्तान ने इस देश की हजारों मील के भूभाग पर गैर-कानूनी कब्जा कर लिया और आज तक वह गैर-कानूनी कब्जा बरकरार है। इस सम्बन्ध में हमने एक दफा नहीं, बल्कि सेंकड़ो दफे पाकिस्तान से बातचीत करने की कोशिश की, ताकि शान्ति से यह मामला निपट जाये और मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमें उसमें किस कदर कामयाबी भी हासिल हुई है तो मैं नहीं समझता कि विवादों और झगड़ों को शान्तिपूर्ण बातचीत के द्वारा सुलझाने का प्रयास यदि सरकार द्वारा किया जाये तो उसमें क्या आपत्ति की बात हो सकती है ?

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 16 फरवरी, 1960, पृष्ठ 1288-1298*

उसके बाद इस देश के अन्दर दो चुनाव आये। उनमें मसानी साहब जीते भी और हारे भी। लेकिन, आम तौर पर इन चुनावों में जनता ने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया और उसका समर्थन किया। इसलिए, वह जो देश की जनता की ओर बोलने का दावा करते हैं, वह मेरी राय में कुछ मुनासिब नहीं है, अलबत्ता जो वह अपने विचार रखते हैं, उनके लिए मुझे कोई ऐतराज नहीं है। यह तो ठीक है कि हमारे देश चीन ने जो यह हमारी सीमाओं का अनुचित अतिक्रमण किया है, उसको लेकर नाराजगी की भावना है। लेकिन अगर, वह ऐसा समझते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अगर किसी को यहां पर आने का बुलावा देना चाहते हैं तो लोग उनका स्वागत नहीं करेंगे तो वे गलतफहमी में हैं

यहां कई दफे कहा गया श्री कृष्ण मेनन के बारे में कि वह ठीक तरह से काम नहीं करते और यह उनकी अपनी राय है। लेकिन, मैं बतलाऊं कि कृष्ण मेनन जब बम्बई में जाते हैं तो उनका बड़ा शानदार स्वागत होता है और अन्यत्र जहां कहीं वह जाते हैं, जनता उनका दिल से स्वागत करती है। इसलिए उनका जो श्री कृष्ण मेनन के बारे में ख्याल है, वह मेरी समझ में सही है। इसी तरह अगर श्री चाऊ एन लाई इस देश में आयें तो मुझे पूरा भरोसा है कि अगर पंडित जी चाहें और जैसाकि उन्होंने जाहिर भी कर दिया है कि हम भारत आने पर उनका स्वागत करेंगे और उनसे इस झगड़े को शान्तिपूर्ण बातचीत करके सुलझाने की कोशिश करेंगे, तो उनका जनता दिल से स्वागत करेगी, क्योंकि यह सब पर विदित है कि इस देश की जनता पंडित जी के साथ है।

इसके बाद चौधरी ब्रह्म प्रकाश ने बम्बई के दो सूबे बनाने के बारे में जो कहा तो मैं भी मानता हूँ कि यह सही फैसला हुआ और अगर यही फैसला आज से कुछ समय पहले हो जाता तो जनरल भोंसले जोकि शिवाजी के खानदान से ताल्लुक रखते थे और बहुत से हमारे अन्य साथी और आज पंजाब के जो गवर्नर हैं, हमारे गाडगिल साहब जोकि पिछले 27, 28 सालों से निरन्तर चुनाव में जीतकर यहां पार्लियामेंट में आते रहे हैं, वे कभी नहीं हार सकते थे। वह एक गलत फैसला हमने किया और उसको चालू करने की कोशिश की। लेकिन, चूंकि वह सही फैसला नहीं था। इसलिए, हमें उसको बदलना पड़ा।

जिस तरह से चौधरी ब्रह्म प्रकाश ने कहा उस तरह से तो नहीं कहना चाहता। लेकिन, एक बात मैं जरूर महसूस करता हूँ कि दिल्ली जिस तरह से देहात में एक मसल है कि (चिराग तले अंधेरा) अर्थात जहां दिया होता है तो उस दिये के

नीचे नीचे सब अंधेरा होता है। हालांकि, अब बिजली के युग में बिजली का जो लट्टू होता है, उस लट्टू के नीचे अंधेरा रनहीं रहता। कहने का मतलब यह है कि यह दिल्ली की बदकिस्मती है कि यह जो दिल्ली के चारों ओर बसते हैं, उनके साथ कोई न्याय अभी तक सही तौर पर नहीं हुआ है। दिल्ली का सूबा ले लीजिये। उसकी कोई असेम्बली नहीं है। उससे आगे चल कर हम लोग हैं। पंजाब को दो हिस्सों में तकसीम किया गया। आपको भी याद है और मुझे भी याद है। पंजाब के अंदर आज से पांच साल पहले गुरूद्वारा के चुनाव हुए थे और उस चुनाव में अकाली पार्टी से हम लोग हारे थे। उस चुनाव में हमने कुल तीन सीटें जीती थीं। पांच साल के बाद फिर गुरूद्वारों के चुनावों में अकालियों के साथ हमारा मुकाबला हुआ और अबकी दफे हमने पांच सीटें जीती हैं। वैै तो देखा जाये तो हमने तरक्की ही की है। तीन की जगह अबकी दफे पांच सीटें जीती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि कांग्रेस और अकालियों का एक समझौता हुआ और अकाली पार्टी के लोग कांग्रेस के साथ आ मिले और कांग्रेस पंजाब के अन्दर बड़ी शान से कामयाब होकर आई। लेकिन, उस कामयाबी के अन्दर एक राज छिपा था और वह यह कि हिन्दुस्तान की सरकार ने और इस सदन ने पंजाब को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया था। रीजनल स्कीम्स को माना था, एक पंजाबी रीजन और एक हिन्दी रीजन। जिन लोगों को इस बारे में शक था हमने उस शक को कुछ मिटाने की कोशिश की और लोगों ने विश्वास किया था कि शायद वह बात सही है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम नहीं कि आगे हमारे पास वह कोई दूसरा हथियार इस किस्म का सन् 1962 तक आने वाला है या नहीं या बगैर हथियार के हम 1962 में जायेंगे। पांच सीटों से मुझे घबराहट नहीं है। लेकिन, आप बिना दूसरे हथियार के जाते हैं तो मुझे जरूर घबराहट है। उसके बारे में अवश्य हिन्दुस्तान की सरकार को और कांग्रेस पार्टी को सोचना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आप देखते हैं कि एक तरफ पंजाबी रीजन के भाई हैं, उसमें एक मजहब के मानने वालों को अपना ख्याल जाहिर करने का मौका मिला। उन्होंने भले ही उस स्कीम को अच्छा नहीं समझा और पंजाबी सूबे के हक में राय देने की कोशिश की है। हो सकता है कि कुछ और भी वजूहात हों। लेकिन, मैं यह मानता हूँ कि पिछली दफे हमने केवल तीन सीटें जीती थीं। लेकिन, हमको 33 फीसदी राय मिली थी। अबकी दफे सीटें तो हम पांच हीते हैं। लेकिन, राय कुल 22 फीसदी हमको मिली है। मैं यह मानता हूँ कि पिछली मर्तबा की अपेक्षा इस दफा हम शायद कुछ अधिक खराब हालत पर पहुंचे हैं। एक तरफ तो यह हालत है और इसके साथ

ही हम यह भूलना नहीं चाहते कि आज हमारे पंजाब के अन्दर जो 6 बड़े माननीय और योग्य नेता हैं और जिनको इस देश की सेवा करने का मौका मिला है वह छहों के छह पंजाबी रीजन के हैं। हिन्दी रीजन की तरफ से किसी एक भी भाई को चाहे वह दिल्ली से ताल्लुक रखता हो, दिल्ली सरकार का ताल्लुक हो या पंजाब सरकार का ताल्लुक हो, हिन्दी रीजन के किसी भी भाई को सेवा करने का मौका नहीं मिला। आज हिन्दी रीजन के साथ यह उपेक्षापूर्ण व्यवहार चल रहा है। यह तो बात सही है कि हम दिल्ली से, हिमाचल प्रदेश से अच्छे हैं। इस माने में कि हमारे अपने नुमायन्दे हैं। हमारी अपनी वजारत है और उसके अंदर कुछ हमारी छोटी-छोटी ही सही हमारी थोड़ी बहुत आवाज है। लेकिन, क्या वह आवाज इतनी है जिससे कि लोगों को तसल्ली हो मुझे इसमें शक है। हिन्दी रीजन के भाईयों के दिल में शक है और शायद सही तौर पर शक है कि उनके साथ उचित व्यवहार नहीं हो रहा है और उनको जो मुनासिब हिस्सा मिलना चाहिये, वह नहीं मिला है।

राज्यसभा के अन्दर पंजाब से 12 मेम्बर हैं। उनके अन्दर कितने भाई हमारे इस हिन्दी रीजन से आते हैं इसको भी कभी आपने सोचा है भले ही हम चाहें उसकी गिनती न करें। लेकिन, कुछ लोग करते हैं। इसी तरह से पंजाब के अन्दर जो कौंसिल है और उसमें 51 सदस्य आते हैं। उन 51 में से कितने सदस्य पंजाबी रीजन के हैं और कितने हिन्दी रीजन के हैं? कुछ लोग तो इस बात की गिनती करते हैं। जैसा मैंने पहले जिक्र किया उन 6 में से कितने हिन्दी रीजन के पहुंचे? इन चीजों जनता यह देखती है कि उनकी उपेक्षा हो रही है। उसका उनके दिमाग पर असर पड़ता है।

अगर, यह बात इसी तरह से चलती रहे।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर, मुकाबले में मेरी भी आसामी है तो चौधरी साहब यहां आ सकते हैं।

चौधरी रणबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आपका तो मैं बड़ा मशकूर हूँ कि आपने मुझे अपनी भावनाएं सदन के सामने रखने का मौका दिया। मैं चाहता हूँ कि आप जब तक आपकी आयु है, यहां पर रहें।

एक माननीय सदस्य : पंजाब न जाएं।

चौधरी रणबीर सिंह : पंजाब में जाकर कहां झगड़ने में फंसेंगे? मैं जिक्र कर रहा था कि लोगों के दिलों के अन्दर कुछ भावनाएं हैं, कुछ आशंकाएं हें। हम दिल्ली से अच्छे हैं, हिमाचल से अच्छे हैं। दिल्ली और हिमाचल की हालत कौन नहीं

जानता। वहां तो बड़े-बड़े अफसर हैं और उनके नाते रिश्तेदार हैं। पंजाब में अगर, हमारे भाई राम किशन को गिला होगा तो वहां चीफ मिनिस्टर के लड़के के खिलाफ होगा। लेकिन, दिल्ली और हिमाचल में तो किसी अपने आदमी का रिश्तेदार नहीं है। वहां तो बड़े-बड़े अफसर हैं। उनको बड़ी-बड़ी तनख्वाहें मिलतीं हैं। मालूम नहीं कि वित्त मंत्रालय कैसे इसकी मंजूरी दे देता है?

इसके बाद मैं कुछ दूसरी बातें कहना चाहता हूँ। भाई अजीत प्रसाद जैन ने कम्युनिटी प्रोजेक्टों का जिक्र किया। चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी ने भी उनका जिक्र किया। अगर, मैं यह कहूं कि मुझे चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी से देहात का ज्यादा पता है तो यह बात सही नहीं होगी। लेकिन, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मैं वकालत की बहस में तो जाना नहीं चाहता कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का क्युमुलेटिव आउटलुक क्या है। मुझे गोरी और काली शक्ल से कोई मतलब नहीं है। मुझे तो इससे मतलब है कि इस देश के देहात में काम होता है या नहीं? मैं जानना चाहता हूँ कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट की कीमत किस तरह से जांची जाती है? अभी उन्होंने जिक्र किया कि वहां और आदमियों की जरूरत है। इस बारे में तो मेरा उनसे कोई मतभेद नहीं है। लेकिन, मैं जानना चाहता हूँ कि आज तक जितनी जीपें और आदमी काम करते रहे हैं वे कहां तक पहुंचे हैं। मैं नीचे से शुरू करना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि देहात का सबसे निचला तबका वाल्मीकी भाईयों का होता है। वह हमारे इलाके में और दूसरे इलाकों में भी मुर्गियां और सूअर पालते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या वाल्मीकी भाईयों को कोई अच्छा सूअर पालने को दिया गया? उनके बाद धानुक भाई हैं। वह गरीब हैं। मुझे कोई बताए कि उनके लिए कितने पावर लूम लगाये गये हैं। कितने कम्यूनिटी प्रोजेक्टों में उनके लिये कोआपरेटिव सोसाइटीज बनाकर उनके स्तर को ऊंचा करने की कोशिश की गयी है। इसी तरह से कुम्हार हैं, लुहार हैं। जो भाई लुहार कम्युनिटी प्रोजेक्ट के इलाके में बसते हैं उनको परमिट से कोयला नहीं मिल सकता। लोहा परमिट से नहीं मिल सकता। आज ऐसी अजीब हालत है देहात के अन्दर।

मैं समझता हूँ कि राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में जो जिक्र किया वह सही किया कि हमारा देश आज रेल के इंजिन बनाने में, रेल के डिब्बे बनाने में, लोहे के कारखाने बनाने में, हैवी और बेसिक इंडस्ट्रीज के मामले में बहुत आगे बढ़ रहा है। लेकिन, मैं पूछना चाहता हूँ कि काटेज इंडस्ट्रीज में हम इन 12 सालों में कहां पहुंचे हैं?

जहां तक खेती का वास्ता है, मैं इतना ही अर्ज करना चाहता हूँ कि खेती के

सिलसिले में कोआपरेटिव का बड़ा जिक्र किया जाता है। रिजर्व बैंक समझती है कि हम तो रूपया देने के लिये तैयार हैं। लेकिन, देहात के अन्दर कोई एजेंसी नहीं बनी है जिससे कि रूपया पहुंच सके। मुझे यह सुनकर ताज्जुब होता है। पिछली सर्दियों में प्राइम मिनिस्टर साहब उत्तर प्रदेश में एक कोआपरेटिव फैक्टरी देखने गये थे- बाजपुर कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी। मेरा भी उससे कुछ वास्ता है। वहां पर सवा करोड़ की एक शुगर फैक्टरी खड़ी की गई है। वहां सोसाइटी किस तरह से बनी उसके इतिहास में मैं जाना चाहता हूँ। जो आदमी बाहर से गए थे, जो उजड़ कर गए थे उनके पास पैसा नहीं था कि सवा करोड़ की फैक्टरी लगा सकें। उन्होंने दरख्वास्त की कि सारा जो शेयर कैपिटल है उसको कर्ज में लिया जाए। कुछ मामूल सी फीस देकर सदस्य बन गए और शेयर कैपिटल कर्ज पर दिया गया। जब एक सवा करोड़ की फैक्टरी इस उसूल पर बन सकती है तो मैं पूछना चाहता हूँ कि गाँवों में बीस हजार तीस हजार या एक लाख की कोआपरेटिव सोसाइटी इसी उसूल पर क्यों नहीं बन सकती? तीन साल के वक्त में से एक साल तो बीत गया। इस वक्त में सिर्फ नामकरण हो पाया है। इस बीच में मल्टी-परपज कोआपरेटिव सोसाइटी को सर्विस कोओपरेटिव का नाम दिया जा सका है, बाकी कोई और तरक्की नहीं हुई है। मैं पूछता हूँ कि अगर, एक सोसाइटी का शेयर कैपीटल 20 हजार है और मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट एक लाख 60 हजार है, अगर, मेरा गाँव एक लाख 60 हजार दे सकता है और रिजर्व बैंक उसके बारे में ऐतबार कर सकती है, तो एक लाख 80 हजार देने में कौन सी आपत्ति होनी चाहिए, अगर, वही उसूल काम में लाया जाए?

ग्राम सेवक की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा रखी गयी है। वह बेचारा जैक ऑफ आल ट्रेडर्स एंड मास्टर ऑफ नन होता है। अगर, उसको कोआपरेटिव सोसाइटी का सेक्रेटरी बना दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि देहात का काम अच्छा होगा और खासी तरक्की होगी। रिजर्व बैंक से और वित्त मंत्रालय से अगर, देहात में दो लाख, ढ़ाई लाख या तीन लाख पहुंच सकें उस सोसाइटी को तो अनाज की कमी दूर हो सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट और लेना चाहता हूँ। मेरे दोस्त श्री एच.एन. मुकर्जी को खास तौर से गिला है कि विदेशों का फालतू कैपिटल देश के अन्दर आने दिया जा रहा है। वह तो कुछ करोड़ों की बात करते हैं। क्या वह समझते हैं कि हम जो यहां लोगों का झंडा हिला-हिला कर स्वागत करते हैं, यह सब जबानी जमा खर्च है। यह पंडित जवाहर लाल नेहरू की कोशिशों का ही नतीजा है कि हमको विदेशों से 1760 करोड़ रूपए की मदद के वायदे मिले हैं। अपनी पंच वर्षीय योजना के लिए

जिसके लिए एक हजार करोड़ टैक्स से वसूल किया जाएगा। हमारे मुकर्जी साहब कहते हैं कि तनख्वाहें भी बढ़ायी जाएं, टैक्स भी ज्यादा न लिया जाए और बाहर से भी मदद न ली जाए। यह बात मेरी समझ में नहीं आती।

मैं एक मिनट और लेना चाहता हूँ। मुझे एक बात और अर्ज करनी है। हमारे देश के अन्दर रूपया बढ़ाया गया है, जिसे डिफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका यह एक मिनट कब खत्म होगा?

चौधरी रणबीर सिंह : मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। एक ही मिनट लूंगा।

देश के अन्दर 1500 करोड़ रूपए का डेफिसिट फाइनेंसिंग किया गया। यह बात सही है कि ऐसा करने के बावजूद जो सन 1948 में गेहूं का कंट्रोल का भाव 16 रूपए मन था, वही आज भी है। यह कमाल की बात है कि इस तरह से डिफिसिट फाइनेंसिंग किया गया। सरकारी नौकरों को गिला है। उनको 50 रूपए से 80 रूपए हो गए। हाँ, सेक्रेटरी साहब की तनख्वाह आधी नहीं तो एक तिहाई कम हो गयी। यह जरूरी था। एक क्रांति देश के अन्दर आ रही है और शान्ति से आ रही है। मैं समझता हूँ कि यह क्रिटिसिज्म बहुत सही नहीं है।

द्वितीय लोकसभा

शुक्रवार, 19 फरवरी, 1960 *

पिछड़े समुदायों (धार्मिक आरक्षण) विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री प्रकाश वीर शास्त्री जी को धन्यवाद दिये बगैर नहीं रह सकता कि उन्होंने एक गम्भीर सवाल की तरफ इस विधेयक को यहां लाकर इस सदन का ध्यान खींचा है। जिस वक्त इस विधेयक को कोई पढ़ता है तो उसके दिल में यह ख्याल आये बगैर नहीं रहता कि यह बड़ा मासूम सा विधेयक है और इसको फौरन मंजूर कर लिया जाना चाहिये। उसके बाद दूसरा सवाल यह पैदा होता है कि इसकी क्या आवश्यकता है। ऐसे देश में जो सेक्युलर स्टेट है, जो आजाद स्टेट है, जिसमें दो पांच साला योजनायें चल चुकी हैं, एक तो कामयाब हो चुकी है, दूसरी कामयाब होने जा रही है। उसके बाद तीसरी चालू होने वाली है। उसमें इसकी क्या आवश्यकता है। लेकिन, जब शास्त्री जी ने विस्तार से इस विषय पर प्रकाश डाला और जो बातें बतलाईं तो यह ख्याल आए बगैर नहीं रहता कि इस देश के अन्दर कुछ इस तरह के हालात पैदा हो गए हैं–हालांकि, हम मानते हैं कि सब धर्मों के साथ हमारा समभाव होना चाहिये–जिनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इस सेक्युलर के नाम पर एक धर्म को हम ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। क्योंकि, इस एक धर्म को बढ़ाने के लिये इस देश के अन्दर नौ दस करोड़ रूपया बाहर से हर साल आ जाता है। दूसरे धर्मों और विचारों के लिए कोई पैसा नहीं आता है तो वे यकसां हालत में खड़े नहीं हो सकते हैं। इसलिये, मैं समझता हूँ कि यह जो सवाल है, इस पर गम्भीरता से सोचा जाना चाहिए।

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957–62), 19 फरवरी, 1960, पृष्ठ 2000–2004*

जहां तक सेवा-भावना का सम्बन्ध है, अस्पताल खोलने का सम्बन्ध है या स्कूल चलाने का सम्बंध है, वे बड़ी अच्छी चीजें हैं। दूसरे देश हमारे देश के अन्दर इन चीजों के लिये पैसा भेजें तो उनका शुक्रिया किये बगैर हम नहीं रह सकते हैं। लेकिन, मैं समझता हूँ कि जैसा त्यागी जी ने कहा कुछ चीजों की तरफ हमें सोचना होगा कि हम लोहे को जब नैशनलाइज करते हैं, तो विद्या को नैशनलाइज क्यों न करें? विद्या प्रसार के लिए जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, वे क्यों न सरकार बनाये और इस काम के लिये जो भी बाहर वाला देश पैसा देना चाहे उसको हम स्वीकार करें? उसके लिए उसका शुक्रिया अदा करें। इसी तरह से जो अस्पताल हैं, जब इस देश का ध्येय एक वैलफेयर स्टेट है, हमारी कोई ला एंड आर्डर स्टेट नहीं है, उनको भी सरकार क्यों न चलाये। हम जब आजाद हैं तो आजाद होने के बाद भी जब लाखों आदमी अपना धर्म परिवर्तन करते हैं सिर्फ इसलिये, कि उनको तालीम की सुविधायें नहीं मिलती हैं, या दवा दारू की सुविधायें नहीं मिलती हैं, तो यह हमारे देश के लिये एक तरह से मैं समझता हूँ कि कलंक की बात है, उसके माथे पर कलंक का टीका है। इसको जितनी दूर करें, उतना ही अच्छा होगा।

इस बात में कोई आपत्ति नहीं हो सकती कि कोई भाई ईसाई रहे, या हिन्दू रहे, या मुसलमान रहे। न कोई आपत्ति की बात हमारे विधान में स्वीकार की गयी है। लेकिन, अगर, छिपे हुए ढ़ंग से किसी धर्म को बढ़ाने की गुंजाइश है तो उसे हमें रोकना होगा। त्यागी जी की तरह से मैं इस बात को भी मानता हूँ कि जहां तक नेफा का सम्बन्ध है, हमें बड़ा होशियार रहना चाहिये। जहां हमारी सेक्युलर स्टेट बनाने की नीति है, वहां डिफेंस की भी हमारी एक नीति हो सकती है। जिस तरह से हमारे दूसरे दोस्त हैं, कम्यूनिस्ट साथी हैं या दूसरे सियासी साथी हैं, उनको हम जेल में डिटेन करते हैं जब हम समझते हैं कि देश की तरक्की के रास्ते में वे रोड़ा बनने जा रहे हैं, तो अगर, कोई धर्म के नाम पर देश की तरक्की के रास्ते में रोड़ा बनने जा रहा है तो उसको भी हम क्यों न रोकें। यह जो रोक का कानून है, डिटेंशन का कानून है जिस धारा का हम कई बार इस्तेमाल भी करते हैं, वह ऐसे लोगों पर इस्तेमाल होनी चाहिये, जो धर्म के नाम पर रोड़ा अटकाते हैं, हमारी तरक्की के रास्ते में। मुझे मालूम है कि हमने इस चीज का कुछ लोगों पर इस्तेमाल भी किया जिनके बारे में हमारे पास सबूत थे कि उन्होंने देश की सुरक्षा के सिलसिले में कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ कि इस सम्बन्ध में थोड़ा और आगे जाने की आवश्यकता है।

मैं मानता हूँ कि जब तक हम इस देश के अन्दर सारे स्कूलों को सरकारी

स्कूल नहीं बना सकते, जब तक इस देश के अन्दर सारे अस्पतालों को सरकारी अस्पताल नहीं बना सकते तब तक कम से कम हम अपनी दूसरी पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए कानून की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। हमारी सरकार की ऐसी नीति रहनी चाहिये कि अगर, कोई स्कूल का मैनेजमेंट इस बात की इजाजत दे कि किसी बच्चे को जहां वह पढ़ता है, उसको पढ़ाने की खातिर, उसका धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की जाती है तो उस मैनेजमेंट को वहां की जो सरकार है, नोटिस दे कि तुम्हारी रिकगनिशन क्यों न छीन ली जाए। उस मैनेजमेंट को लिखा जा सकता है कि या तो वह ऐसे अध्यापक को हटा दे या उसकी रिकगनिशन वापस ले ली जायेगी। दूसरा मौका उसको नहीं दिया जाएगा। अगर, वह मैनेजमेंट इस बात को नहीं मानता है तो उस स्कूल से रिकगनिशन सरकार को छीन लेनी चाहिये। इस तरह से स्थिति में काफी सुधार हो सकता है।

यही चीज अस्पतालों के बारे में भी हो सकती है। मिशनरीज अगर, अस्पतालों को चालू रखते हैं, चाहे वे अपने ढ़ंग से रखते हैं या अलहदा प्राइवेट प्रेक्टिशनर्स के नाते कोई दवा दारू करते हैं तो यदि वे इन अस्पतालों का किसी का धर्म परिवर्तन करने के काम में इस्तेमाल करते हैं तो उनके ऊपर भी पाबन्दी लगनी चाहिये। मैं चाहूंगा कि हमारे होम मिनिस्टर साहब उनकी पूरी तफतीश करें और उसके बाद यदि यह साबित हो जाए कि कुछ आदमियों ने खराबियां की हैं तो आज के कानून के अनुसार अगर, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें और अगर, नहीं की जा सकती है तो कोई दूसरे कदम उठायें। जहां तक रिकगनिशन छीनने का सवाल है, उनकी रिकगनिशन छीनी जा सकती हैं जिन अस्पतालों ने आजादी के नाम पर गलत काम किये हैं। उनको इजाजत नहीं होनी चाहिये कि वे उन अस्पतालों को चला सकें। मुझे इस बात में कोई बहुत जोर नहीं देना है कि यह विधेयक इसी ढ़ंग से पास हो। लेकिन, मैं यह जरूर चाहता हूँ कि होम मिनिस्ट्री देश को इस बात का यकीन दिलाये कि जो बातें शास्त्री जी ने यहां सदन के सामने रखी हैं, उनके लिये खातिरख्वाह तरीके से इन्तजाम किया जायेगा और दूसरे धर्म के मानने वालों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होने दिया जायेगा जिससे एक धर्म वालों के साथ दूसरे धर्म वालों के मुकाबले प्रिफरेंशल ट्रीटमेंट मालूम हो।

द्वितीय लोकसभा

शुक्रवार, 11 मार्च, 1960 *

दिल्ली लैंड होल्डिंग्स (सिलिंग) विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रवर समिति से इस बात की बहुत आशा थी कि वह दिल्ली भूमि अधिकतम सीमा बिल पर अच्छी तरह सोच-विचार करेगी और जितनी भी धाराओं में संशोधन करने की आवश्यकता है, उनके बारे में सदन के सामने अपनी तजवीजें पेश करेगी। पंडित ठाकुर दास भार्गव और दूसरे साथियों ने यह ख्याल जाहिर करने की कोशिश की थी कि उसूली तौर पर सीलिंग तो लगे। लेकिन, सीलिंग के आगे जो कार्यवाही है, वह न्याय की रीति से ही की जाये। उसमें किसी के साथ ज्यादती न हो। इसके ऊपर यहां पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया। हमारे यहां बहुत से साथी हैं, जिनका ख्याल है कि हम दिल्ली के साथ मिल जायें। लेकिन, जिस वक्त हम ऐसी बातें देखते हैं और ऐसे बिल हमारे सामने आते हैं तो हमें एक डर सा लगता है दिल्ली के साथ जुड़ने में। क्योंकि, यहां पर जो भाई विचार करते हैं, उनके दिल में जमीन की वह कीमत नहीं होती है, जो पंजाब के किसी काश्तकार के दिल में होती है।

इस बिल में कम्पेन्सेशन के बारे में जो धारा 10 है, मैं उसके खण्ड 2 और 3 की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि जमीन तो जरिया-ए-पैदावार हैं और मकान सिर्फ रहने की सहूलियत है। इस बिल में हमने यह माना है कि मकान की कीमत तो बाजार भाव के हिसाब से मिलनी चाहिए। लेकिन, जमीन की कीमत बाजार भाव के नजदीक भी न हो। मेरे भाई ने कहा कि वह डेढ़ दो सौ रूपये बैठता है। शायद उनको पता नहीं-क्योंकि वह मुश्किल से चालीस पचास रूपये

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 11 मार्च, 1960, पृष्ठ 5465-5471*

एकड़ के हिसाब से बैठता है। दिल्ली में बाजार भाव एक एकड़ का पांच हजार रूपया हो और उसका मुआवजा हम पचास रूपया दें, यह कहां का न्याय है? हम कहते हैं कि सोशल रिफार्म के लिए समाज के हर एक अंग को कुछ न कुछ कुर्बानी करनी चाहिए। उसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं है। इम्पीरियल बैंक के जो हिस्सेदार थे, उनसे भी कुर्बानी कराई गई। अगर, हिस्से की फेस वैल्यू ही दे दी जाती, तो हमें शिकायत न होती। लेकिन, उससे पांच गुना मार्केट वैल्यू के तौर पर उनको मुआवजा दिया गया। जो जमीन सोना पैदा करती है, जो अनाज पैदा करती है, उसके मुआवजे के लिए जो तरीका अख्तियार किया गया है, उसमें कोई न्याय नहीं किया जा रहा है। उस जमीन के ऊपर अगर, किसी ने दो हजार रूपये का मकान बना दिया है तो उसकी कीमत दो हजार रूपये जरूर मिलेगी, चाहे एक एकड़ जमीन का मुआवजा सिर्फ साठ रूपये ही मिले।

यह समझ में नहीं आता। मैं जानता हूँ कि इस देश के अन्दर बहुत सारे भाई हैं और बहुत सारे प्रान्तों से आते हैं। वहां जो जमीन का तरीका है, वह पंजाब में कभी नहीं रहा। पंजाब और दिल्ली के आसपास के जो भाई खुशहाल रहे, जो काश्तकार खुशहाल रहे, उनकी एक ही वजह थी कि दूसरे सूबों में तो सन 1947 के बाद जमीन पर जो खेती करते थे, उन्हें मिल्कियत के हकूक जमींदारी एबालिशन के बाद मिले। लेकिन, यहां तो सालहा साल यह हक रहा। बहुत सारे राज्य आये दिल्ली के अन्दर और चले गये। लेकिन, जो खेती करने वाले थे वह वहीं के वहीं रहे। शान्ति से अपनी खेती करते रहे। खेती करने में वह होशियार थे। अगर, यह जमीनें जमींदारी की होतीं तो मुझे कोई ऐतराज नहीं था। अंग्रेजों की सेवा करने के लिए या देश के साथ गद्दारी करने के नाते कोई इनाम मिली होती तो मैं उससे भी आगे जाता और कहता कि एक कौड़ी भी उनको न दो। लेकिन, इन्होंने यह जमीन खरीदी है। यह जमीन उन्होंने कोई जागीरदारी के नाते नहीं ली। कोई जमींदारी के नाते नहीं ली। बल्कि, वह तो एक तरह से पीजेंट प्रापराइटर थे। अब उनके लिए जो 30 स्टैन्डर्ड एकड़ की सीमा मुकर्रर की है इसको तो किसी हद तक बर्दाश्त भी किया जा सकता है। लेकिन, उससे यह कहना कि तुमको बाजारी भाव भी नहीं देंगे, यह उसके साथ अन्याय है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें लिखा है कि अधिकतम सीमा मुकर्रर करते वक्त पंजाब और उत्तर प्रदेश का और आसपास के सूबों का ख्याल रखा गया है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने पंजाब के कानून में जो मुआवजे की धारा रखी है उसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया है? वहां उसमें लिखा हुआ है कि सीलिंग के बाद जो फालतू जमीन काश्तकारों से ली जायेगी उसका मुआवजा उस समय बाजारी

रेट होगा, उसका 75 फीसदी दिया जायेगा। मैं मान सकता था अगर, 75 फीसदी के बजाय वह 60 फीसदी भी बाजारी रेट का मुआवजा देते। मैं दूसरे ढ़ंग से मानने को तैयार हूँ । वह यह कि जिस तरह पंजाब में मरला टैक्स लगाया यहां भी कोई इस तरह का मरला टैक्स लगता। यहां भी शहर बढ़ रहा है और उसके कारण जमीन की कीमतें बढ़ रही हैं। इसलिए यह मरला टैक्स देना चाहिए। लेकिन, उसके बाद जो उसका हक पहुंचता है उतना मुआवजा उसको देना चाहिए। लेकिन, आज उसके साथ न्याय नहीं हुआ है, यह देख कर मुझे बड़ा दु:ख होता है। जो जमीन पर अनाज पैदा करे उसके मुआवजे का उसूल दूसरा है। जो भाई मुआवजा मुकर्रर कर रहे हैं ऐसा मालूम होता है कि उनको जमीन से दुश्मनी है। ऐसा मालूम देता है, मकान से प्यार है और जो उसके अन्दर सामान लगाया जाये उससे प्यार है। लेकिन, जमीन से दुश्मनी है। मैं समझता हूँ कि इस देश के अन्दर 70 फीसदी देश की ऐसी आबादी है जिनका जमीन की मिल्कियत से एक रिश्ता है। इस तरह जमीन की मिल्कियत के साथ जो हमारा रिश्ता है, उस रिश्ते को आज डेमोक्रेटिक जमाने के अन्दर इस तरह से ठेस पहुंचाना, मैं समझता हूँ कि यह सही नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद जो छूट दी गई है उस सिलसिले में भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। उसके अन्दर लिखा है कि फलां तारीख के अन्दर अगर, कोई बगीचा लगा हुआ था तो वह तो छूट सकता था। लेकिन, जो उसके बाद अगर, बगीचा लगेगा वह नहीं छूट सकेगा। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यह कौन से न्याय की बात है? क्या उस तारीख के बाद देश को बगीचों की जरूरत नहीं है? देश के लिए जितने भी फल वगैरह पैदा करने थे वह उस वक्त तक जो बगीचे लगाये जा चुके हैं वह क्या हमारे देश की मांग को पूरा कर सकेंगे? अगर, आपके ख्याल में वे पूरा कर सकेंगे, तब तो मेरी समझ में यह आ सकता है कि फलां तारीख के बाद अगर, कोई बगीचा लगाना चाहता है तो उसके साथ कोई रिआयत नहीं होनी चाहिए। लेकिन, अगर, हमें फलों के और अधिक पैदा करने जरूरत है तो जाहिर है कि इस तरह की पाबन्दी नहीं होनी चाहिए।

उसी धारा के अन्दर चीफ कमिश्नर को अधिकार दिया गया है कि जिस चीज के लिए जो छूट दी गई है उसको एक अर्से तक अगर, वह पूरा न करे या पूरा करने में पीछे हट जय तो वह जमीन उससे वापिस ली जा सकती है। जब हमने इस धारा के अन्दर ऐसा लिखा हुआ है तो मेरी समझ में नहीं आता कि बगीचे के लिए हम यह फरवरी 1959 और 1960 से क्यों प्यार करें। उसके लिए हमको वक्त देना चाहिए। साल, दो साल का वक्त हम दें। अगर, उसके भीतर और बाद में कोई बगीचा

लगा सके तो उसको लगाने का मौका दिया जाये ताकि वह देश की सेवा कर सके। मेरे साथी श्री सिंहासन सिंह बहुत उतावले हैं। उनके दिल में एक भावना है और उस भावना की वजह है। मुझे उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में बिड़ला साहब की 20 हजार एकड़ जमीन है और उसके अन्दर बड़े-बड़े टैक्ट्स, सामान और मकानात लगाये हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार पर दबाव दिया जाता है कि उसको भी छूट के अन्दर दिया जाये। क्योंकि, जैसा इसमें भी दर्ज है कि अगर, जमीन के ऊपर ज्यादा इनवैस्टमेंट की है तो उसको छूट होनी चाहिये। अब उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिये यहां तक तैयार हूँ कि 100, 150 या इतने में मिकैनाइज्ड फार्मिंग कर सकता है, उसको यह छूट मिल जाये और यह छूट उसके लिये होनी चाहिये। अब मेरे साथ श्री सिंहासन सिंह का चूंकि मिकैनाइज्ड खेती से कभी कोई खास वास्ता नहीं रहा, इसलिये, उनके दृष्टिकोण में थोड़ा सा अन्तर है। मैं समझता हूँ कि जो एफिशिएंट फारमर है और जो इतनी अधिक पैदावार कर सकता है उसके लिये कुछ तो रिआयत अवश्य होनी चाहिये। लेकिन, वह रिआयत इतनी अधिक नहीं होनी चाहये कि उसके अन्दर कोई बिड़ला या टाटा पैदा हो सके। हां रिआयत इतनी जरूर होनी चाहिये कि जो भाई मशीन से खेती करते हैं और जिसके लिये 100, 150 या 200 एकड़ कोई ज्यादा जमीन नहीं है वह अच्छे ढ़ंग से ज्यादा पैदावार कर सके और देश में अन्न का उत्पादन बढ़ सके।

सूरतगढ़ का फार्म मैंने देखा है। वहां पर डेढ़ करोड़ रूपया लगा है। 750 रूपया फी एकड़ वहां पर इनवैस्टमेंट है। एक फसल के लिये 225 रूपया फी एकड़ के हिसाब से वर्किंग कैपिटल लगता है। लेकिन, उसके बावजूद भी वहां कभी तो 20 मन पैदा किया जाता है और कभी 12 मन और वहां जो यू. पी. के तराई के अफसर थे, उन्होंने बतलाया कि सरकार का हिसाब लगाने का तरीका और होता है। आपकी तरह से वहां पर हिसाब नहीं रखा जाता। जितनी धरती बोई वह सारी बोई हुई मानी जाये और उसके ऊपर एवरेज निकाला जाये, ऐसा हिसाब नहीं है। वहां तो यों हिसाब है कि जिसकी एक खास परसेंटेज तक पैदावार न हो उसको उससे काट दिया जाता है। मान लीजिये कि 3000 एकड़ जमीन बोई, 500 एकड़ भूमि के अन्दर फसल मामूली लगी तो उसको उसमें से काट कर 2500 एकड़ के ऊपर एवरेज निकाला जाता है। अब वहीं तराई के इलाके में जो पंजाब के किसान गये हैं और खेतीबाड़ी करते हैं और अगर, उनकी एवरेज पैदावार सूरतगढ़ के फार्म से ज्यादा है तो मैं समझता हूँ कि उनके साथ रिआयत करने का केस बनता है। लेकिन, बिड़ला और टाटा के साथ यह रियाअत नहीं होनी चाहिए।

द्वितीय लोकसभा

शुक्रवार, 11 मार्च, 1960 *

कृषि अनुसंधान कार्यक्रम का मूल्यांकन

चौधरी रणबीर सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस प्रस्ताव का वास्ता है, मैं समझता हूँ कि यह मानने योग्य है। इस सिलसिले में दो तीन चार बातों की तरफ मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ।

चन्द दिन हुए जब उपमंत्री साहब ने – उसे वायदा तो नहीं कहा जा सकता -- ध्यान दिलाया था कि नालागढ़ कमेटी ने एक एग्रीकल्चर कमीशन बनाने की सिफारिश की है। जैसे हमारे देश के हालात हैं, दाएं ओर बाएं ओर के दबाव से शायद वह कुछ पीछे हटना चाहते हैं, गो कि उनको पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर, वह ऐसा कमीशन बनाते हैं तो देश की 70 फीसदी जनता की मनोभावना और हमदर्दी उनके साथ होगी। वह शायद प्लानिंग कमीशन के बड़े भाईयों की तरफ देखते हैं। लेकिन, मैं उनसे कहता हूँ कि आप हौंसला करें। क्योंकि, दो साल बाद वह हौंसला आपको प्लानिंग कमीशन के भाईयों के बनिस्बत ज्यादा काम देने वाला है।

इसके अलावा एक दो बात और कहना चाहता हूँ। आपको याद होगा कि हमारे पाटिल साहब ने, जिनको एक मजबूत आदमी कहा जाता है, यह ऐलान किया था कि प्राइस स्टेबीलाइजेशन बोर्ड बनाने का इरादा रखते हैं। उसको भी मालूम होता है कि दाएं बाएं के दबाव से दबाने की कोशिश हो रही है। यह जो कमेटी है यह तो एक मामूली सी कमेटी है। इसकी प्लानिंग कमीशन ने सिफारिश की थी और यह जरूरी है। इसलिए कि आज इस काम पर बहुत काफी रूपया खर्च हो रहा है। 1960-61 बजट के अन्दर 5,22,99,000 रूपया एग्रीकल्चरल रिसर्च पर खर्च होगा।

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 11 मार्च, 1960, पृष्ठ 5530-5536*

यही नहीं, रिसर्च को किसान तक पहुंचाया जाए, इसके लिए भी देश के अन्दर काफी रूपया खर्च हो रहा है। वह भी करोड़ों की संख्या में है। वह खर्च हां होता है? यह कम्युनिटी प्रोजेक्ट का सारा महकमा इसके लिए बनाया गया, एक्सटेंशन का महकमा इसके लिए बनाया गया और पांच साल के अन्दर इस पर 1950-60 करोड़ रूपया खर्च होगा। जो भाई इसके अन्दर नौकर हैं, चाहे उनकी तनख्वाह के लिए खर्च हुआ हो चाहे उनके भत्ते की शक्ल में खर्च हुआ हो, चाहे उनके लिए जीपों की शक्ल में खर्च हुआ हो या उनके लिए मकान बनाने में खर्च हुआ हो। 60 करोड़ रूपया उधर खर्च हुआ और 14-15 करोड़ एग्रीकल्चरल रिसर्च के लिए खर्च हुआ। हमें इसका अन्दाजा लगाना जरूरी है। मुझे मालूम नहीं कि सरहदी साहब को क्या डर था कि उन्होंने इस पर जोर नहीं दिया कि इस कमेटी में पार्लियामेंट के मेम्बर हों। मैं नहीं समझता कि अगर, पार्लियामेंट के मेम्बर इस कमेटी में रहेंगे तो कोई नुकसान होने वाला है। वह क्यों घबरा गए। वह अपनी सिफरिश खुद नहीं करना चाहते, शायद इस वजह से कि वह वकील हैं और उनके पास वक्त नहीं है। लेकिन, मैं यह धृष्टता कर सकता हूँ कि मुझे खुद उस कमेटी का मेम्बर मंत्री महोदय बनाएं।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : क्या आप बेकार हैं?

चौधरी रणबीर सिंह : एक तरह से बेकार हूँ। कारण कि मेरे दिल में जोसानों की सेवा करने की भूख है, वह मैं नहीं कर पा रहा हूँ। इस कमेटी की मारफत मैं किसान के लिए जिसने मुझे चुनकर भेजा है, दो आना चार आना सेवा कर सकूंगा। मैं किसानों द्वारा चुनकर 12 साल से इस सदन में हूँ। मैं चाहता हूँ कि उनका कुछ बदला चुका सकूं।

जिस प्रदेश से आप आते हैं, उसी प्रदेश से मैं भी आता हूँ। आप जानते हैं कि उस प्रदेश के हमारे साथी हैं चौधरी रामधन सिंह जी, जो लायलपुर एग्रीकल्चर कॉलिज के प्रिसिंपल थे, जिन्होंने 561 नम्बर का गेहूं पैदा किया था। इसके अलावा दूसरी किस्म के गेहूं पैदा किए। इस तरह उन्होंने रिसर्च करके खेती के लिए बहुत बड़ा काम किया। अगर, आज कोई प्रदेश एग्रीकल्चर रिसर्च से मुल्क को फायदा पहुंचाने के लिए सिर ऊंचा कर सकता है तो वह पंजाब का प्रदेश है। लेकिन, हम देखते हैं कि हमारी काउंसिल है, एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं। बड़ी बड़ी चीजें हैं। लेकिन, ऐसे सज्जनों को जिन्होंने देश की इतनी बड़ी सेवा की है, इनमें कोई नाम नहीं है। आज मैं एस्टीमेट कमेटी की सन 1954 की रिपोर्ट पढ़ रहा था। उसके अन्दर उन्होंने कहा है कि दूसरे देशों के अन्दर तो 70 साल तक के जो आदमी रिसर्च का

काम करने वाले हैं, उनकी सेवाओं से फायदा उठाया जाता है। उन्होंने सिफारिश की है कि हमारे देश में कम से कम 60 साल तक उनकी सेवाओं से फायदा उठाया जाए। लेकिन, बदकिस्मती से हमारे देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है। हमारी काउंसिल के अन्दर नामीनेशन होता है और राष्ट्रपति जी राज्य सभा में भी नामिनेशन करते हैं। लेकिन, वहां आपके बड़े अच्छे गाने वालों और नाचने वालों के लिए जगह है। लेकिन, जिसने देश की रिसर्च करके सेवा की है और जिसने देश का धन दौलत पैदा करने में मदद की है उसके लिए वहां स्थान नहीं है। इसका मुझे दु:ख है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह भी तो सोशल सरविसेज में आ जाते हैं।

चौधरी रणबीर सिंह : यह ठीक है। लेकिन, पता नहीं वह उसमें क्यों नहीं आते ? खाते तो इसके लिए कई हो सकते हैं। लेकिन, कोई उनको लाता नहीं, यही मेरा गिला है।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी तो माननीय सदस्य इलैक्सन में आ रहे हैं। वह अभी जवान हैं।

चौधरी रणबीर सिंह : मुझे तो भगवान ने ऐसा कोई मौका नहीं दिया है कि मैं कोई 591 या कोई और दूसरा नम्बर गेहूं देश के लिए पैदा करता और देश की आमदनी को बढ़ावा देता, जिन्होंने ऐसा किया है, मैं समझता हूँ कि उनका हम मुझसे कहीं ज्यादा है। हमें उनको इलैक्सन से निकालकर मौका देना चाहिए। मुझे गिला न रहे हमारे पंजाब के गर्वनर या राष्ट्रपति के नामिनेशन से, अगर, डाक्टर साहब इंडियन कौंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च में उनसे कुछ फायदा उठायें। जब से वह पेन्शन पर गए हैं, तब से वह लगातार कागज निकाल रहे हैं। चूंकि वह देहाती हैं। इसलिए, वह उर्दू में ही छपवाते हैं। क्योंकि, उर्दू के अलावा कोई दूसरा अखबार उनको छापेगा नहीं। अगर, रिसर्च वर्कर देहाती हो तो आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि क्या कोई उसकी बात को सुनेगा ? उन्होंने बहुत काम की बातें छपवाई हैं। उन्होंने गन्ने के पेरने और कोल्हू लगाने के बारे में लिखा है। एक-एक नुक्ता-ए-निगाह से, एग्रीकल्चरल इकानामिक्स के नुक्ता-ए-निगाह से उन्होंने काम किया है।

कम्यूनिटी प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर इतना रूपया खर्च किया गया है। मैं यह चाहता हूँ कि यह महकमा बजाये उन भाईयों के, जिन्हें खेत से कोई दूर का भी वास्ता नहीं है, बल्कि उन्हें सुपुर्द किया जाये, जिनका खेती से कोई वास्ता है। इसको फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। आज हालत यह

है कि रिसर्च का काम तो पाटिल साहब की मिनिस्ट्री करती है और उसको फैलाने का काम डे साहब करते हैं। इसका नतीजा यह है कि वह चीज किसान तक पहुंच नहीं पाती है और नाच-गाने में फंस जाती है। मैं यह चाहता हूँ कि जिन भाईयों को खेती करने का तजुर्बा है, जो उसकी कीमत को समझ सकते हैं, उनके साथ कम्यूनिटी प्राजेक्ट के महकमे को लगाया जाये। आज यह महकमा दो जगह है--रिसर्च कोई करता है और उसको फैलाने की जिम्मेदारी किसी दूसरे की है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य रेजोल्यूशन से बहुत दूर जा रहे हैं। वह मिनिस्ट्रीज की इन्टेगरेशन में जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस वक्त सवाल तो यह है कि रिसर्च के लिए एक कमेटी बनाई जाये।

चौधरी रणबीर सिंह : जब सरकार का यह हिसाब है कि वह मान कर भी पीछे हट जाती है, तो कम से कम मैं अपने विचार तो प्रकट कर दूं।

मैं अर्ज कर रहा था कि इस बात का अन्दाजा लगाना चाहिए कि खेती की जो रिसर्च है, आया वह किसान तक पहुंची है या नहीं। इतना रूपया जो खर्च किया गया है, उसका क्या रिटर्न देश को मिला है? इसके लिए कमेटी की आवश्यकता है। पांच करोड़ से ज्यादा रूपया हर साल खर्च होता है और दस करोड़ इसको फैलाने में खर्च होता है। मैं चाहता हूँ कि बहस का जवाब देते हुए मंत्री महोदय यह बतायें कि क्या कोई ऐसी किताब या पैमफलेट छापे गए हैं, जो यह बता सकें कि रोहतक जिले में कौन सी फसल कोई किसान बोए, जिससे ज्यादा से ज्यादा रूपया उसके पास पहुंच सकता है। मैं समझता हूँ कि एक कागज भी ऐसा नहीं छपा है जिसको पढ़कर कोई किसान अन्दाजा लगा सके कि मैं अपनी आमदनी कैसे बढ़ा सकता हूँ? मेरे पास पांच या दस एकड़ जमीन है, उसमें ज्यादा से ज्यादा पैदा करने के लिए मैं क्या चीज बोऊं? जैसा मेरे भाई ने कहा है, रिपोर्टें छपती हैं, जिससे किसान को फायदा पहुंचे। मैं चाहता हूँ कि एग्रीकल्चरल इकानामिक्स के बारे में आंकड़ों के साथ पैमफलेट छपाये जायें।

मैंने कम्यूनिटी प्राजेक्ट्स, एकग्रीकल्चरल कमीशन और प्राइस स्टैबिलाइजेशन बोर्ड का जिक्र किया है। यह इसलिए जरूरी है कि आप आनते हैं कि हमारे देश में आजादी के बाद एक करोड़ नहीं, 1500 करोड़ रूपये का अनाज बाहर से आया है। उसके अलावा 260 करोड़ रूपये की सबसिडी दी गई, ताकि शहरों में यह अनाज

सस्ता बिक सके। इस तरह लगभग 1750 करोड़ रूपए का खर्च हुआ। यही नहीं, पहले पे कमीशन और दूसरे पे कमीशन के नतीजे के तौर पर जो तनख्वाह और भत्ते बढ़े, उन पर हिन्दुस्तान की आजादी के बाद हम कोई 1300, 1400 करोड़ रूपए खर्च कर चुके हैं। इस तरह से कोई तीन हजार करोड़ के करीब रूपया खर्च हुआ है। इस देश में बाहर से अनाज मंगाने के लिए, या सरकारी नौकरों के या व्हाइट कालर्ड लोगों को सस्ता अनाज खिलाने के लिए। मैं चाहता हूँ कि इस देश की पैदावार बढ़ाने के लिए खर्च होना चाहिए और इस देश की पैदावार बढ़ाने के लिए यह जरूरी है कि इस किस्म की कमेटी एपायंट हो। मैं यह मानता हूँ कि एक्सपर्ट इस देश में बहुत जरूरी है। लेकिन, कई दफा एक्सपट्र्स में आज और समाज के उस अंग में बहुत ज्यादा तालमेल नहीं होता है, या एडमिनिस्ट्रेशन के, जो लोग दफ्तर में सेक्रेटेरियट में -- बैठते हैं, उनके डर की वजह से वे लोग खुलकर बात नहीं कर सकते। इसलिए मैं यह जरूरी समझता हूँ कि पार्लियामेंट के मेम्बर उस कमेटी में जरूर होने चाहिए। मैं सरदार अजित सिंह सरहदी से इत्तिफाक नहीं कर सकता कि उसमें पार्लियामेंट के मेम्बर न हों। मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय इस प्रस्ताव को मन्जूर करें और इसके साथ ही साथ यह आश्वासन भी दें कि इस देश में एग्रीकल्चरल कमीशन भी बनेगा और प्राइस स्टैबिलाइजेशन बोर्ड भी बनेगा।

द्वितीय लोकसभा

मंगलवार, 22 मार्च, 1960 *

अनुदान माँगें

चौधरी रणबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले महसूस करता हूँ कि फूड एंड ऐग्रिकल्चर मिनिस्ट्री जो है वह तीन चार मिनिस्ट्रियों में बंटी हुई है। मैं समझता हूँ कि इससे काश्तकार को कुछ नुकसान हो रहा है। फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को इक्ठा रखने से बड़ी दिक्कत होती है। फूड मिनिस्टर का तो काम है देश के लिये खुराक लाकर देना, चाहे जहां भी हो, चाहे अन्दर से या बाहर से। 1515 करोड़ रूपये की खुराक हमारे फूड मिनिस्टर साहब हिन्दुस्तान के आजाद होने के बाद दूसरे देशों से कर्ज पर लाये। यहां काफी बहस होने का नतीजा यह होता है कि, चूंकि खूराक का मसला होता है, अनाज खाने के लिये सस्ता चाहिये, इसमें दो राये हम नहीं रख सकते, इसलिये, फूड ऐंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के ऊपर जो भाई खाने वाले हैं और सस्ते दामों पर खाना चाहते हैं, उनको ही बोलने का समय मिलता है।

कृषि मंत्री (डा. पं. शा. देशमुख) : समय भी खा लेते हैं।

चौधरी रणबीर सिंह : समय भी ले जाते हैं और खुराक तो लेते ही हैं। लेकिन, इससे देश को नुकसान हो रहा है। 1515 करोड़ रूपये देश पर कर्ज है जिसे ब्याज के साथ हमारी आने वाली नस्लों को देना है। क्योंकि, हम पैदा नहीं कर सके। मैं समझता हूँ कि फूड मिनिस्ट्री के लिए एक अलहदा कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर होना चाहिये। जहां तक एग्रीकल्चर का वास्ता है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के तहत कम्यूनिटी प्रोजेक्ट आयें,

---

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 22 मार्च, 1960 पृष्ठ 7282-7288*

साथ साथ, इरीगेशन ऐंड पावर मंत्रालय भी हो। इन सबका एक मंत्रालय बने तभी इस देश के अन्दर पैदा करने वाले किसानों को शायद फायदा हो सके।

आज तीसरी पंचवर्षीय योजना के ऊपर गौर हो रहा है। पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं के अन्दर हमने कुछ सबक सीखे हैं। उन सबके साथ अगर, हम तीसरी पंचवर्षीय योजना में चलना चाहते हैं, तभी यह देश सही रास्ते पर जा सकेगा। आपको याद होगा कि दूसरी पंचसाला योजना जब बनी थी तो उस वक्त अन्दाज लगाया गया था और कागज पर लिखा गया था कि हम सिर्फ 240 करोड़ रूपए का अनाज बाहर से मंगायेंगे। अगर, हम सन 1956 को दूसरी पंचसाला योजना में शामिल कर लें तो आज उसमें 450 करोड़ रूपये से ज्यादा का अनाज देश के अन्दर बाहर से आ चुका है। यह बात सही है कि हमारी मदद के लिये पी.एल. 450 है। वह भी इसलिये, कि शायद हमको पैसा नकद नहीं देना है। अभी मेरे एक साथी कह रहे थे कि फर्टिलाइजर और फर्टिलाइजर फैक्ट्री के लिए हमको फारेन एक्सचेन्ज नकद चाहिये। यहां उधार मिल रहा है, आराम से खाते हैं। इन्सान हमेशा खाता है और हिन्दुस्तान भी खाता है। लेकिन, इसका नतीजा कोई बहुत अच्छा नहीं होने जा रहा है। इसलिये, मैं चाहता हूँ कि तीसरी पंचसाला योजना बनाते वक्त हमने जो गलतियां पहली और दूसरी पंचसाला योजनाओं में कीं, उनकीं पैदावार का, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का प्रोग्राम 197 करोड़ रूपये का रखा गया था। दूसरी पंचसाला योजना के अन्दर जिसके अन्दर रखा गया था कि 1200 करोड़ रूपये की डेफिसिट फाइनेंसिंग से हम इस प्लेन को चलायेंगे। जहां तक खेती की पैदावार का सवाल है, उसके लिये हमने जो हिसाब रखा था वह 170 करोड़ का था। अगर, हम इसका परसेंटेंज लगायें तो पहली पंचसाला योजना में वह 8.3 परसेंट था और दूसरी पंचसाला योजना के अन्दर वह 3.5 परसेन्ट था। उसका नतीजा यह हुआ कि देश के अन्दर अनाज के भाव ऊंचे हुए। उसके फलस्वरूप हमें 240 करोड़ के बजाय 450 करोड़ रूपये का अनाज बाहर से मंगाना पड़ा पहली पंचवर्षीय योजना के अन्दर भी तकरीबन उससे कुछ ही कम। लेकिन, फिर भी हम अनाज बाहर से मंगवा रहे हैं। पहली योजना के अन्दर हमने 593.45 करोड़ रूपये का अनाज बाहर से मंगवाया और दूसरी में 450.64 करोड़ रूपये का।

एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमको सबक लेना चाहिये। बड़े गीत गाये जाते हैं सूरतगढ़ एग्रीकल्चर फार्म के। वहां से भी हमें कुछ सबक सीखना चाहिये। वहां क्या होता है और किस कीमत पर होता है? हमको बतलाया

गया प्लैनिंग कमिशन की तरफ से कि बड़े बड़े खेत जरूरी हैं, चूंकि उससे जमीन बचती है। (इस फार्म में) 30 हजार एकड़ में से सिर्फ 26 हजार एकड़ भूमि खेती के लायक है। लेकिन, उस एग्रीकल्चर फार्म के अन्दर कोई गांव ऐसा नहीं हो सकता कि जिसके अन्दर 30 हजार एकड़ जमीन हो और 4 हजार एकड़ जमीन भी है वह डोलबन्दी या दूसरी चीजों में आये। साढ़े चार हजार एकड़ के ऊपर जो खर्चा है फी एकड़ का और जिसमें जमीन की कीमत शामिल नहीं है वह 750 रूपया फी एकड़ जो उसकी कीमत कैप्टिल एनवैस्टमेंट की है और 1 फीसदी वहां पैदा किया जाता हैं। फी एकड़ पर हम 225 रूपया वर्किंग ऐक्सपेंडीचर करते हैं तो क्या इस हिसाब से हम हिन्दुस्तान के किसानों को कुछ देने के लिए तैयार हैं? अगर, तैयार हैं तो हमारी तीसरी पंचसाला योजना यकीनन कामयाब होगी। अगर, नहीं है तो नतीजा वही होगा जैसे पिछली दफा हुआ कि 65 मिनिलयन टन अनाज का दूसरी पंचसाला योजना के अन्दर अन्दाजा लगाया गया कि हम पैदावार बढ़ायेंगे और फिर अचानक यह सवाल आया और 65 मिनियन टन के बजाय 75 मिनियन टन होना चाहिए और कोई पैसा नहीं दिया गया। इस मंत्रालय से उसके वास्ते मांग की गई और तमाम देश के खेती के वजीरों को इक्कठा किया गया। उनके द्वारा मांग की गई कि गेहूं के वास्ते 116 करोड़ रूपया हमको और अधिक दिया जाये। लेकिन, वह रूपया नहीं मिला। आज हम खुश हो सकते हैं कि 73 मिनियन टन अनाज की हमारी पैदावार है। लेकिन, कौन जानता है कि अब की दफे ओलों के कारण यह पैदावार कहां टिकेगी। मेरे दिल में इसके बारे में जरा भी शक नहीं है कि यह 73 मिनियन टन की पैदावार अच्छे मौसम के कारण हमारे लिए संभव हुआ था। लेकिन, अब के यह जो ओले पड़े हैं तो उतनी पैदावार न हो सकेगी। मैं समझता हूँ कि 70 मिनियन टन से ज्यादा पैदावार न हो सकेगी। क्योंकि, जितना गुड़ आप डालेंगे, उतना ही मीठा तो होगा। अब जितना हमने गुड़ डाला है, उससे ज्यादा मीठा हमारे पाटिल साहब व देशमुख साहब कैसे कर सकते हैं? मंत्रालय ने तीसरी पंचसाला योजना के लिए 1062 करोड़ रूपये की मांग भेजी थी। हमें पता लगा है कि उसमें से 600 करोड़ के करीब उनको दिये जाने का आश्वासन मिला है। कौन जानता है कि इसके बाद जब भी आखिर में रूपया सम्हालने का वक्त आयेगा तो इसमें भी नहीं कटेगा। इसमें खेती की पैदावार करने के लिए जितना रूपया रखा है वह कटेगा? क्योंकि, अनाज लाना है और वह हमको पी.एल. 450 के मातहत उधार में मिलेगा। मुनाफा जो मिलेगा वह तो वहीं का वहीं रहेगा। मैं चाहता हूँ कि तीसरी पंचसाला योजना में जब कटौती करने का अवसर आये तो यह

मंत्रालय इसकी पूरी कोशिश करे कि माइनर इरीगेशन का जो 254 करोड़ रूपया है और जिसको और ज्यादा बढ़ाया नहीं जा सकता तो इसमें से एक कौड़ी भी न कटने दें। इसी तरह जो लैंड डेवलपमेंट का रूपया रखा है उसमें भी कोई कटौती न होने दें।

उपाध्यक्ष महोदय, आपको मालूम ही है कि पंजाब के अन्दर आजादी के बाद कोई 90 लाख एकड़ भूमि सिंचाई के लिए बढ़ाई गई। लेकिन, उसके साथ ही साथ 30 लाख एकड़ भूमि वाटर लौगिग से खराब हो गई। मैं समझता हूँ कि इस वाटर लौगिंग से खराब हुई भूमि को दुरस्त करने के काम को टौप प्रायरटी मिलनी चाहिए। आज पंजाब के अन्दर जितनी जमीन खराब है वह ठीक होने पर 34 करोड़ रूपये की लागत का अनाज पैदा कर सकती है। वह जमीन कोई 4, 5 करोड़ रूपये में ही एक साल में ठीक हो सकती है। मैं समझता हूँ कि इससे जल्दी टार्गेट ऐचीव करने का दूसरा जरिया नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जिस वक्त यह कटने का सवाल आये तो वाटर लौगिंग के लिए या फ्लड कंट्रोल के लिए जितना एलाटमेंट हो उसके अन्दर एक पाई की भी कमी न होने दी जाये। इसको टौप प्रायरटी दी जाये। इसके अलावा माइनर इरीगेशन के वास्ते जो रूपया रखा गया है, उसमें भी कोई कमी न होने दी जाये।

साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ कि काश्तकार को अगर, आज कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम रूपया उधार दीजिये। आपने यह 400 करोड़ रूपया है इसको बढ़ाकर कम से कम 1200 करोड़ रूपया रखिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक, दो बात और अर्ज करना चाहता हूँ। यहां एग्रीकल्चर कमिशन बनाने की बात कही गई। प्राइस स्टैबलाइजेशन बोर्ड बनाने की बात कही गई। लेकिन, वहां से भी कुछ फूंक निकली दिखाई देती है। क्योंकि, दबाव है और डर है कि कहीं काश्तकार को एक, दो आने से ज्यादा न मिल जाये। हमारे मंत्री महोदय बहुत मजबूत आदमी हैं। मैं चाहता हूँ कि वह इसका मुकाबला करें।

डीजल जो ट्रान्सपोर्ट के काम में आता है और उसके लिए जो इंजन बनता है उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का सवाल है। अब एक ट्रैक्टर की 2500 रूपये कीमत बढ़ी है। इसके अलावा जो डीजल खर्च आता है उस ट्रैक्टर के ऊपर उसकी एक्साइज ड्यूटी बढ़ रही है। मैं चाहता हूँ कि कम से कम इतना हो जाये कि ट्रैक्टर के ऊपर खर्च आने वाले डीजेल पर कोई ऐक्साइज ड्यूटी न हो।

इसी तरह यह खंडसारी यूनिट की बात है। पाम ट्री से चीनी बनाने की एक मशीन निकली है। मेरे पास विलेज इंडस्ट्रीज कमिशन की किताब है, जिसमें उनका

दावा है कि खाने की चीज है वह 100 मन गन्ने से 12 मन निकल सकती है। चीनी मिलों के अन्दर 10 मन ही निकल सकती है। जब ऐसी चीज है तब इसके ऊपर टैक्स क्यों लगाया जा रहा है, यह मेरी समझ में नहीं आता। इसके खिलाफ हमारे मंत्री महोदय को लड़ना चाहिए।

यह जो एक नैशलन एग्रीकल्चरल को-आपरेटिव फेडरेशन बनाई है तो मैं और कुछ उसके बारे में न कहकर केवल एक बात पूछना चाहता हूँ कि वह फेडरेशन आलू के बीज मंगाने का इंतजाम करे। एक किसान के लिए या कोई प्राइवेट कम्पनी हो उसको आलू के बीज मंगाकर दिये जायें। अगर, बाहर से मंगाना चाहते हैं तो फिर उसके रास्ते में कामर्स एंड इंडस्ट्री के इम्पोर्ट लाइसेंस का ही सवाल पैदा हो सकता है। लेकिन, अजीब हालत है कि बजाय उनकी मदद करने के उस किसान के रास्ते में कोआपरेटिव का महकमा जो उसकी इमदाद के लिए है उसने रास्ता बन्द कर दिया है ताकि बीज न आ सकें।

मैं अब और अधिक न कहकर केवल पंजाब की एक बात अर्ज करूंगा। पंजाब के बारे में मंत्री महोदय का यह ख्याल है कि हमने उन्हें जो कुछ रूपया दिया है उसको देखते हुए हमें कोई बहुत अच्छा नतीजा और रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ और बतलाना चाहता हूँ कि हमारे वास्ते दूसरी पंचसाला योजना के अन्दर जो फूडग्रेंस के टार्गेट्स रखे थे, हम उनसे कहीं ज्यादा आगे पहुंच गये हैं। इसके साथ ही साथ जितना रूपया अर्थात 5 करोड़, 46 लाख और 67 हजार रखा था उसमें से चार साल के अन्दर दिसम्बर 1956 तक केवल 3 करोड़ 75 लाख रूपया ही खर्च हुआ है। पंजाब ने उत्पादन के मामले में देश को लीड दी है।

द्वितीय लोकसभा

मंगलवार, 22 मार्च, 1960 *

अनुदान माँगें

चौधरी रणबीर सिंह : सभापति महोदय, पंजाब एक सरहदी सूबा है। दिल्ली को अमृतसर से मिलाने के लिए अभी एक ही नेशनल हाइवे है जिसके ऊपर बहुत अधिक ट्रेफिक रहता है। इसका नतीजा है कि वहां एक्सीडेंट बहुत अधिक होते हैं। इस ट्रैफिक को कम किया जाना चाहिये। पंजाब सरकार ने एक प्रापोजल आपके पास भेजी है। इसकी सिफारिश भी की है कि रोहतक को अगर, जींद से मिला दिया जाये तो एक आलटरनेटिव रूट मिल सकता है जो नैशनल हाईवे जैसा बनेगा....

श्री दी. चं. शर्मा : रोहतक जींद वाला हाईवे अमृतसर तक कैसे जायेगा ?

चौधरी रणबीर सिंह : जिससे सरहदी सूबे में यातायात का प्रोबलैम हल होगा। मैं समझता हूँ कि अमृतसर को जोड़ने के लिये यह बहुत जरूरी है कि इस दूसरे नैशनल हाईवे को डिवेलेप किया जाये। बाकी तमाम सड़कें बनी हुई हैं और रोहतक व जींद में भी कोई आठ मील के करीब सड़क बन चुकी है। अब मुश्किल से कोई 20-30 मील की ही सड़क बननी है। इसमें से भी पांच छह मील का प्राविजन हो चुका है। इसके बारे में पंजाब सरकार ने आपके पास सिफारिश भेजी है। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूँ कि वह इसको मंजूरकरें और इस सड़क को नैशनल हाईवे में शामिल करें और इसके लिए पैसा दें।

मुझे गाँवों की सड़कों के बारे में भी कुछ कहना है। इसके लिये 60 लाख

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 22 मार्च, 1960, पृष्ठ 7446-7450*

रूपया रखा गया है। उसमें से अभी तक 20 लाख रूपया है इसे दूसरे प्लान में खत्म होना चाहिये था। दूसरे प्लान का अब एक ही साल बाकी है। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि बेशक हमारा देश बहुत बड़ा है, अगर, आपको कोई सड़क दूसरी जगह पर न मिले तो मैं अपने जिले में अपनी रोहतक की कांस्टिट्यएंसी में 20-30 लाख की लागत से बनने वाली सड़कें दे सकता हूँ। आप वहां सड़कें बना सकते हैं। इसमें जो पार्टिसिपेशन की शक्ल है, पंजाब सरकार अगर, उसको न भी देना चाहे तो हमारे देहात जो हैं, वे इसको देने के लिए तैयार होंगे।

श्री जांगड़े (बिलासपुर) : श्रमदान के जरिये ?

चौधरी रणबीर सिंह : श्रमदान नहीं, अगर, नकद की भी आवश्यकता हो तो नकद भी हम देने के लिए तैयार हैं।

यह महकमा कमर्शियल महकमा है और इसके ऊपर 121 करोड़ रूपये से ज्यादा की रकम लगी हुई है। लेकिन, इसका जो सिस्टम है (19 :43 बजे अध्यक्ष महोदय कुर्सी पर विराजमान हुए) वह रेलवे से दूसरा है। रिन्यूअल्ज का जितना पैसा रेलवे में से और जिस परसेंटेज से निकाला जाता है अभी तक इस महकमे से उस तरह से पैसा निकाला नहीं जाता है। यही नहीं, इस महकमे का जो पी. एंड टी. डिपार्टमेंट है उसके तीन अंग हैं। एक डाक का है, एक टेलीफोन का है और तीसरा तार का है। डाक का और तार का महकमा घाटे का है। टेलीफोन का ही महकमा है जिससे कुछ आमदनी होती है। अध्यक्ष महोदय, इस महकमे के ऊपर पता नहीं, इसलिये, कि मंत्री महोदय को लोग कमजोर समझते हैं, वित्त मंत्रालय का भी कुछ हमला होता है और कुछ हमला रेलवे मंत्रालय का होता है। जब पैसा देने की बात आती है तो इस महकमे को बहुत कम रकम दी जाती है। जहां तक रोड़ ट्रांसपोर्ट का ताल्लुक है, उसके ऊपर, इजन के ऊपर टैक्स बढ़ाया गया है, डीजल के ऊपर टैक्स बढ़ाया गया है। यही नहीं कई दूसरे मक्हकमे भी इसके पीछे लगे हुए हैं। इनमें से एक महकमा फार्वर्ड मार्किट कमिशन का है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि रोहतक के अन्दर गुड़ का बड़ा भारी सट्टा होता था और उससे टेलीफोन डिपार्टमेंट को लाखों रूपये साल की आमदनी होती थी। अगर, कागजात के हिसाब किताब को देखा जाये और दूसरे स्थानों से, उत्तर प्रदेश के स्थानों से उसका मुकाबला किया जाये तो पता चलेगा कि पंजाब के अन्दर गुड़ के लिये सबसे बड़ी मंडी है और कमिशन ने इस बात को माना भी है। लेकिन, कागजी देरदार की वजह से इस महकमे को काफी नुकसान हो रहा है। यही नहीं, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि

ट्रांस्पोर्ट के महकमे के ऊपर भी कई किस्म के हमले किये जाते हैं। अभी पंजाब गवर्नमेंट से हुक्म निकला है–मुझे मालूम नहीं उन्हें ऐसा हुक्म निकालने का कोई अधिकार भी है या नहीं---कि जहां कहीं शूगर फैक्ट्री है उसके 15 मील के रेडियस के अन्दर गुड़ को बाहर नहीं ले जायो जा सकता है। यह तब जब वहां पर गुड़ बनाने की ममानियत नहीं है। रोहतक गुड़ का बहुत बड़ा सैंटर है, वहां पर लाखों मन गुड़ पड़ा हुआ है। ट्रांसपोर्ट के महकमे का सहारा लेते हैं, उनको इमदाद यहां से कुछ कम मिलती है या दूसरे महकमे वाले इस महकमे को दबाना चाहते हैं। इसलिए यह सब होता है। मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय जरा हौंसला करें और उसका मुकाबला करें।

इसके अलावा मैं पोस्टल सेविंग बैंकों के देहातों में खोले जाने के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। वे देहातों में खुलने चाहियें। वहां पर इनको न खोलने का तर्क यह दिया जाता है कि वहां पुलिस नहीं है। इसका क्या मतलब है कि पहले वहां थाना बनेगा, उसके बाद वहां सेविंग बैंक खुलेगा? आज भी वहां मनीआर्डर का रूपया जाता है। जिस हद तक रूपया जाता है, जिस हद तक रूपया ले जाने वाला ले जा सकता है, उस हद तक आप वहां पोस्टल सेविंग बैंक क्यों नहीं खोलते हैं? आप कोई हद मुकर्रर कर सकते हैं। इसमें क्या आपत्ति है?

आपका महकमा व्यापार का महकमा है। टेलीफोन भी आपके महकमे का एक अंग है जो आमदनी देने वाला हैं जब आप इसको बढ़ाते हैं तो जरूरी है कि सारे देश के अन्दर आप इसको बढ़ायें और देहातों के अन्दर भी यह सुविधा दें। इसके लिए कोई फार्मूला बनना चाहिये, जिससे ठीक तरीके से वह आगे बढ़ सके। दूसरे भी कई महकमे हैं, जैसे बिजली का महकमा है। वहां पर ऐसा होता है, हालांकि, वह भी एक व्यापार का महकमा है। लेकिन, इसको जब बढ़ाया जाता है तो बजाय इसके कि कमर्शियल आधार पर इसको बढ़ाया जाए, कोई कमर्शियल फार्मूला हो। इसको मिनिस्ट्री या कमेटी के ऊपर छोड़ दिया जाता है, जिसका नतीजा होता है कि घाटा होता है। मुझे मालूम नहीं कि प्रायोरिटी का क्या तरीका है। रोहतक की बात मैं जानता हूँ। वहां एक इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट है। उसके अफसरों ने कहा है कि हमको टेलीफोन नहीं मिलता है। उसी तरह से वहां एक आनरेरी रजिस्ट्रार हैं, जिनको कोई तनख्वाह नहीं मिलती है, सरकारी काम करते हैं। उनको भी टेलीफोन नहीं मिल सका है। प्रायोरिटी का कोई तरीका तो होना चाहिये। महकमे को देखना चाहिये कि कम से कम जो सरकारी काम है, वह तो न रूके। जो महकमे जरूरी महकमे समझे जाते हैं, उनको टेलीफोन की सुविधा तो मिलनी ही चाहिये। रोहतक में लाईन बिछी हुई है। नई लाईन

बिछाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन, फिर भी प्रेशर का ताल्लुक है, प्रोयोरिटी का ताल्लुक ह, कोई न कोई कमर्शियल या दूसरा फार्मूला तो होना ही चाहिये जिसके मुताबिक काम आगे बढ़ सके। इस महकमे के दूसरे दो अंगों को जो घाटा होता है, वह कम हो सके। इस सुविधा को देहातों तक पहुंचाना भी बहुत जरूरी है। चाहे देहात कितना ही छोटा क्यों न हों, आज की सरकार की जिम्मेदारी है कि वहां पर रहने वालों को डाक तार की सुविधायें मिलें। जिन देहातों की आबादी पांच हजार से ऊपर की है, वहां तो तार का इंतजाम अवश्य होना चाहिए, तार का प्रसार होना चाहिए। वह इस तरीके से हो कि हर देहात जिसकी आबादी पांच हजार की है, उसको उससे जोड़ दिया जाए। इस देश के अन्दर अगर, केवल व्यापारिक नुक्तेनिगाह से भी देखा जाए, आमदनी और घाटे के नुक्तेनिगाह से भी देखा जाए तो कुछ साल के बाद आपको आमदनी होना शुरू हो सकती है और तब घाटे की बात नहीं रहेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस मंत्रालय को जरा हौंसला करना चाहिये, रेलवे मंत्रालय से मुकाबला करना चाहिये। हालांकि, वित्त मंत्रालय से कुछ लेने की बात होती है। लेकिन, यह महकमा तो देता भी है। इस वास्ते, इसको जरा होंसले से काम लेना चाहिये। इस मंत्रालय को चारों ओर से जो हमले हो रहे हैं, फार्वर्ड मार्किट कमिशन इत्यादि की ओर से हमले हो रहे हैं, उनका मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिये। इतना ही मेरा निवेदन है।

द्वितीय लोकसभा

शुक्रवार, 1 अप्रैल, 1960 *

बम्बई पुनर्गठन

चौधरी रणबीर सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बम्बई की ही बात करूंगा। मैं दूसरे सूबे का प्रश्न, पंजाब सूबे का या हरियाणा का बीच में नही लाऊंगा।

मैं इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने की ताईद करता हूँ। ऐसा कहते हुये यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि अभी जो कुछ भी ब्रजराज सिंह जी ने कहा, वह एक सबक हमारे सीखने के लायक है कि जिस देश के अन्दर प्रजातंत्रवाद की हुकुमत हो और प्रजातंत्र की पद्धति मानी गई हो वहां पर बड़े-बड़े सत्याग्रह या बड़े-बड़े लड़ाई-झगड़े कराना सही नहीं है, चाहे वह महागुजरात समिति हो या महाराष्ट्र समिति हो। कुछ भाईयों ने कहा कि यहां इस देश के अन्दर कुछ दोस्तों ने बम्बई सूबे को बनाने के लिये कुर्बानियां कीं। मैं उन लोगों के साथ हमदर्दी रखता हूँ, जिनकी इस देश में किसी वजह से, कुछ लोगों के बहकावे में आने से, इस चीज के लिए जानें गईं।

श्री प्र. सिंह दौलता (झज्जर) : वह आपकी गोलियों से गई।

चौधरी रणबीर सिंह : वही मैं बतलाना चाहता हूँ कि मेरे साथी के नेता ने जो बात कही थी वह उसे भूल गये। मैं वही बात दोहरा रहा हूँ। यों तो सद्भावना के साथ एक फार्मूला तय हुआ था और उसमें उस वक्त कम से कम इस सदन के जितने सदस्य थे वे शामिल थे। यह बदकिस्मती हो सकती है कि डांगे साहब पिछले एलेक्शन में हार गये और वे यहां पर अपनी राय न दे सके। लेकिन, इसमें तो उनके एलेक्टोरेट का ही कसूर हो सकता है, इस सदन का तो कोई कसूर नहीं था।

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 1 अप्रैल, 1960, पृष्ठ 9172-9175*

मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे खुशी है कि श्री ब्रजराज सिंह जी की तरफ से, जो हमारी खिलाफ पार्टी के मेम्बर हैं, यह सुझाव आया। मैं खुद भी वही बात कहना चाहता था जो उन्होंने सही तौर पर यहां कही। लेकिन, मुझे ताज्जुब है कि जब खांड या गन्ने की कीमत का सवाल आता है तो वे भूल जाते हैं इस चीज को कि सत्याग्रह को इस चीज के लिए भी चलाना आवश्यक नहीं है। क्योंकि, इस सदन के अन्दर जब वक्त आया तो गन्ने की कीमत बढ़ी भी और घटी भी। वक्त आये उसके मुताबिक फैसला हो सकता है। फैसलों को बदलने के लिये सत्याग्रह करना या गोली चलवाना, लोगों में जोश पैदा करना ठीक नहीं है। जब मेरे साथी यह कहते हैं कि बम्बई में जो दूसरे भाई बसते हैं, उनके संरक्षण का सवाल क्यों पैदा हो? वे इस चीज को भूल जाते हैं। कौन नहीं जानता कि बम्बई के अन्दर कुछ साल पहले क्या हालत हुई थी और जिन भाईयों के हाथों में राजतंत्र को चलाने की जिम्मेदारी है, वे कैसे इन बातों को भूल सकते हैं?

गोर साहब ने कहा कि जहां तक गुजरात के घाटे का ताल्लुक है, उन्हें कोई गिला नहीं अगर, सेन्ट्रल गवर्नमेंट वह घाटा पूरा करे। लेकिन, वे भूल जाते हैं कि बम्बई शहर में जिसको पहले एक अलहदा रियासत बनाने का फैसला इस सदन ने तकरीबन कर लिया था, 25 करोड़ रूपये का सरप्लस पाया जाता है।

श्री पु. र. पटेल (मेहसाना) : 27 करोड़ का।

चौधरी रणबीर सिंह : जैसा पटेल साहब कहते हैं 27 करोड़ रूपये का सरप्लस पाया जाता है। अगर, उस सरप्लस को बम्बई वाले और महाराष्ट्र वाले भाई रखना चाहते हैं तो उनको मुबारक हो। लेकिन, गुजरात वाले भाईयों को जो घाटा है उसको देश के दूसरे हिस्से क्यों बर्दाश्त करें? अगर, वे बम्बई को सेन्ट्रल ऐडमिनिस्टर्ड एरिया बनाना चाहें, केन्द्रीय सरकार के नीचे लाना चाहें तो मैं समझता हूँ कि पन्त जी को इसमें कोई ऐतराज नहीं होगा कि गुजरात का घाटा सेन्ट्रल गवर्नमेंट पूरा करें।

इसके अलावा त्यागी जी ने एक बात कही थी और मैं उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि भाषावार सूबों के नाम से इस देश की एकता में बाधा पड़ने का डर है। यह बात सही है। अगर, इस डर का हमें मुकाबला करना है तो मैं चाहता था कि इसके लिये त्यागी जी कोई सुझाव रखते। लेकिन, उन्होंने तो उलटा दूसरी तरह से कुछ 'न' कहकर पंजाबी सूबे और हरियाणा बनाने की तरफ इशारा किया। मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि चाहे कुछ हो, इस देश के अन्दर लोगों को इक्कट्ठा

रखने के लिये अगर, किसी चीज की आवश्यकता है, जिसको हमें बढ़ावा देना चाहिये, तो वह हमारी राष्ट्र भाषा हिन्दी है।

हिन्दी के सरकारी प्रशासन में अधिकाधिक प्रयोग व व्यवहार के लिये होम मिनिस्ट्री को ज्यादा से ज्यादा रूपया खर्च करना चाहिए। हिन्दी रूपी मंत्र को अपना कर हम अपने देश की एकता को बनाये रख सकते हैं। यह हिन्दी ही देश को एकता के सूत्र में जकड़े हुये रख सकती है। इसलिये, सरकार का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि हिन्दी को हर तरह से बढ़ावा दें। आज भी हमारे प्रशासन में ऐसे आई.सी.एस. और आई.ए.एस. के अफसरान और हममें से सदस्य हैं जो हिन्दी भाषा नहीं जानते हैं । यह खेद का विषय है कि वह उसकी प्रगति के रास्ते में रोड़ा बनना चाहते हैं। इसलिए उनको हिन्दी पढ़ाने के लिये अगर, होम मिनिस्ट्री 3 या 4 करोड़ रूपए खर्च करेगी तो वह देश की एकता को बनाये रखेगी और एकता की जंजीर को मजबूत करेगा।

द्वितीय लोकसभा

शुक्रवार, 1 अप्रैल, 1960 *

जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह (रोहतक) : सभापति महोदय, श्री हेमराज जी के संशोधक्न विधेयक के पीछे जो भाव है, उसकी मैं ताईद करता हूँ। लेकिन, मैं समझता हूँ शायद वह भी अपने दिल में मानते हैं कि यह कानून बदलने के लिये इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वह लोग चाहते थे कि यह जो मसला है, वह देश के सामने आए और इसकी अहमियत सदन को पता चले। जैसा मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा है, जहां तक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़ा होने का वास्ता है, वह तो आदमी बगैर सदस्य बने भी हो सकता है। मेरे प्रतिद्वन्द्वी चौधरी हरीराम 1952 में भी मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़े और 1957 में भी मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़े और दोनों चुनावों में हारे। लेकिन, फिर भी वह दोनों दफा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने का वास्ता है, वह अधिकार तो हिमाचल प्रदेश और कांगड़ा के बनने वाले मेम्बरों को है,ले किन उस इलेक्शन में राय देने का हक उनको नहीं है। इसी तरह स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में भी न तो उनको खड़ा होने का अधिकार है और न ही वोट देने का अधिकार है। मैं समझता हूँ कि जो सन 1952 में हुआ, वह आगे 1962 में भी हो सकता है और दस साल के बाद वही 1952 वाला तजुर्बा दोहराया जा सकता है और दोहराया जाना चाहिये। लेकिन, मैं जानता हूँ कि रिप्रेजेन्टेशन ऑफ दि पीपल्ज एक्ट में तब्दीली आयेगी और वह इसलिये, कि ज्यों ही हम बम्बई के री-आर्गनाइजेशन बिल को, जो इस वक्त हमारे सामने है, पास करेंगे, तो उस के तहत मौजूदा बम्बई राज्य की जो राज्य सभा की निशस्तें हैं, उनको बढ़ाकर

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 1 अप्रैल, 1960, पृष्ठ 9213-9216*

दो निशस्तें गुजरात को अधिक दी जायेंगी। मैं समझता हूँ कि जिस तरफ श्री हेमराज को ध्यान दिलाना चाहिये था, वह उन्होंने नहीं दिलाया। क्योंकि, वह बहुत ज्यादा कांस्टीट्यूशन नुक्ता-ए-निगाह में फंस गये, जिसकी यहां के वकील बहुत ज्यादा ताईद नहीं कर पाये। मेरी मंशा है कि पंजाब में जो जिलों की री-आर्गेनाइजेशन हुई है, उसके तहत लाहौल और स्फीति के इलाके को एक जिला माना गया है। मैं समझता हूँ कि यह बहुत जरूरी होगा कि जो संशोधक विधेयक हम लाये, उसमें यह भी रखा जाये कि पंजाब विधान सभा का जहां तक वास्ता है, वहां दो सीटें बढ़ाई जायें--एक लाहौल को दी जाये और एक स्फीति को दी जाये। आज चीन ने इस देश के लिये जो खतरा पैदा किया है, उसके नुक्ता-ए-निगाह से भी यह बहुत जरूरी है कि उनके नुमायंदे पंजाब असेम्बली में आयें। यही नहीं, पंजाब के 18 नुमायंदे पहले इस सदन में होते थे और 5 पैप्सू के होते थे। जिस वक्त पंजाब और पैप्सू को मिलाकर हमने डीलिमिटेशन की, तो 23 के बजाय 22 मेम्बर कर दिये। मैं चाहता हूँ कि उसको दोबारा 23 कर दिया जाये और लाहौल और स्फीति से भी एक मेम्बर इस सदन में आय। मैं समझता हूँ कि इस वजह से हमें इस कानून में तब्दीली करनी पड़ेगी और जो बिल आये, उसमें इन दोनों चीजों का अवश्य जिक्र हो। जहां तक उनकी आपत्ति का वास्ता है, मैं समझता हूँ कि उसका हल होना चाहिये। पिछली दफा जब इलेक्शन का प्रोग्राम बना, तो उसके तहत चुनाव पहले खत्म हो जाना चाहिये था और उसके लिये वे तैयार भी हुए। लेकिन, अचानक उस चुनाव को रोक दिया गया और उस चुनाव के प्रोग्राम में फर्क डाल दिया गया। पता नहीं इलेक्शन कमीशन को इसमें क्या मुश्किलात थीं? लेकिन, पंडित ठाकुर दास भार्गव ने जो सुझाव दिया है, मैं समझता हूँ उसको मानने में न तो इलेक्शन कमीशन को कोई ऐतराज होना चाहिये और न ही विधि मंत्रालय को होना चाहिये।

द्वितीय लोकसभा

शनिवार, 16 अप्रैल, 1960 *

अनुदान माँगें

चौधरी रणबीर सिंह (रोहतक) : सभापति महोदय, इस मन्त्रालय की खर्च की मांगों पर जो चर्चा हो रही है, उसमें भाग लेने के लिये जो आपने मुझे समय दिया है, उसके लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक और एल.आई.सी. के बारे में ही कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। आज से 12-13 साल पहले इस देश के अन्दर इसको चाहे लोगों का दबाव कहिये या लोगों की भावना का राज्य के ऊपर असर नहीं होता था, यह कहिये-रिजर्व बैंक इस तरह से चलता था कि लोगों की परवाह ही नहीं करता था। इम्पीरियल बैंक के हिस्से भी जब हमने खरीदे तो जो उनकी फेस वैल्यू थी, उसका चार गुना और पांच गुना रूपया दे करके खरीदे थे। यही इसलिये, किया गया था कि रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक देश के हित के कार्य करें। मैं मानता हूँ कि इन चीजों को चलाने के लिये जिस तरह के पहले लोगों के ख्याल हुआ करते थे, उसी तरह से आदमियों की नियुक्तियां होती थी। पहले बड़ी-बड़ी इंस्टीट्यूटशन्स के मुफाद ही मद्देनजर रखे जाते थे और उसी के मद्देनजर रखते हुए जो भी बड़े-बड़े काम होते थे, किये जाते थे। यह कुदरती बात भी थी। लेकिन, आज के बदले हुए जमाने में ऐसी बात नहीं होनी चाहिये थी। आज भी यही चीज होती दिखाई दे रही है। आज भी आप अगर, डारेक्टरशिप को देखें तो आपको पता चलेगा कि एक भी ऐसा आदमी उसमें नहीं है जो देश की 83-84 प्रतिशत आबादी के साथ सीधा सम्बन्ध रखता हो या उसका टेढ़ा भी उससे सम्बन्ध हो।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : टेढ़ा भी ?

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 16 अप्रेल, 1960, पृष्ठ 12042-12054*

चौधरी रणबीर सिंह : टेढ़ा लूटने के लिए तो हो सकता है, जिसे एक्सप्लायटेशन कहते हैं...

श्री ब्रजराज सिंह : फिर भी आप कांग्रेस में मौजूद हैं?

चौधरी रणबीर सिंह : रिजर्व बैंक के जो डारेक्टर्स हैं, उनके मैं नाम आपको बतलाना चाहता हूँ। उनके नाम हैं :

Shri Kasturbhai Lalbhai, Shri B.M.Birla, Shri Shri Ram, Shri C.R. Srinivasan, Shri J.R.D. Tata, Shri D.R. Gadgil, Shri K.C.Mahindra, Shri D.N.Mitra, Shri B.H.Zaidi and Shri G. Parmameswaran Pillai.

बाकी गवर्नमेंट की तरफ से नामिनेटिड हैं। इसी तरह से स्टेट बैंक का भी हिसाब है और उसके डारेक्टर्स भी इसी तरह के हैं। उसमें भी बड़े-बड़े कैपिटलिस्ट हैं। अब आप देखें कि इसका असर क्या पड़ता है? वह अगर, आप हिसाब किताब को देखें तो साफ जाहिर हो जाएगा। जो नक्शा है, वह साफ जाहिर हो जाता है। अगर, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट 1956 को देखें। उसके अन्दर एडवांसिस के बारे में लिखा हुआ है :-

"Debts due by companies or firms in which the Directors or Local Board Members of the Bank are interested as directors, partners or managing agents or, in the case of private companies, as members : Rs. 43,78,72,500.68.

Debts due by Directors or Local Board Members or Officers of the Bank or any of them either severally or jointly with any other persons : Rs. 928,755.88.

Maximum total amount of advances, including temporary advances made at any time during the year to Directors or Local Board Members or Officers of the Bank or any of them either severally or jointly with any other persons : Rs. 11,91,419.55".

[Mr. Deputy-Speaker in the Chair.]

उस हिसाब के साथ-साथ अगर, आप देखें कि जो 80 परसेंट से अधिक आबादी देहातों में रहती है, उस रूरल क्रेडिट के बारे में इसने क्या किया है, तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। लैंड मार्टगेज बैंक्स के डिबैंचर्स खरीदने का जहां तक ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि वह एक नई चीज हुई है। वह इसलिये, कि स्टेट

नुमाइन्दों का असर जरूर पड़ा है। लेकिन, यह चीज कहां तक पहुंच पाई है, इसका आप अन्दाजा लगायें। इन डायरेक्टर्स का वास्ता ऐसी कम्पनियों से है, जिनको करोड़ों रूपया दिया गया है। लेकिन, यहां पर लोगों के लिये उनकी संस्थाओं के इन्होंने 79 करोड़ के डिबैंचर्स खरीदे हैं। जहां तक कोआप्रेटिव प्रोसेसिंग सोसाइटीज का ताल्लुक है, इनको जो पैसा दिया गया है, वह 2 करोड़ 21 लाख दिया गया है। इससे ही अन्दाजा लगाया जा सकता है कि कितना जरूरी है कि डायरेक्टर्स को बदला जाए। इनको बदलने के लिये अगर, हमें कानून में भी तरमीम करनी पड़े तो वैसा करने के लिये भी मेरी राय में वक्त आ गया है।

मैंने अब तक स्टेट बैंक के आंकड़े आपके सामने रखे हैं। अब मैं आपके सामने रिजर्व बैंक के आंकड़े रखना चाहता हूँ।

श्री त्यागी : इन आदमियों की वजह से नया कुछ पालिसी में फर्क पड़ता है?

चौधरी रणबीर सिंह : मैंने आपको बतलाया है कि इन डायरेक्टर्स के जिन कम्पनियों में हिस्से हैं, उनको कितना एडवांस किया गया है। आप उसका टोटल कर लीजिये और आपको पता चल जाएगा कि कितना एडवांस उन कम्पनीज को दिया गया है। 43 करोड़ 78 लाख 72 हजार 500 रूपये का एक ही एडवांस मैंने बता दिया है। इसके मुकाबले में मार्टगेज बैंकों के इन्होंने जो डिबैंचर खरीदे हैं वह सिर्फ 79 करोड़ के ही खरीदे हैं।

इसी तरह से जो कोआप्रेटिव प्रासेसिंग सोसाइटीज हैं उनको दो करोड़ से कुछ अधिक दिया गया है। मैं इन सारी फिगर्स को दुबारा कोट करना नहीं चाहता हूँ।

मैं कहना चाहता हूँ कि रिजर्व बैंक का जो खाता है, वह भी कुछ ऐसा ही है। वहां पर भी इन बड़े-बड़े लोगों का असर है। शैड्यूल्ड बैंक्स को जो पैसा एडवांस किया गया है, रिजर्व बैंक की तरफ से 1958-59 में वह 519.56 करोड़ किया गया है। इसके मुकाबले में तमाम देश के अन्दर स्टेट कोओप्रेटिव बैंक्स जो है या दूसरे कोआप्रेटिव बैंक्स हैं, उनको इसी साल में 75.28 करोड़ ही एडवांस किया गया है।

Shri D.C. Sharma (Gurdaspur) : You want the Reserve Bank to be with the Agriculture Ministry?

Chaudhry Ranbir Singh : Unfortunately, the Reserve Bank is with the Finance Ministry. Had it been with the Agriculture Ministry, I would have been happy and the results would have been different. That

is the case for which I am pleading.

उपाध्यक्ष महोदय, शर्मा जी ने मुझे अच्छी बात की याद दिला दी है। मेरे दिल में यह बात नहीं थी। अब तो एक ही रास्ता मेरी समझ में आता है। पहले मैं समझे हुआ था कि शायद डायरेक्टर्स को बदलने से ही काम चल जाएगा। लेकिन, अब शर्मा जी का ख्याल है कि शायद वित्त मंत्रालय के तहत इन दोनों बैंकों को उक कर दिया जाए, तभी देश का सुधार हो सकता है। यह बात मुझे पहले नहीं सूझी थी।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जहां तक पैसे का ताल्लुक है हमने यह फैसला कर रखा है कि देहातों में हम उसे सिर्फ कोओप्रटिव की मार्फत ही देंगे और यही हमारी हमेशा कोशिश रहती है। 1957-58 में जो जांच की गई थी उस जांच के नतीजे के तौर पर जो चीज सामने आई, उसे रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में नोट कर दिया है। उसको भी मैं आपको पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ। उसमें कहा गया है :-

"Unfortunately, of the societies which were audited in 1956-57, only 16 per cent were A and B class societies, i.e., those which could be regarded as well run; 16 per cent were classified as D and E, that is to say they were hopeless and on the verge of liquidation. The large majority of societies belonged to the C class, that is to say, were mediocre societies which were functioning in a weak and haphazard manner and having heavy arrears."

उपाध्यक्ष महोदय, यह चीज मैंने आपको इसलिये, पढ़कर नहीं सुनाई है कि मुझे कोओप्रोटिव सोसाइटीज के खिलाफ कोई शिकायत है। बल्कि मैं समझता हूँ कि जब तक इन सोसाइटीज को मजबूत नहीं किया जाता है तब तक हमारा काम नहीं चल सकता है। कोओप्रेशन मिनिस्ट्री की रिपोर्ट में इन सोसाइटीज के बारे में लिखा हुआ है कि जो अच्छी सोसाइटीज हैं, जो ए और बी क्लास की सोसाइटीज हैं, उनकी तादाद 22,000 है। इन 22,000 सोसाइटीज में से कोई 7000 सोसाइटीज ऐसी हैं जिनको लार्ज साइज कोओप्रेटिव सोसाइटीज कहा जाता है और जिनमें सरकार के भी हिस्से होते हैं। रूरल क्रेडिट सर्वे के बारे में रिजर्व बैंक की जो कमेटी बनी थी उस कमेटी ने सिफारिश की थी कि इनके शेयर्स के अन्दर सरकारी पार्टिसिपेशन होना चाहिये, हिस्से सरकार को खरीदने चाहियें ताकि ये सोसाइटीज मजबूत हो सकें, अपने पांवों पर खड़ी हो सकें और देश के अन्दर तेजी से काम हो सके। मुझे मालूम नहीं कि प्लानिंग कमीशन जो हिन्दुस्तान के लिये बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें बनाता है,

उसकी समझ में यह बात क्यों नहीं आई कि इन सोसाइटीज के शेयर्स के अन्दर पार्टिसिपेशन हो। उसने कह दिया कि यह चीज गलत है और आगे सरकार किसी सोसाइटी के हिस्से न खरीदे। उसने कहा दिया कि ऐसी कोई बात नहीं की जा सकती है, जिससे कि रिजर्व बैंक दिवालिया हो जाए। यदि इस तरह की कोई सलाह दे तो उसको कबूल नहीं किया जा सकता है। इस तरह से एक तरफ तो दिवालिये होने का डर दिखाया जाता है और दूसरी तरफ जो सलाह रिजर्व बैंक की है, उसको भी माना नहीं जाता है। मैं समझता हूँ कि 22,000 सोसाइटीज में से 7,000 जो हैं, वे लार्ज साईज सोसाइटीज हैं, वे ऐसी हैं जो रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त कमेटी की सिफारिशों को अमल में लाये जाने के बाद, जिनके शेयर कैपीटल हिस्से की खरीद की गई है। बाकी जो सोसाइटीज बचती हैं वे 13,000 के करीब ही बचती हैं और ये 1913 से बननी शुरू हुई हैं। इस हिसाब से एक साल के अन्दर एक हजार भी सोसाइटीज नहीं बनी होंगी। मैं यहां तक कहने के लिए तैयार हूँ कि एक हजार भी नहीं, बल्कि सैंकड़ों ही बनी होंगी, जो इस लायक हो सकें कि उनको रूपया देना ठीक समझा जा सकता हो।

मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारी मंशा क्या है? देहातों की तरक्की के लिये रूपया रिजर्व बैंक देना चाहता है या नहीं देना चाहता है? एक बार तो रिजर्व बैंक की ही सलाह होती है कि ये सोसायटीज ही इस लायक नहीं हैं कि उनके ऊपर ऐतबार किया जा सके। लेकिन, जब दूसरी बार रिजर्व बैंक की समझ में यह चीज आ जाती है कि इन सोसाइटीज को कैसे मजबूत किया जा सकता है, कैसे चालू रखा जा सकता है, कैसे ये ऐतबार लायक बन सकती है? ऐसा करने के लिये प्रोपोजल्स सामने रखी जाती है कि सरकार उनके हिस्से खरीदे तो उन प्रोपोजल्स को, उस सलाह को प्लानिंग कमीशन मंजूर नहीं करता है। यहां जिस ढ़ंग से कहा गया, उस ढ़ंग से तो मैं नहीं कहना चाहता। लेकिन, एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि सोसायटियों के नाम पर सोसायटियों को मारने की यह कोशिश है। अगर, हिसाब किताब लगाकर देखा जाये कि आज इस देश के अन्दर जितने भी बैंक्स हैं, शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, उनके जो एडवान्सेज हैं, वह कोई 800 करोड़ के ऊपर के हैं। वह अन्दाजन 983 करोड़ रूपये के एडवान्सेज दूसरे सेक्टर को, उनको आप शहर का सेक्टर कहिये, नान ऐग्रिकल्चर सेक्टर कहिये, देते हैं। इसके मुकाबले जो देहात का सेक्टर है, ऐग्रीकल्चर सेक्टर हैं, जो आज देश की एकानमी और इस वित्त मंन्त्रालय को कामयाबी से चलाने का सबसे अच्छा ढ़ंग बन सकता है, उसके लिये एक मीन्स बन सकता है, इसके लिये

मैंने आपको दिखलाया कि सिर्फ 76 करोड़ रूपये ही दिये जाते हैं। यहां पर जो शहर का सेक्टर है या नान ऐग्रिकल्चर सेक्टर है, उसकी इमदाद के लिये तमाम देश के शेड्यूल्ड बैंक्स हैं। इसके अलावा रिजर्व बैंक का खाता भी आपके सामने पेश किया गया, स्टेट बैंक का खाता भी पेश किया गया। मैं नहीं समझता कि हमारी यह मंशा हो सकती है या वित्त मन्त्रालय की यह मंशा हो सकती है कि देहात तरक्की न करें। उसका तरक्की करना बहुत जरूरी है और यह सदन मानता है, वित्त मंत्रालय भी मानता है। लेकिन, उसको हम आगे कैसे चलायें, इसके ऊपर सोच-विचार करना बहुत आवश्यक है। रिजर्व बैंक ने मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट रखने का जो फार्मूला बनाया है वह फार्मूला यह है कि जितना शेयर कैपीटल है या उनका ओन फण्ड है, रिजर्व फण्ड वगैरह जो है, उनका पैसा जो है, उसका छह गुना मल्टिपल रिजर्व बैंक कर्ज के तौर पर दे सकता है। लेकिन, बदकिस्मती यह है कि उसके अन्दर जो देहात की तरक्की में जो बाटलनेक बन गया है वह यह है कि इसका हिसाब जब बैंक लगाता है, तब गाँव की कोआपरेटिव सोसायटी के हिस्सों व रूपयों का हिसाब नहीं लगाती। स्टेट कोआपरेटिव बैंक्स के हिस्सों और पैसों का हिसाब लगाया जाता है। आंकड़ों के हिसाब से जितनी हमारी देश की कोआपरेटिव सोसायटीज हैं, उनका शेयअर कैपीटल 28.22 करोड़ रूपये का है और जो उनके अपने रिजर्व और अदर फण्ड्स हैं वह 14.15 करोड़ हैं। सारा मिल कर 42.37 करोड़ रूपये बैठता है। अगर, अपने फार्मूले को रिजर्व बैंक बदल दे और उन्होंने जो लिमिट मुकर्रर की है, वह लिमिट ऐवेक्स बग का शेयर कैपिटल या उनका जो ओन फण्ड है, उसका हिसाब रखकर नहीं करे, बल्कि देश के अन्दर जिनको हम बढ़ावा देना चाहते हैं, जिनका नाम सर्विस कोआपरेटिवज है, उनके शेयर कैपिटल और उनके ओन फण्ड के हिसाब से की जाये तो इस देश के अन्दर रिजर्व बैंक अपने उस फार्मूले पर रहते हुए 254.22 करोड़ रूपया देश के अन्दर कर्जा बढ़ा सकता है। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि मीडियम टर्म लोन देने के लिये जो फण्ड क्रिएट किया रिजर्व बैंक ने, जिसका नाम है, नेशनल ऐग्रिकल्चर क्रेडिट लांग टर्म आपरेशन फण्ड, उसके अन्दर आज 30 करोड़ रूपये का क्रेडिट है। 30 करोड़ रूपये का क्रेडिट होने के बाद जो आज वहां पर ऐडवान्सेज हैं, वह 14 करोड़ से कुछ ऊपर हैं। इसी तरह से जो दूसरा नैशनल ऐग्रिकल्चर क्रेडिट स्टैबिलाइजेशन फण्ड है, जो 46 बी धारा के तहत बना है, उसका 30.6.1959 को 4 करोड़ रूपये का क्रेडिट था। लेकिन, आज देश के अन्दर मीडियम टर्म लोन....

उपाध्यक्ष महोदय : अब आपका समय समाप्त हो गया।

चौधरी रणबीर सिंह : मुझे ऐग्रीकल्चर पर बोलने का बहुत कम समय मिला और कोआपरेटिवज पर बिलकुल नहीं मिला। मैं दरख्वास्त करूंगा कि यह बहुत अहम मसला है कि हम कितना पैसा इसके लिए दे दें और इससे देश की तरक्की हो सकती है, अनाज भी बढ़ सकता है, ताकि दूसरे देशों के ऊपर हमारा भरोसा ज्यादा न करना पड़े।

उपाध्यक्ष महोदय : बढ़ाइये अनाज अगर, आप बढ़ा सकें, मैं भी आपको वक्त दूंगा।

चौधरी रणबीर सिंह : मैं अर्ज कर रहा था कि मीडियम टर्म लोन जो सन 1958-59 में सैक्शन हुए वह 4.52 करोड़ रूपये के थे। अब सवाल यह है कि हालांकि, उनका फार्मूला है कि छह गुना रूपया देना चाहिये, एक गुना शार्ट टर्म लोन पर देना चाहिये, 4 गुना वीविंग कोआपरेटिव सोसायटीज वगैरह के लिये देना चाहिये, अगर, उसी हिसाब से चलें, जैसा मैंने कहा कि वह अपेक्स बैंक्स या सेंट्रल बैंक्स के शेयर कैपिटल को पकड़ कर न चलें, सर्विस कोआपरेटिवज के कैपिटल को पकड़कर चलें तो इस देश के अन्दर 42.37 करोड़ रूपये इस फार्मूला के हिसाब से मीडियम टर्म लोन के रूप में दिया जा सकता है।

इसी तरह से काटेज इंडस्ट्री के बारे में अर्ज करना चाहता हूँ। जहां तक उसके आगे बढ़ाने का वास्ता इस देश के अन्दर है, मैं कहना चाहता हूँ कि हजारों करोड़ रूपये बड़े-बड़े कारखानों को सामान खरीदने के लिये या उनको गहने करने के लिये दिया जाता है। लेकिन, जहां तक काटेज इंडस्ट्रीज का ताल्लुक है, वहां पर सिर्फ 4 या 5 करोड़ रूपये दिया गया। आपको उसको भी उसी हिसाब से मानना चाहिये। लेकिन, उसमें इतना फर्क करें कि सर्विस कोआपरेटिव्ज के शेअर कैपिटल, ओन फण्ड का हिसाब लगाते हुए मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट मुकर्रर करे। ऐसा किया जाता है तो उनको भी 42.37 करोड़ रूपया कर्जा दिया जा सकता है। हमारे देश के देहात वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक, आदि के भिखारी नहीं बनना चाहते। वह सिर्फ कर्जा चाहते हैं, जो उनका हक है। हमारे देहात भी इस देश के हिस्से हैं। आज देश में कोआपरेटिव बैंक बने हैं। अगर, दूसरे तरह के बैंक बनते, शेड्यूल्ड और नान शेड्यूल्ड बैंक्स बनते तो उनमें जितना रूपया उनको मिल सकता, कम से कम उतना रूपया पाने के लिये हमारे देहात जरूनर मुस्तहक हैं।

इसी तरह मुझे मालूम है कि बम्बई के अन्दर जो शुगर कोआपरेटिव, फैक्ट्रीज हैं, रिजर्व बैंक उनको बैंक रेट के हिसाब से कर्जा देता है, 4 फीसदी के सूद के हिसाब से कर्ज देता है। 2 करोड़ रूपये का जो मैक्सिमम क्रेडिट सैक्शन हुआ है, वह सिर्फ बाम्बे स्टेट के लिये हुआ है। अगर, रिजर्व बैंक बम्बई स्टेट कोआपरेटिव बैंक को कर्जा दे सकता है तो मुझे मालूम नहीं कि पंजाब को रूपया क्यों नहीं दे सकता मुझे पता नहीं है कि पंजाब के स्टेट कोआपरेटिव बैंक ने ही कर्जे के लिये अर्जी नहीं दी या कि पंजाब स्टेट ही इस बैंक का रूपया कर्ज लेना सही नहीं समझती। लेकिन, बहरहाल वहां परजो तीन शुगर कोआपरेटिव फैक्ट्रीज हैं उनको वह सहूलियतें नहीं हैं। बम्बई की शुगर फैक्ट्रीज को मिलनी चाहियें। उनको भी 4 परसंट के सूद पर कर्जा मिलना चाहिये।

मैं रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक से यह प्रार्थना करना चाहता हूँ कि देश का पार्टीशन हुआ, पंजाब का सूबा बंटा। पंजाब सूबे के बंटने से नतीजा यह हुआ कि हमारे पंजाब के अन्दर जो होशियारपुर सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक है उसका काफी सरमाया पाकिस्तान में रह गया। जो भी नतीजा हुआ वह तो एक कुदरती बात थी उसके लिये। उसकी मदद के लिये स्टेट बैंक को आगे आना चाहिये ताकि वह अपना काम बढ़ा सके। आपको ताज्जुब होगा कि होशियारपुर सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक लोगों को 2 परसेंट के ऊपर कर्जा देता है, जितना कि हमारा रिजर्व बैंक भी नहीं दे सकता।। लेकिन, अब उसकी शक्ति कम है। क्योंकि, देश का पार्टिशन हुआ। उसका रूपया वहां फंस गया, तब भी जो बैंक अपने मेम्बरों को 2 परसेंट सूद पर रूपया दे सकता है तो मैं समझता हूँ कि देश का बंटवारा हो जाने से उसको जो घाटा पड़ा है, उसको स्टेट बैंक और रिजर्व बैंक को सब्सिडी देकर पूरा करना चाहिये। जब भी पंजाब का रूपया उधर से मिले वह उसके खाते में जमा हो जाये। लेकिन, अब जो घाटा है, उसको स्टेट बैंक और रिजर्व बैंक पूरा करें।

उपाध्यक्ष महोदय मुझे मालूम नहीं कि इसके अन्दर वित्त मन्त्रालय का कोई हाथ है या जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज है, उसका कोई हाथ है। जितनी भी स्कीमें जिनका ताल्लुक देहात से है, रूरल वाटर वर्क्स स्कीम के ऊपर जो रूपया खर्च होता है वह फर्स्ट फाइव इयर प्लान में जितना रखा गया है वह फर्स्ट फाइव इयर प्लान में खर्च नहीं हुआ और न ही वह सेकेंड फाइव इयर प्लान में खर्च होने वाला है। इस तरीके से पंचायत और कोआपरेटिव्ज का जितना रूपया सीधा देहात में लगने वाला है तो वह खर्च कम होगा। हो सकता है कि उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज का भी

कसूर हो। लेकिन, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे कृषि मन्त्री महोदय की बात कोई सुनता नहीं है। यहां पर बहुत अच्छे और मजबूत फूड एण्ड एग्रीकल्चर के मिनिस्टर हैं। लेकिन, उन्होंने भी इस चीज को तस्लीम किया कि वे भी कृषि की उन्नति के लिये वित्त मंत्रालय का सहयोग हासिल करने में असमर्थ रहे हैं। उनके मुकाबले में तो यह स्टेट्स मिनिस्टिर्स शायद और भी कमजोर हैं। पता नहीं कि उनका कागज प्लानिंग कमीशन में रूक जाता है, यानि वित्त मन्त्रालय में आकर रूक जाता है, जो रूपया खर्च नहीं हो पाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब तो माननीय सदस्य को खत्म करना चाहिये।

चौधरी रणबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, बस मैं एक बात कहकर समाप्त किये देता हूँ। स्टेट बैंक और रिजर्व बैंक बड़े-बड़े कारखानों और छोटे-छोटे कारखानों की इमदाद के लिये कर्ज देते हैं। देश में खेती की पैदावार बढ़ाने के लिये स्टेट्स गवर्नमेंट को कर्जे आदि देकर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आज पंजाब स्टेट गवर्नमेंट ने एक करोड़ एकड़ जमीन को पानी बढ़ा लिया है। उसके वाटर लेबल के अन्दर फर्क आ गया है। तीस लाख एकड़ जमीन ऐसी है जिसकी पैदावार के अन्दर फर्क पड़ा है और कम हो गया तो मैं समझता हूँ कि जैसे और बैंक कर्जा दे रहा है उसी तरह से इस खेती के प्रोत्साहन के वास्ते कर्ज देने की व्यवस्था की जाये। रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक स्टेट गवर्नमेंट्स का इस वाटर लौंगिंग को रोकने के वास्ते कर्ज देना शुरू करें।

द्वितीय लोकसभा

शनिवार, 16 अप्रैल, 1960 *

कैथोलिक चर्च परिसर और पादरी आदेश (राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध) विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के पीछे भावना तो बड़ी मासूम सी दिखाई देती है। लेकिन, जरा इस बात के ऊपर गौर किया जाये कि किस तारीख को श्री विट्ठल राव ने इस बिल को भेजा है। 13 जुलाई, सन 1959 को उन्होंने यह बिल भेजा था तो क्या इससे पहले उन्हें रोमन कैथोलिक चर्च का ज्ञान ही नहीं हुआ था? उन्हें यह बिल भेजने की तब आवश्यकता महसूस हुई जब विमोचन समिति ने वहां पर कम्यूनिस्ट सरकार को हटाने के लिए सत्याग्रह किया तो उन्हें शायद इस बात का ज्ञान हुआ कि यह खतरनाक है। अगर, इस देश के मायने सिर्फ केरल स्टेट है तो उन्होंने जो यह रोमन कैथोलिक चर्च पर प्रतिबन्ध लगाने की बात कही है, वह समझ में आ सकती है। लेकिन, यह केवल एक रोमन कैथोलिक चर्च का ही मामला नहीं है। बल्कि इतिहास इस बात का साक्षी है कि इस देश में धर्म के नाम पर कितना बावेला हुआ है। खास तौर से जिस प्रदेश से आप और हम आते हैं, वहां धर्म के नाम पर काफी बावेला हुआ है। एक धर्म के नाम पर हमारे वहां एक दफा 10,000 आदमी जेल चले गये और दूसरी दफा फिर 10,000 आदमी दूसरे धर्म के नाम पर जेल गये। श्री ब्रजराज सिंह ने ठीक ही कहा कि मस्जिदों का इस्तेमाल राजनैतिक कार्यों के वास्ते किया गया और आखिर में धर्म के नाम पर ही इस देश का बंटवारा हुआ। इसलिये, यह कोई नई बात नहीं थी।

दूसरी बात यह कही गई कि अमेरीका से पैसा आता है। पैसा तो यहां कई जगह से आता है और अपने अपने ख्यालात को बढ़ावा देने के लिए भेजता है तो कोई खास पोलीटिकल ख्यालात को बढ़ावा देने के लिये भेजता है। मेरी राय में जो पोलीटिकल ख्यालात को बढ़ावा देने के लिए रूपया देश में आता है वह अवश्य खतरनाक है।

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 16 अप्रैल, 1960, पृष्ठ 12100-12106*

क्योंकि, उससे देश की इंटैगरिटी को काफी नुकसान पहुंच सकता है। बाकी रही यह बात कि धर्म स्थानों का या धर्म संस्थाओं को गलत रूप में या राजनैतिक कार्यों के वास्ते इस्तेमाल करने की कोशिश की गई हो और उनको पिछले 12, 13 साल में रोकने की कोशिश न की गई हो, जैसा इस बिल के प्रस्तावक महोदय की मंशा है तो वह समझ में आ सकती है। इस हालत में इस तरह के बिल लाने की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन, ऐसी बात नहीं है। धर्म संस्था के बाहर जो लोग जाते थे उनको गिरफ्तार किया जाता था। क्योंकि, वह केवल एक धार्मिक संगठन था। मुझे याद है और आप भी जानते हैं कि कितने पादरी ऐसे हैं जिनको पिछली दफा जेल के अन्दर नजरबंद रखा गया था। क्योंकि, उनके बारे में सरकार का ख्याल था कि वह देश की इंटैगरेटी के लिये खतरनाक है। सरकार ने इस बात का सदैव ध्यान रखा है कि अगर, कोई धार्मिक संस्था देश के हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है तो उस पर रोक लगाई गई है और उसका इंतजाम किया गया है। मैं समझता हूँ कि हमारे कम्युनिस्ट भाईयों की इस विधेयक लाने के पीछे जो भावना है, वह किसी कदर समझ में भले ही आ जाये। लेकिन, उनका यह गलत बावैला है। उसकी परवाह नहीं करनी चाहिये। उनकी मंशा इस तरह का बावेला करने से यह भी है कि वहां पर लोग जो रोमन कैथोलिक के हक में हैं उनको अपने हक में करें। मैं समझता हूँ कि कोई भी धर्म इस तरह से कर नहीं सकता और न ही किया होगा। हां जिस तरह से हम स्वतंत्रतापूर्वक राय दे सकते हैं और अपने पक्ष का जनता में प्रचार कर सकते हैं, उसी तरह से दूसरे मत वाले भी अपने लिये प्रचार कर सकते है और रोमन कैथोलिक चर्च के पोप को भी यह स्वतंत्रता है कि वे अपनी राय प्रकट करें और जनता में उसका प्रचार करें। इसी तरह कोई आर्य समाज का लीडर अथवा मास्टर तारा सिंह भी अपनी अपनी राय आजादी के साथ जनता के सामने प्रकट कर सकते हैं। इस देश में आप जानते हैं कि राजनैतिक संस्थायें तो चुनाव लड़ती ही हैं। लेकिन, हिन्दू महासभा, रामराज्य परिषद और मुस्लिम लीग सरीखी कम्युनल और धार्मिक संस्थायें भी राजनीति में हिस्सा लेती हैं और चुनाव लड़ती हैं। जहां तक इस बिल के पीछे यह भावना कि धार्मिक स्थानों व संस्थाओं का राजनैतिक कार्यों के लिये प्रयोग न किया जाये, यह भावना तो अच्छी है। लेकिन, भावना के पीछे जो जड़ है वह अच्छी नहीं है। वह एक सियासी नुक्तेनिगाह से यह मांग की जा रही है कि रोमन कैथोलिक चर्च पर प्रतिबन्ध लगाया जाये। क्योंकि, हमारे दोस्तों को इस का भय है कि कहीं जो बचाखुचा जनमत है और जो अभी भी केरल में उनके साथ है वह भी आगे चलकर उससे विमुख न हो जायें।

द्वितीय लोकसभा

शुक्रवार, 22 अप्रैल, 1960 *

रेलवे द्वारा देय लाभांश की दर की समीक्षा करने के लिए प्रस्ताव

चौधरी रणबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, रेलवे कनवैंशन कमेटी बनाने का ख्याल इस बात से पैदा होता है कि सदन यह मानता है कि रेलवे के महकमे से कुछ आमदनी होगी और जो आमदनी होगी, उसमें से कुछ जनरल फंड्स में जायेगा। इसलिये, मैं मानता हूँ कि जहां कमेटी की ये सिफारिशों हों कि कितना पैसा वह जनरल रेवेन्यूज को दे या कितना पैसा मुख्तलिफ जो फंड्स हैं उनके लिये रखे उसके साथ ही साथ अब वक्त आ गया है जब यह कमेटी इस बात पर भी गौर करे कि कौन सी चीजें हैं जिनसे रेलवे की आमदनी बढ़ सकती है। अगर, यह नहीं किया जाता है तो जो सिफारिशों उसकी होंगी वे कागजी सिफारिशें ही रह जायेंगी। दूसरी लड़ाई से पहले ऐसा ही होता रहा है। पहले रेलवे को घाटा हुआ करता था और जो कनवैंशन कमेटी बिठाई गई थी, वे उस घाटे को पूरा करने के तरीके नहीं बता सकी थीं। इस वास्ते मैं समझता हूँ कि जहां कमेटी यह फैसला करे कि क्या रेलवे को जनरल रेवेन्यू में देना है वहां वह यह भी तय करे कि आमदनी कैसे बढ़ सकती है?

उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि रोहतक से गोहाना का जो हिस्सा है, वह अगर, रेस्टोर होता है....

उपाध्यक्ष महोदय : अब यह वक्त रिप्रिजेंटेशन करने का नहीं है।

चौधरी रणबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने शुरू में कहा, मैं समझता हूँ कि जब तक वह कमेटी इस बात को नहीं सोचती है कि कैसे आमदनी बढ़ाई जा

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 22 अप्रैल, 1960, पृष्ठ 13288-13291*

सकती है, तब तक उस कमेटी की सिफारिशों से कोई फायदा होने वाला नहीं है....

उपाध्यक्ष महोदय : इसलिये, आवश्यक है कि यह क्या कि लाइनों के नाम गिनाये जायें और लाइन बनाने के लिये कहा जाये ?

चौधरी रणबीर सिंह : लाइन की बात को मैं छोड़ देता हूँ। मेरा कहने का मतलब यह है कि कुछ काम रेलवे के महकमे ने किये थे, जिनके अधूरे पड़े रहने के कारण रेलवे की आमदनी में कमी ळोती है, उसकी आमदनी बढ़ती नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर, रोहतक को चण्डीगढ़ से मिला दिया जाये तो वह आमदनी का जरिया बन सकता है। लेकिन, उसको अगर, वहीं पर छोड़े रखा जाये, जहां वह है, तो घाटे का सौदा रहेगा।

मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि हर साल कोयले का खर्चा बढ़ता जाता है। सोचने वाली बात यह है कि क्या रेलवे आज ट्रक्स का मुकाबला कर सकती है ? ट्रक्स जो सामान बम्बई से दिल्ली में लाते हैं या बम्बई से पंजाब के एक सिरे पर या दूसरे सिरे पर ले जाते हैं उनके रेट कई बार रेलवे के महकमे के रेट से कम होते हैं। आज यह भी कहते हैं कि अगर, हम जागे नहीं तो आने वाले जमाने में इससे नुकसान हो सकता है, हमें घाटा हो सकता है। इस वास्ते मैं चाहता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि रेलवे का इलैक्ट्रीफिकेशन हो। इलैक्ट्रफिकेशन तभी हो सकता है जब हम बिजली पैदा करें। जहां तक उत्तर भारत का संबंध है, उसके लिये यह जरूरी है कि भाखड़ा का दूसरा पावर हाऊस बने...

उपाध्यक्ष महोदय : आप यह बतायें कि कमेटी मुकर्रर हो या न हो ? पहले बिजली हो, उसके लिये भाखड़ा का दूसरा इलैक्ट्रिक प्लांट हो, उसके लिये वहां मशीनरी पहुंचाई जाये ताकि वह बिजली पैदा कर सके, फिर इस्पात की जरूरत होगी और उसको तैयार करने के लिये एक कारखाना खोला जाये, इस तरह से यह बात कहां जाकर पहुंचती है ?

चौधरी रणबीर सिंह : मुझसे ज्यादा मेरी वकालत तो, उपाध्यक्ष महोदय, आपने कर दी है। इतना कुछ तो शायद मैं भी नहीं करवाना चाहता था...

उपाध्यक्ष महोदय : इससे साबित होता है कि मुझे भी उन बातों से दिलचस्पी है, जिनके चौधरी रणबीर सिंह साहब को है। मगर इस वक्त वे सब कही नहीं जा सकती हैं।

चौधरी रणबीर सिंह : यह कमेटी बननी चाहिये या नहीं बननी चाहिये, इसी

के ऊपर मैं बोल रहा हूँ। लेकिन, वह कमेटी जो रिपोर्ट देगी, उसकी रिपोर्ट से फायदा तभी हो सकता है जब रेलवे के फाइनेंसिंस इम्प्रूव हों। अगर, रेलवे की आमदनी घटती रहेगी, तो उस रिपोर्ट से कोर्ट फायदा नहीं होगा। इसलिये, मैं मानता हूँ कि हमें.. ..(*Interruptions*)

Mr. Deputy -Speaker : Order, Order, the hon. Member may be allowed to continue.

Shri Tyagi : Yes.

चौधरी रणबीर सिंह : वह मुझे जोश दिला रहे हैं कि मैं दादरी तक लाईन....

उपाध्यक्ष महोदय : किसी लाइन के बारे में कुछ नहीं कहा जाना चाहिये।

चौधरी रणबीर सिंह : इसीलिये, मैंने उनकीं कोई मदद नहीं की। लेकिन, वह चाहते थे कि उसके बारे में भी मैं कुछ कहूं।

मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि कमेटी सोचे कि कौन सी चीज है जिससे रेलवे को घाटा होने का अन्देशा है और सुझाव दे कि उसका क्या इलाज है। आज कम्पीटीशन बहुत अधिक हो गया है और उस ओर ध्यान जाना चाहिये।

अभी यहां पर कहा गया है और इसके बारे में बहस की गई है कि रेलवे यूटिलिटी कन्सर्न है या कमर्शियल कन्सर्न है। मै समझता हूँ दोनों के बीच की यह चीज है। लेकिन, एक बात माननी होगी कि देश का बहुत बड़ा अंग है जहां आज तक रेलवे लाइन नहीं पहुंची है। उन इलाकों के लिये तो यह यूटिलीटी कंसर्न है नहीं। जहां रेल की गाड़ी कभी गई नहीं है उनके लिये तो यह कमर्शियल कंसर्न है। इस देश के अन्दर उनका भी हिस्सा है। वे तो चाहें कि पूरा पूरा जनरल रेवेन्यूज को जाये। एक तरफ हमारी डबल लाइंस चलती है, रेलवे यूजर्स एमेनेटीज के नाम से करोड़ों रूपया खर्च होता है। लेकिन, दूसरी ओर कई इलाके हैं, जहां रेलवे लाइन नहीं पहुंची है। मैं चाहता हूँ कि रेलवे लाइंस का विस्तार हो, ताकि आमदनी बढ़ सके।

द्वितीय लोकसभा

सोमवार, 25 अप्रैल, 1960 *

कंपनियों के कार्य और प्रशासन अधिनियम पर वार्षिक रिपोर्ट

चौधरी रणबीर सिंह (रोहतक) : सभापति महोदय, मैं समझता हूँ कि कम्पनीज ऐक्ट के कार्य और प्रशासन के बारे में जो वार्षिक रिपोर्ट हमारे सामने पेश है यह खासी तसल्लीबख्श है। क्योंकि, कम्पनीज ऐक्ट का यह कोई मुद्दा नहीं है कि इस देश के अन्दर जितनी कम्पनियां चलती हैं उनके काम को रोका जाये। उनके काम को ठीक तौर पर चालू किया जाये और उसमें सुधार किया जाये यही कम्पनीज ऐक्ट की मंशा थी।

इस सदन ने एक प्रस्ताव भी पास किया है कि हम देश में समाजवादी ढ़ंग के समाज की स्थापना करना चाहते हैं। लेकिन, उसी के साथ मिक्सेड एकोनामोमी का भी हमने प्रस्ताव पास किया है। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए यदि हम देखेंगे तो प्रयोग के इस कम्पनीज ऐक्ट के तहत जो कार्यवाही हुई वह तसल्लीबख्श है। मैं समझता हूँ कि वह तस्सलीबख्श है और वह इसलिए कि पिछले तीन सालों के अन्दर जो कम्पनियों का पेड अप कैप्टिल बढ़ा और जिस समय यह कम्पनीज ऐक्ट लागू हुआ था तो वह उसके 47 फीसदी के करीब है। इस तीन साल के अन्दर 4586 करोड़ रूपये का सरमाया कम्पनियों का बढ़ा। इसलिए तीन साल के अन्दर इतने अधिक सरमाये का बढ़ना यह कोई छोटी कामयाबी नहीं है। हां, यह भी सही है कि इसके अन्दर काफी हद तक सरकारी कम्पनियों का सरमाया भी है। यह भी एक तसल्लीबख्श बात है कि इन पिछले चन्द सालों के अन्दर देश में जो सरकारी

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 25 अप्रैल, 1960, पृष्ठ 13672-13675*

कम्पनियां काम करती हैं उनकी तादाद 98 पहुंची। उनकी 5 सबसिडियरी कम्पनियां चलती हैं। इसके अलावा पिछले तीन साल के अन्दर जितनी कम्पनीज रजिस्टर्ड हुईं उनमें 60 फीसदी कम्पनियां ऐसी हैं जिनका सरमाया 5 लाख रूपये से कम है। हां, यह बात ठीक है कि 68 फीसदी है। इसलिए किसी हद तक यह बात सही है कि जैसे पुराने ढ़ंग से हम चलते थे, वही पुराने ढ़ंग से चलते आ रहे हैं। लेकिन, इस टोटल सरमाये में सरकारी कम्पनियों का सरमाया 37 फीसदी है। इसलिए मेरी समझ में जिस भी नुक्तेनिगाह से इस कम्पनीज ऐक्ट की रिपोर्ट को पढ़ें आप इसे तसल्लीबख्श पायेंगे। कुछ भाईयों के दिल में जोश है और कुछ भाईयों के दिल में विदेशी आर्थिक सहायता के लिये प्रीजुडिस भी हो सकता है। उनका ऐसा ख्याल हो सकता है कि इस देश के अन्दर विदेशी पूंजी लगाना देश के लिये अहितकर सिद्ध होगा और यह कि वह आर्थिक सहायता हमें उनका गुलाम बना देगी। लेकिन, मैं इस बारे में साफ तौर से कह देना चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में हमारी नीति साफ तौर से निर्धारित है कि हम विदेशों से रूपये की इमदाद और कर्जा वगैरह तो लेंगे। लेकिन, उस सहायता के साथ कोई शर्त बंधी हुई नहीं होगी, जिसका किसी तरह से भी राजनैतिक मामलों में प्रभाव पड़ने वाला हो। हम आर्थिक सहायता ले लेने पर भी हमारी वैदेशिक नीति का सम्बन्ध है हम पूर्णतया स्वतंत्र होंगे। इस देश के अन्दर फौरेन कम्पनीज का सरमाया अगर, बढ़ता है तो इससे हमें घबराहट क्यों हो। हर हालत में इस देश को आगे बढ़ना है। जाहिर है कि आगे बढने के लिये दूसरे देशों की इमदाद लेनी जरूरी है। वह लेनी पड़ेंगी। इसलिये, मैं समझता हूँ कि जो बातें कही गयीं हैं और हमारे कुछ मित्रों द्वारा जो इस रिपोर्ट के सम्बन्ध में टीका टिप्पणी हुई है, वह कोई बहुत ज्यादा सही नहीं है।

सभापति महोदय, मै यह भी समझता हूँ कि उन्हें पूरी तौर पर कम्पनीज ऐक्ट के तहत नहीं किया जा सकता। इस देश के अन्दर कोई एक लाख 65 हजार के करीब कोआपरेटिव सोसाइटीज चलती है। उनकी जो तरक्की है, वह भी कोई तसल्लीबख्श नहीं कही जा सकती। 22-23 हजार सोसाइटियां ऐसी हैं जो तेजी से या ठीक तौर पर काम करती हैं। छोटी कम्पनियों को आगे बढ़ाने के लिये या कोआपरेटिव सोसाइटीज को बढ़ावा देने के लिये जरूरी है कि क्रेडिट की गारन्टी उनको दी जाये। आप जानते हैं टाटा जैसी बड़ी कम्पनी को अमरीका से रूपया लेने के लिये इस देश को जमानत देने की आवश्यकता होती है। इस वास्ते जो छोटी छोटी कम्पनियां हैं और जिनको हम बढ़ावा देना चाहते हैं, उनके लिये हमें गारन्टी देनी चाहिये। रिजर्व बैंक एमेंडिंग बिल आ रहा है यह ठीक है। लेकिन, उस पर जो कार्यवाही होती है

उसमें तेजी आनी चाहिये। आगे की रिपोर्ट के अन्दर यह भी दर्ज होना चाहिये कि कितनी छोटी कम्पनियों को क्रेडिट गारन्टी देकर आगे बढ़ाया गया।

सभापति महोदय, जो कम्पनियां मुनाफे के लिये नहीं चलती हैं इस रिपोर्ट के अन्दर उनके सरमाये का जिक्र नहीं किया गया है। आप जानते हैं कि वह कुछ अच्छी कम्पनियां भी हैं। अच्छा काम भी करती हैं। लेकिन, कुछ ऐसी भी कम्पनियां हैं जो सिर्फ टैक्स वगैरह से छूट हासिल करने के लिये अपना नाम बदलना चाहती हैं। इसके अलावा यह भी देखने को मिलेगा कि जो दरख्वास्तें पिछली दफे दी गईं उनमें से बहुत सारी दरख्वास्तों में से कुछ ऐसी हैं जिनमें डारेक्टर्स का रेम्यूनरेशन 50 हजार रूपये से अधिक और बढ़ाना चाहती हैं। मैं समझता हूँ कि हमने अपने देश के लिये जो समाजवादी ढ़ंग के समाज का ढ़ांचा मंजूर किया है उसके अनुसार इन आदमियों की ज्यादा रूपये बढ़ाने की जो दरख्वास्तें हैं उनके ऊपर कड़ी नजर से ही गौर किया जाये। मैं समझता हूँ कि शायद देखा भी कड़ी नजर से गया होगा। इसके अलावा डाइरेक्टर्स की तादाद बढ़ाने के लिये या जैसे अभी मेरे साथी श्री सिंहासन सिंह ने कहा कि कुछ कुनबे की आमदनी को बढ़ाने के लिये दरख्वास्तें चलती हैं तो यह बात कुछ हद तक मानी जा सकती है। प्राइवेट कम्पनीज के अन्दर तो खास तौर पर जहां फायदा है और जहां का इंतजाम तसल्लीबख्श रहता है और घाटा न होने देने के लिये वे बड़ी सतर्क रहती हैं और चूंकि उनमें फायदा होता ज्यादा है। इसलिये, यह कुनबे की आमदनी को बढ़ाने की बात कुछ हद तक मानी जा सकती है और बर्दाश्त की जा सकती है। लेकिन, बिल्कुल ही कोई कम्पनी अगर, किसी एक जाति या खानदान और कुनबे के लोगों के लिये हो तो उसके साथ कोई बहुत ज्यादा हमदर्दी नहीं रखी जा सकती। इसलिये, मैं समझता हूँ कि इस कम्पनीज ऐक्ट के अन्दर काफी धारायें हैं जिनके तहत दरख्वास्तें दी जाती हैं। तीन साल पहले तो कोई पूछता ही नहीं था कि उसको कितना पैसा मिलना चाहिये, डाइरेक्टर्स कम होने चाहियें या ज्यादा होने चाहियें। लेकिन, आज वे तमाम चीजें एक तरीके से कम्पनीज ऐक्ट के मातहत आ गयी हैं। इस बारे में यदि कोई नामुनासिब बात या अनियमितता होती है तो उन पर कड़ी कार्यवाही की जा सकती है। मैं समझता हूँ कि जरूरी कार्यवाही हो भी रही है। यह दूसरी बात है कि यह कार्यवाही उतनी तेजी और कड़ाई के साथ न की जा रही हो जितनी तेजी और कड़ाई के साथ हमारे दोस्त चाहते है।।

जैसा भाई श्री सिंहासन सिंह ने कहा इस बात का भी हमें ख्याल जरूर रखना चाहिये कि जब एक कम्पनी बनती है तो सरकार का पैसा रिजर्व बैंक का, इंडस्ट्रियल

फाइनेंस कारपोरेशन का इन कम्पनियों में पैसा लगता है। मैं इससे इंकार नहीं करता हूँ कि उन कम्पनियों के अन्दर कुछ दोस्तों का हौंसला भी उन कम्पनियों को कामयाब करने में सहायक हो सकता है। किसी कम्पनी के कामयाब होने में उनके काम करने का तरीका भी एक कारण हो सकता है। लेकिन, इसके साथ ही सरकारी रूपये की इमदाद भी उनकी कामयाबी के लिये बहुत हद तक जिम्मेदार होती है। इसलिये, मेरा सरकार से कहना है कि जैसे प्लानिंग कमिशन की नीति है कि देश की चहुंमुखी प्रगति हो यह जरूरी हो जाता है कि सारी चीजों और देश के सब हिस्सों को दिमाग में रखकर आगे बढ़ा जाये, किसी भी हिस्से को पीछे नहीं रहने देना है। इसलिये, कोशिश की जाये कि जिन सूबों के अन्दर थोड़ी कम्पनियां हैं उनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाये। मैं यह तो नहीं मानता कि अभी कोई ऐसा वक्त आ गया है कि किसी को पीछे रखने की कोशिश की जाये और वह तो शायद मेरी समझ में सही नीति न होगी। लेकिन, जिन स्टेट्स के अन्दर कमी है, उनको जरूर बढ़ावा दिया जाये।

द्वितीय लोकसभा

मंगलवार, 26 अप्रैल, 1960 *

जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इसमें कोई ऐसी बात नहीं लगी जैसी कि त्यागी जी कहते हैं। जहां तक मतदाताओं की सूची का वास्ता है, वह पहले ही बन चुकी थी और हर एक को मौका दिया गया था ऐतराज करने का। श्री त्यागी को भी मौका था। उस वक्त वह चाहते तो ऐतराज कर सकते थे। श्री बृजराज सिंह जी की और खुशवक्त राय जी को भी मौका था। अगर, वह चाहते तो उस वक्त ऐतराज कर सकते थे। इसलिए इसमें कोई ऐसी बात मुझे नहीं दिखाई देती कि किसी के कुसूर को छिपाने के लिये इस धारा को शामिल किया गया है। जहां तक मैं समझता हूँ कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। यह जो धारा यहां रखाी जा रही है, मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले खतरे को महसूस करके किया जा रहा है। अगर, इस दृष्टिकोण से देखा जाये तो मैं समझता हूँ कि पंडित ठाकुर दास भार्गव ने जो रास्ता दिखलाया था वह शायद ज्यादा अक्लमन्दी का रास्ता है। पता नहीं है कि कोर्ट्स जो अन्तरिम जिला परिषदें हैं या जिला परिषदें हैं उनको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के बराबर माने या न माने।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : वह हैं नहीं। Not in existence.

चौधरी रणबीर सिंह : तो फिर इसको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की जगह लाना कोई अक्लमन्दी नहीं है। अच्छा होता कि इनको 'एनी अदर लोकल अथारिटीज़' वाली सूची में अन्तरिम जिला परिषद को रखा जाता। तब कोई खतरा नहीं आ सकता था।

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 26 अप्रैल, 1960, पृष्ठ 13878-13880*

इसके अलावा, मैं एक अर्ज और करना चाहता हूँ। लोकसभा ने जब यह कानून पास किया उसके अन्दर जो सूची थी उसमें हर एक स्टेट की एनी अदर लोकल अथारिटी के खिलाफ थी। उस वक्त भी यह बात मेरी समझ में नही आई थी और आज तो बिल्कुल नहीं आई। आज के हालात बिल्कुल बदल गये हैं और तमाम देश के अन्दर हम ब्लाक समितियां बनाना चाहते हैं या जिला परिषदों जैसी जमात बनाना चाहते हैं। आन्ध्र और मद्रास के अन्दर तो एक पंचायत के मेम्बर को अधिकार हो वोट देने का, अगर, वह 5000 की आबादी की पंचायत का सदस्य है, इसी तरह से मेसूर में भी अख्त्यार हो। लेकिन, पंजाब में यह अधिकार न दिया जाये, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। हां, पंजाब की असेम्बली कोई कानून पास कर दे तो हो सकता है। यह जो भेदभाव है, वह मुझे पसन्द नहीं आया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि बदलते हुए जमाने को देखकर इसके लिए ऐसा बिल लाया जाये जो सब जगह पर लागू हो सके। हम देखते हैं और श्री त्यागी जी को इस बात पर गुस्सा और गिला भी है, कि हम ऐन वक्त पर जब मामला सिर पर आ जाता है तब कानूनों के अन्दर तब्दीली करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि अब वह वक्त है कि हम जलदी इस किस्म का कानून लायें और उसके अन्दर सारे देश में जितनी ब्लाक समितियां हैं, उनके सदस्यों को इस एलेक्टोरेट में शामिल करें।

द्वितीय लोकसभा

मंगलवार, 26 अप्रैल, 1960 *

भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह (रोहतक) : सभापति महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करता हूँ और मानता हूँ कि जैसे वक्त बदला है उसके अन्दर यह बहुत जरूरी था। क्योंकि, यह देश में सबसे मजबूत और बड़ी कन्सर्न टाटाज की समझी जाती है और टाटाज का भी काम चल नहीं सकता जब हिन्दुस्तान की सरकार उनको विदेशी रूपया लेने के लिये गारंटी न दे। जो छोटे-छोटे धंधे और गांव की विलेज इंडस्ट्रीज हैं उनका काम चल नहीं सकता जब तक रिजर्व बैंक या सरकार रिजर्व बैंक के द्वारा कर्जे के लिये गारन्टी न दे। सभापति महोदय मैं समझता हूँ कि यह काफी नहीं है। अगर, हम चाहते हैं कि विलेज इंडस्ट्रीज और कॉटेज इंडस्ट्रीज बढें तो हमें इस इरादे को हासिल करने के लिये काफी आगे जाना होगा और जैसा कुछ हमने किया भी है कि रिजर्व बैंक कॉटेज इंडस्ट्री को लोन देता है। कोआपरेटिव सोसाइटीज की मार्फत दो फीसदी बैंक रेट से नीचे सस्ते सूद पर कर्ज देता है। कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिये बहुत जरूरी है।

आज देश की आबादी का बहुत बड़ा भाग देहातों में बसता है। अगर, देश की आबादी हम 38 करोड़ की लगायें तो उसमें से 31.5 करोड़ आदमी देहातों में रहते हैं। जहां तक उनकी आमदनी का सवाल है, जहां हिन्दुस्तान के एक आम आदमी की आमदनी 284 रूपये साल बैठती है वहां देहात के अन्दर बसने वाले भूमिहीन आदमियों की औसत आमदनी 104 रूपये साल ही बैठती है। इस देश के अंदर

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 26 अप्रैल, 1960, पृष्ठ 13913-13918*

करीब 20 करोड़ आदमी ऐसे हैं जिनका रोज का खर्चा 8 आने से ज्यादा नहीं है, कम ही बैठता है। खेती का जहां तक वास्ता है आप जानते हैं कि वह कोई आबादी का बहुत ज्यादा भार नहीं उठा सकती है। जैसा दूसरे देशों ने भी किया, अपने देश की तरक्की करने के लिये इंडस्ट्रीज को बढ़ाना बहुत जरूरी है। इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिये खास तौर से हिन्दुस्तान जेसे विशाल देश में जहां बेकारी बहुत ज्यादा फैली हुई है, छोटे-छोटे धंधों को बढ़ावा देना बहुत जरूरी हो जाता है।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि रिजर्व बैंक कोआपरेटिव सोसाइटीज को जो कर्जा देता हूँ तो उसमें मैंक्सिमम क्रेडिट लिमिट करने का जो तरीका रखा है, उसे भी बदलने की जरूरत है। कर्ज दिलाने के लिये क्रेडिट गारन्टी वैसे बहुत अच्छी चीज है। लेकिन, जहां तक विलेज इंडस्ट्रीज का ताल्लुक है, उसमें वह कोई बहुत ज्यादा हद तक इमदाद नहीं कर सकती है। कुछ इमदाद अवश्य करेगी। अलबत्ता कॉटेज इंडस्ट्रीज जो 5 लाख या 10 लाख रूपये तक के सरमाये से चलाई जायेंगी उनके अन्दर काफी इमदाद करेगी और इमदाद करनी चाहिये। लेकिन, विलेज इंडस्ट्रकीज को बढ़ावा दिये बगैर इस देश के अन्दर जो हमारी इच्छा है वह पूरी नहीं हो सकती है। खास तौर पर बेरोजगारी का मुकाबला करने के लिये इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। आप अन्दाजा लगाइये कि 5 लाख देहात हैं और शहरों के अन्दर बैंकों की गारन्टी कौन उनको देगा और उनको कितनी महंगी पड़ेगी ताकि उनको रूपया सस्ता पड़ सके और उनका जो धंधा है वह आगे बढ़ सके और तरक्की हो सके। उसके लिये जरूरी है कि देहातों के अन्दर जो बैंक हैं और जो आप जानते हैं कि कोआपरेटिव सोसाइटीज के नाम पर ही उनको बैंक समझा जा सकता है, उन तक असर पहुंचे। यह असर तभी पहुंच सकता है जब हमारे रिजर्व बैंकी की नीति कुछ बदले। देश में 30 जून सन 1958 की गिनती के हिसाब से 1 लाख 65 हजार सोसाइटीज हैं जिनको देहात का बैंक कहा जा सकता है। उनका जो अपना ओन्ड सरमाया है, वह 32 करोड़ और 37 लाख है। रिजर्व बैंक ने दो फीसदी से कम सूद की दर पर जो रूपया दिया है वह मुश्किल से कोई साढ़े 4 करोड़ रूपया है। यह जो सोसाइटीज की मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट मुकर्रर करते हैं तो उसके मुकर्रर करते वक्त अगर, रिजर्व बैंक ऐपिक्स बैंक का सरमाया और देश के अन्दर जितनी सोसाइटीज हैं उनके सरमाये और अपने फंड्स को ध्यान में रखकर यह मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट मुकर्रर करें तो जो छोटे छोटे धंधे चलते हैं उनको लाभ हो सकता है। 6 गुना रूपया वह मैक्सिमम सरमाये और अपने सरमाये के ऊपर देते हैं

उसमें से एक गुना छोटे धंधों के लिये देते हैं। 32 करोड़ से ज्यादा छोटे धंधों के लिये पहुंच सकता है और वह भी 2 फीसदी से कम सूद की दर के ऊपर पहुंच सकता है। हमारा जो मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट करने का वसूल है उसके अन्दर सिर्फ हम ऐपिक्स बैंक के सरमाये और उनके रूपये का ही ध्यान रखकर करते हैं। इसलिये, आज असली मुद्दा और जो असली फायदा है वह हमें पूरा नहीं पहुंच सकता है। मैं समझता हूँ कि हम क्रेडिट गारन्टी देते हैं तो इसका असली तौर पर विलेज इंडस्ट्रीज को फायदा पहुंच सके और जिनको बढ़ावा दिया जाना बहुत जरूरी है। मैं मानता हूँ कि आने वाले वक्त के अन्दर यह कोटेज इंडस्ट्रीज का मुकाबला कर सकती हैं। जापान का एक छोटा आदमी वहां जापान की झोंपड़ी में बैठकर यहां हमारी बड़ी बड़ी मिलों का मुकाबला कर सकता है तो हिन्दुस्तान के अन्दर भी देहात में बैठा हुआ एक मजदूर अम्बर चरखे से जो बिजली से चले या एक पावर लूम लगा कर बड़ी से बड़ी मिल का मुकाबला कर सकता है। यहां रिआयत देने की बात नहीं है। हम तो चाहते हैं कि जो रिआयत बड़ी बड़ी मिलों को और बड़ी बड़ी कम्पनियों और बड़े बड़े सरमायेदारों को है, वही रिआयत उतने ही हिसाब से एक गरीब आदमी को भी मिले। उसके लिये जहां यह क्रेडिट गारन्टी स्कीम्स के वास्ते बिल रखा है, वहां मैक्सिमम क्रैडिट लिमिट सोसाइटीज को पैसा कर्जा देने का वसूल है, उसको भी बदलने की जरूरत है और उसके अन्दर यह माना जाना चाहिये कि जो सोसाइटीज हें देश की उनका अपना सरमाया और रिजर्व फंड वगैरह है और उनका जो शेयर कैपिटल है उसको मिलकर उनके हिसाब से ही यह मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट रखी जाये। उसका 6 गुना अगर, मैक्सिमम क्रेडिट हम मान लें तो 250 करोड़ रूपया आज भी रिजर्व बैंक देहात के अन्दर खेती की तरक्की के लिये या छोटी छोटी दस्तकारियों की तरक्की के लिये दे सकता है। इससे रिजर्व बैंक का कोई नुकसान होने वाला नहीं है। आज अजीब हालत है। बड़े-बड़े कारखानेदार जिनको समझा जाता है कि वह ऐतबार लायक हैं, बड़े बड़े शहरों के अन्दर जो कम्पनियां बनती हैं और जिनको ऐतबार लायक समझा जाता है, उनकी हालत क्या है? लोग 50, 50 लाख रूपया अपने पास रखकर दीवाला निकाल देते हैं और यह जो हमारी मशीनरी है, यह उसका कोई इलाज नहीं कर सकती है। एक आदमी एक कम्पनी एक नाम से चलाता है और फिर उससे हट कर दूसरे नाम से चलाना शुरू कर देता है तो रिजर्व बैंक के पास कोई चारा नहीं है। उससे रूपया वसूल नहीं किया जा सकता। लेकिन, देहातों के अन्दर भले ही एक आदमी किसी का कत्ल करके बच जाये, मगर वह सराकर के रूपये को मार

कर नहीं बच सकता। बदकिस्मती इस बात की है कि विलेज इंडस्ट्रीज को जब बढ़ावा देने की बात आती है तो रिजर्व बैंक के अधिकारी कुछ इस तरह की आशंका करने लगते हैं कि इस तरह से रूपये से देहातों की मदद की गई तो कहीं रिजर्व बैंक का दीवाला न निकल जाये। मैं समझता हूँ कि यह जो रिजर्व बैंक के चलाने वाले डाइरेक्टर्स हैं और जो आम तौर से उन आदमियों में से आते हैं जो बड़े बड़े धंधों के मालिक हैं, वे उन गांव की छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन नहीं देना चाहते। उनकीं ओर उनकी उपेक्षावृत्ति रहती है। उनका इस तरह से शक करना कि उनका रूपया डूब जायेगा गलत है। क्योंकि, जैसे मैंने कहा देहात का आदमी किसी को कत्ल करके भले ही बच जाये। लेकिन, वह रिजर्व बैंक के रूपये को नहीं मार सकता। यह बड़े बड़े कारखानेदार और बड़े बड़े धंधे वाले ही लाखों रूपये रखकर दीवाला निकालते हैं। लेकिन, गरीब रिजर्व बैंक का और सरकारी रूपया किसी तरह भी मार नहीं सकता, उसकी झोंपड़ी तक नीलाम हो जाती है। मेरा निवेदन है कि जहां हम इस बिल को पास करें वहां अगर, हमारा इरादा गरीबों को क्रेडिट की सहूलियत देनी है और देश के अन्दर छोटे-छोटे धंधों को बढ़ाना चाहते हैं तो जो मैंने सुझाव दिये हैं, उनको रिजर्व बैंक के लिये स्वीकार करना आवश्यक हो जाता है।

द्वितीय लोकसभा

वीरवार, 28 अप्रैल, 1960 *

बाल विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह (रोहतक) : सभापति महोदय, इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने की मैं ताईद करता हूँ। इस बिल के पीछे जो भावना है वह बिल्कुल साफ है। इन्सान के अन्दर या बच्चों के अन्दर जो बद आदतें दाखिल होती हैं, उनका ताल्लुक बहुत कुछ समाज के वायुमंडल से है। अगर, समाज का वायुमंडल अच्छा होगा तो बच्चे अच्छे शहरी बनेंगे और अपने जीवन में कामयाब होंगे। इसी नुक्ते निगाह को मानते हुए इस बिल के अन्दर यह इन्तिजाम रखा गया है कि बच्चों को किसी जेल के अन्दर न भेजा जाये। आप जानते हैं कि आज भी जिन 14 साल से कम उम्र के बच्चों को सजा की जा जाती है उनको आम जेल के अन्दर नहीं रखा जाता, बल्कि रिफारमेटरी के अन्दर रखा जाता है। मुझे एक सियासी कैदी की हैसियत से पंजाब के एक बोर्स्टल जेल में रहने का अवसर मिला था। वहां पर बहुत सारे बच्चे थे और आप जानते हें कि पंजाब एक मजबूत सूबा है। इसलिए, जो बच्चे वहां आते थे उनमें कुछ तो ऐसे होते थे कि जिन्होंने कतल में मदद की थी, कुछ ऐसे आते थे, जिन्होंने डकैती या चोरी में हिस्सा लिया या मदद की, कुछ जेब कतरने के अपराध में भी वहां आते थे। वहां एक बात का ख्याल रखा जाता था कि रात को दो बच्चों को साथ नहीं रहने दिया जाता था ताकि वे और ज्यादा बद आदतें न सीख लें। लेकिन, आम तौर पर देखा गया कि जो लड़के वहां से निकलते थे वे बजाये अच्छी बातें सीखने के जुर्मों को ज्यादा सीख कर निकलते थे। दुबारिया बनने के ज्यादा लायक बनकर निकलते थे। वह यह सीख कर निकलते थे कि जुर्म को ज्यादा

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 28 अप्रैल, 1960, पृष्ठ 14519-14522*

होशियारी से केसे किया जाये। इस चीज को रोकना बहुत जरूरी है। इसके लिए दो चीजें जरूरी हैं। एक तो इस तरह के बच्चों को इसी तरह के दूसरे बच्चों से अलहिदा रखना जरूरी है, ताकि वे और बद आदतें न सीख सकें। ऐसे बहुत सारे बच्चों को इक्ट्ठा रखना, जिनमें कि बुराई की प्रवृत्ति है, कोई ज्यादा अक्लमन्दी का काम नहीं होगा। इसलिए, हमको इस काम में बहुत होशियारी से चलना होगा।

दूसरी जरूरी चीज इसके लिए यह है कि ऐसे बच्चों को उनके माता-पिता से, अगर, वह माता पिता जुर्म करने वाले हैं, अलग रखा जाये। जो आदमी गलतियां करता है, उसमें एक वजह तो उसकी आदत हो सकती है। जो उसके आसपास के हालात होते हैं, उनका भी उसकी आदतों पर बड़ा असर पड़ता है। जो उसके आसपास वायुमंडल होता है, उसका भी उसकी आदतों पर बड़ा असर पड़ता है। लेकिन, इस तरह की व्यवस्था इस बिल के अन्दर कहीं नहीं है कि बच्चों का जुर्म करने वाले माता पिता से अलग रखा जाये। मैं चाहता हूँ कि जिनको दुबारिया कैदी कहते हैं, जो लोग मारल टरपीट्यूड के लिए सजा पाये हुए हों, उनके बच्चों को उनके पास न जाने दिया जाये। क्योंकि, अगर, वह अपने ऐसे माता पिता के पास रहेंगे, जिन्होंने समाज के अन्दर बुराईयां सीखी हैं, तो कुदरती बात है कि वह अपने बच्चों को भी वही बुराईयां सिखायेंगे। इसमें व्यवस्था होनी चाहिए कि ऐसे माता पिता से उनके बच्चों को अलग रखा जाये। आपने दूसरे बिल में यह रखा था कि अगर, कोई गरीब मां बाप अपने 9 से 11 साल की उम्र के बच्चे को स्कूल नहीं भेजेगा तो उस पर सौ रूपया तक जुर्माना किया जा सकता है। मैं चाहता हूँ कि प्रवर समिति इसके अन्दर भी कोई तजवीज रखे कि जो ऐसे माता पिता के बच्चे हैं, जिन्होंने समाज के अन्दर खराबियां की हैं, उनके बच्चों को जो स्पेशन स्कूल बनाये जायेंगे उनमें रखा जाये। उनका खर्चा जहां तक हो सके उनके माता पिता से लिया जाये। लेकिन, अगर, माता पिता न दे सकें तो कम से कम उन बच्चों को उनके पास न जाने दिया जाये।

मैंने देखा है और जिन आदमियों को चाहे कैदी की हैसियत से जिनको पुलिस से, या दुबारिया कैदियों से या जेल के अधिकारियों से वास्ता पड़ा हो या जिनका वास्ता रिफारमेटरी के अधिकारियों से पड़ा हो वह बता सकते हैं, जैसा वारियर साहब ने कहा है कि ये लोग बच्चों को आम तौर पर अच्छी बातें सिखाने के बजाये बुराई ज्यादा सिखाते है।। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा जाये कि जो भाई इस काम के लिए भर्ती किये जायें, उनको सिर्फ नौकरी देने के लिए ही भर्ती न किया जाये, बल्कि जो बहुत ऊंचे दर्जे के समाजसेवक हों, उन्हीं को इन बच्चों के

साथ रहने का मौका दिया जाये। उनके लिए कोर्स को बड़ी समझ से प्रैस्क्राइब करने और स्लाअट्ज वगैरह के जरिये उनको शिक्षा देने की जरूरत है। इसके साथ ही उनके शिक्षण और पालन-पोषण की व्यवस्था बहुत होशियारी के साथ करने की जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि कम से कम केन्द्र-शासित इलाकों में इस बिल के पास होने के बाद कोई बच्चा ऐसा न रहे, जिसको कोई भिखारी बना सके, या जो भिखारी हो, या जेब-कतरा हो। ऐसे बच्चों को सरकार ऐसे शिक्षण केन्दों में भेजने की कोशिश करे। साथ ही आप जानते हैं कि अभी हम यह तो नहीं कह सकते कि हमारी पुलिस सोलह आने ईमानदारी से या सभी भाई ईमानदारी से काम करते हैं। ऐसी तवक्को अभी तो हम नहीं कर सकते हैं। आखिर वे हमारे ही अंग हैं। जैसे समाज में कुछ कुरीतियां हैं, वैसे ही उनमें भी कुरीतियां हैं। उनके जिम्मे एक बहुत बड़ा काम है खराब बच्चों को छांटना। कई दफा ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा असल में अच्छा हो। लेकिन, उनके ख्याल के बमूजिब वह खराब हो। इसमें यह प्राविजन किया गया है कि उनको हवालात में नहीं रखा जायेगा। हमारे पुलिस के भाईयों को आम तौर पर मुलजिमों से वास्ता रहता है। वे कई दफा कुरीतियां ही सिखाते हैं। उन्हें बच्चों को खास तौर पर कुरीतियां सिखाने का मौका मिल सकता है। इसीलिए यह व्यवस्था की गई है कि उनको हवालात में नही रखा जायेगा।

आज वक्त नहीं है। लेकिन, मैं समझता हूँ कि देश में एक वक्त आयेगा, जब छोटे बच्चों को ही नहीं, उन बड़े आदमियों के बारे में यह न मानेंगे, जो समाज में कुरीतियां करते हैं, खाली उनका ही कुसूर है, बलिक यह मानते हुए कि समाज के वायुमंडल का भी कुसूर है, उनको कैद में भेजने के बजाये शिक्षण-केन्द्रों में भेजेंगे। आज भी देश के तकरीबल सारे हिस्सों में इस तरफ कोशिश की जा रही है।

द्वितीय लोकसभा

शुक्रवार, 29 अप्रैल, 1960 *

जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के पीछे प्रस्तावक के राजनैतिक विचारों का एक नक्शा सा दिखलाई देता है और राजनीतिक तौर पर उन्हें जो चोट लगी है उसका भी कुछ असर दिखलाई देता है।

श्री त.ब. विट्ठल राव (खम्मम) : नहीं जनाब नहीं।

चौधरी रणबीर सिंह : देखना यह है कि इस हाऊस के अन्दर 500 से ऊपर मेम्बर हैं। हिन्दुस्तान की असेम्बलियों में 3,000 से ऊपर मेम्बर हैं। उनमें कितने सदस्य हैं जिन्होंने पार्टी के नुक्ते निगाह से या ऐसे कभी इधर और कभी उधर जाने की कोशिश की है या अदला बदली की है? फिर, दूसरी चीज देखने वाली यह है कि आया संविधान के अन्दर जो भाई लोगों की इच्छा के विरूद्ध चलते हैं उनके लिये कोई इलाज रखा गया है या नहीं? मैं मानता हूँ कि राष्ट्रपति का राज्य कायम करने की और असेम्बिलयों को तोड़ने की धारा कांस्ट्यूशन में रखी गई है, वह इसी नुक्ते निगाह से रखी गई थी कि अगर, कोई भाई एलेक्टोरेट्स की या मतदाताओं की इच्छाओं की परवाह नहीं करेंगे, और जो भाई मतदाताओं की इच्छाओं की परवाह नहीं करते हैं, अगर, उनके हाथ में राज्य चलाने का काम है तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाये? डिमाक्रेसी में आप जानते हैं कि एक पार्टी होती है जिसके हाथ में शक्ति होती है, दूसरी जो पार्टियां होती है जो अपोजीशन में होती हैं उनके हाथ में तो केवल नुक्ता चीनी की शक्ति रहती है। लेकिन, नुक्ता चीनी से कोई ज्यादा बिगाड़ नहीं होता

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 29 अप्रैल, 1960, पृष्ठ 14726-14731*

है, जिसके हाथ में सरकार होती है। जिस के हाथ में शक्ति होती हो अगर, वही पार्टी मतदाताओं के विचारों का ख्याल किये बगैर चलती है तो वह देश के अन्दर या किसी प्रदेश के अन्दर बहुत नुकसान कर सकती है। उसका इलाज करने के लिये हमारे संविधान के अन्दर उपाय रखा गया है। इस देश में जब से हमारा संविधान लागू हुआ है पंजाब प्रदेश की वजारत तोड़ी गई, पेप्सू की वजारत तोड़ी गई, आंध्र प्रदेश की वजारत तोड़ी गई और केरल की वजारत तोड़ी गई। जब भी ऐसा वक्त आया और लोगों ने मजसूस किया कि उनकी राज्य सरकार मतदाताओं के खिलाफ चलती है या राज्य सरकार ने उन लोगों का विश्वास खो दिया है और दूसरी कोई पार्टी नहीं है जो मतदाताओं का विश्वास लेकर चल सके, तो राष्ट्रपति ने वहां की सरकार को तोड़ा। इसलिये, साफ सवाल है कि आज इस विधेयक की आवश्यकता क्या है? श्री विट्ठल राव ने कहा कि उनके दिमाग पर राजनीतिक हालात का या चोट का असर नहीं। अगर, वह तारीख देखें तो वह तारीख ठीक उन्हीं दिनों की है जिन दिनों में केरल के अन्दर जो कम्यूनिस्ट सरकार चल रही थी, उसके खिलाफ सत्याग्रह की लड़ाई चल रही थी, सारा झगड़ा चल रहा था और उसके तोड़े जाने की बात चल रही थी। वह सोचते थे कि अगर, हमको जाना ही है तो सबको जाना चाहिये। क्योंकि, आप जानते हैं कि यह कोई कम्यूनिस्ट देश तो है नहीं कि जिसके अन्दर एक ही पार्टी है और उस पार्टी के अन्दर जो भी सदस्य चुनकर आयेंगे वे कम से कम 50 फीसदी राय लेकर आयेंगे। उन देशों के नुक्त निगाह से ठीक है। क्योंकि, वहां एक ही पार्टी है। जो 50 फीसदी से ज्यादा मत हासिल नहीं करते हैं वह जीते हुए नहीं माने जाते। लेकिन, वहां की हालत ही दूसरी है। प्रजातन्त्र के अन्दर हमने जो राजतन्त्र का तरीका रखा है उसके हिसाब से कोई भी सदस्य 25 फीसदी मत लेकर भी कामयाब हो सकता है। मान लीजिये कि कहीं पर 8 या 10 उम्मीदवार थे तो किसी को 5 फीसदी वोट मिले, तो किसी को 10 फीसदी वोट मिले। जितने वोट डाले गये उनकी गिनती का ही हिसाब रखा जाये। अगर, एलेक्टोरेट की गिनती की जाये तो शायद ही इस हाऊस के अन्दर कोई ऐसा मेम्बर होगा जिसको 25 फीसदी से ज्यादा मत मिले होंगे। इसका क्या यह मतलब समझें कि यह जो हमारा हाऊस बना उस सारे हाऊस को तोड़कर दुबारा इलेक्शन करायें जायें? आखिर यह कैसे मुमकिन हैं? यहां कोई एक पार्टी तो है नहीं, फिर यहां स्वतंत्र सदस्य भी हैं। उम्मीदवार भी स्वतंत्र हैं। जितने वोटर्स हैं सबको अधिकार है खड़े होने का। जिस बात को अपने ध्यान में रख कर विट्ठल राव बिल रखना चाहते हैं वह किस तरह मुमकिन हो सकती है?

मैं समझता हूँ कि श्री सिंहासन सिंह जी ने जो बात कही थी वह इस पर जरूर लागू होती है। इसके पास करने से फाइनेंशियल असर जरूर पड़ता है। इस विधेयक पर विचार करते हुए इसका ध्यान रखना चाहिये। इसलिये, मैं मानता हूँ कि माननीय मूवर साहब का जो फीसदी का हिसाब है वह प्रजातंत्र के अन्दर मुमकिन नहीं हे। मेरे से पूर्व वकता श्री जयपाल सिंह जी ने कुछ हमारी पार्टी का जिक्र किया। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वह भी एक पार्टी के नेता हैं। अच्छा हो यदि वह अपनी पार्टी की ही फिक्र में रहे। यहां तो पार्टी बहुत बड़ी है। बहुत अच्छे ढ़ंग से सोचती है और दस, बारह साल से आज की दुनिया में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिस पार्टी नें 10, 12 साल से आज के हालात में राज्य किया हो। वह हमारी फिक्र क्यों करते हैं? वह अपनी झारखण्ड पार्टी की फिक्र करें कि अन्दर 5, 10 मेम्बर कैसे चलते हैं और किस तरीके से कभी वजारत में आते हैं, कब निकलते हैं। खैर मैं इस बात की तरफ ज्यादा नहीं जाना चाहता। मैं मानता हूँ कि जैसा राजतंत्र हमने माना है, उसके तहत यह जो विधेयक है कोई उसका कार्यरूप हो ही नहीं सकता है। इससे कोई काम ठीक तौर पर चल नहीं सकता। हां जैसे मैंने कहा कि अगर, एक किसी हाऊस का या किसी स्टेट असेम्बली की मेजोरिटी अगर, कोई खराबी करती है तो उसका इलाज विधान के अन्दर रखा ही जाता है। लेकिन, इक्के दुक्के मेम्बर के वास्ते और अकेले किसी सदस्य के खराब होने से कोई बहुत ज्यादा राजतंत्र के ऊपर या राज शक्ति के ऊपर असर नहीं पड़ सकता। अलबत्ता अगर, वह कोई बेईमानी करता है तो उसके लिये कानून में गुंजाइश है। वह सजा पायेगा और वह मेम्बरशिप के लिये डिस्क्वालिफाई हो जायेगा। इसकी गुंजाइश हमने कानून में रखी है। लेकिन, अगर, प्रस्तावक साहब यह चाहते हैं कि कोई एक आदमी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में बदले तो उसको दुबारा चुनाव लड़ना चाहिए, अगर, उनकी यह मंशा है तो उनको साफ तौर पर उसमें लिखना चाहिये था। लेकिन, ऐसा तो उन्होंने लिखा नहीं बल्कि उन्होंने तो उसको बिलकुल गोलमोल रखा है। अब फर्ज कीजिये कि कोई आजाद उम्मीदवार बन कर आता है तो वह कहां जाये? अब एक शख्स जिसको किसी इलाके वाले समझते हैं कि यह असेम्बली में जाकर उनको रिप्रेजेंट करेगा और उसकी बहैसियत आजाद उम्मीदवार के चुनकर असेम्बली में भेजते हैं और किसी पार्टी के सदस्यों को वहां की जनता ने किसी कारणों से इस योग्य न समझा हो और उस इलाके वालों ने उस आजाद उम्मीदवार को इसी खयाल से चुनकर भेजा है कि वह वहां जाकर देखे कि हमारे हल्के की किस बात से भलाई है। अगर, वह शामिल हो जाये उस पार्टी में

जिसमें वह समझता है कि ईमानदारी से काम चलता है और अच्छा काम चलता है तो मैं समझता हूँ कि वह मतदाताओं की राय को लेकर ही चलता होगा। मैं एक बात समझता हूँ कि अगर, वह इसमें ऐसी कोई धारा लाते कि इस सभा की या दूसरी असेम्बलियों की एक कमेटी बने और वह कमेटी गौर करे। क्योंकि, जहां तक मतदाताओं का वास्ता है और जिस ढ़ंग से वह चाहते हैं वह तो मुमकिन है नहीं और वह समझते हैं कि अगर, फर्ज किया किसी सदस्य ने लोगों के और मतदाताओं के विचारों के साथ विश्वासघात किया है तो वह ऐसे आदमियों के केस वह उसके बारे में गौर करे। इसमें सारी पार्टियों के सदस्य शामिल हों। अगर, वह कमेटी सर्वसम्मति से मान जाये तो बेशक कोई ऐसी धारा रख दी जाये जिससे कि उसकी सीट खाली कर दी जाये, मैं समझता हूँ कि वह एक तरीका होता जिससे कि वह जैसा समझते हैं कुछ दोस्त सौदेबाजी करते हैं हाऊस में आकर तो वह सौदेबाजी खत्म हो सकती है। लेकिन, जिस तरीके से उन्होंने रखा है वह तो सौदेबाजी खत्म नहीं होगी। उसका तो नतीजा होगा कि इस हिन्दुस्तान में आज पहला एलेक्शन खत्म हुआ और दूसरा कल ही शुरू हो जायेगा। क्योंकि, किसी भाई को 50 फीसदी तो राय या मत मिले नहीं। 50 फीसदी मत तो जो इनके नेता हैं वे सन 1952 के अन्दर भी जीत नहीं सके। सन 1957 के अन्दर बहुत बड़ी अक्सरियत से जीते हैं। क्योंकि, महाराष्ट्र प्रान्त बनाने का सवाल उठ खड़ा था। लेकिन, आज शायद हालात बदल चुके हैं और अब महाराष्ट्र राज्य का निर्माण हो रहा है तो कल को क्या मालूम है कि यदि हम बाहर जायें तो कौन चुनाव में जीतेगा और कौन नहीं जीतेगा। क्योंकि, आज हालात बदल गई है। आज महाराष्ट्र समिति के समर्थक कांग्रेस के अन्दर फिर प्रविष्ट हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि शायद वह मानते थे कि कांग्रेस में कसूर इतना ही था। इसी तरीके से शायद मतदाता भी मानते थे, हालांकि, यह जो महाराष्ट्र राज्य का निर्माण हो रहा है तो यह सारे सदन ने ऐसा निश्चय किया है। पहले जो इसके विपरीत निर्णय हुआ था वह भी सारे सदन का ही निर्णय था। लेकिन, माना ऐसा जाता है कि अगर, नहीं बना तो उसके लिये कसूर कांग्रेस का था और अगर, आज बन जाता है तो फिर महाराष्ट्र राज्य के निर्माण का श्रेय लेने को डांगे साहब और अन्य मित्र आ जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि डांगे साहब ने बनवाया या महाराष्ट्र के दूसरे दोस्तों ने बनवाया है। यह अजीब हालत है कि अगर, कोई कमी रह जाये और उनकी मंशा के मुताबिक काम न हो तो सारा दोष और कसूर अकेल कांग्रेस पार्टी पर डाल दिया जाये और अगर, कोई उनके मंशा मुआफिक निर्णय ले लिया जाये तो फिर उसका श्रेय लेने में वह सबसे आगे आ जाते हैं और मैं

कहना चाहता हूँ कि यह रूख उचित नहीं है। इस तरह से देश की कोई सेव नहीं हो सकती है। मैं मानता हूँ कि प्रस्तावक महोदय इस विधेयक को वापस लेंगे। क्योंकि, उनकी जो मंशा है वह इस विधेयक से पूरी नहीं हो सकती है।

द्वितीय लोकसभा

सोमवार, 1 अगस्त, 1960 *

दिल्ली लैंड होल्डिंग्स (सीलिंग) विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह (रोहतक) : सभापति महोदय, इस बिल के तहत हम इंटरमीडियरीज (बिचौलियों) के साथ डील नहीं कर रहे हैं। यह जो संशोधन पंडित ठाकुर दास भार्गव ने दिया है वह उन्होंने बहुत सोच विचार के बाद रखा है, यह जानते और समझते हुये कि किन हालात में हम चल रहे हैं। हमने राजाओं के रजवाड़े छीने, हर साल हम राजाओं को इस सिलसिले में चार या साढ़े चार करोड़ रूपया देते हैं। हमने देश के अन्दर 634 करोड़, 98 लाख रूपये इंटरमीडियरीज को देना स्वीकार किया और उसमें से 155 करोड़, 72 लाख रूपया या तो हम नकद या बांड्स की शकल में दे भी चुके हैं। जिनके बारे में सीलिंग का जिक्र आता है, वे कोई दूसरे ही लोग नहीं हैं, वे खुद काश्त करते थे। यह एक तरह से समाज के अन्दर एक नई सी बात है कि जमीन के ऊपर जो खुद काश्त करते हैं और जोसी तरह से समाज की व्याख्या में एक्स्पलायटर नहीं हैं, उनके साथ हम दूसरा बर्ताव करने जा रहे हैं। ऐसी हालत में प्लैनिंग कमिशन और हमारी सरकार के वे भाई, जो ढ़ाई और तीन हजार रूपये महीना तनख्वाह लेते हैं और जो हमारे ऊपर सीलिंग रखना चाहते हैं, अपने ऊपर भी कोई सीलिंग मानने को तैयार हैं? हमें इस बात से कोई ऐतराज नहीं है कि आप सीलिंग कम कर दें। अगर, आप 75 के बजाय 5 एकड़ में भी कमा खायेंगे। लेकिन, कम से कम सरकार को तो यह सोचना चाहिये कि हो सकता है कि आज की हालात में उतना दबाव न पड़े। लेकिन, आगे वह दबाव पढ़ने वाला है। यह चीज

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 1 अगस्त, 1960, पृष्ठ 177-178*

समाज के ऊपर रिक्कायल करेगी ? क्या हम इसके लिये तैयार हैं ? आज जिस सरकार ने नीति बनाई है वही मुआवजा नहीं देती तो हम क्यों इस बात से घबरायें कि हमें देना होगा ? आखिर हम एक बहुत बड़ी नीति कायम करने जा रहे हैं। इस नीति के तहत ढ़ाई सौ करोड़ रूपये के करीब जो भाई उधर से आये हैं उनको कम्पेन्सेशन की शक्ल में या दूसरी मदद के लिये काफी रूपया हिन्दुस्तान की सरकार देगी। जो लोग यहां पर थे, दिल्ली के आस पास, जहां पता नहीं कितनी सल्तनत आईं और गईं और जहां पर लोगों के अपने रहन सहन का तरीका अलाहदा रखा, उनको हम सिर्फ इसतिलये सजा दें कि वे अच्छे ढ़ंग से कायम रह सकें ? यह कोई समझ की बात नहीं है। मुझे इस बात से ऐतराज नहीं है कि आप 30 स्टैण्डर्ड एकड़ की सीलिंग रखें। लेकिन, उसको रखते हुये हमें कोई न कोई प्रिंसिपल निर्धारित करना चाहिये, एक तो कम्पेन्सेशन के बारे में और दूसरे सीलिंग के बारे में।

द्वितीय लोकसभा

सोमवार, 1 अगस्त, 1960 *

दिल्ली लैंड होल्डिंग्स (सीलिंग) विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह : सभापति महोदय, जहां तक दिल्ली की सेंट्रली ऐडमिनिस्टर्ड एरिया का ताल्लुक है, इसके कम्पेन्सेशन के बारे में गौर करते वक्त हमें कई बातों पर विचार करना चाहिये। इस देश के अन्दर बहुत सारे इलाके थे जहां पहले रियासतें थीं, जो देश के 1/5 हिस्स में थीं। वहां की जो जमीन थी उसकी मिल्कियत वहां के रजवाड़ेशाही के ऊपर मुन्सर हो जाती थी कि वह जिसको चाहे उसको दे दे और जिससे चाहे छीन ले। वहां पर जमीन की होल्डिंग का सिलसिला कुछ मुख्तलिफ है। दूसरे प्रदेशों में जहां जागीरदारी सिस्टम था वहां पर भी कुछ ऐसा ही है जिसको जब अंग्रेज यहां आये तब उन्होंने उन लोगों को दिया जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की। लेकिन, दिल्ली के आस पास जो आदमी बसते थे उनकी जमीनों के साथ मुख्तलिफ बात थी। मैं मानता हूँ, जैसाकि दौलता साहब ने कहा कि हिन्दुस्तान के एकानमिस्ट्स ने इस इलाके के लोगों को जो पेजेंट प्रोप्रायटर है। मैं समझ नहीं पाया हूँ। इसलिये, कि जहां तक उनके दृष्टिकोण का ताल्लुक है, जो कायदे कानून हम बनाते हैं उनसे ऐसा टपकता है कि हमारे कायदे कानून बनाने वालों की उन किसानों से दुश्मनी है। यहां की हमारी जो हालत है वह बाकी प्रदेशों की पालिसी की तरह है जहां पर हमने जमींदारी को हटाया, जागीरदारी को हटाया और एक तरह से पेजेंट प्रोप्रायटरी क्लास को बनाया। एक जगह तो उन जैसे भाई पैदा करते हैं और दूसरी जगह जहां पर पहले से ऐसे लोग थे, हम ऐसा व्यवहार करना चाहते हैं जिससे मालूम होता है कि उनके साथ दुश्मनी का व्यवहार हो रहा है। जैसा मैंने पहले कोट किया, सारे देश के

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 1 अगस्त, 1960, पृष्ठ 204-208*

जमींदारों को जो कम्पेन्सेशन हम देंगे उसका टोटल प्लैंनिंग कमिशन की रिपोर्ट के हवाले से 634 करोड़, 95 लाख रूपया होगा। जो हम अब तक कैश या बांड की शक्ल में दे चुके हैं। उन जमींदारों को वह 155 करोड़, 72 लाख रूपये है। इसी तरह से रजवाड़े को हम जो कम्पेन्सेशन देते हैं वह चार या साढ़े चार करोड़ रूपये सालाना होता है। हमने अपने देश के अन्दर जब मिक्सड एकानमी की बात को माना था तो बहुत सोच समझ कर माना था। हमारे देश के अन्दर जिस तरह के हालात थे, जो सिस्टम था, उसके नुक्ते निगाह से माना था, तो फिर आज दिल्ली के ऊपर जिसमें पंजाब का ही सिस्टम था, उसे लागू क्यों नहीं करते ? दिल्ली का मुकाबला हम पंजाब के सिवा किसी दूसरे प्रदेश से नहीं कर सकते। पेप्सू से भी नहीं कर सकते। क्योंकि, वह भी रजवाड़ेशाही इलाका था और वहां पर जमीनों की मलकियत उठाने का वह तरीका नहीं था जैसे पंजाब में था। क्योंकि, पंजाब के अन्दर तो आदमियों ने जमीनों को खरीदा था और उनको खरीदने के लिये उनके बाप दादों ने खासी बड़ी रकम दी थीं। इसी तरह से दिल्ली वालों की बात है। लेकिन, राजस्थान में आप देखिये और पंजाब को देखिये। पंजाब का जहां तक वास्ता है, पंजाब में जमीन की कीमत के लिहाज से कम्पेन्सेशन रखा जाता है।

आप जमीन लेना चाहते हैं तो ले लीजिये, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन, उसका रिश्ता मार्केट वैल्यू से होना चाहिये। हमने जब यहां कायदे कानून बनाये हैं तो इस बीज को देखा है। जब इम्पीरियल बैंक को स्टेट बैंक बनाया गया तो उसके हिस्सेदारों को शेयरों की फेस वैल्यू का पांच गुना मुआवजा दिया गया। लेकिन, यहां अजीब हालत है कि आप कोई मार्केट वैल्यू से 20 फीसदी का, 30 फीसदी का, 40 फीसदी का या 50 फीसदी का कोई रिश्ता कायम नहीं करना चाहते। पता नहीं आप किस ढ़ंग से चलना चाहते हैं। यह एक बड़ा भारी उसूल है जिस पर आपको सोचना होगा।

मैंने बताया कि पंजाब में मार्केट वैल्यू का रिश्ता है। केरल में भी है। केरल में जो 15,000 मार्केट वैल्यू की जमीन है उसका 60 फीसदी मिलेगा और जो 15 हजार के ऊपर का है, उसका 55 फीसदी मिलेगा। इसी तरह राजस्थान में किया गया, जब वहां सीलिंग के सिलसिले में कम्पेसेशन रख्ने लगे। राजस्थान की जमीन का तरीका दूसरा था। रजवाड़ों की जिस पर रहम की लहर हो गयी उसको जमींदारी या जागीरदारी दे दी और उसको मालिक बना दिया। लेकिन, वहां भी रेंट का तीस गुना रखा गया है। मंत्री महोदय ने राजस्थान का जिक्र किया। वहां भी रेंट का 30 गुना रखा

गया है। यहां पर हमने अमेंडमेंट देखा है –

Shri Datar : What the hon. Member says is not relevant to this clause. I can understand his saying this about clause 10. But we are now in clause 8 not cluse 10.

Pandit Thakur Das Bhargava : It also becomes relevant under clause 8, because clause 8 deals with compensation which must be paid before it is acquired.

सभापति महोदय : पेड बिफोर और आफ्टर की बात नहीं है। यहां यह बात कहने का मौका नहीं है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : छोटा तो एमाऊंट है।। देने में क्या दिक्कत है।

सभापति महोदय : छोटे बड़े की बात नहीं है। इस दफा के सिलसिले में यह बात नहीं कही जा सकती।

चौधरी रणबीर सिंह : मैं इस सिलसिले में आपको दूसरी तरफ ले जाना चाहता था।

सभापति महोदय : तो दफा 10 पर ही आप यह कहते।

चौधरी रणबीर सिंह : मैं यह कहना चाहता हूँ कि यहां कम्पेन्सेशन जो दे रहे हैं वह कम है और उसको भी बान्ड्स में देना चाहते हैं। यह कोई समझदारी की बात नहीं है। मैं राजस्थान की बात तो आपसे भूमिका के तौर पर कह रहा था कि राजस्थान में भी जो कम्पेन्सेशन का सिस्टम है वह यहां के मुकाबले में ज्यादा आसान है। यहां उसके मुकाबले में सख्त है। लेकिन, यहां क्या जरूरत पड़ गई हिन्दुस्तान की सरकार को कम्पेन्सेशन बांड्स की शक्ल में देने की। यह तो एक सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड एरिया है। यहां का कुल कम्पेन्सेशन चार पांच लाख बनेगा। यहां बांड्स में देने की क्या आवश्यकता है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : एक लाख दस हजार।

चौधरी रणबीर सिंह : फिर यहां बांड रखने की क्या आवश्यकता है? इसलिये, मैं चाहता हूँ कि सारा मुआवजा कैश में दिया जाए और जमीन लेते ही दिया जाये।

द्वितीय लोकसभा

मंगलवार, 2 अगस्त, 1960 *

मणिपुर भूमि राजस्व और भूमि सुधार विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह (रोहतक) : सभापति महोदय, बावजूद इस बात के कि यह विधेयक 13 साल के बाद आया है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। मुझे खुशी है कि मंत्रालय ने यह कोशिश की है कि इस क्षेत्र के लोगों को भी न्याय मिले। यहां के काश्तकारों के लिये भी वैसे ही कायदे और कानून बनाये जायें जैसे देश के दूसरे राज्यों में 13 साल पहले और कुछ में, जैसे उत्तर प्रदेश में, 13 साल से भी पहले बन चुके हैं। पंजाब में बहुत अरसे से यह कायदा चला आता है कि जिसके मुताबिक खेती की हर जमीन का सर्वे किया जाता है और हर छमाही के बाद, हर फसल के बाद, लिखा जाता है कि क्या पैदा हुआ और दिखलाया जाता है कि कितनी आमदनी की या घाटे की फसल हुई ? फिर भी मैं इस बिल का स्वागत करता हूँ कि, चाहे 13 साल के बाद ही सही, इस सदन के सदस्यों को मौका दिया जा रहा है कि एक छोटे से इलाके के बारे में विचार कर सकें और उस क्षेत्र की जमीन के कायदे कानूनों के बारे में ध्यान दे सकें।

सभापति महोदय, मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि बावजूद इस बात के कि हमारा ध्यान बड़ी देर बाद गया। आज भी हम बहुत पुराने ढ़ंग से सोच रहे हैं। किस बेसिस पर मालिया या लैंड रेवेन्यू लिया जाये, इसके बारे में हम आज सन 1960 में भी बहुत पुराने तरीके से सोच रहे हैं। आप जानते हैं कि इसी सदन में कायदे और कानून बनाये गये हैं कि 3600 तक की आमदनी पर कोई टैक्सेशन न किया जाये। दूसरी तरफ आप मणिपुर के इलाके वालों के लिये यह कायदा बनाने जा रहे हैं

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 2 अगस्त, 1960, पृष्ठ 438-445*

कि चाहे काश्तकार को घाटा भी रहे उसको मालिया देना होगा। एक क्लाज तो यहां तक कहता है कि चाहे उसकी जमीन बह जाये, अगर, वह जमीन एक एकड़ से कम है और उसको दरिया बहा ले जाये तो भी उसको मालिया देना होगा। यह अजीब हालत है। हम देश के उन बाशिन्दों के लिये किस तरह के कायदे और कानून बनाने जा रहे हैं? एक तरफ तो समाज का करीब दो फीसदी वाला वह हिस्सा है जो खुशहाल है, जिनको अपने बच्चों को पढ़ाने को ज्यादा मौका है और जिसको चलने के लिये कहीं काली, कहीं पीली और कहीं सीमेंट की सड़कें मौजूद हैं। दूसरी तरफ वह लोग हैं, जिनको अपने घर जाने के लिये कोई रास्ता नहीं है, जिनको अपने लिये पीने के पानी का अच्छा इन्तिजाम नहीं है। जो लोग उन देहातों में रहते हैं जहां के लोगों के लिये पीने के पानी तक का इन्तिजाम नहीं है, उनके लिये टैक्सेशन का जो कायदा है वह उन दो फीसदी भाईयों के कायदे से मुख्तलिफ है जो शहरों में रहते हैं। यह बड़े अफसोस की बात है। आज के जमाने में हमें इस पर सोचना चाहिये। मैं समझता था कि आज इस सदन को मौका मिला है कि वह दूसरे सूत्रों को रास्ता दिखायेगा कि किस तरह से खेती की आमदनी पर टैक्स लगाना चाहिये।

पहले देश के कुछ इकानिमिस्ट कहा करते थे कि लैंड रेवेन्यू जो है, वह टैक्स नहीं है, वह तो रेंट है। आज तो देश का हर आदमी चाहे वह खेती पर निर्भर हो, चाहे वह नौकरी करता हो, चाहे कारखाने से या दूसरे तरीके से रोजी कमाता हो, बराबर का सिटीजन है। आज तो देश के अन्दर कोई सैकिंड रेट सिटीजन नहीं है। जितना कारखाने वाले को हक है, उतना ही आज खेती करने वाले को भी है। अगर, सरकार कारखानेदार से रेंट नहीं ले सकती है तो काश्तकार से भी कोई रेंट नहीं लिया जा सकता। तो, मानना होगा कि लैंड रेवेन्यू एक टैक्स है।

मुझे खुशी है कि इसके अन्दर एक सैक्शन रखा गया है, जिसके मुताबिक अन्दाजा लगाया जायेगा कि खेत की आमदनी से कितना मुनाफा होता है? मैं जानता हूँ कि मुनाफा कितना होता है? इस सिलसिले में अगर, मंत्री महोदय जानना चाहें तो इसके लिये पंजाब में एक तरीका कायम है सर्वे का। जहां तक खेती का और खेती की पैदावार का ताल्लुक है, पंजाब देश में बहुत आगे बढ़ी हुई स्टेट है। वहां के एकानिमिस्ट्स की रिपोर्ट है कि खेती की आमदनी में कितना मुनाफा होता है। मुझे खुशी है कि उन्होंने जिक्र तो किया कि वह अन्दाजा लगायेंगे कि किसान को खेत से कितना मुनाफा होता है? मेरी समझ में तो इसमें यह लिखा होना चाहिये था कि इसका अन्दाजा लगाया जाये कि किसान को खेती में कितना घाटा होता है। मेरे नुक्ते निगाह

से आपको उसकी खेती में कोई मुनाफा नहीं मिलेगा। अगर, आप जांच करेंगे तो आपको पता लगेगा कि उसको कितना घाटा होता है और किस तरह से पेटर पर पट्टी बांध कर काश्तकार आपको टैक्स अदा करता है। खैर, उस अफसर की रिपोर्ट के बाद या उस अफसर की जानकारी के बाद उनको ज्ञान हो जायेगा कि किसान को कितना मुनाफा या घाटा होता है। हालांकि, वह ज्ञान आज भी आपको पंजाब के या दूसरी स्टैट्स के इकानिमिस्ट्स से मिल सकता है।

मैं यह अर्ज कर रहा था कि एक तरफ तो हम कानून बनाते हैं कि 3600 की आमदनी तक कोई टैक्स नहीं लिया जा सकता और दूसरी तरफ यह कानून बनाते है कि चाहे किसी को आमदनी है या नहीं, चाहे उसको घाटा ही होता है, चाहे उसे अपने पेट पर पट्टी क्यों न बांधनी पड़ती हो, चाहे हम उसकी सुरक्षा के लिये कोई पैसा खर्च न करते हों। लेकिन, उसको मालिया देना होगा। यह दृष्टिकोण पुराने रजवाड़ेशाही का सा है। किसी डिमाक्रेटिक राज का यह दृष्टिकोण नहीं हो सकता। मुझे दु:ख है कि आज सन 1960 में इस तरह का कानून इस सदन में पेश हो जिसमें रजवाड़ेशाही दृष्टिकोण है, इसको पास करना सदन के लिये कोई इज्जत की बात नहीं होगी। अभी तो हमें इसके बारे में विचार करना है। इसलिये, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बिल में लेंड रेवेन्यू के बारे में जो सेक्शन हैं, जैसे सैक्शन 16, 17, 18, 19, 25, 30, 32, 37, 38 उनके बारे में हमें बहुत गम्भीरता से विचार करना होगा। आज के हालात के मुताबिक विचार करना होगा।

एक जमाना था जब देश की सरकारों की तकरीबन तमाम की तमाम आमदनी लैंड रेवेन्यू के जरिये होती थी। उस वक्त की सरकारों के सामने सवाल रहता था कि उनको सरकार का काम चलाना है, खर्चा चलाना है। इसके लिये उनको आमदनी चाहिये। उस वक्त राज्य की आमदनी का 70 या 80 फीसदी लेंड रेवेन्यू से होता था। उस वक्त अगर, कोई यह बात करता कि लेंड रेवेन्यू का सिस्टम इनकम टैक्स के सिस्टम के मुताबिक होना चाहिये तो इकानोमिस्ट कहते या एडमिनिस्ट्रेटर कहते कि यह किस जमाने की बात कहता है। लेकिन, आज तो जमाना बदल गया है। चाहे आप स्टेटों की आमदनी लें या सेंटर की आमदनी लें, आप देखेंगे कि उनकी आमदनी का मुश्किल से 7 या 8 परसेंट की आमदनी में बड़े-बड़े जागीरदार भी शामिल हैं, जिनमे ऊपर आप सीलिंग लगा रहे हैं, और जिनकी जमीनें छीन कर आप कुछ भाईयों को देना चाहते हैं। आज आपका ख्याल है कि उनकी जमीन लेकर उन लोगों को दी जाए जिनके पास कोई आमदनी नहीं है। यही आज समाज का भी

ख्याल है। लेकिन, हम जिन आदमियों की जमीन लें उसको उनकी वह कीमत मिलनी चाहिये जो उनको बाजार में मिल सकती है। लेकिन, यहां बाजार की कीमत से कोई वास्ता नहीं रखा गया है। इन लोगों पर जो टैक्स का तरीका आप देख रहे हैं, वह भी उस तरीके के मुकाबले बहुत सख्त है जो आपने देश में बड़ी-बड़ी आमदनी वालों के लिये रखा है। मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में गम्भीरता से विचार करें। मेरी साफ राय है कि आज यह मुश्किल नहीं है कि हम देश को एडमिनिस्ट्रेटली रास्ता दिखायें। आंध्र की सरकार ने कोशिश की थी हिन्दुस्तान के दूसरे प्रदेशों को नया रास्ता दिखाने की। उन्होंने रखा था कि जिनके पास दस एकड़ तक की मिल्कियत की जमीन है उन काश्तकारों को लैंड रेवेन्यू कोई न हो। इसी तरह से पंजाब की असेम्बली ने एक प्रस्ताव पास किया था कि पांच एकड़ से कम की मिल्कियत वाले जोसान हैं उन पर कोई लैंड रेवेन्यू न हो। लेकिन, वह ऐसा नहीं कर सके। हमारे बड़े-बड़े समझदार साथी प्लानिंग कमीशन में हैं और प्लानिंग कमीशन आज हिन्दुस्तान के राज्यों की सरकारों को रास्ता दिखाता है। लेकिन, इन दो सरकारों की राय उनकी समझ में सही नहीं थी। उनको मजबूर किया गया और वह अपनी राय पर नहीं चल सके। मैं चाहता था कि आज आपको मौका मिला है। आप मजबूत हैं। प्लानिंग कमीशन को आपने बनाया है। आप आज देश को रास्ता दिखाते और प्लानिंग कमीशन भी आपकी राय को शायद मानता। आपको यह रखना चाहिये था कि जो पांच या दस एकड़ से कम मिल्कियत के काश्तकार हैं, उन पर लैंड रेवेन्यू नहीं होना चाहिए। पंजाब में तो यह है कि जिसके पास जमीन नहीं है, उससे आप लैंड रेवेन्यू नहीं ले सकते। लेकिन, मणिपुर में तो आप यह रख रहे हैं कि चाहे उसके पास जमीन हो या न हो, चाहे दरिया उसकी जमीन बहा ले जाए। लेकिन, फिर भी उसको लैंड रेवेन्यू देना होगा। मैं चाहता हूँ कि इस सेक्शन को तो एक दम ही हटा देना चाहिए। उसको तो किसी तरह नहीं रखना चाहिए। मंत्री महोदय कह सकते हैं कि हमने दूसरी तरफ यह भी रखा है कि दरिया अगर, कहीं नयी नयी जमीन बनाता है और अगर, वह जमीन एक एकड़ से कम है तो उस पर लैंड रेवेन्यू नहीं लगेगा। लेकिन, मैं यह कहना चाहता हूँ कि एक तरफ तो आप माफ कर रहे हैं। लेकिन, दूसरी तरफ उसको मजबूर कर रहे हैं, जिसकी जमीन वह गयी है। यह तो ठीक नहीं है। एक को रियायत दें और दूसरे को कैद में डाल दें, यह ठीक कानून नहीं है। मैं कहता हूँ कि इस तरह से सोचना पुराने तरीके से सोचना है। यह तरीका मेरी समझ में नहीं आता है।

जहां तक सीलिंग का सवाल है, जैसा श्रीधन गुप्त जी ने कहा है, मणिपुर में

जमीन के हालात और प्रदेशों से मुख्तलिफ हैं। इसीलिए, प्लानिंग कमीशन ने भी माना है कि हर स्टेट के हालात को देखते हुए वहां के लिए कायदा कानून बनाया जाए। मंत्री महोदय ने अभी बताया कि इसीलिए दिल्ली स्टेट में भी, जहां की जमीलन की कीमत एक लाख रूपये एकड़ तक है। जो जमीन कभी सरकार ने मेरे जैसे काश्तकारों से सौ दो सौ रूपए एकड़ के हिसाब से ली होगी, उसको वह एक लाख रूपए एकड़ पर बेचती है--जमीन की हद तीस एकड़ रखी गई है। मणिपुर में हम 25 एकड़ रख रहे हैं। इसलिए, कि वहां के हालात मुख्तलिफ हैं, दिल्ली के मुकाबले में। अभी माननीय सदस्य ने वहां के हालात का जिक्र किया और वहां के प्रिंस का भी जिक्र किया। वह खुद मानते हैं कि वह प्रिंस वहां के हालात को जानता था और उसने सही काम किया। लेकिन, चूंकि वह काम प्रिंस ने किया। इसलिए, वह काम उलट कर दें, यह समझ की बात नहीं है। इसलिए, मैं समझता हूँ कि जमीन पर यह जो सीलिंग लगाया जा रहा है, वह सही है।

हमारे वित्तमंत्री महोदय बैठे हैं। अभी तक हम टैक्सेशन की जो बात करते थे, उसका वित्त मंत्रालय से ही ताल्लुक रहता था। लेकिन, आज इस सदन को मौका मिला है कि वह लैंड के बारे में टैक्सेशन की पालिसी पर लैंड रेवेन्यू की पालिसी पर गौर कर सके। अगर, सरकार यह व्यवस्था कर दे कि कोड़ी-कोड़ी पर टैक्स लगेगा और किसी को 3600 रूपए की माफी नहीं होगी तो मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। लेकिन, अगर दो फीसदी खुश किस्मत लोगों को माफी देनी है, तो फिर हम बदकिस्मत लोगों पर भी रहम कीजिए। हमारे लिए भी 3600 रूपए की माफी दीजिए।

द्वितीय लोकसभा

मंगलवार, 2 अगस्त, 1960*

मणिपुर भूमि राजस्व और भूमि सुधार विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह : सभापति महोदय, जैसा मैंने प्रश्न किया था और कहा था कि क्लाज 18 को कुछ बदलने की आवश्यकता है, उसके लिये मैंने अमेंडमेंट तो नहीं भेजा और इसके लिये मैं ही कुसूरवार हूँ। लेकिन, मैं मंत्री महोदय को ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि क्लॉज 18 का जो यह हिस्सा है :

"if any portion thereon thereof not being less than one acre in extent."

इसको हटा दिया जाये तो यह क्लाज सही क्लाज हो जायेगा। असल बात यह है कि अगर, हम इसको रखें तो इसके माने यह होंगे कि लोगों के साथ अन्याय होगा। फर्ज कीजिये मेरे पास 5 एकड़ जमीन थी और 5 एकड़ पर सरकार ने मालिया बांधा। उसकी मैं काश्त करता था और उसका मालिया देता था। बाद में मेरी बदकिस्मती से नदी आई और उसे उठा ले गई।

Mr. Chairman : If one decimal is lost by diversion, then what happens?

चौधरी रणबीर सिंह : वह मैं अर्ज कर रहा हूँ। अगर, आप .1 भी मान लें तो भी इसके माने हैं कि जो जमीन मैं काश्त नहीं कर रहा हूँ, जो सैक्शन 11 के मुताबिक सरकार की हो गई, भले ही यह .1 हो। लेकिन, मैं उस पर सरकार को मालिया दे रहा हूँ। 11 क्लॉज के तहत वह सरकारी जमीन बन जाती है जो दरिया के

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 2 अगस्त, 1960, पृष्ठ 481-484*

नीचे आ गई और सरकार उसका मालिया पा रही है। ऐसी हालत में, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसा आपने कहा, आज भी पंजाब के अन्दर 1/10 हिस्सा भी फसल खराब हो जाये तो पटवारी की उसमें जिम्मेदारी है कि वह उसकी रिपोर्ट करे। उसके लिये मुझे माफी मिल सकती है। यहां तो मेरे पास जमीन भी नहीं रही। यह .1 हो या 4/5 एकड़ तक यह जमीन हो, अगर, वह काश्त नहीं करता तो भी मालिया देना होगा। मैं यह मानता हूँ कि जो कानून हम आज बना रहे हैं, वह पंजाब के मुकाबले बहुत पिछड़ा हुआ है। पंजाब में एक कानून आज से 20 साल पहले बना था, जिसके तहत हम आज तक चलते थे। अगर, आज उसके मुकाबले भी पिछड़ा हुआ कानून सदन बनाये तो यह सही नहीं होगा।

इसलिये, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आपका रिकार्ड़ जो हर फसल का होगा उसमें जहां सब कुछ दर्ज होगा, वहां यह भी दर्ज हो कि जितना हिस्सा जमीन का दरिया के नीचे आ गया उसका जो माल होता है, वह इसी फसल में माफ न हो, बल्कि जब तक जमीन वापस न आये, उस वक्त तक के लिये माफ हो जाये। मैं दूसरे स्टेट्स के बारे में भी जानता हूँ। सभापति महोदय, आपकी स्टेट के अन्दर अगर, मेरे पास एक एकड़ का कितना ही हिस्सा हो, अगर, मैं उस पर काश्त नहीं करता तो सिर्फ इसलिये, कि वह जमीन किसी की मिल्कियत है, मुझे उस पर माल नहीं देना होता। जब दूसरे स्टेट्स के अन्दर ऐसा हो और यह सदन कानून बनाये तो उसके लिये समाजवादी ढ़ांचा रख कर बनाये, जैसा कि हम दावा करते हैं कि हम देश में समाजवादी ढ़ांचा बनाना चाहते हैं, यह ठीक नहीं होगा। जैसा मंत्री महोदय ने कहा, उनके ख्यालके बमूजिब शायद इनकम टैक्स को बेसिस लेना सही नहीं होगा। क्योंकि, वह 5 करोड़ रूपये खर्च के लिये दे रहे हैं। मैं कहता हूँ कि जब आप 5 करोड़ रूपये दे रहे हैं तो अगर, आप यह 2 रूपये और माफ कर दें तो आपका घाटा है? कर की दर का लेखा लगाते हुए अगर, आप 2 रूपये भी माफ न करें तो मैं कैसे आपको दातार साहब समझूं?

मैं दावे से कह सकता हूँ कि वहां का जो ऐडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम है वह इतना टापहेवी है जैसा किसी दूसरी स्टेट का नहीं है। इसके लिये कुछ देखने की जरूरत है। उनके ऊपर जब आप इतना लगा रहे हैं तो मेरे लिये भी दातार साहब 2 रूपये देना चाहें तो इसमें आपका कोई ज्यादा घाटा नहीं है। जैसा उन्होंने कहा, अगर, वह माल के हिसाब से लें तो बहुत थोड़ा रूपया उनके पास आता है। 5 करोड़, 35 लाख में से 35 लाख रूपये टैक्स के जरिये आया। अगर, 5 लाख रूपये माफ कर

दिया जायेगा तो क्या इस देश के लिये यह कोई बहुत बड़ी बात हो जायेगी? जहां आप 5 करोड़ रूपये देते हैं, वहां 5 करोड़ 5 लाख सही। आपके यहां 5 लाख का तो खाता भी नहीं। जहां पर 50 लाख से कम का खाता न हो वहां अगर, आप 5 लाख रूपये माफ कर दें और 2 रूपये माफ करने पर सहमत हो जायें तो क्या यह बहुत बड़े घाटे की बात है? मैं समझता हूँ कि मंत्री महोदय को इस पर विचार करने की जरूरत है।

द्वितीय लोकसभा

मंगलवार, 2 अगस्त, 1960*

त्रिपुरा भूमि राजस्व और भूमि सुधार विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह (रोहतक) : सभापति महोदय, मुझे खुशी है कि तेरह साल के बाद मंत्रालय ने उन काश्तकारों की तरफ ध्यान दिया है, जो जागीरदारों और इनामदारों के नीचे दबे हुए थे और जिनकीस्मत को ठीक करने के लिए इस देश के दूसरे हिस्सों में काफी साल पहले ही कायदे कानून बन चुके थे। यह मंत्रालय सीलिंग के बारे में देश के सामने माडल कानून रखना चाहता है। पर वह एक पिछलग्गू की तरह से उन बेकस आदमियों की मदद के लिए इस कानून के मसौदे को लाया है। अगर, काम अच्छा हो, तो वह देर से ही क्यों न हो, उसकी तारीफ करनी चाहिए। इसलिए मैं इसकी तारीफ किए बगैर नीं रह सकता।

तीन किस्म के इंसान हैं, जिनका जमीन से रिश्ता है। एक तो वे, जो खुद खेती करते हैं और खुद मालिक हैं। उनके पास थोड़ी जमीन हो सकती है, या ज्यादा जमीन हो सकती है। सीलिंग के कानून से उन पर असर पड़ेगा। दूसरे वे हैं, जिनके पास जागीरदारी/इनामदारी थी। उनका जमीन से कोई वास्ता नहीं था। कुछ गरीब आदमी उनकी खेती करते थे। इस कानून का उन पर असर होगा। उन पर कुछ पाबन्दी होगी। उनसे जमीन का अख्तियार कुछ लिया जायेगा। दूसरी तरफ जो खेती करते थे उनको अखितयार व ऊंचा दर्जा दिया जाये। लेकिन, इसमें जो भाई जमीन से सिर्फ जागीरदार और जमींदार का रिश्ता रखते थे, उनके साथ कुछ रियायत की गई है। आपको मालूम है कि आज से कई साल पहले उत्तर प्रदेश में जागीरदारी और जमींदारी को खत्म करने के लिए एक कानून बना। उसमें सिर्फ यहां तक रियायत थी

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 2 अगस्त, 1960, पृष्ठ 493-497*

कि जो जमीन बंजर थी, उनका उनको अख्तियार रह गया। लेकिन, जो जमीन चलती थी, उसमें जो खेती करता था, उसको हक मिल गया। वह उसका मालिक तसब्बुर कर लिया गया। उसको भूमिधारी का हक मिल गया। लेकिन, हम उन सबको भूमिधारी का हक नहीं दे रहे हैं, बल्कि उसके मुकाबले में, जिन जागीरदारों जमींदारों और इनामदारों को आज से छ : सात साल पहले पन्त जी ने उत्तर प्रदेश में कोई अधिकार नहीं दिया था, आज हमारा गृह मंत्रालय उनको भी अख्तियार दे रहा है। अगर, वे खेती करना चाहें, तो वे कर सकते हैं। उन पर भी रहम की दृष्टि हुई। मेरा नम्र निवेदन यह है कि जिनके बाप दादाओं के पास जमीन रही, जिनको मौका मिला, जिनके पास राज का साथ रहा, जब वे उस वक्त खेती नहीं कर सके, तो आज क्या करेंगे? जिनके साथ न लोगों की हमदर्दी है और न सरकार की--सिर्फ चन्द अफसरों की हमदर्दी हो सकती है।--आज वे काश्तकार नहीं हो सकते हैं। अगर, सरकार उनको काश्तकार बनाना चाहती है, तो वे पांच दस एकड़ के काश्तकार नहीं बन सकते हैं। जैसा श्री सिंहासन सिंह ने कहा है, वे बिड़ला और टाटा की तरह जमीन के ऊपर भी कैपिटल की मदद से खेती करना चाहें, तो वे शायद कर सकें। उसके लिए उनको बड़ी-बड़ी जागीरदारी और जमींदारी चाहिए। अगर, सरकार की मंशा है कि ऐसे बड़े-बड़े जागीरदार पैदा करे, तो यह जो सिलसिला रखा गया है, वह ठीक है। मुझे ताज्जुब है कि एक तरफ दिल्ली में एक तारीख रखी गई और प्रतीत होता है कि यह मान लिया है कि उससे पहले बोया हुआ आम का फल मीठा होगा। अगर, उसके बाद बोया जायेगा, तो वह खारी होगा। इसलिए, आम लगाने के लिए, उस बाग के लगाने के लिए, उस तारीख के बाद कोई रियायत नहीं होगी। मैं इस बिल को पूरे तौर पर नहीं पढ़ सका। आप जानते हैं कि मंत्री महोदय की अमेंडमेंट आज आई, पहले सर्कुलेट नहीं हुई। इस सदन के बहुत से सदस्य समझते थे कि यह बिल कल आयेगा और वे रात को इस बिल को पढ़ते। मैं समझता हूँ कि उन्होंने इस सदन में यह ख्याल रखा है कि अगर, कोई चाय या कॉफी का फार्म बनाना चाहेंगे, तो उनको एक्जेम्पशन मिलेगी। लेकिन, दिल्ली में आम के बगीचे का कोई एग्जेम्प्शन नहीं रखा गया है। शायद वह समझते हैं कि दिल्ली में आम तो खारी पैदा होगा और त्रिपुरा में चाय और कॉफी बहुत बढ़िया होगी। शायद वह समझते हैं कि देश में आम बहुत ज्यादा पैदा होता है और चायऔर कॉफी की कमी है।

चूंकि बदकिस्मती से मेरा जन्म देहात में हुआ और एक खेती करने वाले के घर में हुआ। इसलिए, मुझे एक फर्क देख कर बड़ा दु:ख होता है। इसको मंत्री

महोदय ने एक मामूली ही बात कहकर टाल दिया कि यह बहुत बड़ा मामला है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि एक गरीब किसान, जो एक दो पांच एकड़ खेती कराता है, जिसकी आमदनी 3600 रूपये नहीं है, उसका फैसला करने के लिए एक कांफ्रेस मुझे बुलानी है, प्लानिंग कमीशन ने बुलानी है या मंत्रालय ने बुलानी है। मैं समझता हूँ कि इस मसले की अहमियत केन्द्रीय सरकार को उस वक्त मान लेनी चाहिए थी, जब हिन्दुस्तान के दो सूबों की असैम्बिलियों ने इस बारे में प्रस्ताव पास किए। आन्ध्र असैम्बली ने यह प्रस्ताव पास किया कि दस एकड़ जमीन पर खेती करने वाले पर कोई लैंड रैवन्यू नहीं लगाया जाना चाहिए। पंजाब असैम्बली ने यह कहा कि पांच एकड़ पर खेती करने वाले पर लैंड रेवन्यू नहीं लेना चाहिए। अगर, केन्द्रीय सरकार और प्लांनिग कमीशन को पहले सूझ नहीं आई थी, तो इस तरह दो बार हैम्मर किए जाने पर उनकी नींद खुलनी चाहिए थी। उनको प्रदेश सरकारों के रेवन्यू मिनिस्टर्ज की कांफ्रेस बुलानी चाहिए थी। उस मसले पर गोर करना चाहिए था। आज मंत्री महोदय ने कहा कि यह बहुत बड़ा मसला है, इस पर फिर गौर करेंगे। उस कांफ्रेस को डांगे साहब बुलायेंगे या दातार साहब बुलायेंगे? अगर, दातार साहब या प्लांनिंग कमीशन को बुलानी थी, तो आज तक क्यों नहीं बुलाई गई? मुझे दु:ख इस बात का है कि चाहे मिल्कियत या आमदनी का सवाल है, चाहे टैक्सेशन का सवाल है, इस देश के दो सैक्टर हैं--एक एग्रीकल्चरल सैक्टर और एक इंडस्ट्रियल सैक्टर। इंडस्ट्रियल सैक्टर की आमदनी पर टैक्स लगाने का तरीका मुख्तलिफ है। ये दो किस्म की बातें कब तक इस देश में चलेंगी? हां, चल सकती थीं, अगर, हमको राय का अधिकार न होता। जिस वक्त देश का संविधान बना, उस वक्त बहुत से भाईयों ने यह कहा कि ये देहात के आदमी पढ़े-लिखे नहीं हैं। इसलिए, इनके हाथ में राय का हक दे देना देश के मुफाद के खिलाफ है। अगर, सरकार इस ढ़ंग से चलना चाहती थी, तो वह उस वक्त ही यह व्यवस्था कर देती।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य कितना समय और लेना चाहेंगे?

चौधरी रणबीर सिंह : चार-पांच मिनट।

सभापति महोदय : तब वह खत्म कर लें।

चौधरी रणबीर सिंह : दस मिनट भी हो सकते हैं।

सभापति महोदय : तब कल जारी रखें।

द्वितीय लोकसभा

बुधवार, 3 अगस्त, 1960*

त्रिपुरा भूमि राजस्व और भूमि सुधार विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह (रोहतक) : अध्यक्ष महोदय, त्रिपुरा का एक बहुत छोटा सा इलाका है जिसके कोई 3626 के करीब छोटे-छोटे गाँव हैं। वहां पर कोई 26 लाख एकड़ के करीब भूमि है। उसमें से मुश्किल से तीन लाख 90 हजार एकड़ भूमि के अन्दर चावल पैदा होता है। वैसे तो एक छोटा इलाका होने के नाते इस सदन का उसके लिये बहुत ज्यादा समय लेना सही नहीं है। लेकिन, इसमें कई एक नीति के सवाल पैदा होते हैं। जहां तक लैंड रैवेन्यू का वास्ता है, इस सदन में कई दफा आम तौर पर कोई आदमी कोई राय नहीं रख सकता, क्योंकि, यहां पर कर की नीति दूसरे सेक्टर पर आधारित है। उसका वास्ता तनख्वाह पाने वालों से रहता है या उनसे रहता है जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में पैदावार करते हैं।

इस सिलसिले कल मैं कह रहा था कि जो सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड एरियाज हैं, उनके ऊपर जो खर्च होता है वह आम इलाकों के मुकाबले में बहुत ज्यादा होता है। अगर, मेरे आंकड़े सही नहीं हैं तो मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय उनको सही कर दें। मुझे पता लगा है कि वहां पर सर्वे हो रहा है जो सन 1964 तक खत्म हो जायेगा। वहां पर इस सर्वे में ही एक करोड़ 33 लाख रूपया खर्च होगा। इस छोटे से इलाके के सर्वे पर इतना खर्च होगा। मेरा दावा है कि और राज्यों में तो कंसालीडेशन के ऊपर भी इतना खर्चा नहीं आता है।

इसके साथ-साथ वहां पर जो बिचौलिये, जमींदार, ईमानदार, या जागीरदार,

---

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 3 अगस्त, 1960, पृष्ठ 640-647*

खत्म किये जा रहे हैं, उनको जो मुआवजा दिया जायेगा वह एक करोड़ 18 लाख के करीब होगा। वह भी खासा बड़ा मुआवजा है। इस प्रदेश के लिए जो नीति अपनाई जा रही है उसका पता नहीं क्या कारण है? उत्तर प्रदेश में जो नीति अपनाई गई थी उससे यहां भेद किया गया है। उत्तर प्रदेश में अगर, किसी जागीरदार या जमींदार की जमीन पर कोई दूसरा काश्त करता था तो उस काश्त करने वाले को भूमिधरी का हक दे दिया गया था और उनके लिये कोई जमीन रिज्यूम करने का अधिकार नहीं रखा गया था। लेकिन, इस कानून के तहत--गौर करिये यह बहुत देर बाद आया है--उत्तर प्रदेश से कुछ उलटा तरीका रखा गया है। सरकार अब उन जागीरदारों या जमींदारों पर कुछ मेहरबान हो गयी है और उनको हक देना चाहती है कि अगर, वह खुद काश्त करना चाहें तो उनको जमीन दी जायेगी। हालांकि, इतने सालों से उनके पास जमीन थी और उन्होंने खुद काश्त नहीं की। मुझे मालूम नहीं कि क्यों इस मंत्रालय को ऐसा खयाल है कि अब वह खुद खेती करने लगेंगे?

जहां तक सीलिंग का वास्ता है, इसमें कुछ भाईयों के खयाल के बमूजिब, और हमारे में से बहुत ज्यादा भाईयों के खयाल के मुताबिक शायद सीलिंग लगाना देश के अन्दर जरूरी था, खास तौर से जमीन के ऊपर। यद्यपि हमारे साथियों में से बहुत यह सोचते हैं कि प्लानिंग कमीशन के जो अधिकारी साढ़े तीन और चार हजार तनख्वाह पा रहे हैं उनके ऊपर भी सीलिंग लगनी चाहिये थी। इसी तरह से इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी जिनकी लाखों और करोड़ों रूपये के सालाना आमदनी है, उनके ऊपर भी कोई सीलिंग लगनी चाहिये थी। इस भेद को जो सीलिंग के सिलसिले हैं, जो जमीन और कारखानों और तनख्वाहों के बारे में किया जाता है, उसको तो शायद कोई बरदाश्त कर भी ले। लेकिन, देश के अन्दर कर नीति के भेद को बरदाश्त नहीं किया जा सकता, खासकर जब देश में हर एक को हमारा संविधान, जिसको कांग्रेस पार्टी ने और हमारे प्रधानमंत्री ने बनाया था, बराबर की राय का हक देता है।

इस बात की तरफ देश का ध्यान दिलाया था आंध्र प्रदेश की असेम्बली ने। वहां एक प्रस्ताव पास किया गया था कि दस एकड़ से कम भूमि का जो मालिक है, उससे कोई लेंड रेवेन्यू न लिया जाये। इसी तरह से पंजाब असेम्बली ने भी एक प्रस्ताव पास किया था कि पांच एकड़ से जिसके पास कम भूमि हो उसके ऊपर लैंड लेवन्यू न हो।

श्री त्यागी (देहरादून) : उनकी जमीन वापिस ले लेनी चाहिये।

चौधरी रणबीर सिंह : त्यागी जी कहते हैं कि उनकी जमीन वापस ले ली जाये। मैं पूछता हूँ कि आप और मैं जो सदस्य हैं इस सदन के, हमारी 3600 की आमदनी पर कोई कर नहीं लग सकता, तो हमारी तनख्वाह भी क्यों न वापस ले ली जाये ? यह तो सवाल है नीति का। हमारे देश ने एक नीति निर्धारित की है कि 3600 तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं होगा। लेकिन, दु:ख की बात है कि यहां पर भी काश्तकार के साथ भेदभाव की नीति पर चला जा रहा है। मुझे उम्मीद थी कि त्रिपुरा का बिल और जो दूसरे बिल लैंड रेवन्यू के बारे में आये हैं, उनमें हिन्दुस्तान की सरकार दूसरी सरकारों को रास्ता दिखायेगी। आन्ध्र और पंजाब की सरकारें अपनी नीति पर नहीं चल सकीं। क्योंकि, प्लानिंग कमीशन के मुकाबले में वे बहुत छोटी चीज हैं। लेकिन, केन्द्रीय सरकार तो प्लानिंग कमीशन को बनाती है, इसलिये, मुझे उम्मीद थी कि केन्द्रीय सरकार इस मामले में देश को रास्ता दिखायेगी और दूसरी राज्यों के लिए आसानी पैदा करेगी।

इस सिलसिले में मैं कुछ आंकड़े रखना चाहता हूँ। टैक्सेशन एन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के वाल्यूम तीन के पेज 216 पर एक खाता पेश किया गया है, जिसमें बताया गया है कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के आमदनी में लैंड रेवेन्यू का क्या औसत था ? उसमें बतलाया गया है कि सन 1953-54 में भूमि कर से जो आमदनी होती थी उसका केन्द्र की ओर राज्य सरकारों की टोटल आमदनी में 69 परसेंट का औसत था। सन 1939-40 में यह ज्यादा से ज्यादा गया जब यह 70.6 फीसदी हो गयी। लेकिन, 1938-39 में यह 61.1 फीसदी था। यह केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार की तमाम आमदनी में हिसाब लगाया गया था। अगर, आप यह देखना चहों कि राज्य सरकार की तमाम आमदनी के अन्दर लैंड रेवेन्यू का क्या हिस्सा था तो आपको उसके आंकड़े पेज 227 पर मिलेंगे। उनमें दिया गया है कि सन 1922 में तमाम राज्य सरकारों को आमदनी में भूमि कर का औसत था 56-8, जो सन 1947 में 23-7 फीसदी हो गया, पर न मालूम किस वजह से सन 1954 में वह 26-6 फीसदी हो गया।

इसी तरह से जो हमारे देश में फाइनेंस कमीशन बने हैं, उन्होंने भी इसका अन्दाजा लगाया है। 1952 के फाईनेंस कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक केन्द्रीय और राज्य सरकारों की जो आमदनी थी, उसके अन्दर भूमि कर का हिस्सा सन 1937-38 में 10-2 था और 1944-45 के अन्दर वह हिस्सा 5-9 है। सन 1946-47 में 5-5 फीसदी है, जो केन्द्रीय और राज्य सरकारों की आमदनी के अन्दर लैंड रेवेन्यू का

हिस्सा बनना है। इसी तरीके से आगे चल कर उसी रिपोर्ट के अन्दर जो सारी राज्य सरकारों को आमदनी है, उसके अन्दर हिस्सा जो दिखाया गया है, वह इस तरह से है। सन 1950-51 के अन्दर यह 13 फीसदी था और 1951-52 में यह 12-5 फीसदी था। 1952-53 के जो बजट एस्टिमेट्स हैं, उनके अन्दर यह 14-6 फीसदी था। इसके कुछ आंकड़े फाइनेंस कमिशन सन 1957 ने दिये हैं। उसमें 1955-56 के आंकड़ों के हिसाब से मुख्तलिफ रियासतों की और प्रदेशों की उन्होंने आमदनी दी है और उसका उनके लैंड रेवेन्यू से और भूमि कर से क्या औसत है, वह भी दिया है। आन्ध्र में तकरीबन वह सबसे ऊंचा तो नहीं। लेकिन, 1,2 को छोड़ कर बाकी सबसे ऊपर तीसरे नम्बर पर है। वह 21-9 फीसदी है। इसके बावजूद उसके मुकाबले में आसाम में जायें तो इसका औसत आसाम की एक स्टेट की आमदनी के मुकाबले में 9-3 फीसदी है। हैदराबाद में 19-2 फीसदी है। मध्य भारत में 25-4 फीसदी है। मध्य प्रदेश में 16 फीसदी है। बिहार में 14 फीसदी है। बम्बई के अन्दर 9-3 फीसदी है, मद्रास में 8-4, मैसूर में 9, उड़ीसा में 7-7, पैप्सू में 10-1, पंजाब में 7-5 और राजस्थान में 21-4 फीसदी है। उत्तर प्रदेश के अन्दर वह जरूर कुछ ज्यादा है। इसके अलावा जो आंकड़े हमें पंजाब सरकार के मिले, जो लेटस्ट हो सकते हैं, 1958-59 के आंकड़ों के हिसाब से हमारे स्टेट को जो कुल रेवेन्यू रैसीट्स थीं, वह 50 करोड़ और 21 लाख रूपये की थीं और उसमें से जो लैंड रेवेन्यू से भूमि कर से जो नैट आमदनी हुई जो नैट रैसीट्स मिलीं, वह 2-9 करोड़ की हैं और जो हमारी सारी आमदनी का पांच बटा सात फीसदी है। लेकिन, यह तो सारे भूमि कर का हिसाब है। पंजाब सरकार ने जो अन्दाजा लगाया था, उसके हिसाब से 36 या 40 करोड़ का कुल खस्सारा बनता था और उसके लिये उसने यह सिफारिश की थी कि हम इसको दूसरे तरीके से पूरा करेंगे। पता नहीं किस तरह से प्लानिंग कमिशन ने उन दोनों सरकारों की सिफारिशों को नहीं माना और उनको मजबूर किया कि यह जो पहली नीति है कि किसान का चाहे घाटा क्यों न हो उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा, माने। दूसरे भाई जो तनख्वाह लेते हैं या इंडस्ट्रीज से आमदनी कमाते हैं, चाहे वह कितना बड़े से बड़ा आदमी क्यों न हो, चाहे बिड़ला हो अथवा टाटा, उसकी 3600 रूपये की इनकम पर कोई टैक्स नहीं होगा।

इसके अलावा, मैं कुछ आंकड़े गवर्नमेंट की रिपोर्ट में से सदन के सामने पेश करना चाहता हूँ। पंजाब के अन्दर जो एक बोर्ड है उसने अपनी रिपोर्ट में 22 किसानों का खाता दिखाया है कि कितनी उनकीं आमदनी होती है। इसका उस रिपोर्ट

में अंदाज लगाया गया है। उसके अन्दर जो 22 कुनबे हैं। उनमें से ज्यादा से ज्यादा जिसके पास जमीन थी, वह 55 एकड़ जमीन थी, आज सीलिंग के तहत खत्म हो जायेगी। कम से कम जो जमीन थी वह 4-93 एकड़ थी। उस खाते से जो एवरेज आमदनी आई वह 1702 रूपये है। ज्यादा से ज्यादा जो आमदनी आई है, वह 2971 रूपये और 87 नये पैसे बनती है।

अध्यक्ष महोदय, इससे आप बखूबी अन्दाजा लगा सकते हैं कि किसानों की क्या हालत है और किन हालात में वे टैक्स देते हैं। उसकी खाते और दूसरे जरायों से होने वाली आमदनी भले ही 3600 रूपये कम से कम हो, वह सीलिंग वाला काश्तकार हो और चाहे उसके पास 55 एकड़ भी हो। मैं उसी पंजाब की बोर्ड ऑफ एकोनामिक एनक्वायरी की जो रिपोर्ट है, उसके बारे में कुछ आंकड़े देना चाहता हूँ। एक किसान को अगर, जिस तरीके से एक व्यापारी हिसाब लगाता है, अगर, वह हिसाब लगाया जाये तो फी एकड़ कितनी नेट इनकम होती है इसका अन्दाजा उन्होंने 32 रूपये के ऊपर दिया है। उन्होंने हर एक इलाके का अलग-अलग हिसाब लगाया है। पहाड़ी इलाके के बारे में लिखा है कि उन्हें फी एकड़ के ऊपर घाटा है। इस तरीके से जो पहाड़ से नीचे के इलाके हैं, उनमें 132 रूपये फी एकड़ के हिसाब से घाटा रहता है, अगर, बनिये वाला हिसाब लगाया जाये। जो सेंट्रल पंजाब है, उसके अन्दर 55 रूपया एकड़ घाटा रहता है.....

Mr. Speaker : How is all that relevant?

चौधरी रणबीर सिंह : मैं यह सिद्ध करना चाहता था कि जो लैंड रेवेन्यु इस कानून के द्वारा किसानों से लिया जायेगा, वह कितना गलत है और देश की कर नीति में कितना भेदभाव विद्यमान है। एक तरफ तो वे भाई हैं, जिनको जमीन पर काश्त करने से व्यापारी हिसाब की हैसियत से घाटा रहता है। लेकिन, इसके बावजूद भी उनके ऊपर कर लगाया जा रहा है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यह सदन जब कानून बनाता है तो जो आदमी तनख्वाह लेते हैं या इंडस्ट्रीज चलाते हैं और उससे आमदनी करते हैं उनको सरकार 3600 रूपये तक की होने वाली आमदनी पर टैक्स से छूट देती है। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि भेदभाव बरतने की नीति है यह ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं की जा सकेगी। मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय या तो अभी इस कानून में ही आवश्यक तबदीली करें और अगर, इसमें वह तबदीली नहीं कर सकते तो इस देश के तमाम प्रदेशों के रेवेन्यु मिनिस्टर्स की एक कान्फ्रेस बुलायें। वहां इस कर निर्धारण नीति के बारे में कोई उचित फैसला कर लें। अभी

कल जब मनीपुर बिल के ऊपर बहस हो रही थी तो उसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि यह तो बहुत बड़ा सवाल है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि बड़े सवाल को हल करना केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है। यह कोई अपोजीशन के मेम्बर्स की या काग्रेस पार्टी के मेम्बर की जिम्मेदारी नहीं हो सकती है। हम या अपोजीशन का कोई साथी अपनी तौर पर कानून को बदल नहीं सकता है। उचित यह था कि अब से पहले उनको इस लैंड रेवेन्यु के बारे में क्या सिस्टम और पालिसी रखी जाये इस सवाल को हल करने के लिये एक कांफ्रेस बुलानी चाहिए थी। जहां तक सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड एरियाज का ताल्लुक है उनके लिये तो सीधी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय पर ही है। इस पर विचार करना चाहिये था कि उसके बारे में क्या सिद्धान्त निश्चित किये जायें। खास तौर पर जब हम एक कानून बनाने जा रहे हैं तो हमें इसके लिये विशेष सावधानी बर्तनी चाहिए थी। इस किस्म की एक काफ्रेंस पहले होनी चाहिए थी। अगर, ऐसी कांफ्रेस पहले नहीं हुई और उस कांफ्रेंस के बगैर मंत्री महोदय इस बिल के अन्दर कोई फर्क नहीं डाल सकते हैं तो मैं कहूंगा कि मंत्री महोदय तमाम राज्यों के रेवेन्यू मिनिस्टर्स की एक कांफ्रेंस बुलायें ताकि हिन्दुस्तान के किसानों के साथ न्याय का सलूक हो और आज जो कर नीति के सम्बन्ध में भेदभाव बरता जाता है और किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, वह समाप्त हो।

द्वितीय लोकसभा

बुधवार, 3 अगस्त, 1960 *

मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह (रोहतक) : सभापति महोदय, मैं श्रम मंत्री महोदय को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मोटर कम्पनियों में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनका काम सुविधा से चले और मोटरों के मालिक उनको परेशान न कर सकें, उनके लिए हर पहलू को देखते हुए इस विधेयक के जरिए कानूनी व्यवस्था करने की कोशिश की है।

सभापति महोदय, मुझ इसमें एक बात की कमी लगी जिसका इसमें जिक्र नहीं है। आज हमारे देश का जो ढ़ांचा है उस ढ़ांचे को हम समाजवादी ढ़ांचे में ढ़ालना चाहते हैं तो जब तक कि वह कम्पनियां सरकारी नहीं बन जातीं तो उन कार्यकर्ताओं की कम्पनी बनाने की तरफ इस में कोई इशारा नहीं किया है। यह ठीक है कि शायद श्रम मंत्रालय का इससे सीधा सम्बन्ध न हो, लेकिन, इस विधेयक को बनाते हुए अगर, इसमें कहीं दर्ज किया जाता कि जिस तरीके से जमींदारी ली जाती है, सीलिंग लगाते हैं तो यहां पर भी जो कार्यकर्ता काम करते हैं दस से ज्यादा जिस कम्पनी में उस कम्पनी में उस कम्पनी के कार्यकर्ता अगर, कोआपरेटिव सोसाइटी का मेम्बर बनना कबूल करें तो उस कम्पनी को एक मुआवजे के साथ उन कार्यकर्ताओं को दे दिया जाये ताकि उसको सुचारू रूप से वह चालू रख सकें। फिर न चीफ इंस्पैक्टर की जरूरत रहने वाली है और न इंस्पेक्टर साहब की जरूरत रहेगी, क्योंकि, उस कम्पनी को वर्कर्स अपने लिए ही चलायेंगे। उस ऐस्पैक्ट का इसमें कहीं जिक्र नहीं है। यही नहीं आज हालत बड़ी अजीब है। बहुत सारे भाई हैं जो ड्राईवर्स भी हैं और

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 3 अगस्त, 1960, पृष्ठ 700-704*

वैसे कागज में शायद ट्रक्स के मालिक कुछ दूसरे भाई दिखाए हुए हैं, जिनके पास परमिट है। असल में वे मोटर ट्रक्स के मालिक भी हैं, रूपया भी उनका है, खुद ही ड्राइवर्स हैं। लेकिन, उनके पास परमिट नहीं है। परमिट किसी और के नाम है। वह 35 या 40,000 की गाड़ी भी मजबूरन उन्हीं के नाम करनी पड़ती है। मेरी समझ में यह एक समाजवादी ढ़ंग के सामाजिक ढ़ांचे में कुछ उचित नहीं जंचता है। क्योंकि, जहां हम वर्कर्स का हित देखते हैं और यह देखते हैं कि उनके साथ कैसा व्यवहार हो, तनख्वाह कैसी मिले, उनको छुट्टी मिले, उनके लिये कैंटीन की उत्तम व्यवस्था हो और उनके आराम करने के लिए रैस्ट रूम्स का समुचित प्रबन्ध हो, वहां हमें यह चीज भी देखनी चाहिए। लेकिन, उसका इसमें कोई जिक्र नहीं है। मुझे मालूम नहीं कि श्रम मंत्रालय के बिल में इसका कोई ढ़ंग से जिक्र आ सकता है या नहीं? मैं मानता हूँ कि श्रम मंत्रालय को जब श्रमिकों की भलाई के लिये उसे चलाना है तो कोई फंड ऐसा बनाना होगा जैसे मुजारों को आराम देने के लिए और जमीन देने के लिये पैसा रखते हैं। उसी तरह इस काम के लिये श्रम मंत्रालय के पास भी पैसा हो। इस कम्पनी को लेने और उसे मुआवजा देने में लाखों रूपये लोग सिर्फ परमिट के नाम पर कमाते हैं। मैं पूछता हूँ कि ऐसे लोगों को जिनके नाम परमिट है तो उन्हें यह कम्पनी बनाने का क्यों अधिकार हो जब वह कार्यकर्ता नहीं हैं। कार्यकर्ता आगे आने के लिये तैयार हैं। वे परमिट्स भी लें और उसमें इतना पैसा भी जुटायें। यह सरकार हर एक धंधे में छोटा बड़ा कारखाना लगाना चाहती है और सरकार कॉटेज इंडस्ट्रीज में कारखाने खोलने के लिये कहीं 50 फीसदी, 60 फीसदी तो कहीं 80 फीसदी तक पैसा देती है तो क्यों न उन गरीब आदमियों के लिये पैसा देकर कोई फंड हम बना दें ताकि उससे कार्यकर्ताओं को आराम मिले?

सभापति महोदय यह बात सही है कि बहुत सारी बातों की तकलीफ कानून बनाने से हट जाती है। लेकिन, अगर, खाली कानून बना देने से तकलीफ हटने वाली होती तो हमने इस देश के अन्दर पिछले 12, 13 साल में इतने कानून बना दिये हैं कि शायद यहां कोई दु:खी ही नहीं रहता। लेकिन, हालत यह है कि जब तक आर्थिक व्यवस्था ठीक न हो, कानून कैसा ही क्यों न हो, उसका फायदा श्रमिकों को या मालिकों को पहुंचता नहीं है।

आप जानते हैं कि इस बिल के अन्दर तीन किस्म के रूट्स का उन्होंने जिक्र किया है। एक सिटी रूट्स, दूसरे लम्बे रूट्स और तीसरे शौर्ट रूट्स। अब लम्बे रूट्स पर जो चलने वाले हैं, उनका मुकाबला रेलवे मंत्रालय से है, जो बहुत

मजबूत है। इसके अन्दर देश का बहुत अधिक रूपया लगा हुआ है। इसी लिये लम्बे रूट्स पर चलने वाले ड्राईवर्स को वहां लाइसेंस नहीं मिलेगा। क्योंकि, लम्बे रूट्स होने के कारण कई राज्य उसमें आ जाते हैं। हो सकता है कि एक स्टेट वाला दूसरी स्टेट वाले के ऊपर कोई टैक्सेशन लगा दे। भले ही अब तक ऐसा न हो। लेकिन, कोई स्टेट कह सकती है कि जिस ड्राईवर को हमने अपने यहां लाइसेंस नहीं दे रखा है वह जब तक इतनी फीस अदा न करे वह हमारी सीमा में ड्राइव नहीं कर सकता। इसी तरीके से कम्पनी के पास लम्बे रूट पर जाने के लिये परमिट नहीं है तो उससे श्रमिकों को फायदा नहीं पहुंच सकता है। वह फायदा तभी पहुंच सकता है, जब हम उन श्रमिकों को कम्पनी बनाने का मौका दें। श्रमिकों की ही कम्पनी हो और श्रमिकों को ही लेकर कोआपरेटिव सोसाइटी बना लें। रेलवे मंत्रालय के मुकाबले में खड़े होने का मौका हो। मैंने सुना है कि आज जो सामान बम्बई से दिल्ली आता है अगर, ईमानदारी से जैसे हिसाब पड़ता है उसके हिसाब से देखा जाये और जयादा किराया वह कम्पनी न ले तो मोटर ट्रक से सामान को यहां तक लाना कम खर्चीला है बनिस्बत रेलवेज के कम भाड़ा पड़ेगा। रेलवेज के मुकाबले में उसमें सुविधाएं भी बहुत सारी होती हैं और उसमें खर्चा भी कम होता है। हो सकता है कि आगे आने वाले जमाने में शायद रेलवेज उनके मुकाबले में न खड़ी हो सके। हो सकता है कि आगे आने वाले जमाने में इस देश में भी और देशों की तरह लम्बी सर्विसेज पैसेंजर्स के लिये चालू हो जायें जैसे अन्यत्र आदमी हजारों हजारों मील एक कम्पनी की बस में आते हैं और हो सकता है कि इस देश के अन्दर भी वैसी लम्बी सर्विसेज चालू हो जायें। जहां हमारी कोशिश है कि हम श्रमिकों के हित को सदा अपने सामने रखें और उनको आराम पहुंचायें, उसके साथ ही साथ हमें यह नहीं भूल जाना है कि हमारा जो रेलवे मंत्रालय है और जो ऐसी बड़ी बड़ी लम्बे रूट्स पर चलने वाली कम्पनियां हैं, यह बड़ी बड़ी कम्पनियां उनके रास्ते में तरह तरह से रोड़ा बनकर खड़ी होती हैं। हमें जैसे मैंने शुरू में कहा वह कम्पनीज श्रमिकों की कोआपरेटिव्ज हों और हमें ऐसी श्रमिकों की कम्पनीज और कोआपरेटिव्स को बढ़ावा देना चाहिये। शायद सही तौर पर और कानूनी तौर पर उनको फायदा न पहुंचा सकें। लेकिन, जैसे मैंने कहा अपने ढ़ंग से हम उनको जरूर फायदा पहुंचा सकते हैं।

द्वितीय लोकसभा

सोमवार, 14 नवम्बर, 1960 *

कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह (रोहतक) : सभापति महोदय, मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। मैं मानता हूँ कि गो श्रम मंत्रालय के लिये यह एक नया तुजुर्बा था। लेकिन, यह हकीकत है कि सन 1952 से उन्होंने देश के करीब 26 लाख मजदूरों को इस विधेयक के जरिये फायदा पहुंचाया है। यह इसके बावजूद है कि इस देश के अन्दर जो जत्थेबन्द मजदूर हैं तो इन मजदूरों की संख्या इस देश की आबादी के हिसाब से कोई बहुत ज्यादा नहीं। इस बात के भी बावजूद है कि यहां जत्थेबन्द मजदूर जो हैं वे कोई राजपाट के काम के अन्दर कोई बहुत ज्यादा दखल नहीं रखते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट देश हैं, अमरीका और अन्य देश, जहां मजदूरों की संख्या भी अधिक है और जहां मजदूर जत्थेबन्द भी हैं, उनकी एक शक्ति भी है। वहां अगर, कोई एक ऐसा कायदा-कानून बने और उसके अन्दर यह प्रगति रहे तो वह शायद सराहनीय न हो। लेकिन, जिस देश के अन्दर मजदूरों की संख्या भी थोड़ी हो, इसके बावजूद अगर, सरकार ने इस कानून को इतनी तेजी से आगे बढ़ाया और दस साल की अवधि में ही 50 से संख्या 20 तक घटा देना चाहते हैं तो यह दरअसल एक बड़ा सराहनीय काम है।

इसके अलावा सभापति महोदय, यहां कई माननीय सदस्यों ने इस बात के ऊपर ऐतराज किया कि जो नये संस्थान कोआरेटिव सैक्टर में हैं, उनको जो छूट दी गई है, यह छूट सही नहीं है। मैं समझता हूँ कि शायद वह किसी अपने ध्येय के जोश

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 14 नवम्बर, 1960, पृष्ठ 148-150*

में आकर ऐसी बात कहते हैं, वरना यह मानना होगा कि इस नीति के पीछे, इस ध्येय के पीछे एक ही नीति है कि कमजोर की मदद की जाये और जहां मजदूर कारखानेदार के मुकाबले में कमजोर हो, वहां उसकी सहायता कानून को करनी है और उसके हित को सेफगार्ड करना है।

इसके साथ साथ यह भी सही है कि बड़े कारखानेदार के मुकाबले में छोटे कारखानेदार बहुत कमजोर अवस्था में होते हैं। शुरू में ही जिन्होंने अपनी जिन्दगी शुरू की है वह तो बिलकुल बच्चे ही हैं। उनको सहारा देना बहुत ही सही नीति है।

इसके अलावा जहां तक कोआपरेटिव सैक्टर का वास्ता है कई भाईयों को गिला है कि पहले ही सैक्शन 16 के अन्दर यह दर्ज था और सरकार छूट दे सकती थी। लेकिन, आप जानते हैं कि जो कोआपरेटिव सैक्टर के अन्दर काम करते हैं उनको गिला रहता है कि जो अधिकारी वर्ग हैं वह उनके साथ पूरा इंसाफ नहीं करते हैं। कानून की और सरकार की जो मंशा उनको थोड़े बहुत बढ़ावा देने की है वह केवल कागज तक ही सीमित रह जाती है। उनको बराबर अधिकारियों से शिकायत बनी रहती है कि वे उनके साथ पूरा न्याय नहीं करते हैं। उनको कुछ न कुछ शिकायत बनी ही रहती है कि उनको प्राइवेट लिमिटेड कम्पनीज या पब्लिक लिमिटेड कम्पनीज के मुकाबले किसी कदर ज्यादा तकलीफों से गुजरना पड़ता है। इसलिये, मैं समझता हूँ कि सरकार ने सही तौर पर इस विधेयक के अन्दर जो कोआपरेटिव सैक्टर को छूट दी है, वह एक बहुत सही बात है। यह जो क्लाज है, उसको सदन को पास करना चाहिये।

द्वितीय लोकसभा

शुक्रवार, 18 नवम्बर, 1960 *

शिपिंग लक्ष्य प्रस्ताव

चौधरी रणबीर सिंह (रोहतक) : सभापति महोदय, मैं श्री रघुनाथ सिंह ने जो प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। उन्होंने जो प्रस्ताव सदन के सम्मुख रखा है, मैं मानता हूँ कि दोनों मंत्री महोदय उससे सहमत हैं। मैं समझता हूँ कि उनसे ज्यादा किसी दूसरे व्यक्ति की यह दिली ख्वाहिश नहीं हो सकती कि इस देश का जहाजरानी व्यवसाय तरक्की करे और देश में जहाजों की संख्या मैं वृद्धि हो। उनकी संख्या 5 लाख टन ही नहीं 10 लाख टन तक अगर, बढ़ जाये तो अच्छा है। 100 करोड़ के बजाय अगर, 200 करोड़ रूपया भी मिले तो उनकी ख्वाहिश होगी कि इस व्यवसाय को जितना ज्यादा से ज्यादा संभव हो मिले। सवाल यह है कि आया यह हो सकता है कि नहीं। मैं उन सदस्यों में से हूँ जो यह मानते हैं कि हमारे देश के लिये यह कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि 100 करोड़ रूपया फौरेन एक्सचेंज देना मुश्किल नहीं है। यह मैं जानता हूँ और मानता हूँ कि 100 करोड़ रूपये का फौरेन एक्सचेंज आज की प्लांड एज में थर्ड फाइव इयर प्लान में निकालना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन, जहां मैं इससे इंकार नहीं करता वहां मैं यह भी मानता हूँ कि अगर, हम इस प्लान में सोच समझ कर अदला बदली करें तो 5 लाख टन के जहाजों को बढ़ाना कोई मुश्किल बात नहीं है। आपको मालूम है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स के लिये जीपों के लिये अन्दाजन चार करोड़ रूपया रखा गया। उसमें फारेन एक्सचेंज खर्च किया गया। आप जानते हैं कि 1947 से पहले देश में सरकारी जीपें अव्वल तो थीं नहीं और

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 18 नवम्बर, 1960, पृष्ठ 1193-1198*

अगर, कहीं थीं भी, तो वे आज की तादाद से बहुत कम थीं। मुझे याद है कि मेरे जिले में 1947 से पहले शायद ही कोई सरकारी जीप हो। लेकिन, आज तो वहां कम से कम बीस सरकारी जीपें हैं। इन जीपों की फौज को बढ़ाने के लिये दूसरी योजना में अन्दाजन चार करोड़ रूपया विदेशी मुद्रा के तौर पर खर्च किया गया। इसी तरह से तीसरी योजना में इसके लिये पांच करोड़ रूपया तो कम से कम होगा और शायद दस बारह करोड़ रूपया हो। इस दफा अच्छे ढ़ंग से बांट कर नहीं बताया गया है कि तीसरी योजना में कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स के लिये 400 करोड़ रूपये के बजट में से कितना रूपया बाहर से जीपें मंगवाने पर खर्च होगा। मैं समझता हूँ कि हम यह दस बारह करोड़ रूपया खर्च किये बगैर भी गुजारा कर सकते हैं। जो नये ब्लाक बनते हैं, उनके लिये जीपों का एक पूल बना दिया जाये, या यह निश्चय कर दिया जाये कि हम जीपें नहीं लेंगे और समुद्री जहाज लें। इस काम के लिये दरअसल हमको 100 करोड़ रूपये की जरूरत नहीं है। अगर, हम डेफर्ड पेमेंट्स के ऊपर जहाज लं, तो मेरे ख्याल में शायद 20 करोड़ रूपये में ही पांच लाख टन के जहाज बढ़ाये जा सकते हैं। 10 करोड़ रूपये तो हमको कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स से मिल जायेंगे और बाकी के पांच, सात, दस करोड़ रूपये का इन्तजाम हो सकता है। अन्दाज है, हम बाहर से अनाज मांगने के लिए 200 करोड़ रूपये के करीब किराये की शक्ल में जहाजों को देंगे, जिसमें से 100 करोड़ तो उन जहाजों को दिया जायेगा, जो हिन्दुस्तानी जहाज हों, या जिनका हमारे देश के लोगों के साथ पार्टिसिपेशन हो, या जो हमारे देश में रजिस्टर्ड हुई कम्पनियेां के जहाज हों। बाकी 100 करोड़ रूपया किराये के शक्ल में देने के बारे में हम यह शर्त रख सकते हैं कि इस बारे में हम उस कम्पनी से बात करेंगे, जो डेफर्ड पेमेंट के ऊपर या जोश्त की पहली रकम को भी डेफर्ड कर दे। अगर, हमारी सरकार इस नीति से दुनिया की मुख्तलिफ जहाजी कंपनियों से बात करे, तो सरकार पांच, सात, दस करोड़ रूपए की फारेन एकसचेंज हासिल कर सकती हैं। डिफेन्स के नाते तो हम कभी भी इसको ज्यादा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उसमें आमदनी और घाटे का सवाल नहीं होता और इस प्रकार का सोच-विचार भी नहीं होता। लेकिन, कामर्शल जहाजरानी को बढ़ाने का जैसा अवसर आज है, वैसा फिर नहीं होगा। क्योंकि, तीसरे प्लान के दौरान में हम बाहर से अनाज मंगाने में 200 करोड़ रूपये का भाड़ा देंगे और इस तरह अपने जहाजों को बढ़ावा दिया जा सकता है। तीसरे प्लान के बाद उनके लिये यह प्रलोभन नहीं होगा। उसके बाद जो नई कम्पनियां मैदान में आयेंगी, उनको हम काफी मदद नहीं दे सकेंगे, उनके जहाजों के लिये हम सरकारी माल को लाने के

भाड़े की आमदनी की गारन्टी नहीं दे सकेंगे। क्योंकि, सरकार के पास अपना माल लाने के लिये नहीं रह जाएगा। वह इसलिये, कि हमने प्रोग्राम बनाया है कि अनाज हम अपने देश में पैदा करेंगे। हमारे मन्त्रालय को इस तरफ बड़ी गम्भीरता से सोचना चाहिये कि आज हमारे सामने सुनहरी मौका है। यह हो सकता है कि आज से कुछ साल पहले डेफर्ड पेमेंट के ऊपर जितनी आसानी से या कम किश्त देने पर डेफर्ड पेमेंट पर जहाज मिल सकते थे, शायद आज न मिलें। आगे शायद और ज्यादा मुतश्किल हो। उस नुक्ता-ए-निगाह से भी शायद यह जरूरी है कि तीसरे प्लान में हम इस तरफ कोशिश करें।

जैसा मैंने कहा है, जहां तक ख्वाहिश का ताल्लुक है, मन्त्री महोदय की ख्वाहिश हममें से किसी से भी कम नहीं है। उनका जोश भी हममें से किसी से कम नहीं है। यह ठीक है कि कम्यूनिटी प्रोजैक्ट के मन्त्रालय पर उनका कोई हाथ नहीं है। लेकिन, उसमें वह प्लानिंग कमीशन की मदद से खर्च में कमी करवा सकते हैं। हां, विदेशी कम्पनियों के जहाजों पर वे जरूर यह शर्त लगा सकते हैं कि वे किराये पर माल उनको देंगे जो खरीदने की पहली किश्त भी डेफर्ड कर दें। इसके अलावा और भी तजवीज हो सकती हैं। जोश तो उनके दिल में है। लेकिन, उनको यह ख्याल हो गया है कि प्लानिंग कमीशन मंजूरी नहीं देगा। एक दफा जब इन्सान में कमजोरी आ जाती है, तो वह समझता है कि मैं अकेला ही हूँ। लेकिन, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि इस सदन के सदस्य उनके साथ हैं। मेरा यह विश्वास है कि अनाज इस देश को गेहूं न मिले, तो देश ज्वार, बाजरे और मोटे अनाज की रोटी खा लेगा। लेकिन, हमने इस देश की जहाजरानी की तरक्की करनी है, ताकि हमारे देश का व्यापार जहाजों का बेड़ा बढ़े और साथ ही साथ हमारे देश के डिफेंस की नींव भी मजबूत हो सके और मुश्किल वक्त में हम अपने दुश्मन का मुकाबला कर सकें।

द्वितीय लोकसभा

सोमवार, 21 नवम्बर, 1960 *

महेंद्र प्रताप सिंह संपदा (निरस्त) विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह (रोहतक) : अध्यक्ष महोदय, इस विधयेक में जो स्टेटमैंट ऑफ आब्जैक्ट्स एंड रीजेंस दिए हुए हैं, उनको देखने से यह पता चलता है कि इस विधेयक का यह उद्देश्य नहीं है कि हम राजा महेन्द्र प्रताप को इस लायक बना सकें कि वह पोते या परपोते से पैसे ले सकें, इमदाद उनको दे सकें उनकी मेंटेनेन्स लिये। इस बिल की मंशा यह है और यह चीज आबजैक्ट्स एंड रीजंज में भी दर्ज है कि जिस नुक्तेनिगाह को सामने रखते हुए, जिस ध्येय को सामने रखते हुए, वह एक्ट जब बना था, उसको आज की बदली हुई परिस्थितियों में हमारे कानूनों में नहीं रहना चाहिये, वैसा गन्दा कानून नहीं रहना चाहिये। जो कारण तब मौजूद थे वे आज के जमाने के लिये सही नहीं है जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि 1950 से पहले अगर, यह कानून बनता तो हम बना सकते थे। यह चीज कांस्टीट्यूशन के लागू होने से पहले ही हो सकती थीं। मैं समझता हूँ कि 1947 के बाद से, जब हम आजाद हुए, इस कानून का हमारे कानूनों में शामिल रहना हमारे देश के लिये बहुत बुरी बात थी। इसको हटना चाहिये था उसी रोज जिस रोज हम आजाद हुए। अगर, उसको तब हम रिपील नहीं कर सके तो इसमें कसूर हमारी सरकार का है, न कि उसका जिसके ऊपर इसका असर पड़ता है। हम हर कानून में यह कहते हैं कि अगर, कोई गलती रह जाए किसी महकमे के अफसर से और बुरी इंटेंशन न रखते हुए वह काम करे तो उसका जुर्माना वह नहीं भुगतता। उसकी सजा वह नहीं

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 21 नवम्बर, 1960, पृष्ठ 1417-1420*

भुगतता है। उसी तरह से मैं मानता हूँ कि हमारी एक गलती थी, जिसमें सरकार भी शामिल है और संसद के वे सदस्य भी शामिल हैं जो 1947 के बाद से, जो चाहे प्राविजन पार्लियामेंट के सदस्य रहे हों या कांस्टिट्यूएंट असैम्बजली (लैजिस्लेटिव) के सदस्य रहे हों। वे सभी कुछ न कुछ हद तक कसूरवार हैं। उस कसूर की जो सजा है वह हमें राजा महेन्द्र प्रताप को भुगतने पर मजबूर नहीं करना चाहिये जिन्होंने इस देश के लिए आम तौर पर उस वक्त ऐसा शानदार काम किया जब जो रजवाड़े थे, जागीरदार थे, अंग्रेजों से इतने ज्यादा डरते थे। राजा महेन्द्र प्रताप के लिए अंग्रेजों का राज्य कोई माने नहीं रखता था, बमुकाबिल हम जैसे गरीब आदमियों के। उस वक्त जो उन्होंने काम किया उसके लिए उन्हें सजा भुगतने के लिए, मजबूर नहीं किया जा सकता। कसूर अगर, हमारा है, कसूर अगर, लीगल फिजियोलोजी कम है जैसा पन्त जी ने कहा है तो उसकी सजा राजा महेन्द्र प्रताप, देशभक्त को दी जाए, यह ठीक नहीं होगा। उसका मुआवजा--अगर, आप मुआवजा कहना चाहते हैं--उनको मिलना चाहिये।

मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव जी की इस राय से सहमत हूँ कि यह एक पब्लिक परपज है। इसमें जो कसूर है वह हमारी सरकार का है, लोकसभा का है, पहली और दूसरी लोकसभा का है, उसके सदस्यों का है कि उन्होंने इस कानून को हटवाया नहीं। जहां तक राजा महेन्द्र प्रताप के कामों का सम्बन्ध है मैं पन्त जी के साथ सोलहों आने सहमत हूँ कि उनके ढ़र्रे के आदमी, उनके मुकाबले के आदमी हमारे देश में बहुत कम हुये हैं।

मुझे मालूम है कि हिन्दुस्तान में देशभक्तों की कोई इमदाद नहीं की गई है। न ही उनके परिवारों की आज कोई की जा रही है। सरदार भगत सिंह के भतीजे, जब उनको कोई तकलीफ हुई और उसके इलाज के लिए उनको पैसे की जरूरत पड़ी तो पैसा उनको प्राइम मिनिस्टर फंड में से दिया गया और वह अपना इलाज करवा सके। उनके बाप भी जेल गए देश की खातिर। कई साल उन्होंने अपनी जिन्दगी के जेल में काटे। अगर, उनके प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में से पैसा देकर मदद न की गई होती तो शायद वह आज जिन्दा न रहते। मैं समझता हूँ कि इस देश के कानूनों में, देश के तरीके राज में यह कमी है कि उनकी मदद नहीं की जा सकती है। वैसे तो हम मानते हैं कि हर देशवासी को तालीम देंगे, आगे चलकर जब हमारे में शक्ति होगी, हर बूढ़े आदमी को हम पेंशन देंगे, और हर बीमार का मुफ्त इलाज करेंगे। लेकिन, आज हमारा देश इतना शक्तिशाली नहीं है कि हर उस आदमी को हम तालीम दे सकें जो

वह चाहता है, उसको फ्री ऐजुकेशन दे सकें या दूसरी सहूलियतें मुहैयां कर सकें, बावजूद इस बात के कि कांस्टीट्यूशन में एक डायरेक्टिव यह भी है कि कम से कम कुछ सालों के लिए सरकार मुफ्त तालीम देगी, हम उसको पूरा नहीं कर सके हैं। इसी तरह से मुफ्त इलाज की और पैंशन की बात को हम अभी तक पूरा नहीं कर सके हैं। मैं चाहता हूँ सरकार जो ये नेक काम है, जो वह हर निवासी के लिये करना चाहती है, इनकी शुरूआत इन देशभक्तों से करे। इस देश के अन्दर कोई ऐसा बूढ़ा देशभक्त न रहे जो पचास साल की उम्र में अपने बच्चों की तरफ मदद के लिए मुंह ताकता रहे। मुझे मालूम है सैंकड़ों मिसालें, जिनकी सेवा सुरूषा कि उनके बच्चों को करनी चाहिये। लेकिन, वे करते नहीं हैं। ये जो बूढ़े, देशभक्त हैं, इनकी आज बहुत बुरी हालत है। मैं चाहता हूँ कि पचास साल से ऊपर के सारे बड़े देशभक्तों के बारे में सरकार यह फैसला करे कि उनको पेंशन दी जाएगी और वह पेंशन उनको तब तक मिलती रहेगी जब तक वे जिन्दा रहेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिये जैसा आज कल हमारी सरकार कर देती है कि पांच रूपया एड हाक ग्रांट के तौर पर उनको दे दिया गया या एक साल के लिये मदद दे दी या दो साल के लिये दे दी। आज वे बेचारे गरीब पिस रहे हैं। मुझे मालूम है कि जो देशभक्त हमारे साथ जेल गये थे, उनमें से बहुत से आज अन्धे हैं। लेकिन, उनके लिये आज कोई रोजगार नहीं, उनके लिये गुजारे का कोई इन्तजाम नहीं। वह एक तरह से दूसरों के रहम पर हैं। इसलिये, जैसा मैंने कहा, हम उनकी पेंशन का इन्तजाम करें। सारे देश्ज्ञभक्तों के लिये जो देश की आजादी की खातिर जेल में गये और जो भी पचास साल के ऊपर हो गये, हम उनके लिये पेंशन का इन्तजाम करें। इसके अलावा उनके बच्चों की तालीम का इन्तजाम करें और जो बीमार हो उनके इलाज का भी सरकारी तौर पर इन्तजाम हो, न कि इसके लिये हमें प्राइम मिनिस्टर्स फंड या चीफ मिनिस्टर्स फंड या पोलिटिकल रिलीफ फंड की शरण लेनी पड़े। सरकार के पास इसके लिए अलाहदा पैसा हो।

द्वितीय लोकसभा

शुक्रवार, 25 नवम्बर, 1960 *

मवेशी निर्यात पर प्रतिबंध विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह (रोहतक) : सभापति महोदय, जहां तक इस विधेयक के उद्देश्य का सम्बन्ध है मैं समझता हूँ कि हर एक सदस्य उसके साथ सहमत होगा।। इस देश का पशुधन आज बहुत कमजोर है उसे हमें तगड़ा, मजबूत और शक्तिशाली बनाना है। उसके लिये जरूरी है कि पशुओं को अच्छी और पौष्टिक खुराक दी जाये। इसलिए जहां तक इस प्रस्ताव के ध्येय का वास्ता है, उससे हर एक सदस्य सहमत होगा। जहां तक खली, ग्वार आदि के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने का वास्ता है मैं समझता हूँ कि उसमें भी कोई बहुत ज्यादा आपत्ति की बात नहीं है। यह विधेयक ऐसा है जो काफी हद तक खींचा जा सकता है, जिसका कोई अंदाज नहीं है। क्योंकि, जहां तक पशुओं की पौष्टिक खुराक का ताल्लुक है तो उसमें यह सारे तिलहन वगैरह आ सकते हैं। तिलहन का एक्सपोर्ट यदि आज के हालत में बैन होता है तो देश के आर्थिक हिसाब को धक्का लगेगा।

श्री झूलन सिंह : माननीय सदस्य ने शायद जो मैंने परिभाषा कर दी है, उसको पढ़ा नहीं है। उसके अन्दर आयल सीड्स नहीं आते हैं, अलबत्ता आयलकेक्स एंड अदर कंसट्रेटंस आते हैं।

चौधरी रणबीर सिंह : उसको मैंने देखा है। यह ठीक है कि आपने उसको इस तौर पर डिफाइन किया है। लेकिन, सदन में एक मर्तबा विधेयक आने के बाद न तो फिर उनके वश की बात रह जाती है और कोई पता नहीं कि परिभाषा क्या की

संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 25 नवम्बर, 1960, पृष्ठ 2409-2414

जाये, उसको कहां तक खींचा जाये और वह परिभाषा किसी के हाथ में पहुंच जाये। ऐसी हालत में जो आज उसकी मंशा है, वह कहां तक बरकरार रह सकेगी यह मुझे मालूम नहीं है। इसीलिए, मैंने शुरू में कहा है कि पशुओं के पौष्टिक पदार्थों के आयात पर जो यह रोक लगाई जाने का प्रस्ताव किया जा रहा है तो इसके अन्तर्गत क्या क्या चीजें आ जायेंगी। जैसे मैंने कहा कि आयलसीट्स और तिलहन आदि पर अगर, प्रतिबन्ध लगाया जायेगा तो उसमें आपत्ति हो सकती है। क्योंकि, उसका असर हमारी आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल असर पड़ने वाला है।

यह बात बिलकूल सही है कि हमारे देश के पशुओं की हालत निहायत सोचनीय है। आप जानते हैं कि जहां तक हमारे देश का ताल्लुक है 75 फीसदी किसान इस देश में बसते हैं और जिनका जीवन खेतीबाड़ी पर निर्भर करता है। खेती आज के हालत में देश के पशुधन पर निर्भर करती है। पशुधन की तरक्की एक तरह से मैं मानता हूँ कि देश के 75 फीसदी आदमियों की तरक्की है। यह एक अजीब हालत है और देश की बदकिस्मती है कि बावजूद इस बात के कि हम गऊ सेवक होने का दम भरते हैं और उस सम्बन्ध में गौर सेवक समाज और अन्य संस्थाएं बनाते हैं। लेकिन, हम देखते हैं कि देश की गाय, भैंसें आदि दूसरे देशों के मुकाबले में बहुत कमजोर पड़ती हैं। अमरीका आदि अन्य देशों में जहां लोग गाय या पशु की पूजा का नाम तक नहीं लेते हैं उनकी गाय, भैंसों आदि दूध देने वाले पशुओं की नस्ल हमारे मुकाबले बहुत अच्छी है। अपने देश के पशुधन का विकास करने के लिये और उनको तगड़ा बनाने के लिए भी जरूरत है कि उनको पौष्टिक खुराक अधिक से अधिक दी जाये। इस नाते मैं श्री झूलन सिंह का मशकूर हूँ कि उन्होंने सदन का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित किया कि आज के हालत में पशुधन की तरक्की के लिए उसको अच्छी खुराक देना कितना जरूर है? पशुओं की अच्छी खुराक क्या है? किस किस इलाके में कौन सी खुराक में तबदील किया जा सकता है? यह काश्तकारों और पशु पालने वालों को बतलाना निहायत जरूरी है। आज जितनी आवश्यकता हमारे देश में ग्रो मोर फूड की है, उतनी ही बल्कि उससे भी बढ़ चढ़कर जरूरत इस बात की है कि हम देहातों के अन्दर यह बतलायें कि पशुपालन करने वालों के पास कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनको वे अच्छे ढ़ंग से अपने पशुओं को खिलायें तो उनके मवेशी, स्वस्थ और ज्यादा दूध देने वाले बन सकते हैं। मेरी समझ में एक्सपोर्ट पर बैन लगाने से यह चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे मुझे कोई ऐतराज नहीं है अगर, खली और ग्वार के एक्सपोर्ट पर पाबन्दी लगा दी जाये। लेकिन, जैसे मैंने बतलाया आयल सीड्स

और चना भी पौष्टिक खुराक के तहत आ सकते हैं। उनके एक्सपोर्ट पर यदि पाबन्दी लगती है तो उसका असर देश और समाज की अर्थ-व्यवस्था पर प्रतिकूल पड़ने वाला है। खास तौर से हमारे दक्षिण के भाई जो आयलीड्स की खेती करते हैं उनको इससे धक्का पहुंचने वाला है। क्योंकि, जहां इसका भाव आज 34 रूपये मन है वहां वह 10 या 12 रूपये मन पर भी नहीं बिक सकेगी। इसलिए पाबन्दी लगाने के ढ़ंग से सोचना मैं समझता हूँ कि शायद कुछ ठीक न होगा। मैं नहीं समझता कि सरकार यह विधेयक मंजूर भी कर सकेगी या उसे मंजूर करना भी चाहिए। लेकिन, जहां तक पशुओं को अच्छी खुराक देने का सवाल है उसमें कोई दो मत नहीं हो सकते और आज उसकी बहुत आवश्यकता है।

सभापति महोदय, अगर, आप कलकत्ता या बम्बई जायें तो आप देखेंगे कि हमारे मवेशियों की वहां पर कैसी दुर्दशा की जाती है? हरियाने का पशुधन हमारे देश में सबसे अच्छा माना जाता है चाहे वह गाय हो अथवा भैंस सिवाय एक सिंधी काऊ के। हरियाने की गाय भैंस देश के दूसरे भागों की गायों और भैंसों के मुकाबले में अधिक दूध देती हैं और मजबूत होती हैं। बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे जो डंगर कलकत्ते और बम्बई आते हैं तो उनको एक ही ब्यांत के बाद बूचड़खाने में पहुंचा दिया जाता है। क्योंकि, आदमी यह खयाल करता है कि उसको बूचड़खाने भेज कर कटवाना ज्यादा लाभप्रद होगा, बनिस्बत इसके कि उसको दूसरी ब्यांत तक पाला जाये।

आज यह बड़ी चिंता का विषय है कि हमारे देश में पशु धन का ह्रास निरंतर होता जा रहा है। जहां अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं करनी चाहिएं वहां पशुधन की उन्नति के लिए उत्तम खुराक का प्रबन्ध भी आवश्यक है। आदमी गाय आदि दूध देने वाले जानवर इसलिए पालते हैं कि उनसे उनको एकोनामिक रिटर्न मिल सके। ऐसा दो तीन तरीकों से हो सकता है। इसके लिए जगह जगह पर ड्राई मिल्क प्लांट्स लगाये जायें। हमारे कृषि मंत्रालय ने जब पंजाब में यह सवाल उठा तो उन्होंने पंजाब के अमृतसर में ड्राई मिल्क प्लांट को लगाया। अगर, कलकत्ते में आप अमृतसर के नाम से पशु बेचना चाहें तो उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। उसकी कीमत तब ही उठ सकती है जब यह बतलाया जाये कि यह गाय अथवा भैंस रोहतक या हिसार की है। उस हालत में उसकी कीमत 100, 200 रूपये ज्यादा उठ सकती है। वहां दूध और क्रीम निकालने का अगर, कोई प्लांट लगाया भी जाता है तो वह दूसरी तरफ लगाते हैं। मंत्री महोदय अपने जवाब में कह सकते हैं कि हमने दिल्ली में मिल्क सप्लाई

स्कीम लागू की है। लेकिन, मैं जानता हूँ कि वह कितने दूध का इंतजाम कर सकी है। हमारे इलाके में सब जानते हैं कि कितना अच्छा पशुधन है। अकेले दिल्ली स्टेट के अन्दर जो दो, चार सौ गांव हैं सरकार इस स्कीम के मातहत उनका भी तमाम दूध नहीं ले पा रही है। लेकिन, ऐसा कहने से मेरी यह मंशा नहीं है कि गांव वालों के पास दूध छोड़ा ही न जाये। दूध से क्रीम निकालने की मशीन 200, 300 या 400 रूपये में आती थी। लेकिन, आज उसके ऊपर बाहर से मंगाने पर पाबन्दी है और न ही उस मशीनरी को अपने देश में बनाने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन दिया जाता है। उससे भी हमें पशुओं को अच्छी खुराक देने में काफी मदद मिल सकती है। दूसरे देशों में तो चूंकि दूध से क्रीम निकाल ली जाती है इसलिये, वे बछड़ों को खूब दूध पिलाते हैं जब हमारे वहां हालत बिल्कुल दूसरी है। गाय से बछड़े को ज्यादा से ज्यादा दूर रखने की कोशिश होती है।

विदेशों में दूध से क्रीम निकालते हैं और जो सप्रैटा बचा रहता है उसको बछड़े को खूब पिलाया जाता है और जाहिर है कि वे खूब मजबूत होंगे। मैं चाहता हूँ कि हमारे देश में भी ऐसा हो। वह तभी हो सकता है जब देहातों में क्रीम निकालने की छोटी-छोटी मशीनें लगी हों। जैसे एक इंसान के बच्चे के लिए माँ के दूध से अच्छी और पौष्टिक दूसरी कोई वस्तु नहीं है, उसी तरह गाय या भैंसे के बछड़े के वास्ते गाय या भैंस का दूध है।

जहा तक खली वगैरह का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि उनकी बहुत अहम जगह है।

मैं माननीय सदस्य का फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस विधेयक के जरिये उन्होंने इस देश के पशुओं की बुरी हालत की तरफ ध्यान दिलाया है। मैं समझता हूँ कि इस विधेयक को तो शायद सरकार मंजूर न कर सकेगी। लेकिन, उम्मीद करता हूँ कि वह इस तरफ तेजी से कदम उठायेगी कि पशु ज्यादा से ज्यादा मजबूत और ज्यादा से ज्यादा दूध देने वाले हों।

द्वितीय लोकसभा

बुधवार, 7 दिसम्बर, 1960*

उत्पादन वितरण और चीनी निर्यात प्रस्ताव

चौधरी रणबीर सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, यह सवाल देश के सामने पहली दफा नहीं आया है। इसके इतिहास में जायेा जाये, तो मालूम होगा कि इसका एक अजीब सा इतिहास है। मेरे ख्याल में यह चौथी दफा है। इससे पहले देश को तीन चार दफा यह बताया गया कि हमारे देश में चीनी की पैदावार जरूरत से ज्यादा है। इस विषय में देश से बाहर चीनी भेजने का भी जिक्र किया गया। देश से बाहर चीनी नहीं गई। जहां तक चीनी के ज्यादा होने का ताल्लुक था, पिछला इतिहास यह कहता है कि पता नहीं किस तरीके से चीनी के व्यापारियों या बड़े-बड़े मिल-मालिकों ने इस जिक्र के फौरन बाद चीनी का भाव बढ़ा दिया। फिर चीनी की कमी का नारा देश में इतने जोर से लगा, जितना पहले नहीं लगा था। हमारे आज के मंत्री महोदय, श्री एस.के. पाटिल, बहुत मजबूत आदमी हैं। इसलिए मैं उम्मीद नहीं करता कि अब पहले वाला नारा, या पहले वाला इतिहास दोहराया जायेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि उनकी मजबूती की जो मशहूरी है, उसी मजबूती के साथ वह आगे बढ़ेंगे। लेकिन, मुझे खंदशा है कि जो नारा लगाया जा रहा है कि चीनी ज्यादा है, वह कोई सही नहीं है। सही है कि चीनी की कीमत बढ़ी है। वैसे यह कहा जाता है कि जिस चीज की कीमत बढ़ जायेगी, उसका इस्तेमाल कम हो जायेगा। लेकिन, इससे विपरीत नतीजा अगर, किसी चीज में निकला है तो वह चीनी है। चीनी कीमत बढ़ी , उसके उपभोक्ता भी बढ़े और चीनी की खपत तादाद भी देश में बढ़ती गई। कई भाई बड़े जोर से कहते हैं कि चीनी की कीमत घटनी चाहिए, उससे उसके इस्तेमाल

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 7 दिसम्बर, 1960, पृष्ठ 4443-4447*

में बढ़ौतरी होगी। मैं नहीं समझता कि इससे उसके इसतेमाल में कुछ फर्क पड़ता है। यह इतनी मीठी चीज है कि आदमी एक दो आने कम ज्यादा देने में ख्याल नहीं करता है।

कई दोस्तों की तरफ से पंजाब का बार बार जिक्र किया गया है। कईयों को शौक है पंजाब का जिक्र करने का। मंत्री महोदय ने भी इशारा किया था पंजाब सरकार के खिलाफ। मैं नहीं मानता और पंजाब सरकार भी नहीं मानती कि वह कोई मुनाफा कर रही है। लेकिन, अगर, बहस के लिये मान लिया जाये कि कुछ मुनाफा पंजाब सरकार ने वहां के लोगों से और लोगों की खातिर किया। इसके अलावा हिन्दुस्तान की सरकार बारह रूपये मन सैस लेती है। वह भी देखो कि वह इस मुनाफे में शामिल है या नहीं। जिस तरह उसका ध्येय यह है कि वह बारह रूपये मन लेकर इस देश की तरक्की करना चाहती है, उसी तरह यदि पंजाब सरकार ने एक दो लाख रूपया बनाया है, तो उनके भी ध्येय है कि पंजाब की तरक्की करना चाहती है। उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि इस देश में गरीब आदमी--जिसे गरीब कहना चाहिये--गुड़ और शक्कर इस्तेमाल करता है। हां, व्हाइट कालर्ड जिन्हें कहते हैं, वे जरूर चीनी इस्तेमाल करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : उन दो में माननीय सदस्य किनमें हैं?

चौधरी रणबीर सिंह : मैं क्या बताऊं? वह तो लोगों ने देखना है। मुझे ज्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं है।

श्री हेडा ने कहा कि लोग ऐतराज करते हैं कि गन्ने की कीमत कम है। लेकिन, गन्ने की पैदावार बैठ रही है। जो आदमी गन्ना बोता है, वह ज्यादा तरक्की कर रहा है। मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। शायद उनको मालूम नहीं है। वह कहते हैं कि वे लोग दूसरी चीज क्यों न पैदा करें? उनको अन्दाज नहीं है कि एक एकड़ में जितना गन्ना पैदा हो सकता है, उतनी दूसरी चीज नहीं हो सकती है। एक एकड़ में अनाज की पैदावार औसतन दस बारह मन हो सकती है, जब गिरे से गिरे इलाके में भी गन्ने की पैदावार 250 मन है, जिससे पच्चीस मन चीनी पैदा होती है और उसकी कीमत दस बारह मन अनाज से कई गुना ज्यादा है--इकानोमिक वैल्यू में कोई सौलह गुना फर्क होता है। लेकिन, गन्ना ज्यादा पैदा करने की यह भी वजह नहीं है। आप जानते हैं कि पंजाब में बहुत वटर लागिंग हुआ है। मैं अपने जिले के बारे में बता सकता हूँ। पंजाब में सबसे ज्यादा गन्ना रोहतक जिले में होता है, जो जिला वाटरलाग्ड हो गया है। अगर,

उसमें कोई फसल पैदा हो सकती है--किसान के फायदे के नुक्ता नजर से भी और वैसे भी--तो वह गन्ना ही है। गन्ने की ज्यादा पैदावार की वजह यह नहीं है कि किसान गन्ना पैदा करने पर मजबूर है। वह कोई दूसरी फसल पैदा नहीं कर सकता है। आज देश में पहले के मुकाबले में 90 लाख एकड़ भूमि वाटरलाग्ड या सैमीवाटरलाग्ड एरिया बन गई है। इसलिये, अगर, कोई समझता है कि गन्ने का काश्तकार ज्यादा मुनाफा कमाता है, इसलिये, वह गन्ना ज्यादा बोता है, तो वह गलत है। इसके साथ ही जो भाई यह समझते हैं कि गन्ने की कीमत को घटा कर वह देश की हालत को ठीक कर सकते हैं, वे गलत हैं। हां, गन्ने की कीमत का थोड़ी बहुत असर पैदावार पर पड़ता है। जब जब गन्ने की कीमत घटाई गई, तब तब गन्ने की पैदावार भी घटी और शुगर बाहर से आई। देश को खसारा हुआ। इसलिए इन तजुर्बों से हम बचें।

फर्ज कीजिये कि गन्ने की पैदावार या चीनी की पैदावार बढ़ गई, तो हमें उससे क्यों डरना चाहिये? वह तो एक अच्छी चीज है। मैं श्री राजेन्द्र सिंह के किसी नारे में क्यों आऊं और मुझे इस कंट्रोल से डर क्यों हो? अगर, गन्ने और चीनी की पैदावार बढ़ गई है तो यह मेरा ध्येय है, यह मेरे ध्येय के अनुसार ही हुआ है। इससे घबराने की कोई बात नहीं है। व्यपारियों का एक वर्ग जो नारा लगाता है, उसके पीछे एक ख्वाहिश है। आज आठ आने फी मन के हिसाब से मिल वाले उसको देते हैं, जो दिल्ली से या स्टेट से परमिट लेता है। आगे गन्ने की डिस्ट्रिब्यूशन के बारे में हालात बदलेंगे। अगर, यह मुनाफा रखना है, तो, चूंकि हमारा मकसद है सर्विस को-आपरेटिव्ज को बढ़ाना और को-आपरेटिव सैक्टर को मजबूत करना, वह क्यों न सिर्फ को-आपरेटिव सैक्टर के जरिये ही किया जाये? हो सकता है कि मंत्री महोदय जिक्र करें कि पंजाब सरकार या पंजाब की को-आरेटिव सोसायटीज ने ज्यादा मुनाफा किया हो। वह नहीं किया होगा। लेकिन, अगर, किया है, तो वह बहुत बुरा नहीं है। वह सारे समाज और प्रदेश के लिये है। अगर, को-आपरेटिव सोसायटी कोई नाजायेज मुनाफा करती है, चोर बाजारी में जाकर करती है तो वह गलत है। अगर, आठ आने फी मन के हिसाब से मुनाफ करके हम सर्विस को-आपरेटिव्ज को मजबूत कर सकते हैं, या छोटे छोटे खांडसारी यूनिट्स देहात में सर्विस को-आपरेटिव्ज की मार्फत लगवा सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि यह देश के लिये अच्छा होगा।

इस बारे में मेरी राय साफ है और मैं श्री उपाध्याय की तरह दायें बायें नहीं कहना चहता हूँ । वह यह है कि कंट्रोल रखने से देश को फायदा हुआ है। चीनी के कंट्रोल से देश और किसान को फायदा रहेगा। हां, व्यापारी को जरूर नुकसान रहेगा।

द्वितीय लोकसभा

शुक्रवार, 16 दिसम्बर, 1960 *

भारतीय टैरिफ (संशोधन) विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह (रोहतक) : सभापति महोदय, हिन्दुस्तान में टैरिफ कमीशन कितनी समझदारी से काम करता रहा है और सरकार की नीति उस सिलसिले में कितनी अच्छी रही है, उसका सुबूत उन फिगर्ज से मिलता है, जो थोड़ी देर पहले मंत्री महोदय ने इस सदन को दिये। उनसे यह पता लगता है कि 1947 के बाद सिर्फ थोड़ी सी ही चीजें हैं, जो इस देश के कारखानों में बननी शुरू नहीं हुई हैं। यह ठीक है कि देश को कारखानों में बनी हुई चीजों की जितनी जरूरत है, उतनी चीजें अभी बननी शुरू नहीं हुई हैं। लेकिन, इस बारे में शुरूआत जरूर हो गई है।

इस सिलसिले में उन्होंने पंजाब प्रदेश का जिक्र किया। इसलिए अगर, मैं भी पंजाब प्रदेश का जिक्र करूं, तो मेरे ख्याल में कोई बहुत ज्यादा गलत नहीं होगा। कुछ सदस्यों ने तो यह वतीरा बना लिया है कि हर वक्त पंजाब प्रदेश और पंजाब प्रदेश की सरकार के खिलाफ कुछ न कुछ वे कहेंगे। मंत्री महोदय ने पंजाब प्रदेश के बारे में जिक्र किया है। पंजाब प्रदेश कौन सा प्रदेश है? 1947 में जब हिन्दुस्तान आजाद हुआ, तो पंजाब दो हिस्सों में बंट गया। यहां का कारीगर पाकिस्तान चला गया और जो कारखाने यहां चलते थे, वह भी एक तरह से बन्द हो गये। जो आदमी कारखानों को संगठित कर सकते थे, उनके घर उजड़ गए और उखड़ गए। उस उखड़े हुए प्रदेश में बहुत से भाई ऐसे भी हैं, जिनमें से कोई पंजाबी के नाम पर, कोई हिन्दी के नाम पर, कोई बैटरमेंट लैवी के नाम पर, सूबों के अमन के लिए खतरा बने रहे। आज ही आपने बंगाल की कौंसिल के बारे में सुना है कि कोई बात समझ की

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 16 दिसम्बर, 1960, पृष्ठ 6031-6035*

नहीं कर सकता है। वहां इतना बावेला होता है। लेकिन, पंजाब प्रदेश के लोगों ने इन सब बातों का मुकाबला करते हुए अपने आपको, अपने उजड़े हुए सूबे को बनाया है। देश में छोटे बड़े कारखाने स्थापित करने के लिए पंजाब प्रदेश के लोगों और सरकार ने बहुत सराहनीय काम किया है। जिस तरह से अगर, कोई चाहे कि एक बच्चा दौड़ में नौजवान का मुकाबला करे, तो वह नहीं कर सकता---उसको सहारे की जरूरत होती है, उसी तरह कोई कारखाना लगाने के लिए, या किसी कारखाने में तरक्की करने के लिए शुरू में सहारे की जरूरत होती है। मैं मानता हूँ कि यही टैरिफ कमीशन का मुद्दा है। इसके सबूत में मैं पुराने इतिहास का जिक्र करूं, तो कोई बेजा न होगा। 1930 का जमाना था, जब बापू ने हिन्दुस्तान के लोगों की चेतना को जगाने के लिए विदेशी कपड़े के खिलाफ सत्याग्रह किया। उस समय लंकाशायर से वहां कपड़ा आता था और लोग समझते थे कि शायद कपड़ा बनाने के लिए वहां का वायुमण्डल अच्छा है और वैसी आबोहवा हिन्दुस्तान की नहीं है कि यहां पर कपड़े के कारखाने कामयाबी से लग सकें। लेकिन, हमने देखा कि एक जमाना आया,, जब हिन्दुस्तान का बना हुआ कपड़ा लंकाशायर की मंडी में बिका, उल्टे बांस बरेली को। इसी दृष्टि से हमको यह चीज देखनी चाहिए।

श्री त्यागी : वन्देमातरम।

चौधरी रणबीर सिंह : मेरे मित्र त्यागी जी आम तौर पर बहादुर हैं। लेकिन, वह कुछ निराशावादी हैं। अगर, वह कुछ आशावादी बनें, तो अच्छा हो।

अगर, इस वक्त यहां का बाईसाईकिल अच्छा नहीं बनता है, तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि पंजाब में बाइसाईमिल बनाए गए, तो वह दिन जरूर आयेगा, जब हमारे बाइसाईकिल का मुकाबला विलायत के बाइसाईकिल भी नहीं कर सकेंगे और विलायत की मंडी में हिन्दुस्तान और पंजाब का बाइसाईकिल बिकेगा।

श्री त्यागी : हमारे यू.पी. का भी।

चौधरी रणबीर सिंह : एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, जिसको कहने की मेरे दिल में बहुत ख्वाहिश थी। जिस तरह विदेशी माल के मुकाबले में यहां के माल को सरंक्षण की जरूरत होती है, उसी तरह एक कमजोर तबके को भी संरक्षण की जरूरत होती है। आज हम देखते हैं कि हिन्दुस्तान के आजाद होने के तेरह, साढ़े-तेरह सालों में देश में बड़े कारखानों ने बड़ी तरक्की की है। लेकिन, हमको अफसोस से यह कहना होगा कि गांवों में जो छोटे छोटे कारखाने चलते थे, वे आज नहीं चलते

हैं। शायद इस सिलसिले में मंत्री महोदय काटेज इंडस्ट्री और खादी कमीशन के बहुत सारे आंकड़े रखें। मैं एक सीधा सा आंकड़ा जानता हूँ। एक जमाना था जब काश्तकार के लिए फाली जैसी छोटी चीज, जिससे वह जमीन का पेट फाड़ कर अनाज पैदा करता है, वहां का लोहार बना देता था। लेकिन, तेरह साल की तरक्की कहिये, या तनज्जली कहिये, के बाद वह फाली वहां नहीं बनती है। इसके अलावा काश्तकार की और सब चीजें, खुरपा, दरान्ती वगैरह भी शहर से आती हैं। कहीं दूर से और कहीं नजदीक से। मुझे शहर से चिढ़ नहीं है। लेकिन, आप जानते हैं कि देहात की एक आबादी है और शहर की एक आबादी है। शहर में इतना स्थान नहीं है कि हम वहां पर देहात की आबादी को बसा सकें। इसके लिए न जराये हैं, न रूपया है और न स्थान है। हम देखते हैं कि देहात के मजदूर के लिये कोई संरक्षण नहीं है। न उसको कंट्रोल्ड प्राइस पर लौहा मिलता है, और न कोयला मिलता है, जिससे वह खेती के छोटे-छोटे औजार बना सके। आप जानते ही हैं कि कोयला और लौहा छोटी से छोटी इंडस्ट्री को चलाने के लिये भी जरूरी होता है। जहां पर यह टैरिफ कमिशन दूसरों को बहुत बड़ी बड़ी चीजें देता है, एक एक चीज पर 15-15 और 20-20 रूपये के भाव का फर्क देता है, वहां पर यह या आपका मंत्रालय अगर, देहात के लोहार के लिये लोहा परमिट के ऊपर पहुंच सके और साथ ही साथ कोयला वहां पहुंचा सके ताकि वह छोटे छोटे औजार बना सकें, तो मैं समझता हूँ कि काफी तरक्की हो सकती है।

आप बड़े-बड़े कारखाने लगा रहे हैं। यहां दिल्ली मिल्क सप्लाई स्कीम को भी आपने चालू किया है। इस तरह की स्कीम को आप छोटी सी शक्ल में हातों में भी लगा सकते हैं। यह उसी सूरत में वहां लग सकती थी। अगर, क्रीम सेपरेटर बनाये जाते। आप जानते हैं कि हिन्दुस्तान का सबसे बढ़िया पशुधन पंजाब से आता है। खास तौर पर हमारा जो इलाका है वहां से आता है। वह पशुधन जा करके खत्म होता है कलकत्ता, बम्बई, मद्रास आदि बड़े बड़े शहरों में। आप क्रीम सेपरेटर बना सकें तो यह पशुधन बच सकता है। आपको चाहिये कि आप छोटे छोटे क्रीम सैपरेटर बनवायें और वे बनें देहातों के मजदूर, कारीगर हैं उनके जरिये ताकि उनको काम मिल सके। अगर, ऐसा किया गया तो जो लोग पशुओं को कलकत्ता, बम्बई, मद्रास आदि भेजने के लिए मजबूर होते हैं और वहां पर लोग दूध पी करके उन पशुओं को कटवा देते हैं, वह नहीं होगा। जहां तक क्रीम का वास्ता है, वह कलकत्ता, बम्बई आदि शहरों में भेजी जा सकती है। उसको वे लोग अपनी चाय और काफी के साथ ले सकते हैं। जिस तरह से दूसरे देशों मे जो पशु होता है, वह मजबूत होता है, गाय ज्यादा दूध देती

है और जिसकी वजह यह है कि वहां पर बछड़े को सेप्रेटा दूध ज्यादा पीने को मिलता है, उसी तरह से यहां पर भी गाय ज्यादा दूध दे सकती है और जो बछड़ा है उसको सैपेरेटा मिल सकेगा और वह मजबूत होगा। बहुत से भाई यह समझते होंगे कि मैं जिन विषयों का इस बिल से संबंध है, उनसे दूर जा रहा हूँ। मेरी इस बात का इस बिल से कोई वास्ता है कि क्रीम सैपरेटर की मशीन के कारखाने देहातों के अन्दर अगर, लगें तो देहात का जो पशु है, वह मजबूत होगा और हिन्दूस्तान और पंजाब का जो बढ़िया पशु है, वह कलकत्ता और मद्रास आदि में नही कटेगा।

द्वितीय लोकसभा

शुक्रवार 16 दिसम्बर, 1960 *

मतदान की नई अंकन प्रणाली

चौधरी रणबीर सिंह (रोहतक) : सभापति महोदय, श्री विभूति मिश्र ने जो प्रस्ताव पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ और समर्थन करते हुए एक बात निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी तक यहां पर कुछ ज्यादा ख्याल रखा गया कि जो आदमी पढ़े लिखे नहीं हैं, वे निशान लगाने में गलती करते हैं। जिस सदस्य को भी किसी पार्टी का व्हिप बनने का तजुर्बा हुआ है, वह या आपका यह सैक्रेटेरियट इस बात का जवाब दे सकता है। मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय भी जरा बतायें कि लोकसभा में नई प्रणाली अनुसार.....

श्री त्यागी : सिंगल ट्रांसफरेबल वोट।

चौधरी रणबीर सिंह : ...सदस्य जो कई कमेटियों के मेम्बर चुनते हैं, उसमें कितनी दफा कितने सदस्यों के वोट रिजेक्ट हुए।

श्री त्यागी : डिविजन में भी।

चौधरी रणबीर सिंह : डिविजन की भी बात है। यह कहा जाता है कि बटन ठीक तरह से नहीं दबा सकते हैं।

श्री त्यागी : वे पढ़े-लिखे।

चौधरी रणबीर सिंह : पढ़े लिखे भी।

आज प्रधानमंत्री का बटन भी ठीक से नहीं दबा। या तो वह गलत दबा गये,

---

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 16 दिसम्बर, 1960, पृष्ठ 6090-6095*

या वह दबा ही नहीं पाये। यह बात हम यहां पर रोजाना देखते हैं, हालांकि, सैक्रेटेरियट का यह क्लेम है कि मशीन में कोई खराबी नहीं है। एक दफा गलती होती है और दूसरी दफा यह सही होता है। यह जाहिर करता है कि इतना मोटा बटन भी जब पार्लियमेंट मेम्बर सही नहीं दबा सकते, तो एक देहाती कैसे दबायेगा?

यही नहीं, मंत्री महोदय यह भी बतायें कि जिस जिस स्टेट में कौंसिल या राज्य सभा का इलैक्शन हुआ, उसमें कितने एम.एल.एज. का वोट रिजेक्ट हुआ। इसलिये, कि वे सही तौर पर निशान नहीं लगा सके? मैं अपनी स्टेट और दूसरी स्टेट्स के बारे में भी जानता हूँ। उत्तर प्रदेश के बारे में भी मुझे मालूम है कि किस तरह वोट्स वहां खराब हुए। आम आदमियों के ही नहीं असैम्बलियों के मैम्बरों तक के। राज्य सभा और लोक सभा में कई बार वोटिंग हुआ है। उनका क्या परसेंटेज वोटों के रिजैक्ट होने का रहा है, उसको आप देखें और उससे ही अंदाजा लगावें कि किस कद्र वोट रिजैक्ट हो सकते हैं? मैं नहीं कहता कि पहली चुनाव की जो पद्धति थी, उसके अन्दर कोई गलती नहीं है। उसके अन्दर भी कई खराबियां हैं। सवाल यह है कि देश के नेताओं ने और देश की जो प्राविजनल पार्लिमेंट थी उसने जो कानून बनाया वह क्यों बनाया और क्यों इलैक्शन कमिशन ने यह समझा कि पुरानी पद्धति ठीक है। सभापति महोदय, तबके हालात में और आज जो हालात हैं, उनमें कोई तब्दीली नहीं हुई है। जो सन 1951 में बच्चा पढ़ने बैठा था, वह आज वोट देने का अधिकारी नहीं हुआ है। वोटर बनने के लिए 21 बरस की आयु का होना लाजिमी है। जो 1947 में भी पढ़ने बैठा था वह भी आज वोटर नहीं बन पाया है। वह भी आज 18 बरस का ही हुआ है। अगर, साल का पढ़ने बैठा था तो आज वह बीस साल का ही हुआ है। देश नेदूसरी बातों में काफी तरक्की की है, इससे मैं इन्कार नहीं करता हूँ। लेकिन, जो पहला मतदान का तरीका अपनाया था और जिन हालात को देखकर अपनाया था, उन हालात में कोई फर्क आ गया है, ऐसा अगर, कोई समझता है तो वह गलत समझता है।

इसके अलावा, मैं इलैक्शन कमिशन से और माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूँ कि जो कैंडीडेट जीतता है, वह कितने वोटों से जीतता है आम तौर पर। मेरा यह दावा है कि पचास प्रतिशत मामलों में स्टेट असैम्बली के लिये जो खड़ा होता है, एक हजार वाटों से ही या तो जीतता है या हारता है। हमारे विभूति मिश्र जी ने कई हलकों का हवाला देकर बताया है कि हजार से ज्यादा वोट रिजैक्ट बहुत सी जगहों पर हुए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर, ये वोट खराब न जाते तो जो कैंडीडेट हारता है, वह जीत जाता। आप तो वकील हैं और आप जानते हैं कि जो

कसूरवार माना जाता है या दूसरे मानों में जो हार गया है तो उसमें जो डाऊट की चीज है, वह एक्यूज्ड की हक में जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि हारने वाले को ये वोट गये। फर्ज कीजिये कि मैं यह दावा करता हूँ कि तीन हजार वोट जो कैंसिल हुए, वे मुझे मिले तो चूंकि मैं हारा हूँ, इस वास्ते दो हजार से मैं जीत जाता हूँ। मैं कोई वकील नहीं हूँ। लेकिन, मिनिस्टर साहब होशियार वकील हैं। इसे वह अच्छी तरह से जानते हैं। इसका जवाब ट्रीब्यूनल नहीं होता है कि ये वोट हारने वाले के पास नहीं आते। जो बैनीफिट ऑफ डाउट हैं, वह हारने वाले को मिलने चाहियें। कई ट्रिब्यूनल इस तरह के फैसले दे सकते हैं। इसके विपरीत किसी ने फैसला दिया है तो मैं समझता हूँ ठीक नहीं होगा। अगर, यह हो तो आधे से अधिक इलैक्शन पैटीशंस जो हैं, मंजूर होंगी।

जो इधर के भाई बैठने वाले हैं और जिन्होंने इस बिल की मुखालिफत की है उनकी यह मुखलिफत मेरी समझ में आ सकती है। क्योंकि, उनका विश्वास है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन चलती है, वह ईमानदारी से चलती है। लेकिन, जो भाई उधर बैठते हैं उन्होंने जो नुक्ताचीनी की है, वह इसलिये, की है कि वे समझते हैं कि जो सरकारी एजेंसी है, जो इलैक्शन करवाने वाले हैं, वे सब बेईमान हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि इस तरीके से इसमें क्या फर्क आ गया? अगर, इस देश में सौ रूपये के नोट जो रिजर्व बैंक छापता है, उसी तरह के नोट बन सकते हैं तो सारे के सारे बैलट बाक्स और बैलट पेपर बदलने में क्या मुश्किल लगती है, क्या उसमें मुश्किल पेश आ सकती है? अगर, कोई यह समझता है कि ऐसा नहीं हो सकता है तो मेरे खयाल में उसकी जो समझ है, वह दिवालिया हो गई है। अगर, कोई कहता है कि इस बाक्स पर मेरी मुहर है और इसको बदला नहीं जा सकता है तो मैं समझता हूँ कि वह ठीक नहीं कहता है। यह भी हो सकती है।

जहां तक इस दूसरे तरीके को अमल में लाने का ताल्लुक है, चूंकि उधर बैठने वाले समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन बेईमान है, इस वास्ते हमारे मिनिस्टर साहब ने सोचा कि एडमिनिस्ट्रेशन को ही बीच में से निकाल दिया जाए। मैं बतलाना चाहता हूँ कि जो अपोजीशन वाला है, जो हारने वाला है, वह कभी नहीं कहेगा कि जो जीता है वह ईमानदारी से जीता है, चाहे किसी सिस्टम से भी आप इलैक्शन करवा लें। जो जीत कर आयेगा वह यह नहीं कहेगा कि किसी गलती की वजह से वह जीत कर आया है या सही तौर पर इलैक्शन नहीं हुआ है। जो उसकी पार्टी के उम्मीदवार हारे हैं उनके बारे में वह यही कहेगा कि किसी गलती की वजह से वे हारे है। हमारे माननीय

मंत्री जी ने इस नई पद्धति को डर की वजह से माना है। लेकिन, मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें भी डर तो रहेगा ही। मैं आज कहता हूँ कि अगले चुनाव के बाद भी आप पर यह इल्जाम आयेगा कि चुनाव ठीक नहीं हुए...

श्री त्यागी : अगले चुनाव में इनमें से कोई भी कामयाब नहीं होगा।

चौधरी रणबीर सिंह : कुछ तो इनमें से कामयाब होंगे ही।

जो जीतकर आयेंगे वे कहेंगे कि जो हारे वे इसलिये, हारे कि बैलट बाक्स को उड़ा दिया गया, वैलट पेपर्ज नये डाल दिये गये, जाली डाल दिये गये और उसके बाद मुहर लगा दी गई। यही आरोप आपके विरूद्ध आने वाले हैं।

मैं एक बात का माननीय मंत्री जी से जवाब चाहता हूँ। इसका जवाब किसी भी माननीय सदस्य ने नहीं दिया है। एक आदमी की इलैक्शन के दस दिन पहले नाम वापस लेने का अधिकार है। अगर, मैं दस दिन पहले इलैक्शन से विदड्रा कर जाता हूँ तो क्या माननीय मंत्री जी समझते हैं कि वे इस अर्से में सारे हिन्दुस्तान के लिये बैलट पेपर छपवा देंगे और अगर, उन्हें मेरे जिले में ही छपना है तो वह इस बात का कैसे दावा कर सकते हैं कि किसी अफसर के साथ मिल कर कोई इन्हें छपवान नहीं लेगा या छपवा नहीं सकूंगा? अगर, वह समझते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है तो मुझे उनकी यह बात जंचती नहीं है।

अब मैं एक बात कह कर समाप्त करता हूँ। मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि वोटर भी बेईमानी कर सकता है। अगर, कोई समझता है कि यह सिस्टम फूल पूरूफ है तो वह गलती करता है। मतदाता के बेईमान होने के कई तरीके हैं। मिसाल के तौर पर कहा जा सकता है कि मतदाता एबसेंट हो जाये। जबसी ने गिना और उसको पता चला कि चार हजार की कमी है तो वह चार हजार दूसरे कैंडीडेट के वोटर्ज को कह सकता है कि एबसेंट कर जाओ, गैर हाजिर हो जाओ और वे मतदाता ऐसा कर सकते हैं।

पंजाब में पंचायतों के लिए इलैक्शन हुए। कुछ को गिला है कि आदमी झूठे भुगते गये हैं। कलकत्ता के अन्दर बड़ा शोर हुआ, फोटो लगनी चाहिये या नहीं लगनी चाहिये। यह क्यों हुआ? यह इसलिये, हुआ कि वोटर दुबारा भुगत सकते हैं या स्याही को मिटा सकते हैं। बेईमानी तो वोटर की

तरफ से भी हो सकती है। इसलिये, मैं समझता हूँ कि इस तरह की बातों को दूसरा जो तरीका है वह भी बन्द नहीं कर सकता है। अन्य कोई तरीका मेरे ख्याल में मुमकिन ही नही है। अगर, यह दूसरा तरीका इस्तेमाल में लाया जाता है तो मुझे यकीन है कि अगली दफा माननीय मंत्री महोदय खुद इसको एमेंड करवाने के लिये यहां आयेंगे।

द्वितीय लोकसभा

शुक्रवार, 17 फरवरी, 1961*

राजनीतिक प्रचार के लिए धार्मिक पूजा स्थल के उपयोग की रोकथाम

चौधरी रणबीर सिंह (रोहतक) : सभापति महोदय, मुझे मालूम नहीं कि श्री परूलकर जी की इस प्रस्ताव को पेश करने में क्या मंशा थी ? कुछ उनके दिल में काला काला चोर था या सद्भावना थी, मैं नहीं कह सकता हूँ।

श्री त. ब. विट्ठल राव (खम्मम) : सद्भावना थी।

चौधरी रणबीर सिंह : अगर, उन्होंने इस प्रस्ताव को एक डेढ़ साल पहले रखा होता जब कम्युनिस्ट पार्टी वाले उन्हीं साथियों का, उन्हीं दोस्तों का साथ दे रहे थे और उन्हीं धर्म स्थानों का उपयोग कर रहे थे जिनके उपयोग पर आज प्रतिबन्ध लगाने की मांग की जा रही है तो मैं समझ सकता था कि वह सद्भावना के साथ इस प्रस्ताव को लाये हैं....

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (पुरी) : कब की बात है ?

चौधरी रणबीर सिंह : जनरल इलैक्शन की बात है। इसको सारा देश जानता है। अगर, मेरे ये भाई नहीं जानते हैं और कहते जाते हैं कि दो और दो तीन होते हैं तो मैं समझता हूँ कि इनका इलाज कहीं दूसरी जगह हो सकता है, आगरा में या अमृतसर के अन्दर हो सकता है, यहां इसका कोई ईलाज नहीं है।

मेरे एक भाई ने चुनौती दी है और इधर बैठने वालों के बारे में कुछ बातें

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 17 फरवरी, 1961, पृष्ठ 741-750*

कहीं हैं। मैं मानता हूँ कि सरहदी जी ने बातें कहीं हैं वे सही नहीं है। मैं समझता हूँ कि आज वक्त आ गया है कि हम कानून बनायें । हमने जनमत जागृत करने की कोशिश की। पंजाब में बहुत ज्यादा इसके लिये कुर्बानियां भी दी गईं। पंजाब की यह बदकिस्मती है कि उसे फिरकादारी से जो धार्मिक स्थानों में पनपती है, नुकसान उठाना पड़ा है। इस देश के दो प्रदेश हैं जिनका विभाजन हुआ, एक पंजाब का और दूसरे बंगाल का। बंगाल में उतने आदमियों की हत्या नहीं हुई जितने आदमियों की पंजाब में हुई। उन हत्याओं के पीछे जहां मेरे उन साथी के साथियों का हाथ हो सकता है। जो अब चले गए हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का हाथ हो सकता है, वहां दूसरे भाईयों का भी चाहे वे सिख फिरकापरस्त हों या हिन्दू फिरकापरस्त उनका भी हाथ हो सकता है और था। मुस्लिम फिरकापरस्तों का भी उसमें हाथ था।

पंजाब में सन 1937 में जब एक सियासी पार्टी कांग्रेस को हराकर मैदान में आई, तो मैंने उसकी मुखलिफत की। मेरा इशारा समझते हैं कि उसने पंजाब के अन्दर एक हवा पैदा की थी जो फिरकापरस्ती से ऊंची थी। उस फिरकापरस्ती से ऊंची हवा को खराब करने के लिये हम जानते हैं कि शहीदगंज का इस्तेमाल किया गया, मस्जिदों का इस्तेमाल किया गया। यह पंजाब का इतिहास है। मेरे साथी कहते हैं और पूछते हैं कि समय आ गया है या नहीं ? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि पिछले पांच सालों में पंजाब के अन्दर क्या-क्या हुआ है ? क्या पंजाब के अन्दर गुरूद्वारों से एक सियासी तहरीक नहीं उठी थी और उस तहरीक के दौरान में क्या 12-13 हजार व्यक्ति जेल नहीं गए थे। क्या पंजाब के लोगों से टैक्सों के जरिये वसूल किया गया लाखों रूपया इस तहरीक को दबाने के लिए बरबाद नहीं किया गया था ? उसके बाद फिर जनमत जागृत करने का मौका दिया गया। गुरूद्वारों के चुनाव हुए। आम सिखों को मौका दिया गया कि वे सोच कर राय दें और उन्होंने क्या राय दी ? यह बात सही है कि पहले गुरूद्वारा चुनाव के अन्दर हम सिर्फ तीन सीटें जीते थे। दूसरे गुरूद्वारा चुनाव में हम पांच जीते। तरक्की हमने की। लेकिन, क्या वह तरक्की ऐसी थी, क्या उसकी रफ्तार ऐसी थी कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते ? मेरा खयाल है कि वह तरक्की ऐसी नहीं थी कि हम शान्ति से बैठ जायें। इस सदन को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। मैं शास्त्री जी से भी पूछना चाहता हूँ कि क्या शास्त्री जी का इसमें हिस्सा नहीं था ? श्री वाजपेयी ने चण्डीगढ़ आर्य समाज मन्दिर की दुहाई दी है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आर्य समाज मन्दिर चण्डीगढ़ से वह सत्याग्रह नहीं चला जो एक तरह से राजनीतिक था और जिसके पीछे उन भाईयों का हाथ था जो

वजारत से निकले थे ? पंजाब के अन्दर उन्होंने और उन भाईयों ने जो अगुआ थे क्या सच्चर फार्मूले पर दस्तखत किये...

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : सच्चर फार्मूले की उस धारा का ही विरोध किया गया था जो भाषा से सम्बन्ध रखती थी। क्योंकि, वह विशुद्ध सांस्कृतिक प्रश्न था।

चौधरी रणबीर सिंह : शास्त्री जी को दस्तखत करने का मौका नहीं मिला था। आगे मिलेगा तो वे कैसे दस्तखत करेंगे यह मुझे मालूम नहीं। लेकिन, उन भाईयों ने, जिनमें हमारे सरदार प्रताप सिंह कैरों भी थे, सच्चर फार्मूले पर दस्तखत नहीं किये, वे उसका विरोध करने वाले थे। लेकिन, प्रोफसर शेर सिंह ने, जो शास्त्री जी के साथी हैं, सच्चर फार्मूले पर दस्तखत किए थे। आर्य समाज मन्दिर का इस्तेमाल किया। अगर, सरहदी साहब के साथियों ने गुरूद्वारों जैसे धार्मिक स्थानों को अपवित्र किया तो इन लोगों ने आर्य समाज मन्दिर को भी अपवित्र किया। सवाल यह है कि चाहे आर.एस.एस. वाले अपवित्र करें या अकाली दल वाले अपवित्र करें, हमको उसके लिये जवाबदेह होना है।

मैं जानता हूँ कि पंजाब के अन्दर दूसरे प्रदेशों के मुकाबले बहुत तरक्की हुई। उसी पंजाब सूबे के अन्दर, जिसमें आज से 14 साल पहले तकरीबन 4 लाख आदमियों की हत्या हुई और 28 जिलों वाला सूबा 121/2 जिलों का सूबा बन गया वह तबाह हुआ। पिछले 14 सालों के अन्दर ऊपर उठा और उसमें तरक्की की रफ्तार बहुत तेज रही।दो पंचवर्षीय योजनाओं के अन्दर उसकी तरक्की की जो रफ्तार रही है वह किसी भी दूसरे प्रदेश के लिये एक एन्विएबल पोजीशन है। पंजाब ने हिन्दुस्तान के दूसरे प्रदेशों को तरक्की की तरफ जाने का एक सबक दिया। लेकिन, यह बात सही है कि जहां पंजाब के अन्दर कांग्रेस सरकार और कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ चल रही थी, पंजाब बहुत आगे बढ़ आया। पंजाब के अन्दर दस सालों में अनाज की पैदावार दुगनी बढ़ी। नहरी सिंचाई को उसने तिगुना किया और बिजली के तारों को सात गुना किया। दस सालों के अन्दर अस्पतालों को दुगना किया, वहां यह भी सही है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के भीतर कभी शास्त्री जी मैदान में आ गये तो कभी सरहदी साहब के साथ मैदान में आ गये। उन्होंने 60 हजार आदमियों को, उन शूरवीरों को जो पंजाब की तरक्की के लिये आगे बढ़ सकते थे, जो हिन्दी और पंजाबी की तरक्की के लिये आगे बढ़ सकते थे, भड़काये। मैं रोहतक जिले का रहने वाला हूँ। मैं जब पढ़ता था या 13 या 14 साल पहले पंजाब के अन्दर कोई ऐसा सरकारी स्कूल नहीं था, जहां हिन्दी पढ़ाई जाती हो। आज पंजाब के अन्दर रोहतक जिले की बात नहीं

कहता, अमृतसर जिले में भी और जो नया पहाड़ी जिला है उसके अन्दर भी, कोई ऐसा स्कूल नहीं है, कोई ऐसा मेवों का भी स्कूल नहीं है, जहां हिन्दी न पढ़ाई जाती हो। लेकिन, शास्त्री जी और उनके साथियों ने पंजाब के अन्दर धार्मिक स्थान से, आर्य समाज मन्दिर से, एक तूफान वर्षा किया।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : On a Point of order सभापति जी, भाषा का सम्बन्ध राजनीति से चौधरी साहब जोड़ रहे हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता। भाषा तो विशुद्ध रूप से एक सांस्कृतिक प्रश्न है। अगर, पंजाब के विभाजन के लिये इस तरह की कोई चीज हुई होती तो दूसरी बात थी।

चौधरी रणबीर सिंह : यह कोई प्वाईंट ऑफ आर्डर नहीं है।

Mr. Chairman : There is no point of order. The hon. Member may proceed.

चौधरी रणबीर सिंह : सभापति महोदय, आप जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि बम्बई के अन्दर भाषा के नाम पर तूफान उठा। उसके पीछे सियासत थी। पंजाब के लिये भी मैं जानता हूँ कि यह बात ठीक है। अब जरा सच्ची बात हुई है तो शास्त्री जी को दु:ख पहुंचा। सरहदी साहब का हौंसला था कि उनके ऊपर गाली पड़ रही थी, वह चुपचाप शांति से सुन रहे थे। शास्त्री जी ने वह होंसला नहीं दिखलाया। लेकिन, इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि पंजाब का कोई भी आदमी नहीं इन्कार कर सकता है कि वहां पर जो मूवमेंट हिन्दी के नाम पर और पंजाबी के नाम पर चलाया गया, उसके पीछे सियासत नहीं थी। शास्त्री जी, जो पंजाब के नहीं हैं, इन्कार कर सकते हैं और मेरे भाई स्नातक साहब भी कर सकते हैं।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : आप हरियाना प्रान्त चाहते हैं या नहीं ?

चौधरी रणबीर सिंह : मैं चाहता था कि हर एक बात का जवाब दूं। लेकिन, मेरा समय सीमित है।

श्री नरदेव स्नातक (अलगढ़-रखित अनुसूचित जातियां) : आप इरेंलेवेंट बोल रहे हैं।

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : मैं एक व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न उठाना चाहता हूँ। जहां पर धार्मिक स्थानों को राजनीति के लिये प्रयोग न करने का प्रश्न है वहां पंचवर्षीय योजना कैसे आ गई या पंजाबी सूबे की बात कैसे आ गई ? अगर, सभापति महोदय इसे रोकेंगे नहीं तो समय व्यर्थ नहीं हो जायेगा क्या ?

सभापति महोदय : यह इसके अन्दर आता है।

चौधरी रणबीर सिंह : आप अच्छी तरह समझते हैं कि यह प्रश्न क्यों उठाये जा रहे हैं? इसलिये, मैं उनका जवाब देने में समय नहीं लगाऊंगा।

मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि धार्मिक स्थानों को किस तरह पर पंजाब के अन्दर अपवित्र किया गया। केरल का मुझे पता नहीं। केरल का दु:ख होगा मेरे साथी को। लेकिन, मुझे पंजाब का दु:ख है। उन पंजाबियों का जिनका खून, वहां जिनका करोड़ों रूपया लगा, पिछले पांच सालों के अन्दर। पंजाब में कम से कम डेढ़ करोड़ रूपया हिन्दी और पंजाबी और गुरूद्वारों और मन्दिरों को इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ लगा, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर तरक्की के कामों में लग सकता था। अगर, मेरे साथी समझना चाहते हैं कि इसका क्या वास्ता है तो मैं कहना चाहता हूँ कि इसका सीधा वास्ता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि धार्मिक स्थानों का इस्तेमाल ऐसे कामों में किया जाये ताकि उस पर हमारा पैसा खर्च न हो।

इसी के साथ मैं यह भी कह देना चाहता हूँ कि यहां बड़ी बड़ी कोशिशें हुई गुरूद्वारों को इस्तेमाल करने की। जैसा शास्त्री जी ने कहा, मैं उनसे सोलह आने सहमत हूँ गुरूद्वारों के बारे में। मुझे उनसे कोई विरोध नही। मैं जानता हूँ कि जिस तरह से पंजाब के अन्दर गुरूद्वारे इस्तेमाल हुए, उस तरह से नहीं इस्तेमाल होने चाहियें थे। पंजाब के लिये यह एक शर्म की बात है। खास तौर पर जो भाई गुरू नानक देव को मानते हैं, और जिन्होंने ऐसा किया, उनके लिये तो और भी शर्म की बात है। इसके साथ ही साथ, जो भाई महर्षि दयानन्द को मानते हैं, उन्होंने मन्दिरों को इस्तेमाल किया, तो उनके लिये भी यह शर्म की बात थी।

इतना कहते हुए मैं एक बात सरकार से भी कहना चाहता हूँ। जहां सरकार से मेरी प्रार्थना है कि वह कानून बनाये, वहां यह भी कहना चाहता हूँ कि जो लोग गुरूद्वारों को भूख हड़ताल के लिये इस्तेमाल करके सरकार को डराना चाहते हैं, जो हिन्दुस्तान का संविधान बना, जिस संविधान के अन्दर रखा गया कि पंजाब एक है, वह द्विभाषी सूबा है, एक हिन्दी रीजन और दूसरा पंजाबी रीजन, उसका खयाल न करके जो पंजाब को एक भाषी सूबा बनाना चाहते हैं, उनका भी हमें मुकाबला करना है। मुझे मालूम है कि आज जो 44 हजार आदमियों का दावा करते हैं, गुरूद्वारों में बैठकर और सरकार भी मानती है कि तीस हजार आदमी जेलों में गये। इसमें गुरूद्वारों का पैसा लगा। देश का वायुमंडल और सूबे का वायुमंडल खराब हुआ। हमें

उन लोगों से दब कर नहीं चलना है। हमें पंजाब को आगे बढ़ाना है, हिन्दूस्तान को आगे बढ़ाना है। इस देश के अन्दर सैक्यूलर सरकार स्थापित करना है, जैसा हम मानते हैं। मेरा निवेदन है कि अब वक्त आ गया है इसके लिये हमको कायदे कानून बनाने हैं। इस तरह की चीजों पर रोक लगाने के लिये जल्दी कानून बनाया जाये। सरहदी साहब की यह बात ठीक है और मैं सरदार प्रताप सिंह कैरों की तारीफ करता हूँ कि उन्होंने धार्मिक स्थानों में दखलअन्दाजी नहीं की। यह एक बहुत अच्छा सबूत था कि एक तरह से अच्छे ढ़ंग से लोगों का मुकाबला किया जा सकता है।

मैं उम्मीद करता था कि आज सरदार सरहदी 16 आने इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे और इस बात का सबूत देंगे कि सरदार प्रताप सिंह की प्रेरणा का उनके दिल पर असर हुआ है। पर मैंने देखा कि सरदार सरहदी पर उनकी प्रेरण का असर नहीं हुआ। इसलिये, मैं महसूस करता हूँ कि कायदे-कानून की बड़ी तेजी से जरूरत है। उनसे डरना भी नहीं चाहिये।

द्वितीय लोकसभा

सोमवार, 20 फरवरी, 1961 *

दो सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों (उन्मूलन) विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि हमको जो बात आज से दस साल पहले करनी चाहिये थी, उस पर खुशकिस्मती से आज इस सदन में फैसला किया है। हो सकता है कि उस वक्त हम इसे इसलिये, नहीं कर सकते थे कि जो साथी त्यागी जी की तरह सोचते थे, शायद उनकी तादाद हम से ज्यादा थी। मैं उस वक्त भी इस चीज के हक में था। यह कोई सही बात नहीं है कि अगर, हम गरीब आदमियों के लिये जगहें रिजर्व करनी हैं तो हम उसके लिये बड़े हलके बनायें ताकि कास्ट हिन्दू भी हर एक जगह से खड़े हो सकें। अगर, हरिजनों के लिये रिजर्वेशन हैं तो एक तरह से सब हरिजन और शेड्यूल्ड कास्टस या शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों के लिए है। लेकिन, वह एक खास किस्म के हल्के से ही खड़े हो सकते हैं। दूसरी तरह से इसके माने यह होते हैं कि जिस हरिजन हलके में सीट रिजर्व नहीं है वह दूसरे हलके से जाकर खड़ा हो। जब इन लोगों के लिये ऐसा है तो कास्ट हिन्दू को कौन सी आपत्ति हो सकती है? जो नानरिजर्व्ड जाति में आता है, उसके लिये कौन सी आपत्ति हो सकती है, कि वह दूसरे हलके से जाकर खड़ा हो? वह उस गरीब के मुकाबले ज्यादा शक्तिशाली है। मैं पहले भी यही मानता था कि हमें हरिजनों और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिये सिंगल हल्के रिजर्व करने चाहिये?

मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि मैजारिटी किस तरह से हरिजनों के किसी नेता के खिलाफ जा सकती है, तो आज भी जा सकती है। डबल मेम्बर

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 20 फरवरी, 1961, पृष्ठ 866-868*

कांस्टीटूएन्सी से जो वोटर्स हैं, उनमें हरिजनों की परसेन्टेज में कोई फर्क नहीं आता है। 20 या 25 परसेन्ट जो डबल मेम्बर कांस्टीटूएन्सी के लिए हैं, वही मेम्बर सिंगल कांस्टीटूएन्सी के लिये भी है। मै नहीं मानता कि जिस तरह से त्यागी जी समझते हैं, सब आदमी मिलकर तय करेंगे कि शेड्यूल्ड कास्ट के आदमी को हराना है। हां, यह बात जरूर है कि हम जिस तरह का समाज बनाना चाहते हैं, जो जातपात से ऊपर हो, जिसमें जातिवाद न हो, यह उसकी तरफ एक कदम है। शेड्यूल्ड कास्ट्स वाले अपने आपको इस तरह से अलहिदा नहीं समझेंगे। इसके अलावा गरीबों को भी मौका मिलेगा कि वह अपनी और ज्यादा पर्सनैलिटी बना सकें। मैं मजाक के तौर पर कहना चाहता हूँ कि एक तरीका हुआ करता था कि खेती में गरीब को सांझीदार लगाया जाता था। जमीन का मालिक कोई और होता था और हरिजनों को हम सीरी रखते थे। बदकिस्मती से डबल मेम्बर कांस्टीटूएन्सन्सी का जो सिस्टम था उसमें हमने हरिजनों को राजनीति की खेती में सीरी बना दिया था। यह कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं था। हमारे जैन साहब जी हैं वह हमारे सीरी के खिलाफ हैं। लेकिन, अपनी सियासत की सीरी के हक में हैं, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। जिस तरह से दोनों किस्म की बात चल सकती है। इस तरीके को बदलने की जरूरत है ताकि गरीब आदमी भी अपनी पर्सेनैलिटी बना सके और जिस तरफ हमें जाना है, उसकी तरफ हमारा कदम उठ सके।

द्वितीय लोकसभा

शुक्रवार, 24 फरवरी, 1961 *

अनुपूरक मांगों (सामान्य) के लिए अनुदान

चौधरी रणबीर सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि समय आपने निर्धारित कर दिया है...

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने निर्धारित नहीं कर दिया है, आपने खुद ही पांच मिनट मांगे थे।

चौधरी रणबीर सिंह : इस वास्ते मैं पीछे से शुरू करता हूँ। मैं पहले डिमांड नम्बर 119 लेता हूँ।

यहां पर कहा गया है कि कुछ सरकारें हिन्द सरकार की स्टेट ट्रेडिंग इन फूड के खिलाफ हैं, इस नीति के खिलाफ हैं। मैं आपको एक दूसरे जमाने की याद दिलाना चाहता हूँ। सन 1954 से पहले भी एक एक समय आया था जब विदेशों से काफी अनाज यहां आया था। उसके बाद लोगों ने समझा कि शायद अनाज के मामले में देश आत्मनिर्भर हो गया है। वह इतना पैदा करने लग गया है, जितने की उसको जरूरत है। इसका इशारा दूसरे प्लान में भी है। यह समझ कर कि हम कठिनाई को पार कर गये हैं, बहुत थोड़े रूपये की मांग रखी गई थी। लेकिन, दूसरे प्लान के दौरान में यह जाहिर हो गया कि हमारा जो अनुमान था वह गलत था। अगर, हम इस देश में इतना अनाज पैदा कर सकें जितने की हमको आवश्यकता है, तो इसका क्रेडिट मुझे भी मिलेगा। लेकिन, बात साफ है। इस देश के अन्दर दो किस्म के लोग हैं। एक वे हैं जो अनाज पैदा करते हैं और दूसरे वे हैं जो अनाज खाते हैं।

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 24 फरवरी, 1961, पृष्ठ 1884-1888*

उपाध्यक्ष महोदय : जो पैदा करते हैं, वे खाते नहीं हैं क्या ?

चौधरी रणबीर सिंह : वे खाते हैं। लेकिन, खरीद कर नहीं खाते हैं। यह कहने का मेरा मंशा था।

खाने वालों के लिये सरकार ने सस्ता अनाज देने के लिये सैकड़ों करोड़ रूपया निकाला। लेकिन, जब 1954 में काश्तकारों को बचाने का वक्त आया तो उन्होंने 30 करोड़ मुश्किल से हासिल किया। मुझे डर है कि आगे भी कोई ऐसा वक्त न आ जाये जब किसानों को बचाने की जरूरत पड़े। पिछली दफा हमारा अंदाजा गलत साबित हुआ था और हो सकता है कि आगे ऐसा ही हो। मैं पंजाब सरकार को इस बात के लिये बधाई देता हूँ उसने किसानों के प्रति हमदर्दी का बरताव किया है, काश्तकार, जो अनाज पैदा करता है, उसके प्रति हमदर्दी दिखाई है। हिन्दुस्तान की सरकार के खाद्य मंत्रालय के खिलाफ उसने जो हौंसला दिखाया है, उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूँ....

उपाध्यक्ष महोदय : मगर लड़ाना चाहते हैं दोनों को।

चौधरी रणबीर सिंह : मैं समझता हूँ कि हिन्दुस्तान का कृषि और खुराक मंत्रालय इस बारे में गलती पर है। इतिहास का तजुर्बा मेरे साथ है। जो रूपया आप अपने पास रखना चाहते हैं या स्टेट ट्रेडिंग खुराक में करना चाहते हैं। रामकृष्ण गुप्त जी ने जब तक खुराक खाने वालों के लिये रूपया खर्च किया जाता रहा कोई ऐतराज नहीं किया। लेकिन, जब खुराक पैदा करने वालों का सवाल आया तो उसकी कुछ कुछ उन्होंने मुखलिफत की। इसको मैं समझ सकता हूँ। मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है जब हिन्दुस्तान के खुराक मंत्रालय की स्टेट्स की मदद के लिये आना....

श्री राम कृष्ण गुप्त : मैं किसी मैम्बर के इंडिविजुअली खिलाफ नहीं हूँ। मैंने यह कहा है कि यूनिफार्म पालिसी होनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : अब चौधरी साहब की भी तो बात सुन लीजिये।

चौधरी रणबीर सिंह : मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन, इतना ही समय जो वह लें, मुझे और दे दिया जाये।

जहां तक सरकार द्वारा मुनाफा कमाये जाने का सम्बन्ध है, मैं समझता हूँ कि वह मुनाफा चीनी में कमाया जा सकता है। इस देश के आम आदमी की खुराक गुड़ और शूगर नहीं है। इसमें अगर, वह मुनाफा कमाती है तो वह सही है। जो मुनाफा वह इसमें कमायेगी वह लोगों का स्तर ऊंचा करने में खर्च होगा। लेकिन, जो मुनाफा खाद

में कमाया जाता है, वह ठीक नहीं है। आज सुबह बताया गया कि 18 करोड़ रूपया या कितना मुनाफा खाद की फरोख्त से देश ने कमाया है। यह चीज खतरनाक है। अगर, हम खाद सस्ता करके काश्तकार को देंगे तो वह और ज्यादा अनाज पैदा करेगा। अगर, मेरे भाई इस पर ऐतराज करते और कहते कि इसमें मुनाफा नहीं कमाया जाना चाहिये तो मैं समझ सकता था कि उनकी हमदर्दी किसके साथ है। लेकिन, इस बात पर उन्होंने कोई ऐतराज नहीं किया।

अब मैं डिमांड नम्बर 32 के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। बहुत से भाईयों ने गिला किया है कि बाहर से लोग यहां आते हैं, जर्नलिस्ट हैं या दूसरे बैंक के साथ आते हैं, उनके ऊपर क्यों खर्च किया जाता है ? उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि हमें वह जमाना याद है, जब दूसरे प्लान पर बहस हो रही थी तो यह कहा गया था कि 800 करोड़ रूपया बाहर वाले नहीं देंगे। लेकिन, इतिहास ने साबित किया कि 800 करोड़ नहीं, बल्कि 1500 करोड़ रूपया बाहर के देशों ने हमको देने का वादा किया और दूसरे प्लान के बीच 1200 करोड़ के करीब रूपया आयेगा। सहायता को हासिल करने के लिये अगर, हम कुछ लोगों को यहां बुलाकर दिखायें तो इस पर वे ऐतराज करते हैं। अजीब हालत है उनके ऐतराज की। कभी कहते हैं कि हमको कोई पैसा नहीं देगा, कभी कहते हैं कि हम उसको वापस नहीं दे सकेंगे, कभी कहते हैं कि उन लोगों को लाकर यहां क्यों दिखलाते हो, वह अपनी बात कह सकते हैं।

मैं एक और अर्ज करना चाहता हूँ, डिमांड नं. 15 पर। आफिशल लैंग्वेज कमीशन की सिफारिश के तौर पर एक कमिशन बनाया गया है जो साईंस और दूसरी बातों की टर्मिनालोजी तैयार करेगा। लेकिन, जिस ढ़ंग से सप्लीमेंटरी डिमांड 1000 रूपये की रखी गई वह जाहिर करती है कि इसकी तरफ हमारा कितना जोश है, कितनी हमारे दिल में तड़प है कि देश की भाषा के अन्दर तालीम दी जाये और सरकारी कामकाज चलाया जाये। मुझे अभी भी याद है कि जिस वक्त इस रिपोर्ट पर बहस हो रही थी, उस वक्त मैंने कहा था कि अगर, हिन्दुस्तान की सरकार चाहती है, जो मैं समझता हूँ कि देश की एकता के लिये जरूरी है, कि इस देश की कोई एक भाषा बने, जो हिन्दी ही हो सकती है। अगर, सरकार चाहती है कि जो भाई आज हमारे सेक्रेरियट में बैठे हैं और इस सदन के अन्दर जो सदस्य बैठे हुए हैं, जो देश की किस्मत के मालिक हैं, जिनको हिन्दी नहीं आती है, वे हिन्दी पढ़े, तो उनका सही तरफ कदम उठेगा। जो भी हिन्दी पढ़े और परीक्षा पास कर ले अगर, उसको सरकार 2000 रूपये इनाम के तौर पर दे, तो मैं समझता हूँ कि सब लोग हिन्दी पढ़ेंगे और यह

देश की बहुत बड़ी सेवा होगी। यहीं वे आदमी हैं जो देश को एक तरह से ठीक रास्ते पर नहीं जाने देते हैं। जिस चीज को देश के विधायकों ने कबूल किया, जिन्होंने देश की भाषा का निर्णय लिया था, उनके रास्ते में रोड़े हैं। उन रोड़ों को बिना किसी विरोधी प्रचार के, बगैर किसी तरह से उनके खिलाफ कुछ कहे हुए, बगैर किसी तरह से उनको बाध्य किये हुए, अगर, थोड़े प्रलोभन से मना सकें, तो वह सही रास्ता होगा। इसलिये, मैं चाहता हूँ कि इस डिमान्ड के लिये कम से कम अगले सेक्रेटरी से ऊपर और सेक्रेटरी के लेवेल तक के लोग हिन्दी नहीं जानते हैं, या जो पार्लियामेंट और असेम्बलियों में मेम्बर हैं और हिन्दी नहीं जानते हैं, अगर, वे हिन्दी की परीक्षा पास करें तो हर एक को दो दो हजार रूपया इनाम के तौर पर दिये जायें और उसके लिये बजट में पैसा रखा जावे।

द्वितीय लोकसभा

सोमवार, 13 मार्च, 1961*

अनुदान मांगें (रेल)

चौधरी रणबीर सिंह (रोहतक) : सभापति महोदय, मैं डिमाण्ड नं. 6, 7, 8, 15 और 16 के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि जहां तक रेलवे के महकमे का आम तौरपर काम करने का तरीका है, वह देश को बहुत आगे ले गया और उसमें काफी तरक्की हुई। लेकिन, कई चीजें हैं, जिनमें रेलवे का महकमा पीछे है। अगर खास तौर पर देखा जाये तो जो ब्याज के नाते रेलवे का महकमा सन 1950-51 के अन्दर 26.01 करोड़ देता था। वर्ष 1960-61 में यह रकम 51 करोड़ 60 लाख के करीब हो गई और सन 1961-62 में यह 56 करोड़ 55 लाख के करीब हो जायेगी। चूंकि, उसकी पूंजी बढ़ती जाती है।। इसलिये, कुदरती बात है कि उसका ब्याज भी बढ़ता जाता है। सन 1950-51 में 827 करोड़ के करीब पूंजी रेलवे पर लगी हुई थी। सन 1960-61 में वह कोई 1559 करोड़ के गरीब हो गई होगी।

यह ठीक है कि जहां तक रेलों में सहूलियतें देने का वास्ता है। हम काफी आगे गये हैं, काफी तरक्की हुई। तीसरे दर्जे के कम्पार्टमेंट्स में भी बहुत जगह बिजली के पंखे लगाने की कोशिश की गई और वे लगे हुए हैं। कई जगहों पर शिकायत भी हो सकती है कि कोई-कोई पंखे काम नहीं करते हैं, कहीं-कहीं पर टट्टियों के नलके काम नहीं करते, या कोई कम्पार्टमेंट टपकता हो सकता है। लेकिन, फिर भी काफी से ज्यादा तरक्की हुई है और रेलवे ईंजनों, सवारी गाड़ी के डिब्बों और मालगाड़ियों के डिब्बों की तादाद काफी बढ़ी है। माल के डिब्बे पिछलेपांच सालों में करीब 1 लाख के बने, एंजिन 2100 के करीब बने और 8500 सवारी के डिब्बे बढ़े। लेकिन, इसके साथ ही मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि रेलवे लाईनें बहुत ज्यादा नहीं बढ़ीं। रेलवे लाईन पिछले दस सालों के अन्दर कोई 4866

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 13 मार्च, 1961, पृष्ठ 4528-4534*

मील लम्बी ही बढ़ी है। जहां हमने इस देश के अन्दर इतनी ज्यादा तरक्की की, सड़कें काफी ज्यादा बढ़ाई, कारखाने भी बहुत ज्यादा बढ़ाये, वहां रेले की लाईनें उतनी ज्यादा नहीं बढ़ीं हैं। मैं इसे शर्म की बात मानता हूँ कि 13, 14 सालों में जो लाईनें पहले उठायी गयी थीं, वह भी अभी तक नहीं बिछी हैं। इसकी कई एक मिसालें मुझे याद है। जैसा देहातों में कहा करते हैं : धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। रोहतक से पानीपत एक लाईन थी। रोहतक से गोहाना तक बना दी गई। लेकिन, गोहाना से पानीपत तक अभी अधूरी पड़ी है। उसका न कोई आमदनी का हिसाब हो सकता है और न घाटे या नफे का हिसाब हो सकता है। आज देश में नई लाईनों को बिछाने की बड़ी आवश्यकता है। लेकिन, जो लाईनें उखाड़ दी गयी थीं, उनको तो जरूर इस साल में बिछाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर, हम उसको नहीं बना पाते हैं तो यह हमारे लिये कोई शोभा की बात नहीं है। पहले हम कह सकते थे कि देश में लोहे की कमी है। इसलिए, नई लाईनें नहीं बिछायी जा सकतीं या उन लाईनों को नहीं बिछाया जा सकता जो उखाड़ दी गयी थीं। लेकिन, आज तो हमारे लोहे के तीन कारखाने चल पड़े है, जिनका हमने बहुत प्रचार किया है। उनमें हर एक पर 150 करोड़ रूपया लगा है। हम चौथा लोहे का कारखाना और खोलने जा रहे हैं। अगर, आज भी यह लाईन न बिछायी जा सके तो इसके लिये कोई वजह नहीं दी जा सकती।

हमारे राष्ट्रपिता ने हमको सिखाया था कि हमें सादा रहना चाहिए। जो बहुत ज्यादा आराम की बातें हैं, उनको हमें छोड़ना चाहिए। सबसे पहले आपको इन इलाकों में रेलें बिछाने की ओर ध्यान नहीं है, जिन इलाकों में पहले से ही रेलवे लाईन है, उनमें सुविधाएं बढ़ाने का विचार आपको बाद में करना चाहिये। लेकिन, हो यह रहा है कि जहां पहले से रेलवे लाईन मौजूद हैं, उसी इलाके के लोगों को आप और ज्यादा आराम देने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पहले इन इलाकों की ओर ध्यान देना चाहिए जहां अभी रेलवे लाईन का आराम नहीं है। जिन इलाकों में पहले से रेलवे लाईन है, वहां आप प्लेटफार्मों को और ऊंचा कर रहे हैं, तीसरे दर्जे के डिब्बों के अन्दर पंखे भी लगा रहे हैं, प्लेटफार्मों पर छाया भी कर रहे हैं, वेटिंग हाल बना रहे हैं और कर्मचारियों को और ज्यादा सहुलियतें दे रही हैं। लेकिन, आपको पहले उन लोगों की ओर ध्यान देना चाहिये जिनको अभी रेलवे लाईन की सुविधा प्राप्त नहीं है।

आप जानते हैं कि रेलवे सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा कारोबार है। इसके सरमाए में हर आदमी का सात आने का हिस्सा आता है। जिन इलाकों में अभी रेलवे लाईन नहीं बनी है, उन इलाकों के लोगों के दिल में यह खयाल आता है कि हमारे हिस्से के सरमाए का क्या हो रहा है। वह किसके आराम के लिए काम में लाया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि जो लाईनें उखाड़ी गयी थीं वे सारी फिर से बिछायी जानी चाहिएं। जो लाईनें अधूरी छोड़ दी गयी हैं,

जैसे गोहाना पानीपत लाईन है, उनको पूरा बिछाया जाए।

इसके साथ साथ मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि नीति निर्धारण के मामले में भी कुछ गड़बड़ी है। रेलवे बजट के कागजातों से पता चलता है कि कोयले को देश के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाने के काम में रेलवे को बड़ी लाईन पर 47 नए पैसे फी टन माईल का घाटा रहता है और मीटर गेज लाईन पर फी टन माईल में 2 रूपये 26 नए पैसे का घाटा रहता है। जहां तक नीति निर्धारण का सवाल है, इस हालत में यह विचार करना चाहिए कि किन इलाकों में बिजली की रेल जारी करें, या कहां डीजल गाड़ी चलायें। ये चीजें पहले उन क्षेत्रों में होनी चाहिएं जो कोयला क्षेत्र से दूर पड़ते हैं। क्योंकि, उन इलाकों में कोयला पहुंचाने में रेलवे को काफी घाटा उठाना पड़ता है। उसका वर्किंग एक्सपेंस बढ़ जाता है। रेल चलाने में जहां हमको जनता के आराम का खयाल रखना है, वहां यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह व्यापार है और इससे फायदा होना चाहिए। होना तो यह चाहिए था कि देश के जो क्षेत्र कोयला क्षेत्र से दूर पड़ते हैं वहां डीजल से रेल पहले चलायी जाती या वहां पर बिजली की रेल चलायी जाती। जैसे पंजाब है, न कि कलकत्ते में या मद्रास और बम्बई में जहां कोयला ले जाने में उतना खर्च नहीं होता। मैं चाहूंगा कि बिजली से रेल चलाने का या डीजल से चलाने का जहां तक सवाल है इसको सबसे पहले पंजाब के अन्दर शुरू करना चाहिए, जहां कोयला पहुंचाने में सबसे ज्यादा खर्चा पड़ता है।

इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि रेलवे सरकारी क्षेत्र में सबसे बड़ा कारोबार है और इसमें बहुत ज्यादा कर्मचारी हैं। मैं चाहता हूँ कि इस विभाग में सरकार को एक नया तजुर्बा देश के सामने रखना चाहिए। अभी मेरे एक भाई ने कहा है कि वे रेलवे यूनियन्स मंजूर की जाएं जिनमें सदस्यों की तादाद ज्यादा हो। उन यूनियन्स की यह नीति है कि वे यह नहीं बतातीं कि किस चीज में रेलवे का फायदा हो सकता है और किस तरह रेलें कम खर्च में चल सकती हैं। ये यूनियनें रेलवे से अपनी मांगे मंजूर कराने के लिए हड़तालें करती हैं। हमारे रेलवे बोर्ड की यह नीति है कि वह उन यूनियन्स को मान्यता देता है जिनकी सदस्य संख्या ज्यादा है। मैं चाहता हूँ कि रेलवे मंत्रालय को केवल उन यूनिन्स को ही मान्यता देनी चाहिए जो देश की नीति के अनुसार कर्मचारियों के हितों को आगे बढ़ाना चाहती है और देश हित को ध्यान में रख कर कर्मचारियों की तरक्की चाहती हैं। हम देखते हैं कि जो यूनियन्स हड़तालें करवाती हैं उनको हम मान्यता देते हैं। जो आदमी रेलों को अच्छे ढ़ंग से चलाने में मदद देना चाहते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं, उसकी यूनियंनस को हम मंजूरी नहीं देते। क्योंकि, उनकी तादाद कम है। इस तरह तादाद को देखकर अगर, आप मंजूरी देंगे तो गाड़ी ठीक ढ़ंग से नहीं चल सकती। क्योंकि,

हर जगह तादाद से काम नहीं चल सकता। अगर, हमको अपना काम सही ढ़ंग पर चलाना है तो उन यूनियन्स को मंजूरी देनी चाहिए जो देश के हित का ध्यान रखती हैं।

श्री वाजपेयी (बलरामपुर) : आप भी तो तादाद पर ही यहां आए हैं।

चौधरी रणबीर सिंह : लेकिन, सब जगह तो तादाद नहीं चल सकती। यहां तो आप एक बार आ गए, अब पांच साल तक आप रह सकते हैं, चाहे सही काम करें या गलत करें। लेकिन, बाकी जगह तो दूसरी बात है। जैसा मैंने पहले कहा हमको केवल यूनियन में मजदूरों की तादाद को ही नहीं देखना चाहिए, हमको उन चालीस करोड़ लोगों के हितों को भी ध्यान में रखना चाहिए जिनका सात सात आने का सरमाया इस कारोबार में लगा है। हमको उन लोगों का पहले ध्यान रखना होगा और एक बड़ी चीज के लिए हमको छोटी चीज को छोड़ना होगा।

इसके साथ ही रेलवे की इकानामिक्स के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूँ। आज रेलवे को रोड़ ट्रांसपोर्ट का मुकाबला करना पड़ रहा है। इसलिए जरूरत है कि जहां स्टेशन की आवश्यकता हो वहां स्टेशन बनाए जाएं। लेकिन, अजीब हालत है कि ऐसा नहीं किया जाता। मंत्री महोदय ने जिक्र किया था कि हमने कई जगह फोरम खोले हैं। मैं तीन चार साल से लगातार इन फोरमों की मीटिंगों में कोशिश कर रहा हूँ कि तीन चार जगह नए स्टेशन खोले जाएं। लेकिन, अभी तक कामयाबी नहीं मिली। मैं आपको बताऊं कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सरदार करनेल सिंह गोहाना रोहतक लाईन इनागुरेशन के वक्त खुद मौजूद थे और उन्होंने माना था कि रोहतक कैम्प पर एक फ्लैग स्टेशन होना चाहिए। उसके लिए वायदा भी किया था। लेकिन, वह स्टेशन नहीं बना। मैंने यहां सवाल किया तो उसके जवाब में बताया गया कि यह नहीं हो सकता और यह स्टेशन अब नहीं खोला जा सकता। हालांकि, जब फ्लड आया था तो यहां एक स्टेशन बनाया गया था और उससे आमदनी भी होती थी। लेकिन, मालूम नहीं कि इनका क्या हिसाब खाता है? कौन इनको बतलाता हूै कि आमदनी होगी या नहीं होगी? जहां कोयले की कमी नहीं है, वहां बिजली की रेल चलाते हैं और डीजल से रेल चलाते हैं जिसमें ज्यादा खर्चा पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि रोहतक कैम्प पर एक स्टेशन बनाया जाए। इसी तरह से सफीदों और बूढ़ा खेड़े के बीच में एक स्टेशन बनाया जाए। नरवाना और कलायत के बीच एक स्टेशन बनाया जाए। बाजपुर और गूलरभोज दो स्टेशनों के बीच में भी एक स्टेशन बनाया जाए। तीन जगहों को तो रेलवे मंत्रालय ने मंजूर किया है और कहा है कि गौर कर रहे हैं। लेकिन, उम्मीद ही उम्मीद में तीन साल तो चले गए। अगर, आप इसी रफ्तार से चलेंगे तो आज के मुकाबले के जमाने में किस तरह से काम चलेगा।

द्वितीय लोकसभा

बुधवार, 15 मार्च, 1961*

आम बजट पर चर्चा

चौधरी रणबीर सिंह : सभापति महोदय, यह सदन और कांग्रेस पार्टी इस देश के अन्दर एक समाजवादी ढ़ंग की आर्थिक व्यवस्था कायम करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने निश्चय कर लिया है। अब दूसरी तरफ कम्युनिस्ट साथी हैं जो समझते हैं कि समाजवादी ढ़ांचा कायम हो सकता है, बशर्ते हम विदेशों से कोई कर्जा न लें, लोगों पर कोई टैक्स न लगायें और न ही रूपये का प्रसार करें। उनके खयाल के मुताबकि डैफिसिट फाइनेंसिंग न करें और उनके मुकाबले में तनख्वाहदारों की तनख्वाह बढ़ायें। सारे का सारा अपोजीशन जो मेरे उधर की ओर बैठता है इस बात से सहमत था कि तनख्वाहदारों की तनख्वाह बढ़ाई जाये। अब उनका अजीब हिसाब है? खर्चा तो बढ़ाना चाहते हैं पर आमदनी बढ़ाने के लिए तैयार नहीं हैं। बात साफ है कि जबानी जमाखर्च करके सबको वे खुश करना चाहते हैं, वरना जब तक आमदनी नहीं बढ़ेगी उस वक्त तक तनख्वाहदारों की तनख्वाहें भी नहीं बढ़ सकती हैं। एक तरीके से कहना चाहिए कि वे तनख्वाहदारों की तनख्वाह बढ़ाने के भी हिमायती नहीं हैं। दूसरी तरफ कुछ भाई हैं जो समझते हैं कि शायद इस देश के अन्दर कोई तरक्की ही नहीं हुई है। उनको मालूम होना चाहिए कि हमारे वित्त मंत्री महोदय ने दूसरे हाऊस में बताया और यहां भी बजट पेपर्स के अन्दर लिखा है कि भारत सरकार की 370 करोड़ रूपये की आमदनी जो सन 1950-51 में थी, वह आज बढ़कर 1012 करोड़ हो गयी है। इसी के साथ साथ देश की तरक्की के लिए डवलपमेंटल ऐक्सपेंडीचर 450 करोड़

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 15 मार्च, 1961, पृष्ठ 5184-5193*

रूपये का था वहां सन 1960-61 के अन्दर 1708 करोड़ रूपया डेवलपमेंटल एक्सपेंडीचर या देश की उन्नति के लिए खर्च होता है। इस खर्चे का जो औसत है वह पहले की अपेक्षा बढ़ रहा है। पहले सन 1950-51 में 48 प्रतिशत था, जब अब वह 65 फीसदी हो गया है। हकीकत यह कि देश तरक्की कर रहा है। लेकिन, कुछ भाई हैं जो समझते हैं कि शायद यह तरक्की कुछ ही चंद आदमी 20-25 या 30 आदमी अथवा 40 खानदान ही कर रहे हैं। उनके खयाल में शायद देश में कोई तरक्की ही नहीं हुई है। मैं अपने उन बन्धुओं से पूछना चाहूंगा कि सन 1950-51 में इस देश के अंदर जितनी बाइसाईकिलें बनती थीं और बिक्री हुईं सन 1961 में उससे दस गुनी ज्यादा साईकिलें बनीं तो क्या वह बाइसाईकिलें टाटा और बिड़ला खरीदते हैं? आखिर वह बाइसाईकिलें कहां जाती हैं? इसी तरीके से सीने की मशीने जितनी सन 1950-51 में इस देश के अंदर साढ़े 9 गुना बनी हैं तो उनको कौन खरीदता है? जाहिर है कि यह चीजें आम जनता खरीदती है। यह इस बात का सबूत है कि देश के आम आदमी का स्तर ऊंचा हो रहा है।

हमारे समाज के अन्दर जो पिछड़ा हुआ वर्ग है वह हरिजनों में भी सबसे पीछे बाल्मीकी समझा जाता है। अगर, आज हमारे वित्तमंत्री महोदय की यह भावना है कि सारे देश में नशाबंदी लागू हो जाये और शराबखोरी एकदम बंद हो जाये तो इसके पीछे उनके दिल में वह ख्वाहिश काम कर रही है कि हमारे जो गरीब लोग हैं उनका जो भी थोड़ा बहुत पैसा रहता है, वह इस तरह के कामों में जायेा न जाये। पैसा बेकार जाने के अलावा और भी नशा करने से उनको कितनी हानियां होती हैं, उनसे वे बच जायें। इस कारण से हमारे वित्तमंत्री महोदय नशाबंदी के हक में हैं।

जहां तक लोगों का स्टैन्डर्ड ऑफ लिविंग ऊंचा होने का सवाल है मेरा कहना है कि आप गरीब वाल्मीकी लोगों के घर में ही जाकर देखिये कि क्या नक्शा है। मुझे मालूम नहीं कि यह रिपोर्ट किसने लिखी है। लेकिन, अगर, उसके खर्च और आमदनी का हिसाब लगाया जाये तो एक बाल्मीकी भाई के कुनबे की मासिक आमदनी कम से कम 350 रूपये है। वह काम करता है, उसकी औरत काम करती है और दूसरे परिवार के सदस्य काम करते हैं। यह मालूम हो जायेगा कि पहले की अपेक्षा एक बाल्मीकी परिवार का स्टैन्डर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया है।

इसी तरह से रेलवे स्टेशन के कुलियों की बात है। मैंने एक रेलवे के कुली से पूछा कि भाई तुम कितना रोज पैदा कर लेते हो, तो उसने कहा कि हालांकि, मेरी कोई तनख्वाह मुकर्रर नही है। लेकिन, अंदाजन 6 रूपये रोज की मेरी आमदनी हो ही

जाती है। रेलवे प्रशासन ने हालांकि, यह लिखा हुआ है कि एक कुली को एक हैडलोड पर सिर्फ 3 आने देने हैं, मगर मैं अपने उन बन्धुओं से कहता हूँ कि यहां दिल्ली रेलवे स्टेशन अथवा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कोई कुली यदि 3 आने में सामान उठा कर ले जाये तो मैं उनकी बात को सही मान जाऊंगा। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई दो राय नहीं हो सकतीं कि हमारे देशवासियों का स्तर ऊंचा हो रहा है।

सभापति महोदय, सवाल यह है कि आया देश समाजवादी ढ़ांचे की स्थापना की ओर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? इसको कौन नहीं जानता कि आज से 3, 4 साल पहले इस देश के अन्दर जितना लोहा पैदा होता था सिवाय एक कारखाने को छोड़कर बाकी 95 फीसदी के करीब या 88 फीसदी के करीब प्रोड्यूस करता था, वह सारा निजी क्षेत्र में टिस्को और इस्को पैदा करता था, टाटा और बिड़ला पैदा करते थे। आज, 4, 5 साल के भीतर देश के अन्दर जहां लोहे की पैदावार बढ़ी है, उसके हिसाब से सरकारी कारखाने हैं, उनसे जो पैदावार होगी, वह 75 फीसदी होगी। हमारे आचार्य जी तो बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, मैं कोई आर्चा हूँ नहीं, केवल एक मामूली सा आदमी हूँ और मैं उनका मुकाबला तो नहीं कर सकता। न ही मैं इतनी बड़ी कहानी जानता हूँ कि यह बताऊं कि समाजवादी ढ़ांचे की तरफ जाना है या पीछे को हटना है।

सभापति महोदय, इसके अलावा मुझे और भी दो, चार बातें कहनी हैं। मैं इसे स्वीकार करता हूँ कि मुद्रा नीति और वित्तीय नीति देश के बनाने के लिए बड़ी जरूरी होती है। मुझे यह भी मालूम है और जैसा श्री अजित प्रसाद जैन ने कहा इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि 20 या 25 कुनबे या कम्पनियां इस देश के अन्दर ऐसी हैं, जिनकी आमदनी बढ़ रही है। लेकिन, उनकी आमदनी क्यों बढ़ रही है, इस पर भी हमें सोचना होगा। उसकी वजह साफ है, जहां इस देश ने फैसला किया है कि हमें इस देश में समाजवादी ढ़ंग की आर्थिक व्यवस्था कायम करनी है , वहां यह भी फैसला किया है कि मिश्रित अर्थ व्यवस्था में अभी कुछ दिन के लिए हमें चलना है। जहां तक मुझे मालूम है, उनकीं जो आमदनी बढ़ी है, वह टैक्स की कमी से नहीं है। एक तरफ मेरे भाई रंगा जी और मसानी जी लोगों को कहते हैं और समझते हैं कि इस देश के अन्दर आमदनी के ऊपर टैक्स ही नहीं देना होता है। इस देश के अन्दर खर्च के ऊपर भी टैक्स है, मृत्यु कर जो लगता है जो सम्पत्ति रह जाती है उसके ऊपर टैक्स हैं। अब मरने वाले को मरते मरते यह ख्याल रखना होता है कि मेरे बच्चों को यह टैक्स देना पड़ेगा और वह सरकार मेरी जायेदाद बेचकर वसूल कर लेगी। एक आध जगह वह कर जायेदाद बेच कर अदा किया गया। अब 20, 25 कुनबों की क्या

बात है? वह जो करोड़ों रूपयों की जायेदाद बढ़ी है, वह इसलिए बढ़ी है। क्योंकि, देश ने मिश्रित अर्थ व्यवस्था में चलते रहने का फैसला किया है। उसके नतीजे के तौर, पर डेवलपमेंट्स रिबेट देने का फैसला किया। डेवलपमेंट रिबेट देकर वह कारखाने लगाते हैं। मुझे मालूम है कि आज टिस्को के जिम्मे 46.31 करोड़ रूपया बकाया है, जिसकी जामिन हमारे देश की सरकार है--हमारे देश की सरकार ने उसकी जमानत दी है। इसी तरह इस्को के जिम्मे 18.53 करोड़ रूपया बकाया है, जो उसने हिन्दुस्तान की सरकार की मार्फत लिया है। उसके लिये भी हमारी सरकार जामिन है। लेकिन, इसके बावजूद मैं इस बात की ताईद करता हूँ। मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि जो लोहे के कारखाने टिस्को और इस्को बना रहे हैं, उनको टाटा और बिड़ला किसी और देश में तो ले जा नहीं सकते हैं। जब हमने अपने देश के बड़े बड़े रजवाड़ों को खत्म कर दिया है, तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है, जब हम टिस्को और इस्को को ले लें। ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं कि वे मोरारजी भाई के सामने हाथ जोड़ कर कहेंगे कि आप इनको ले लो। इस सिलसिले में मुझे याद आता है कि जब एक साथी ने सरदार पटेल से महाराजा जींद और महाराजा पटियाला की शिकायत की तो उन्होंने उसको शान्ति से सुना और उस बात का जवाब न देते हुए यह कहा कि इतना खाओ, जितना पचा सको, वरना कै या दस्त होगा। इस मामले में भी हमको यह बात अपने सामने रखनी चाहिए। देश ने कम्युनिस्ट साथियों को मौका दिया कि वे एक स्टेट का इन्तजाम करके दिखायें। लेकिन, उनसे इन्तजाम नहीं हो सका। इसी तरह हमारे साथी, श्री रंगा, के हिमायतियों और दूसरे साथियों को पैप्सू का राज्य चलाने का मौका दिया गया था। वे एक साल से ज्यादा वहां का राज्य नहीं चला सके। यह काम मुश्किल होता है।

मेरी बदकिस्मती है कि वित्त मंत्री महोदय बाहर जा रहे हैं। मैंने उनकी तारीफ की है। अब मैं कुछ कड़वी बातें सुनाना चाहता हूँ। वे सुनते तो अच्छा था।

श्री त्यागी : उनकी गैर हाजिरी में ही सुनाओ।

चौधरी रणबीर सिंह : मुझे भी कुछ गिला है कि हमारे देश की वित्तीय नीति या मुद्रा नीति कई दफा गलत हो जाती है। हमारे दोस्त कहा करते हैं कि यहां हालत यह है कि एक हाथ पगड़ी के ऊपर और दूसरा तरक्की की कोशिश पर है। दोनों हाथ कोशिश पर नहीं होते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि एक तरफ हमारे कम्युनिस्ट भाई और दूसरे विरोधी सरकारी कर्मचारियों की स्ट्राईक कराते हैं, तो दूसरी तरफ पंजबी सूबे या हिन्दी आन्दोलन चलाया जाता है। उन सबका मुकाबला करना होता है।

मैं आपसे कह रहा था कि मुझे इस बात पर कोई ऐतराज नहीं है कि हिन्दुस्तान की सरकार टाटा और बिड़ला के लोहे के कारखानों की जामिन बने और उनको 46 करोड़ और 18 करोड़ के कर्जे दिलाये। मुझे ऐतराज इस बात पर है कि हम इस सदन में यह फैसला कर चुके हैं कि सहकारी क्षेत्र को बढ़ायेंगे। लेकिन, रोहतक में जो हमारा गन्ने का सहकारी कारखाना है और जो बाजपुर का कारखाना है, उनको सूद देना पड़ता है सात फीसदी, जब टाटा और बिड़ला के कारखानों से सूद साढ़े चार फीसदी और पांच फीसदी लिया जाता है। मैं चाहता हूँ कि इंडस्ट्रियल फाईनेंस कार्पोरेशन और स्टेट फाइनेंस कारपोरेशन ऐसी व्यवस्था करें कि जो सहकारी कामकाज और कारखाने हों, उनका रेट ऑफ इंट्रेस्ट किसी सूरत में चार फीसदी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तभी हम साहूकार का मुकाबला कर सकते हैं।

जहां रिजर्व बैंक काश्तकारों को खेती का काम बढ़ाने के लिये दो फीसदी के ऊपर रूपया देता है। लेकिन, वह रूपया आम काश्तकार के पास नौ फीसदी सूद के ऊपर पहुंचता है। मैं चाहता हूँ कि इसका इन्तजाम किया जाये। हमारे एक साथी ने, जो वजीर हैं, एक फार्मर्ज को-आपरेटिव बैंक खोला है। लेकिन, कुछ लोगों को उस पर ऐतराज है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी एक मिश्रित इकानोमी है। जब सरकार टाटा और बिड़ला को जमानत देकर 46 करोड़ और 18 करोड़ कर्ज दिला सकती है (जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है), तो खेती में ट्रैक्टर पर कर्ज देने के लिये अगर, कोई बैंक खोले, तो किसी को आपत्ति क्यों हो? मुझे पंजाब स्टेट के बारे में मालूम है। मैं जानता हूँ कि पंजाब में बड़ी तरक्की हुई है। वहां के मुख्यमंत्री एक आहनी इन्सान हैं। लेकिन, एक बात सही है कि हिन्दुस्तान की सरकार की नीति की वजह से तीस एकड़ से ज्यादा जमीन के मालिक को कोई कर्ज बैंक से नहीं दिया जा सकता। कोई बैंक खुले और काश्तकारों को कर्ज मिले, तो किसी को क्या ऐतराज हो सकता है?

पंजाब और दूसरी स्टेट्स के बारे में हमारे प्लानिंग कमीशन की अजीब पॉलिसी है। पिछले साल सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स उगाह कर जो रकम स्टेट्स को दी गई थी, वह 178 करोड़ थी। यह 1960-61 का हिसाब है। 1961-62 में यह रकम 160 करोड़ रूपया होगी। हम समझते थे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन, सहायता कम की जा रही है। पंजाब का बजट पेश करते हुए हमारे वित्तमंत्री, डा. गोपीचन्द भार्गव ने बताया कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये हमारी स्टेट को हिन्दुस्तान की सरकार से 134 करोड़ रूपया सहायता, कर्ज या दूसरे

रूप में मिलेगा। उस हिसाब से 26.8 करोड़ रूपया सालाना बनता है। लेकिन, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पंजाब सरकार को साढ़े उन्नीस करोड़ रूपया देने का वायदा किया है। प्लानिंग पर जो खर्च पड़ता है, उसका चौदह पन्द्रह फीसदी हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट अपने पास से खर्च करती है। अगर, उस बात को मान कर चलते, तो नतीजा यह होता कि दूसरी पंच-साला प्लान के आखिरी साल में 36.49 करोड़ रूपया खर्च हुआ था, उसके मुकाबले में तीसरी पंचवर्षीय योजना में सिर्फ 33.6 करोड़ रूपया खर्च कर सकते हैं। यह किस्सा उस स्टेट का है, जिसने पांच साल में खेती की पैदावार दुगनी की है। इसी तरह दूसरी स्टेट्स का भी सवाल है।

एक बात और मुझे निवेदन करनी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो मुलाजिम सीनियर इंस्पेक्टर थे, उनको छोड़कर जूनियर इंस्पेक्टरज को आई.टी.ओ. बना दिया गया है। माननीय मन्त्री महोदय उस तरफ भी ध्यान दें।

एक बात मैं अपने देश की मुद्रा नीति वित्तीय नीति के सिलसिले में अर्ज करना चाहता हूँ। पंजाब में 261 कारखाने अमृतसर में हैं। हमारे डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर उस जिले के हैं। वे ऊन के कारखाने हैं। वहां पर हमारी पहली नीति के मुताबिक चार करघों को छूट थी और उन पर कोई उत्पादन कर नहीं लगता था। अब रेशम, सूती और रेयन के कारखानों में दो करघों को छूट दी गई है, जब वूल के कारखानों में केवल एक करघे को छूट दी गई है। एक तो यह भेदभाव है। दूसरा डिस्क्रिमनेशन यह है कि सिर्फ पच्चीस बड़े बड़े कारखानेदारों को वूलट्राप के इम्पोर्ट का अधिकार है। नौ करोड़ रूपये का वूलटाप आता है, जिसको वे अठारह करोड़ रूपये की शक्ल में बेचते हैं। छोटे कारखानेदार को रा मैटीरियल बड़े कारखानेदार को हम रा मेटीरियल बड़े कारखानेदार के मुकाबले में महंगा मिलता है। यह हमारी क्या नीति है? वित्तमन्त्री महोदय को मैंने ठीक बातों के बारे में कहा है। गलत बात के बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि क्या हिन्दुस्तान की सरकार की और समाजवादी सरकार की यह नीति है कि बड़े बड़े कारखानेदार को हम रा मेटीरियल सस्ता दें और टैक्सेशन में दोनों को--छोटों और बड़ों को--बराबर खड़ा कर दें। मैं मानता हूँ कि यह हमारी नीति नहीं है, यह गलती से हुआ है। मुझे उम्मीद है कि वित्त मंत्री महोदय इस तरफ ध्यान देकर आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

रोहतक में फ्लड का बहुत सा पानी आया और पंजाब सरकार ने सारी बदरौ खोदने के लिए एक करोड़ रूपया खर्च करने का फैसला किया। दिल्ली और राजस्थान के साथी हमसे बिजली लेना चाहते हैं, नहर का पानी लेना चाहते हैं, पीने का

पानी लेना चाहते हैं। लेकिन, बरसात का पानी दिल्ली और राजस्थान में नहीं आने देना चाहते हैं।

श्री नवल प्रभाकर (बाह्य दिल्ली-रक्षित अनुसूचित जातियां) : वह पानी दिल्ली को डुबोने के लिये तो नहीं आना चाहिए।

चौधरी रणबीर सिंह : बदरो का पानी हम चाइना में तो नहीं भेज सकते हैं। मुझे यह कहना है कि हम दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को इतना ज्यादा पैसा देते हैं, उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। आज उनको इतना मौका नहीं देना चाहिये कि वह हमारी तरक्की के रास्ते में खड़ा हो।

पंजाब में छोटे बड़े कारखाने बनाने में बहुत तरक्की हुई है। उनकी मदद होनी चाहिए और खास तौर पर वहां के छोटे कारखानों को मदद मिलनी चाहिये।

द्वितीय लोकसभा

वीरवार, 30 मार्च, 1961 *

अनुदान मांगें

चौधरी रणबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रालय को बधाई देता हूँ। मैं मानता हूँ कि पंजाब की तरक्की इस मंत्रालय के कारण है। यह मंत्रालय जहा किसान खेती के लिये पानी का इन्तजाम करता है, वहां देश में छोटे बड़े कारखाने लगाने के लिये बिजली पैदा करने का इन्तजाम करता है और इन दोनों चीजों में हमारे प्रदेश, पंजाब को, काफी बड़ा हिस्सा मिला है पिछले दस सालों में। आप जानते हैं कि यह साल एक तरह से पंजाब के इतिहास में बहुत अहम साल होगा। क्योंकि, आज से चौदह पन्द्रह साल पहले 1946 में जो काम शुरू किया गया था भाखड़ा डेम का, वह 1961 में मुकम्मल हो जायेगा। दिसम्बर, 1960 तक भाखड़ा डेम के ऊपर 152 करोड़ रूपये से ज्यादा रूपया खर्च हो चुका है। इतना रूपया खर्च करने के बाद हमारे सूबे में जहां बिजली और पानी की तादाद बढ़ी है, उसके साथ ही साथ मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि हमारे सूबे में पानी ज्यादा हो गया है। मैं यह नहीं मानता कि खेत की पैदावार भी उसके हिसाब से बढ़ गई है। हमारे कुछ दोस्तों का ख्याल है कि जब ये नहरें बनीं, उस वक्त इंजीनियर्स ने भाखड़ा की नहरों को छोड़ कर बाकी को पक्का नहीं किया। इस वजह से जहां पंजाब में पिछले दस बारह सालों में नहरों की सिंचाई की भूमि बढ़ी है और उसमें लाखों एकड़ सिंचाई की तादाद बढ़ी, उसके साथ-साथ पिछले नौ दस साल में पंजाब में 33 लाख एकड़ भूमि या तो खराब हो चुकी है, या खराब होने का खतरा है। जिस भाखड़ा डैम से और उसकी नहरों से 22 लाख एकड़

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 30 मार्च, 1961, पृष्ठ 8330-8339*

के करीब भूमि की सिंचाई होती है, उसको मुकम्मल करने के लिये चौदह वर्ष लगे और उस पर जो 150 करोड़ रूपये खर्च हो चुके हैं या अन्दाजन 170 करोड़ रूपये खर्च होंगे, उसमें से 70, 80 करोड़ रूपया नहरों के हिस्से में आता है। हमारे प्रदेश में यह ख्याल है कि जिस काम के लिये चौदह बरस लगे, उतनी ही भूमि को 60 करोड़ रूपये में पैदावार के योग्य बनाया जा सकता है। साल दो साल में पूरा हो सकता है। हमारे प्रदेश के पास पैसा नहीं है और हिन्दुस्तान का प्लानिंग कमीशन दूसरे देशों की तरफ पैसे के लिये देखता है। मैं यह मानता हूँ कि इससे सस्ती और ज्यादा देश को लाभ पहुंचाने वाली और कोई स्कीम नहीं हो सकती। लेकिन, जो भूमि खराब है, जिसे वाटर लागिंग कहते हैं और जिसका इंतजाम एक साल में और दो साल में किया जा सकता है, जिसके लिये न कोई डैम बनाने की जरूरत है और न ही बाहर से इंजीनियर बुलाने की जरूरत है, उसमें देरी क्यों होती है? उसका इंतजाम क्यों नहीं किया जाता है। पंजाब में ही आज 35 करोड़ रूपये सालाना का घाटा होता है जो पंजाब का ही नहीं बल्कि सारे देश का घाटा हे। वहां पर 35 करोड़ रूपये की अनाज या दूसरी फसलें कम पैदा होती हैं। आज आप बाहर से गेहूं और कपास इत्यादि मंगाते हैं। लेकिन, ये चीजें जब पंजाब में ही बड़ी आसानी से पैदा हो सकती हैं तो उस तरफ आप क्यों ध्यान नहीं देते हैं। वाटर लांगिंग की वजह से जो पैदावार होनी चाहिये, जमीन से, वह नहीं हो पाती है। देश को हर साल 35 करोड़ का घाटा उठाना पड़ता है। जरूरत इस बात की थी कि वाटर लांगिंग का पंजाब के अन्दर बड़े जोर शोर से ठीक करने का इंतजाम किया जाता। लेकिन, ताज्जुब की बात है कि उधर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्लानिंग कमीशन जो हिन्दुस्तान के लिये दस करोड़ रूपये का इंतजाम करेगा, तीसरी योजना के लिए वह पंजाब के लिये वाटर लागिंग की समस्या को हल करने के लिये सिर्फ आठ करोड़ रूपया ही तलाश कर सका है। मैं समझता हूँ कि इस काम के लिये इस देश में अगर, रूपया बढ़ाने की भी जरूरत पड़े जिससे लोग समझते हैं इनफ्लेशन हो जाता है, वह इस काम को करने से नहीं हो सकता है। इसका कारण यह है कि यह ऐसी स्कीम है जिसके नतीजे उसी साल में निकलने वाले हैं। इससे कोई इन्फ्लेशन नहीं हो सकता है। डिफिसिट फाइनेंसिंग भी आप इसके बारे में कर सकते हैं, पंजाब के अन्दर 61 करोड़ की स्कीम है। इससे पंजाब में वाटर लागिंग का मसला हमेशा-हमेशा के लिये हल हो सकता है और उससे देश का फायदा हो सकता है। इससे पंजाब की जिन्दगी को आप बचायेंगे। हिन्दुस्तान का प्लानिंग कमीशन अगर, एक सौ करोड़ नहीं, मैं कहता हूँ कि 60 करोड़ रूपया

अधिक नोट छाप कर पंजाब को दे दे और पंजाब के इंजीनियर्स को इस मसले को हल करने का मौका दे दे तो देश का भी भला हो सकता है और पंजाब का तो जैसे मैंने कहा इससे जीवन ही सुधर जाता है।

मैं अपने इलाके के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि आज से आठ नौ महीने पहले रोहतक का नाम इस देश के अन्दर ही नहीं विदेशों के अन्दर भी नामी हो गया था। वहां के पानी की तस्वीरें, फ्लडस जो आए थे, उनके पानी की तस्वीरें, तबाही की तस्वीरें सारी दुनिया में छपीं थीं। उन फ्लड्स से जो नुकसान हुआ था वह करोड़ों में हुआ था। पंजाब सरकार ने गरीब आदमियों की इमदाद के लिए, किसानों की इमदाद के लिए, बेबिस्वेदारों की इमदाद के लिए, खेतों पर काम करने वाले मजदूरों की इमदाद के लिए एक करोड़ चालीस लाख रूपये के करीब खर्च करने का फैसला किया था। मैं समझता हूँ कि एक करोड़ के करीब खर्च होगा इमदाद की शक्ल में। अगर, उस ड्रेन के पानी के बारे में पहले कोई स्कीम मंजूर कर ली जाती तो ड्रेन से रोहतक जिले में इतनी तबाही न होती। यह बदरौ आठ नम्बर ड्रेन है जिसके बारे में मैं कह रहा हूँ। अगर, हमारे इंजीनियर्स, हमारा प्लानिंग कमीशन इस बात का पहले से अंदाजा लगाता और पहले से खर्चे की मंजूरी देता व हमको पैसा दे देता तो मुझे बताईये कि इससे देश का नुकसान होता या फायदा होता। एक तरफ पंजाब की, रोहतक जिले के किसानों की तबाही हुई, शहर की तबाही हुई और डेढ़ करोड़ के करीब इमदाद पर खर्च किया गया। दूसरी तरफ इस स्कीम को पूरा करने के लिए एक करोड़ रूपया अब हम खर्च करेंगे, यह केसा प्लानिंग है? मेरी समझ में तो यह बात नहीं आई है। तबाही आने से पहले ही अगर, यह रूपया इस स्कीम पर खर्च कर दिया गया होता तब ही प्लानिंग कहा जा सकता था। तबाही के बाद ही हम रूपया तलाश करे, यह कैसे जायेज हो सकता है। हमारे देश के फ्लड कण्ट्रोल के चीफ इजीनियर जायें और देखें कि ड्रेन नम्बर 6 के रास्ते से यमुना में डाला जा सकता है। लेकिन, मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि इस चीज को गांव का और देहात का आम आदमी भी समझ सकता है और जानता है कि जहां से पहले ड्रेन नम्बर 6 गुजरता था, उसमें से अगर, पानी डाला जाता तो किसी को कोई नुकसान नहीं होता। तमाम का तमाम पानी यमुना के अन्दर गिरना था। आज भी और आगे भी यमुना के अन्दर किगरेगा। लेकिन, एक अजीब सा डर पैदा किया जाता है दिल्ली का। दिल्ली बहुत बड़ा शहर है। दिल्ली हिन्दुस्तान का ही आज बहुत बड़ा शहर नहीं है, बल्कि दुनिया के भी बहुत बड़े अहम शहरों में आज उसकी और नई दिल्ली

की गिनती होती है। हिन्दुस्तान के नहीं, संसार के सबसे बड़े इन्सान पंडित जवाहरलाल नेहरू यहां रहते हैं। उनकी सरकार रहती है। उनको कोई खतरा हो तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि रोहतक उसके लिए तैयार है। लेकिन, एक दिमागी खतरा पैदा करके कहा जाए कि यह नहीं हो सकता है तो अजीब सी बात दिखाई देती है। हिन्दुस्तान के फ्लड कण्ट्रोल के चीफ इंजीनियर जाकर राय दें इसके बारे में तो मुझे बहुत अजीब सा मालूम देता है।

मैं आपको, अध्यक्ष महोदय, यकीन दिलाता हूँ कि बदरौ जो है, वह ड्रेन नंबर 8 मेरे गांव के साथ से गुजरता है। वहां से मैं डेढ़ हजार नहीं दस हजार आदमियों के जत्थे को दिल्ली तो बहुत नजदीक है, अगर, प्राइम मिनिस्टर साहब कलकत्ता में भी जाकर बैठ जाएं तो वहां ले जा सकता हूँ। यहां एक हवाई सा डर पैदा किया जाता है कि नुकसान होगा। कितना नुकसान होगा, इसको मैंने देखा है। बड़े बड़े किनारे जो ऊंचे-ऊँचे हैं वे भी मैंने देखे हैं। किस तरह से वह पानी दिल्ली को डूबोयेगा यह मेरी समझ में नहीं आया है। वह न दिल्ली को और न ही दिल्ली देहातों को डूबो सकता है। अगर, वहां से पानी आना है तो कोई नुकसान तो मुझे समझाये, कोई इंजीनियर समझाये कि यमुना के कौन से किनारे हैं जो इतने ऊंचे पानी को जाने से रोकेंगे ड्रेन में पानी जाने की क्या जरूरत है? पानी अपनी सतह खुद रखता है और बगैर ड्रेन के दिल्ली की तरफ आ सकता है। यह जो डर है यह हवाई डर है। मुझे डर है कि जो तबाही रोहतक को पिछले साल देखनी पड़ी थी, वही तबाही उसको इस साल भी न देखनी पड़े। अगर, ऐसा हुआ तो फ्लड कण्ट्रोल के चीफ इंजीनियर इसके जिम्मेवार होंगे। क्योंकि, गलत डर की वजह से उन्होंने एक गलत राय दी है।

मुझे खुशी है कि पंजाब के मुख्यमंत्री और हमारे भी मन्त्री महोदय चण्डीगढ़ गए थे और वहां इस मसले का एक हल तजवीज हुआ। मुझे उम्मीद है कि उस काम में जो आज तक देरी हुई हवाई डर की वजह से, वह आगे नहीं होगी। पंजाब सरकार को जितने रूपये की आवश्यकता है, वह माननीय मन्त्री जी देने का प्रबन्ध कर देंगे और रोहतक जिले को तबाही से बचायेंगे।

यह मन्त्रालय जैसे मैंने कहा देहातों को जीवन देता है। लेकिन, इसके काम करने का जो तरीका है, वह अजीब ही है। बड़ी बड़ी नहरें निकलतीं हैं। जहां से शुरू होती हैं और जिनकी जमीन में से गुजरती हैं उनको पानी नहीं मिल सकता है। लोग जो हैं वे शायद यह समझते हों कि जो नहर को निकालने के लिए जिम्मेवार हैं या जो वजीर हैं व रोहतक और उससे जिले को शायद इससे लाभ पहुंचाना चाहते हैं। इस

वास्ते जितने पीछे आगे वाले जिले गुड़गांव में गांव इत्यादि आते हैं, वहां पानी नहीं दिया जा सकता है। यही हाल बिजली का है। बिजली के बड़े बड़े खम्भे जिन खेतों को खराब करते हैं, उनको बिजली नहीं दी जा सकती है, उन खेतों के गांव वालों को बिजली नहीं दी जा सकती है। बिजली का महकमा तो एक व्यापार का महकमा समझा जाता है। लेकिन, अजीब है इनके व्यापार के हिसाब को लगाने का तरीका। बिजली की तारें लाख रूपये फी मील खर्च करके आगे चलती हैं। पांच हजार का ट्रांसफोर्मर लगा करके जहां बिजली दी जा सकती है, वहां बिजली नहीं दी जाती है। आप जानते हैं कि जैसे प्रदेशों का आपस में झगड़ा होता है, वैसे ही जिलों का और तहसीलों का भी आपस में झगड़ा चलता है। अजीब हालत है कि एक शहर जिसकी आबादी दस हजार के ऊपर की है, उसको बिजली देने के लिए कहां से उनके पास तार आता है, यह मालूम नहीं। कौन सा वह हिसाब है, जिससे इस तार को तो वहां भेजना फायदेमन्द है? लेकिन, 5 हजार रूपये का ट्रांसफार्मर लगा कर जो हिस्सा बीच में पड़ता है, उसमें बिजली देना घाटे की बात है। यह हिसाब मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन, आप जानते हैं कि यह समझा जाता है कि हम कोई चीज समझ नहीं सकते। जो बड़े बड़े इंजीनियर हैं वे ही समझ सकते हैं। मगर मैं एक बात कहे बगैर नहीं रह सकता कि इस देश के अन्दर समय आयेगा, अगर, वह अभी नहीं आया है तो अब आ ही रहा है, जब देहात का गरीब आदमी जिसे आज लोग अनपढ़ कहते हैं, वह मजबूर कर देगा हिन्दुस्तान के बिजली के बड़े बड़े इंजीनियर्स को यह समझने के लिये कि उनका यह हिसाब खाता गलत है।

इसी तरह से बिजली का हिसाब है। हाथी साहब ने जवाब दिया पंजाब के अन्दर, दूसरी पंचसाला योजना के अन्दर बिजली की भूख बहुत बढ़ गई है। वहां पर साढ़े तीन लाख किलोवाट बिजली खप सकती है। लेकिन, सिर्फ डेढ़ लाख किलोवाट मिलती है। उसमें से भी हिमाचल है, राजस्थान हिस्सेदार है और दिल्ली भी हिस्सेदार है। बिजली और पानी के लिये सब हिस्सेदार हैं। पीने के लिये पानी चाहिये, छोटी नहरों के लिये पानी चाहिये। लेकिन, अगर, कहीं बरसात ज्यादा हो जाये और कहीं पानी राजस्थान में घग्घर नदी की तरफ चला जाये तो राजस्थान का जत्था तैयार है। चूंकि दिल्ली रोहतक के पड़ौस में है, इसलिये, अगर, यमुना में पानी आ जाये तो दिल्ली वाले इसके लिये जत्थेबन्दी करने के लिए तैयार है। मुझे बतलाईये कि जो हमारा बरसात का पानी है वह कहां भेजें? चीन में भेजें या किधर भेजें? जो हमारे पानी के बहने का रास्ता है, उससे ही वह पानी जायेगा। यह भी अजीब बात है कि हमारा पानी

पीने के लिये और दूसरे कामों के लिये दूसरों को मिल जायेगा। लेकिन, हमें नहीं मिलेगा। वह सारी जगह जायेगा, राजस्थान जायेगा, दिल्ली जायेगा। वह वहां पर जाये, मुझे कोई ऐतराज नहीं। लेकिन, पंजाब का भी उसमें ख्याल किया जाना चाहिये।

मैं जानता हूँ कि यहां बिजली के लिये तीसरी पंचसाला योजना में आप 1100 करोड़ के गरीब रूपया लगा रहे हैं। लेकिन, देहात के अन्दर बिजली फैलाने के लिये तो आप चन्द करोड़ ही दे रहे हैं। अगर, पंजाब को 15 करोड़ रूपये मिल जाये तो पंजाब में बिजली बहुत सारे देहात में फैल सकती है। लेकिन, पंजाब के एलक्ट्रिसिटी बोर्ड को 20 या 25 करोड़ रूपया नहीं मिलेगा। पिछली दफा उन्होंने 13 करोड़ रूपये की सीलिंग रखी। अजीब हालत है, बिजली पैदा करने के लिये जो बांध बनाने होते हैं, उनमें सैकड़ों करोड़ रूपये हम लगा सकते हैं। लेकिन, बिजली को फैलाने के लिये जो छोटे मोटे तार भेजने पड़ते हैं, उनके लिये हम हिसाब लगाते हैं कि 13 करोड़ रूपये दें या 19 करोड़ रूपये दें? अगर, पंजाब 19 करोड़ मांगता है और खर्च कर सकता है तो हम 13 करोड़ के बजाय 19 करोड़ रूपये नहीं दे सकते। मुझे तो हिसाब आता नहीं, पता नहीं यह कौन सा इजीनियरिंग का हिसाब है या कौन से फायदे का हिसाब है? मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान के इंजीनियर और हमारा मन्त्रालय इस बात को समझे कि अगर, 13 करोड़ रूपये के बजाय 22 करोड़ रूपये कर दिया जाये और उसको इस्तेमाल कर सकें तो उससे बहुत लाभ हो सकता है। वाटर लागिंग का इन्तजाम करके जो काम 14 बरस के अन्दर हमने 60 करोड़ रूपये खर्च करके 122 लाख एकड़ नई भूमि के अन्दर पैदावार बढ़ाई। अगर, हम इतनी तरक्की कर सकते हैं तो 60 करोड़ की सहायता पाकर हम 33 लाख एकड़ भूमि की सीम-दूर करके साल में पैदावार ड्योढ़ी कर सकते हैं। 60 करोड़ रूपये आप यह दें और 13 करोड़ रूपये के बजाय 25 करोड़ रूपये दें ताकि तार फैल सकें, तो काफी लाभ हो सकता है। साथ में हमारे ऊपर वैटरमेंट लेवी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और न ही किसानों को सरकार के खिलाफ, जो लोगों की सरकार है, उठना पड़ेगा। अगर, आप इस तरह से करते हैं तो मैं समझता हूँ कि घाटा नहीं रहेगा और उसकी वजह से किसान को कोई सत्याग्रह करने की जरूरत नहीं रहेगी।

पंजाब के अन्दर बड़ी तरक्की हुई है और यह बात भी सही है कि पंजाब का पानी और बिजली का जो महकमा है, वह भी तकरीबन हमारे इलाके के भाईयों के पास ही रहा है। वैसे तो हमें पंजाबी रीजन वालों से कई बातों का गिला है। लेकिन, सभी इंजीनियर वहां के हैं, उनके हाथ में सारी चीजें हैं। वैस्टर्न यमुना कैनाल को

दूसरी पंचसाला योजना में रखा और उस पर 4 करोड़ रूपये खर्च करने की स्कीम रखी गई। लेकिन, उसे ऊपर चार सालों में 25 लाख रूपये खर्च हो सका और पांचवें साल में एक करोड़ रूपये खर्च होगा। इस तरह से जहां पर 4 करोड़ रूपये खर्च करने की बात थी, वहां सवा करोड़ रूपये खर्च होगा। मुझे खुशी है कि जहां तक बरसात के पानी के इन्तजाम का सवाल है उसके लिये 1 करोड़ रूपये मेरे इलाके पर खर्च होगा, पानी को बढ़ाने के लिये भी 1 करोड़ रूपये या उससे ज्यादा खर्च होगा। यह हालत है हमारे पंजाब की। लेकिन, इस सदन में फैसला किया कि पंजाब में दो रीजन होंगे और हिन्दी रीजन पंजाब का हिस्सा रहेगा। हमने तो यह कभी नहीं कहा कि हमें पंजाब के साथ रखिये, दिल्ली के साथ रखिये या यू.पी. के साथ रखिये। यह देश हमारा है। जहां यह सदन फैसला करेगा, हम वहां रहेंगे। लेकिन, हमारा हक तो इस सदन को दिलाना ही है।

द्वितीय लोकसभा

शुक्रवार, 7 अप्रैल, 1961*

तेल विधेयक का हाइड्रोजनीकरण निवारण

चौधरी रणबीर सिंह (रोहतक) : सभापति महोदया, मैं निवेदन कर रहा था कि इस देश में जब वनस्पति तेल बनना शुरू नहीं हुआ था उस वक्त भी यहां लोग तेल खाते थे। बड़े और खुशहाल आदमी घी और मक्खन खाते थे और गरीब आदमी जिनकी इस देश में बहुत बड़ी तादाद थी, तेल खाते थे। मेरे एक साथी ने यह खतरा जाहिर किया था कि तेल में, एक जगह से दूसरे स्थान में भेजने की वजह से और देर लगने के कारण उसमें कुछ खराबियां आ जाती हैं। लेकिन, इसका भी डर नहीं था। क्योंकि, हमारे यहां छोटी छोटी तेल की घानियां होती थीं और वह किसी एक सूबे में ही नहीं थीं। बल्कि तमाम सूबों में मौजूद थीं। तकरीबन हर गाँव में तेल की घानी होती थी। जिसको भी तेल चाहिए था, उसको खाने के लिए ताजा तेल मिल सकता था और इसलिए तेल में देरी होने की वजह से कोई खराबी आने का अंदेशा नहीं था। वनस्पति तेल तो एक तरीके से उन भाईयों के रास्ते में जो घी खाते थे, रोड़ा बना हुआ है। अगर, वनस्पति तेल खाने वाले भाई लोगों का ही सवाल होता तो हमें इसमें कोई ऐतराज की बात नहीं थी। अगर, कोई भाई तेल को जमा कर और सफेद रंग का बना कर खाना चाहे तो उसमें कोई ऐतराज नहीं हो सकता है। लेकिन, सवाल तो यह है कि जो भाई देशी घी खाना चाहते हैं वह भी तो इस देश के ही निवासी हैं। उनका भी इस देश के अन्दर अधिकार है, जो घी खाना चाहते है। उनको शुद्ध घी मिल सके और जो ईमानदारी से देशी घी का अपना कारोबार करना चाहते हैं, घी पैदा करते हैं या इस देश के अन्दर पशुधन पालते है, उनकी भी रोजी ईमानदारी से चल सके, मैं समझता

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 7 अप्रैल, 1961, पृष्ठ 10056-10060*

हूँ कि यह सबसे बड़ा सवाल आज हमारे सामने है। अगर, यह सवाल न होता तो शायद तेल जमाने के ऊपर रोक लगाने के बारे में कोई विधेयक इस सदन में लाने की जरूरत नहीं होती।

हर कोई इस बात को जानता है कि एक जमाना था जब इस देश में घी, दूध की बहुत इफरात थी। घी और दूध बहने वाला देश समझा जाता था। देश के एक कोने से दूसरे कोने तक अच्छे तगड़े पशु होते थे। यहां पर घी और दूध काफी मिकदार में मिलता था। कुछ ऐसे भी देश थे जहां उस जमाने में घी और दूध की पैदावार उतनी नहीं थी जितनी कि आज वहां पर है। आप जानते हैं कि आज दुनिया के अन्दर दूध या दूध से बनी हुई चीजें पैदा करने के बारे में डेनमार्क का नाम बहुत ऊंचा है। लेकिन, एक जमाना था जब उस देश में दूध की पैदावार इतनी अधिक नहीं थी जब हमारे देश के बारे में कहा जाता था कि घी और दूध की नदियां बहा करती थीं। अब हमारे देश के अन्दर घी और दूध की पैदावार क्यों कम हुई? उसके ऊपर हमें गम्भीरतापूर्वक सोचना है। हर एक भाई मानता है और जो वनस्पति तेल के हक में है वे भी इस बात को मानते हैं कि जहां तक घी का ताल्लुक है घी वनस्पति की अपेक्षा अधिक शक्तिदायक और स्वास्थ्यवर्धक है। अगर, कोई भाई देशी घी खा सकता है उसकी क्षमता के अंदर है तो वह देशी घी ही खाना चाहेगा। अब लोग वनस्पति इसलिए खाते हैं कि देशी घी या तो उनकी क्रय शक्ति के बाहर है या उनको शुद्ध घी मिल नहीं सकता है। हमें इस सवाल पर गम्भीरतापूर्वक सोचना चाहिए कि आज हमार`देश में घी और दूध की कमी क्यों हो रही है? हमारे यहां पशुधन का निरन्तर ह्रास हो रहा है। हमारे यहां 31 करोड़ पशु हैं। लेकिन, उनकी हालत दयनीय है। उसका कारण यह है कि विदेशी शासन काल में इस देश के हालात ऐसे पैदा हुए जिससे पशुपालन धीरे-धीरे कम होता गया।

वनस्पति तेल से खुराक में घी और दूध की कमी होने से देश के लोगों के स्वास्थ्य को चोट पहुंचाई। इसके साथ ही साथ जहां लोगों को कारोबार देने का सवाल था उसमें भी बड़ी भारी चोट पहुंचाई। यहां हर एक गांव के अन्दर जो घानियां चलती थीं, वह चलनी बंद हो गईं। प्लानिंग कमिशन के हिसाब के मुताबिक तो शायद वह फीगर थोड़ी हों। लेकिन, जैसे एक सदस्य ने कहा था कि जो आबादी बढ़ी उसका हिसाब अगर, लगाया जाये तो तीसरी पंचसाला योजना आरम्भ होने तक हमारे देश के अन्दर ऐसे भाई जिनको कारोबार नहीं मिला या इस योजना के बीच जिनकी उम्र कारोबार करने के लायक हो जायेगी, प्लानिंग कमिशन के अंदाजे के मुताबिक

उनकी तादाद कोई डेढ़ करोड़ है। जो दूसरे साथी हैं, उनके अंदाजे के मुताबिक ऐसे लोगों की तादाद 2 करोड़ से ज्यादा की है। हम देश में जो खुराक की समस्या है और जिसकी वजह से इस देश के लोगों की मेहनत करने की शक्ति कम हो गई है, उसको हल नहीं कर पाते हैं और न ही लोगों को रोजगार देने के सवाल को हल कर पाते हैं। इसलिए हमें इस विषय पर ध्यानपूर्वक सोचना होगा।

मंत्री महोदय ने एक सवाल का जवाब देते हुए यह बतलाया था कि हमारे देश में करीब 20 लाख नाकारा पशु हैं। अब हमारे देश में इतनी बड़ी संख्या में नाकारा पशु होने का कारण यह है कि हमने यहां पर ऐसे हालात पैदा नहीं किये जैसे हालात कि डेनमार्क के अन्दर हैं।

सभापति महोदया, आप दिल्ली में रहती हैं। इसलिए, आप जानती होंगी कि दिल्ली के नजदीक पड़ौसी जिले रोहतक और हिसार में हिन्दुस्तान की सबसे बढ़िया मवेशियों की नसल रहती है। पशुधन का व्यापार जो कलकत्ते, बम्बई या मद्रास से चलता है तो पशुओं को लाने के लिए व्यापारी लोग रोहतक और हिसार पहुंचते हैं। लेकिन, जब दूध के कारखाने कायम करने और क्रीमरी चलाने का सवाल आता है तो उनको देश के दूसरे हिस्सों में खींच ले जाते हैं। आज के जमाने में खींचतान का नतीजा कोई बहुत ज्यादा सही नहीं रहता है। अजीब हालत है कि हमारा जो बढ़िया से बढ़िया पशुधन कलकत्ता ले जाया जाता है, बम्बई ले जायेा जाता है, एक ब्यांत दूध देने के बाद वह बूचड़खाने में पहुंच जाता है। जो पशुधन इस देश की दौलत है, वैसा अच्छा पशुधन पैदा करने के लिए, उस हालत तक पहुंचने के लिए देश के दूसरे इलाकों को कई साल लगेंगे। देश में परिस्थितियां इस प्रकार की हैं कि ऐसे अच्छे पशुओं की उम्र एक साल में खत्म हो जाती है। इसका कारण यह है कि जिस जगह का पशुधन अच्छा है, वहां ऐसे कारखाने नहीं लग सके, जहां मिल्क पाउडर या क्रीमिया दूध की बनी हुई और चीजें पैदा की जायें, ताकि वे पशु उसी जगह रह सकें। उन लोगों को पशुओं से प्यार है। लेकिन, जब उनको पशु की अच्छी कीमत मिलती है, तो उनको बाहर भेजना पड़ता है। कलकत्ता मद्रास और बम्बई से वहां व्यापारी आते हैं। वे लोग दूध पीने के बाद पशु से प्यार नहीं करते। हमारे देश में ऐसे हालात नहीं हैं कि जिस स्थान पर अच्छे पशु पैदा होते हों, वे वहां ही रह सकें। लेकिन, दूसरे देशों में इस समस्या को हल किया गया है। वहां इस बात की कोशिश की गई है कि पशुओं की नस्ल का सुधार हो और पशु पालने वालों की आर्थिक हालत ऊंची हो। वनस्पति ने देश को जो नुकसान पहुंचाया है, उसमें सबसे बड़ा नुकसान यह है कि

उसने हिन्दुस्तान के पशु-पालन करने वाले भाइयों की इकानोमिक्स को खराब कर दिया है। यह सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि इस देश में ऐसे हालात नहीं पैदा होने दिये कि जिससे यहां लोग पशुपालन कर सकें और पशुओं की नस्ल की तरक्की कर सकें। सरकार को दस बारह साल तक इस बात का मौका दिया गया कि वह कोई रंग तलाश कर सके। लेकिन, वह इसमें कामयाब नहीं हुई। आगे तेल को जमाने के बारे में हमारा कोई विरोध नहीं है। लेकिन, इस देश में घी खाने वाले भाइयों की तादाद बहुत बड़ी है। जो भाई वनस्पति खाने वाले हैं, उनकी बात को इस देश ने दस साल तक बर्दाश्त किया, उन लोगों की मर्जी के खिलाफ जो घी खाने वाले हैं और पैदा करने वाले हैं। अब समय आ गया है कि वनस्पति खाने वाले भाई कुछ दिन के लिये कुर्बानी करें और जब तक देश के साइंटिस्ट कोई ऐसा रंग तलाश न कर सकें, जिससे वनस्पति को रंगा जा सके और इस प्रकार घी की मिलावट को रोका जा सके, कम से कम तब तक के लिये तेल को जमाना बन्द कर दिया जाये, ताकि इस देश में, जहां लोगों की खुराक खराब है, खाने के लिये अच्छा घी मिल सके, लोगों को तेल घानी लगा कर धंधा मिल सके। घी खाने वालों को घी मिल सके और घी पैदा करने वाले अपने पशुधन की तरक्की कर सकें।

द्वितीय लोकसभा

शुक्रवार, 14 अप्रैल, 1961 *

बौद्ध धर्मान्तरण प्रस्ताव

चौधरी रणबीर सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री कट्टी के प्रस्ताव पर जो संशोधन श्री श्रीनारायण दास जी ने दिया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। मैं समझता हूँ कि अब समय आ गया है कि हम इस बात को सोचें कि जो बात कट्टी साहब ने कटु शब्दों में कही, उसमें कोई तथ्य है या नहीं ? बहुत सी बातें इस तरह की बहस के दौरान में यहां लाई गई। यहां पर कहा गया कि शायद हिन्दू समाज बौद्ध धर्म के फैलाने के कारण परेशानी जाहिर करता है। मैं नहीं मानता कि इस देश की सरकार या हमारे देश के नेता पंडित जवाहर लाल नेहरू किसी धर्म के फैलाव को रोकने की ख्वाहिश रखते हैं, फिर चाहे वह बौद्ध धर्म हो, या कोई और धर्म हो। यही नहीं, आप जानते हैं कि आपके ऊपर एक निशानी लगी है जिसे हम अशोक चिन्ह कहते हैं। वह हमको बौद्धों की देन है। वह हमारे देश की एक खास निशानी है। हमारा देश उस पर फख्र करता है। उस पर हर हिन्दूस्तान फख्र करता है, चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान हो या सिख हो। आज हम किसी भाई की इस बात को कैसे मान सकते हैं कि हिन्दू समाज या सरकार बौद्ध धर्म के फैलाव से परेशान है मैं कहता हूँ कि जिन्होंने यह प्रस्ताव पेश किया है, उनमें से कुछ भाई ऐसे हो सकते हैं जो यह चाहते हों कि उनके लिये लैजिसलेचर में सीटों का संरक्षण कायम रखा जाये तो क्या ये भाई उनके खिलाफ यह बात कह सकेंगे कि ये लोग बौद्ध धर्म के फैलाव नहीं चाहते और उसके खिलाफ हैं ? अगर, कोई भाई उनसे मुख्तलिफ राय रखते हैं तो उनके बारे में कटु शब्द कहना सही नहीं है।

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 14 अप्रैल, 1961, पृष्ठ 11512-11515*

देश में सिक्यूलर समाज बनाने का फैसला पंडित जवाहर लाल नेहरू की लीडरशिप में हुआ है और कांग्रेस पार्टी के अनुसार इस देश का विधान बनाया गया है। उस विधान के बनाने में बड़ा हिस्सा डा. अम्बेडकर ने लिया था जो हमारे इन साथी के सियासी गुरू थे और आज भी वे उनको अपना सियासी गुरू मानते हैं। अगर, विधान में कोई बात उनके हितों के खिलाफ होती तो डा. अम्बेडर को वह मंजूर न होती। अगर, विधान में कोई गलत चीज है तो उसकी चुनौती दी जा सकती है। इस काम को करने के लिये देश में बहुत वकील मिल सकते हैं। आज भी देश में वकीलों की कमी नहीं है। अगर, हमारे साथी यह समझते हैं कि डा. अम्बेडकर के बराबरी के वकील नहीं हैं तो न सही। लेकिन, काम तो चला ही सकते हैं, आज भी इस देश के अन्दर सारा काम चली ही रहा है। विधान के अन्दर तबदीली कराना है तो उस काम को प्रस्तावक महोदय किसी दूसरे वकील से भी करवाने का प्रयत्न कर सकते हैं, पर जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, उसकी नीति बिल्कुल साफ है, वह किसी के साथ किसी धर्म की बिना पर कोई पक्षपात नहीं करना चाहती।

आप जानते हैं कि हमारे पिछड़ी जातियों के भाई इन 13-14 साल के अन्दर जो मांगें रखते आ रहे हैं, उनमें से एक तो यह है कि पढ़ाई की सुविधा हो, दूसरी यह कि गरीब आदमी को अपने पावों पर खड़े होने की सुविधा मिल सके और तीसरी सुविधा यह चाहते हैं कि उनके लिये नौकरियां सुरक्षित रखी जायें। चौथी बात यह है कि लेजिस्लेचरों में उनके लिये स्थान सुरक्षित रखे जायें। लेकिन, हमारे प्रस्तावक महोदय और उनके साथी इस चौथी चीज की मांग नहीं करते। वह इस चौथी मांग को छोड़ने के लिए तैयार हैं।

जहां तक पहली सुविधा का ताल्लुक है यानी तालीम का, उसमें पिछड़े वर्गों को सुविधायें दी जा रही हैं। जहां तक पंजाब का सवाल है, पंजाब राज्य में सरकार ने यह फैसला किया है कि हर भाई को, जिसकी आमदनी थोड़ी है, यानी सौ रूपये माहवार तक है, चाहे वह बौद्धधर्म का मानने वाला हो या हिन्दू धर्म का मानने वाला हो, चाहे आर्य समाजी हो, चाहे पंजाबी पढ़ना चाहता हो, चाहे हिन्दी पढ़ना चाहता हो, उसके बच्चों को नवीं जमाअत तक मुफ्त शिक्षा दी जायेगी। उससे कोई फीस नहीं ली जायेगी। आगे दसवीं जमाअत के लिये भी यह सुविधा बढ़ाने का विचार है। जिस प्रकार की सुविधा शिक्षा के लिये चाही जाती है, वह पंजाब प्रदेश में दी जा रही है और दूसरे राज्यों में भी इसी प्रकार की नीति है।

श्री भा. कृ. गायकवाड़ : इंडिया में नहीं है।

चौधरी रणबीर सिंह : इस बारे में कोई जाति का सवाल नहीं है, यह बात गायकवाड़ साहब भी मानेंगे।

इस प्रकार का प्रस्ताव लाते कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के अलावा जो बैकवर्ड क्लास के हैं, उनको भी इनमें शामिल किया जाए। अगर, उस प्रस्ताव का डिप्टी मिनिस्टर साहब या कांग्रेस पार्टी के लोग इल्तिलाफ करते तब तो मैं उनकी बात को समझ सकता था। लेकिन, वह तो एक तीसरी जमाअत पैदा करना चाहते हैं। विधान में जो जमाअतें रखी गई हैं, उससे वह एक जमाअत और ज्यादा चाहते हैं। वह यह कहते कि जिस तरह से एक जमाअत शिड्यूल्ड ट्राइब्स की है और दूसरी बैकवर्ड क्लासेज की है, उसी तरह उनकी एक जमायत भी मानी जाये जो धर्म परिवर्तन करके अलग हो गए हैं। लेकिन, जहां तक लड़ाई का सवाल है पार्लियामेंट के चुनाव के लिए और विधान सभाओं के लिए उसमें से संरक्षण नहीं चाहते और कहते हैं कि उस लड़ाई के तो वे लायक हैं। लेकिन, जब नौकरियों का सवाल आता है तो वे कहते हैं कि हम उसके लायक नहीं हैं। उनकी यह बात मेरी समझ में नहीं आती। वह एक चीज में अपने आपको लायक मानते हैं और दूसरी चीज में नालायक मानते हैं। इसलिए, मैं जो संशोधन है, उसका समर्थन करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि हमारे जो भाई बौद्ध धर्म में चले गए हैं उनके दिल में कोई कटुता पैदा हो। सरकार भी इस बात का ध्यान रखेगी, ऐसा मेरा विश्वास है कि किसी भाई के दिल में कटुता न आए। इसलिए, मुझे विश्वास है कि जो संशोधन नारायण दास जी ने रखा है, उसको प्रस्तावक महोदय भी मान लेंगे और सदन भी इसको स्वीकार कर लेगा।

द्वितीय लोकसभा

सोमवार, 17 अप्रैल, 1961 *

अनुदान मांगें

चौधरी रणबीर सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं और कोई बात कहने से पहले, श्री वी.पी. नायर के पशु हत्या के खयालात के बारे में एक निवेदन करना चाहता हूँ, जैसा डा. राम सुभग सिंह जी ने भी किया है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर, उनकी पार्टी ईमानदारी से वही चाहती है जो वह कहते हैं तो उसे चाहिये कि वह संविधान में तबदीली कराने के लिये एक विधेयक लाएं। मैं ऐसा मानता हूँ कि जिस चीज को दुरूस्त नहीं किया जा सकता, उसकी तो खत्म ही करना चाहिए। लेकिन, हम तो इसके विरूद्ध खयाल के हैं। हमने तो ऐसे दोस्तों को भी इस देश में स्थान दिया जो देश के दो हिस्से करना चाहते थे और आज भी कुछ लोग देश के अन्दर ऐसा खयाल रखते हैं कि चीन ने हमारे देश की भूमि को नहीं छीना है। लेकिन, हम विश्वास करते हैं कि उनके खयालात बदल जायेंगे। हम तो विश्वास करते हैं कि जिस तरह आदमी बदल सकता है इसी तरह से पशु में भी सुधार हो सकता है। लेकिन, अगर, उनका ईमानदारी से विश्वास है कि इन पशुओं को खत्म करना चाहिये तो वह इसके लिए संविधान को बदलने के लिए कोई विधेयक ला सकते हैं। देश उसके ऊपर गौर करेगा और जो ठीक फैसला होगा उसको लेगा। मैं यह मानता हूँ कि केरल में पशुपालन में सुधार करने के लिये कुछ सहायता केन्द्रीय सरकार दे सकती है। कुछ सहायता राज्य सरकार भी दे सकती है। लेकिन, इस काम की सारी जिम्मेदारी सरकार पर नहीं डाली जा सकती। असल में तो वहां के पशुओं को

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 17 अप्रैल, 1961, पृष्ठ 11875-11883*

सुधारने की जिम्मेदारी केरल के भाईयों की है। अपनी उस जिम्मेवारी को पूरा न करके वे सरकार को बुरा भला कहें और गोहत्या के लिये आवाज उठाएं तो इसको मैं सही नहीं मान सकता।

चाहे विरोधी दल वाले कुछ भी क्यों न कहें। लेकिन, अगर, देखा जाए तो मालूम होगा कि देश में हर चीज का उत्पादन बढ़ा है। आप चावल को लीजिए। सन 1947-48 में चावल का उत्पादन 21.2 मिलियन टन था जोकि सन 1959-60 में 9.7 मिलियन टन हो गया। इसी तरह से आप चाहे गन्ने की पैदावार लीजिए उसमें तरक्की हुई है। देश के अन्दर तरक्की हो रही है और देश आगे बढ़ रहा है। अगर, कोई भाई इस चीज को नहीं मानते हैं तो वह केवल नुक्ताचीनी करने की गरज से ऐसा करते हैं। एक तरफ तो वह चाहते हैं कि केरल में सस्ता अनाज चाहिये और दूसरी तरफ वह चाहते हैं कि इस देश के अन्दर रूपए का फैलाव न हो, वह यह भी नहीं चाहते कि दूसरे देशों से रूपया लाया जाए। पता नहीं फिर वह किस ढ़ंग से देश की तरक्की करने की बात सोचते हैं, या उनकी देश की तरक्की कोई नेक ख्वाहिश भी है या नहीं यह वही भाई जान सकते हैं।

जहां तक इस देश के अन्दर कृषि की पैदावार का ताल्लुक है, जैसा मैंने पहले भी कहा था, इसके लिये यह जरूरी है कि फूड और एग्रीकल्चर का मन्त्रालय एक न रखा जाए। मैं मानता हूँ कि दोनों मन्त्रालयों के मफीद एक दूसरे से मुतजाद हैं। जो मन्त्री खुराक के मन्त्रालय को चलाएगा वह हमेशा यह चाहेगा कि सस्ती खुराक इस देश के अन्दर मिले और वह लाने की कोशिश करेगा चाहे कहीं से लानी पड़े। नतीजा यही हुआ। चूंकि हमारे जो मंत्री महोदय हैं उनके डेजिगनेशन में भी फूड एण्ड एग्रीकल्चर आता है। पहले फूड आता है और बाद में एग्रीकल्चर आता है। उसी नुक्ते निगाह से वह इस पर सोचते हैं। बात भी सही है कि किसी भी देशवासी को भूखों नहीं मारा जा सकता। अब इस देश के अन्दर उसका नतीजा क्या बना? सन 1946 से लेकर सन 1960 तक 1791.96 करोड़ रूपये का अनाज बाहर से आया। आज जितना कर्ज हिन्दुस्तान के जिम्मे विदेशों का है उतने रूपये अनाज मंगाने में खर्च किये हैं। अगर, देश में इतने अनाज की पैदावार बढ़ जाती तो हमारे ऊपर विदेशी कर्ज न होता। अनाज मंगाने पर इतना खर्चा और कोई देश नहीं करता। जितना इस देश के अन्दर बाहर से अनाज आ चुका है, उतना और कोई देश नहीं मांगता है। यही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, यहां अजीब हालत है। हिन्दुस्तान के अन्दर सस्ता अनाज बेचने के लिए या जो भाई अनाज के उपभोक्ता हैं, जो खुद पैदा नहीं करते हैं, उनको सस्ता

अनाज देने के लिये 277.92 करोड़ की सबसिडी या बोनस वगैरह की शक्ल में दिया गया। इसके अलावा फूड प्रोक्योरमेंट या बोनस वगैरह की शक्ल में दूसरी स्टेट्स को 21.02 करोड़ रूपये दिये गये अर्थात दूसरे मानों में 298.94 करेाड़ रूपये इस देश के अन्दर सस्ता अनाज बेचने के लिये दिये गये। यही नहीं, अगर, हाल के भी आंकड़े लिये जायें और फूड के बारे में एस्टिमेट्स कमेटी की रिपोर्ट को देखा जाये तो उसमें लिखा है कि सन 1956-57 में जो घाटा पड़ा अनाज का और स्टेट ट्रेडिंग में अनाज मंगाये जाने से जो खसारा हुआ सस्ता अनाज बेचने के सिलसिले में वह 18.48 करोड़ रूपये का था। सन 1959-60 के अन्दर 8.82 करोड़ था। एक तरफ तो यह हालत है दूसरी तरफ आपको मालूम है कि चीनी बहुत मीठी चीज है और उसके लिये यहां बहुत शोर हुआ। उसको हासिल करने के लिए कितनी जगहों पर लड़ाई झगड़े होने का भी खदसा हुआ। आज से कोई डेढ़ साल पहले इस देश के अन्दर इतनी चीनी पैदा नहीं होती थी जितनी कि देश को जरूरत थी। आपको याद होगा कि करीब दो साल पहले इस देश के अन्दर चीनी के लिये इस सदन के अन्दर एक बावेला हुआ था। हमारे माननीय मित्र श्री अजित प्रसाद जैन उस वक्त मन्त्री थे। वे इस देश के बहुत अच्छे और लायक इंसान हैं और हमारे दोस्त हैं। उनको इस्तीफा देना पड़ गया था। हर कोई मीठी चीज को खाना चाहते थे और वह जितनी जरूरत थी, उसको दे नहीं सके। एक तरफ तो यह हालत है। लेकिन, दूसरी तरफ इस पिछले डेढ़ साल के अन्दर हालत इतनी बदली कि पाटिल साहब ने ऐलान किया कि मैं रिआयत बख्श रहा हूँ। लेकिन, फालतू जितनी पैदावार हुई, उस सारी का हिसाब लगाया जाये तो सिर्फ 5 करोड़ रूपये का फालतू पैदावार पर उत्पादन कर में खसारा हुआ। एक तरह से हम उसको खसारा भी नहीं मानते। उस नीति को बदलने की ही वजह से वह चीनी ज्यादा पैदा हुई और आमदनी ज्यादा बढ़ी। यही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, एक वक्त था कि एक्साइज ड्यूटी जो खाण्ड से हासिल होती थी, वह कुछ 5 करोड़ रूपये थी जब पिछले साल वह एक्साइज ड्यूटी 46 करोड़ रूपये तक पहुंच गयी है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि कहां 5 करोड़ और कहां 46 करोड़?

यहां इसका शोर किया जाता है कि साहब अनाज की पैदावार कम हो रही है और ज्यादा भूमि गन्ने के नीचे जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं। क्योंकि, आप भी एक किसान हैं और आपको मालूम है कि हर जमीन पर गन्ना पैदा नहीं किया जा सकता है। यही नहीं, आज पंजाब के अन्दर वाटर लोगिंग है। पंजाब की जमीन पानी की ज्यादती की वजह से खराब हो रही है। उस जमीन के अन्दर कोई

फसल पैदा हो सकती है तो वह गन्ना ही है। इसी तरह से यू.पी. और बिहार के तराई के इलाके हैं जहां हर वक्त के ऊपर बारिश नहीं होती है और जब होती है तो वह ज्यादा होती है। उन हालात में अगर, कोई फसल पैदा हो सकती है तो वह गन्ना ही है। वह ईख ही है। अब चाय और कॉफी यह तो बड़े बड़े साहूकार पैदा करते हैं और बगीचों को छोड़ दिया जाये तो अलावा गन्ने के कोई ऐसी फसल नहीं है जो फी एकड़ के अन्दर किसान की पैदावार बढ़ा सके।

यह मोटी सी किताब एग्रीकल्चर लेबर के सिलसिले में निकली है। उसके जो डाइरैक्टर हैं, उन्होंने इसकी प्रीफेस के अन्दर एक नोट लिखा है, जिसमें वह कहते हैं कि इस देश के अन्दर जो खेती के ऊपर निर्भर करते हैं। इनमें से 20 फीसदी लोग खेतीहर मजदूर हैं और खेतिहर मजदूरों में से करीब 60 फीसदी लोगों के पास थोड़ी बहुत जमीन जरूर है। एक तरह से कुछ भूमिहीन हैं और कुछ भूमि वाले हैं। वह लिखते हैं कि उनके सुधार का एक ही तरीका है कि जो भाई हल के पीछे चलते हैं, खेती करते हैं उनकी पैदावार को बढ़ायें। गन्ना पैदा करना इस सिलसिले में आगे आगे ले जाने वाला कदम है। अब मान लीजिये कि गन्ने की पैदावार ज्यादा बढ़ गयी, वैसे तो मैं जानता हूँ और मुझे वह जमाना याद है जब सन 1946-50 के अन्दर एक आवाज उठी थी और हमारे डाक्टर देशमुख साहब भी उस वक्त मेम्बर थे, वह आवाज यह थी कि चीनी हमारे पास बहुत पड़ी है। लेकिन, ज्यों ही कोई दूसरा हुक्म निकला वह चीनी पता नहीं कहां चली गई। देश के अन्दर चीनी की भूख का सवाल पैदा हो गया और चीनी बहुत महंगी बिकी। उसी तरीके से एक दफे फिर हमारे इतिहास के अन्दर यह सवाल आया और कहा गया कि कारखानेदारों के पास चीनी बहुत ज्यादा जमा हो गई है। हमने कानून बनाया कि चीनी को बाहर भेजने के लिये ऐक्साइज ड्यूटी माफ की जाये। उसके बाद एक तोल चीनी बाहर नहीं भेजी गई। लेकिन, पता नहीं कानून पास होते ही वह चीनी कहां गई और इस देश के अन्दर चीनी का कहत आ गया। आज फिर एक सवाल उठा है। लोग कहते हैं कि चीनी की बहुत ज्यादती हो गई है। 29 लाख टन चीनी इस साल पैदा होगी, जिसमें से 8-9 लाख टन चीनी शायद बचेगी। अब क्या चीनी बचेगी ? बैंक कहते हैं कि हमारे पास रूपया नहीं है। अब उपाध्यक्ष महोदय, अजीब हालत है। एक तरफ वह मजदूर हैं जो चीनी मिलों में काम करते हैं और उनको इस बात की इजाजत है कि अगर, वे चाहें तो अपनी मजदूरी चीनी की शक्ल में ले लें। लेकिन, वह आदमी जो रात दिन एक करके साल भर मेहनत करके गन्ना पैदा करता है और बुरी से बुरी सर्दी और गर्मी के अन्दर काम

करता है, वह गन्ने की कीमत चीनी को शक्ल में नहीं ले सकता है। मैं इसकी कोई वजह नहीं देखता कि एक गांव का मजदूर जो चीनी मिल में काम करता है उसमें और उस वर्कर में जो खेत में गन्ना पैदा करता है, कोई इस तरह का फर्क रहे? अगर, गन्ने के काश्तकारों को गन्ने के बदले में रूपया नहीं दे सकते चूंकि बैंक रूपया नहीं देते तो मेहरबानी करके उसको चीनी दे दीजिये। ऐसा करने से आपकी परेशानी भी घटेगी और आपको कोई गोदामों की भी जरूरत नहीं रहेगी। आपको बैंकों के पास भिखारी बनने की जरूरत भी नहीं रहेगी। मैं चाहूंगा कि सरकार इस बात का ऐलान करे कि जो काश्तकार गन्ने की कीमत के बदले में चीनी चाहें, उनको चीनी देने की इजाजत होनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ मैं यह कह देना चाहता हूँ, मुझे याद है और इस रिपोर्ट में भी लिखा है कि रिजर्व बैंक और सरकार की नीति यह रहती है कि अनाज सस्ता बिके और इस खातिर यह रूपया बाजार से खींच लेते हैं। अगर, आज चीनी ज्यादा हुई है जैसा वह कहते हैं वैसे मैं मानता हूँ कि चीनी इतनी मीठी चीज है कि अगर, कोई एक छटांक रोजाना खाता है तो वह आसानी से दो छटांक खा सकता है। इसलिये, चीनी की अधिक पैदावार का जो बुखार है, वह वह सही नहीं है। लेकिन, खैर वह कहते हैं कि चीनी ज्यादा पैदा हो गई तो टैरिफ कमीशन और सरकार जिसने यह ऐलान किया और यह आश्वासन दिया कि 1 रूपये 10 आने फी मन गन्ने की कीमत दी जायेगी तो हिन्दुस्तान के वह प्रदेश जहां गन्ने की कीमत मुकर्रर है, जैसे यु. पी., बिहार और पंजाब में तो यह 1 रूपये 10 आने की उस कीमत को बरकरार रखने के लिये रिजर्व बैंक को रूपये का प्रसार करना चाहिये। रिजर्व बैंक को उनकी मदद करनी चाहिये।

जहां तक इस देश में खेती की तरक्की का ताल्लुक है, आपको मालूम ही है कि उसके लिये एक महकमा चला है, जिसको कम्युनिटी डेवेलपमेंट कहते हैं। जो लोग उसमें काम करते हैं, उनको 60, 70 करोड़ रूपया तनख्वाहों, जीप्स और पेट्रोल वगैरा की शक्ल में दिय जाता है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि पिछले डेढ़ साल में चीनी की पैदावार जो कहां से कहां बढ़ गई, उसके लिये जीप्स वगैरह पर कितना रूपया खर्च हुआ ताकि किसान गन्ना ज्यादा पैदा करें। सिर्फ गन्ने की कीमत 1 रूपये 7 आने मन से 1 रूपये 10 आने कर दी गई। मैं सरकार को बताना चाहता हूँ कि सरकार जितनी जल्दी इस बात को मान लें, उतना ही अच्छा होगा कि देश का किसान भोला नहीं है, वह जानता है और शायद सरकार के महकमे के अफसरों से ज्यादा अच्छी

तरह जानता है--कि सरकार पच्चीस एकड़ भूमि पर जो सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म खोलना चाहती है, उसका नतीजा सिवाय इसके कुछ नहीं होगा कि सरकार को हमेशा हमेशा चार पांच हजार फी साल का घाटा रहेगा। अगर, सरकार कोई मकनाइज्ड फार्म खोलना चाहती है, तो वह कम से कम 100 एकड़ का फार्म होना चाहिये। मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है कि एक जिले में एक फार्म खोला जाये। लेकिन, वह फार्म गवर्नमेंट के लिये इकोनोमिकल होना चाहिये। अगर, सरकार बीज के फार्म खोले, जिसमें उसको घाटा हो और फिर वह किसानों को कहे कि अगर, वे उस फार्म के बीज इस्तेमाल करेंगे, तभी पैदावार बढ़ेगी तो उनको इस बात पर कैसे ऐतबार होगा? वे कहेंगे कि कैसे पैदावार बढ़ेगी? वे जानते हैं कि सरकार पैसा बेहिसाब लगाती है। खेती की तरक्की के लिये रूपया चाहिये और उस रूपये के सम्बन्ध में, उपाध्यक्ष महोदय.....

उपाध्यक्ष महोदय : मैं रूपया नहीं दे सकता हूँ।

चौधरी रणबीर सिंह : मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि मेहता कमेटी की रिपोर्ट निकली है। उस रिपोर्ट की 34 नम्बर की सिफारिश यह है कि इस देश में रूपया देने का जो सिलसिला है, उसको सुधारा जाये। स्टेट को कोपरेटिव बैंक्स की जो मैक्सिमम क्रेडिट लांगटर्म आपरेशन फण्ड कहते हैं। उसके लिये रिजर्व बैंक ने जो रूपया निकाला वह 40 करोड़ रूपया था। लेकिन, अभी तक उसमें से 26, 19 करोड़ रूपया इस्तेमाल हुआ है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि रिजर्व बैंक के पास सरकार का सैंकड़ों करोड़ रूपया पड़ा है। वहां रखने के लिये तो यह फण्ड नहीं निकाला गया था। अगर, सरकार चाहती है कि काश्तकार तरक्की करें और ज्यादा अनाज पैदा करें तो मैं चाहता हूँ कि रिजर्व बैंक अपनी नीति को बदले। को-आपरेटिव बैंक्स की मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट बढ़ाई जाये। इसी तरह फार्मज कोआपरेटिव बैंक को मान्यता दी जाये। मेरी समझ में नहीं आता कि रिजर्व बैंक उसके रास्ते में क्यों खड़ा रहना चाहता है। वह सस्ते सूद पर किसानों को रूपया दे सकता है।

द्वितीय लोकसभा

मंगलवार, 18 अप्रैल, 1961 *

अनुदान मांगें

चौधरी रणबीर सिंह (रोहतक) : अध्यक्ष महोदय, पिछले दस साल से देश में बहुत तरक्की हुई है। इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता। आप किसी चीज को देख लीजिए, चाहे जो सरकारी मकान बने हैं, उनको देख लीजिए, या सड़कों को देख लीजिए या रेलवे को देख लीजिए, चाहे शिक्षा या दूसरे महकमों को देख लीजिये, सबमें तरक्की हुई है।

जहां इस देश के अन्दर जो कम्पनियां थीं, चाहे वे प्राइवेट थीं या पब्लिक थीं या गवर्नमेंट की थीं, उनका पेडअप कैपीटल सन 1948-49 में 526 करोड़ रूपया था, वह सन 1959-60 में 1593 करोड़ तक हो गया। इसी तरह से जो गवर्नमेंट की कम्पनियां हैं उनका सन 1955-56 में पेडअप कैपीटल जो 66 करोड़ था, वह सन 1959-60 में 468 करोड़ हो गया और आज वह कोई 605 या 607 करोड़ के करीब हो गया है। इसी तरह से जहां रेलवे में सन 1950-51 में 827 करोड़ का सरमाया लगा हुआ था वहां सन 1960-61 के अन्दर उनमें 1559 करोड़ लगा हुआ है। कोई चीज आप देख लीजिए वह इन दस बारह सालों में तकरीबन दुगुनी हो गई है।

जहां तक नहर का सवाल है, अंग्रेजी राज के दौरान में नहरों के ऊपर अन्दाजन 160 करोड़ रूपया लगा था। लेकिन, पिछले 10-12 सालों में न जाने देश में कितने प्रोजेक्ट बने। अकेले भाखड़ा नंगल बांध के ऊपर 154 करोड़ रूपया लगा हुआ है। मेरे अपने प्रदेश के अन्दर इन 10-12 सालों के अन्दर इतना रूपया लगा है जितना कि अंग्रेजों के जमाने में हिन्दुस्तान और पाकिस्तान जब एक थे तो सारे देश

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 18 अपैल, 1961, पृष्ठ 12309-12311*

पर डेढ़ सौ सालों में नहीं लगा था। अगर, कोई कहे कि देश के अन्दर तरक्की नहीं हुई है तो यह सही बात नहीं है।

अभी मुझसे पहले माथुर साहब ने जिक्र किया था कि जिन भाईयों की तनख्वाहें सौ रूपए से लेकर 400 रूपए तक के बीच में है, उन सरकारी नौकरों को घाटा हुआ है। जो उनका इंडेक्स ऑफ लिविंग है, उसको देखने से मालूम होता है कि उनको इन दस बारह सालों में नुकसान हुआ है। लेकिन, मैं समझता हूँ कि यह बात सही नहीं है। अन्दाजा लगाईये कि सन 1951 में कोई 5.9 लाख के करीब सरकारी कर्मचारी थे और अब 7.4 लाख सरकारी कर्मचारी हैं। एक तरह से ड्योढ़े के करीब हो गए हैं। इन 6-7 सालों के अन्दर और ये सबके सब उन्हीं के भाई भतीजे हैं जो पहले से सरकारी नौकर थे। इसका फायदा तो उन्हीं को पहुंचा है। अगर, सरकारी नौकरों की तनख्वाह का हिसाब लगाया जाए तो आपको मालूम होगा कि आठ-दस साल पहले के मुकाबले में अब उनकी तनख्वाह का बिल तकरीबल तिगुना होता है।

जो लोग फैक्ट्रियों में काम करते थे उनकी तादाद थी 29.1 लाख के करीब और वह अब जाकर 34.1 लाख के करीब हो गयी है। इस तरीके से आप देखेंगे कि सरकारी नौकरियों में वृद्धि हुई है और दूसरे जो पढ़े-लिखे भाई हैं, उनकी नौकरियों की तादाद बढ़ी है और उससे पढ़े-लिखे लोगों को ही फायदा हुआ है। यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है कि एक व्यक्ति जो चपड़ासी था, पटवारी था या छोटे दरजे का सरकारी नौकर था, उनकी तनख्वाहें आज पहले के मुकाबले में तीन गुना हो गई हैं। अब इसके लिए उन्होंने रूपये की कीमत 4 आने बताई है...।

Mr. Speaker : The hon. Member may continue tomorrow.

द्वितीय लोकसभा

बुधवार, 19 अप्रैल, 1961 *

अनुदान मांगें

चौधरी रणबीर सिंह (रोहतक) : अध्यक्ष महोदय, कल मैं यह बता रहा था कि इन पिछले दस सालों के अंदर सरकारी नौकरियों और अन्य नौकरियों की तादाद काफी बढ़ी है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि रेलवे के महकमे को छोड़ कर सन 1951 में जहां सरकारी नौकरियों की तादाद 5 लाख 90 हजार थी वहां अब यह तादाद बढ़कर 7 लाख 49 हजार हो गई है। इसी तरीके से सन 1958 में कारखानों के अंदर जो लोग काम करते हैं उनकी तादाद 29 लाख से बढ़ कर 34 लाख पहुंच गयी है। इसके अलावा 11 लाख के करीब वह भाई हैं जो रेलवे के महकमें में नौकर हैं। इस तरह आप देखेंगे कि जो अपने को मिडल क्लास कहते हैं उनकी तादाद देश में कारोबार के बढ़ने से इन पिछले चंद सालों में काफी बढ़ी है। सरकारी नौकरियों की तादाद में भी बहुत वृद्धि हुई है। यह तमाम नौकरियां आमतौर पर उन मिडल क्लास के लोगों को मिली हैं।

हमारे कुछ भाईयों का यह ख्याल है कि हमारे उन भाईयों को जो अपने को मिडल क्लास कहते हैं, उनको इस देश के अंदर काफी कुर्बानी करनी पड़ी है। वे गाहे-बेगाहे यह कहते रहते हैं कि मंहगाई बहुत बढ़ गयी है और सब चीजों के दाम बहुत बढ़ गये हैं। मैं इससे इंकार नहीं करता हूँ कि चीजों के भाव नहीं बढ़े हैं। भाव जरूर बढ़े हैं। लेकिन, उनकी तनख्वाहें भी तो बढ़ी हैं।

मैं इस सिलसिले में कुछ आंकड़े, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एनफोर्मल

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 19 अपैल, 1961, पृष्ठ 12429-13435*

स्टैंडिंग कमेटी के सामने रखे थे, रखना चाहता हूँ। सन 1952-53 में इंडैक्स नम्बर 100 मानकर उन्होंने आंकड़े बताये हैं। उन्होंने माना है कि जहां तक चावल का वास्ता है, सन 1960 में उसका इंडैक्स नम्बर 100 से बढ़कर 109.1 हो गया। लेकिन, जहां तक गेहूं का वास्ता है, उसका इंडैक्स नम्बर 100 से घटकर 91.2 रह गया। इसी तरीके से, जो दूसरी चीजें हैं, जैसे कपड़े का सामान कपड़े का इंडैक्स नम्बर जो सन 52-35 में 100 था, वह सन 1960 के अन्दर बढ़कर 127.5 हो गया है।

एक तरह से देखा जाये तो काश्तकार जो पैदा करता है, उसका भाव तो घटा है और जिन चीजों को काश्तकार इस्तेमाल करता है, उनका भाव बढ़ा है। एक तरीके से अगर, कोई घाटे में रहा है तो हिन्दुस्तान की 70 प्रतिशत ग्रामीण आबादी ही घाटे में रही है। इतना ही नहीं, पिछले 5-10 वर्षों के अन्दर देश में जो काम हुआ और उसके आंकड़े अगर, देखे जायें तो उससे भी यही साबित होगा।

अध्यक्ष महोदय, स्टेट बैंक के 31-12-60 के जो ऐडवांसेज थे, जो उन्होंने इस देश के मुख्तलिफ अंकों को उधार दे रखा था, वह रकम 232.24 करोड़ रूपये है। इसी तरह से (उपाध्यक्ष पदासीन हुए) लाइफ इन्शोरेंस कार्पोरेशन के जो एडवांसिज थे या जो इन्वेस्टमेंट था, वह 455.98 करोड़ रूपये था। मैं यह जानना चाहता हूँ कि जरा कोई बताये कि हिन्दुस्तान के देहात में जो मुल्क की सत्तर फीसदी आबादी बसती है, उसकी तरक्की के लिये उस रकम में से कितना रूपया लगाया गया है? यही नहीं मेरा अन्दाजा है कि दूसरे पांच साला प्लान में एग्रीकल्चरल क्रेडिट को बढ़ाने के लिये रिजर्व बैंक ने जो अपनी स्कीम रखी थी, वह 125 करोड़ रूपये के करीब थी। लेकिन, अभी तक सिर्फ 98 करोड़ रूपया रिजर्व बैंक ने देहात में खेती की तरक्की में लगाने के लिए भेजा है।

इसके साथ ही साथ, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि नैशनल एग्रीकल्चरल क्रेडिट में को-आपरेशन फंड के बारे में जयपुर में को-आपरेशन मिनिस्टर्ज और अफसरों की जो कांफ्रेस हुई थी, उसने यह सिफरिश की थी :-

"Reserve Bank may consider the question of making larger funds availabe for medium-term loans. The long-term operation fund may be expanded, if necessary by amendment of the law."

इसी तरह से उन्होंने दूसरी सिफारिश यह की, जिसका जिक्र श्री वी. पी. नायर ने पिछले दिनों किया था :-

"The question of making medium term loan available for purchase of milch catttle should be examined and the Reserve Bank Act amended to make such loans possible."

इसके अलावा, वह कांफ्रेस मानती है कि देश में खेती की तरक्की के लिये पैसा ज्यादा लम्बे अरसे के लिए कर्ज दिया जाये। मैं यह नहीं मानता कि कर्जा देते वक्त हमें इस बात का ख्याल नहीं रखना चाहिए कि वह रूपया मारा तो नहीं जायेगा। इसका पूरा-पूरा खयाल रखना चाहिए और बड़ी समझ से पैसा आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन, असल बात तो यह है कि काश्तकार का जहां तक ताल्लुक है वह किसी को कत्ल करके तो छूट सकता है। लेकिन, सरकारी कर्ज को मारकर वह बच नहीं सकता है। मैनें अभी आंकड़े दिये हैं कि जिन बड़े-बड़े लखपतियों को करोड़ रूपये 500, 600 करोड़ रूपये एलआईसी और स्टेट बैंक से दिये जाते हैं, उनमें से कुछ भाई पचास, पचास लाख रूपया रख कर दिवालिया बन जाते हैं। लेकिन, काश्तकार दिवालिया नहीं बन सकता है। अगर, सरकार यह समझे कि ऐसे सैक्टर में, जहां कोई आदमी दिवालिया नहीं बन सकता है, रूपया लगाने में कोई खतरे की बात है, तो वह सही नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि तीसरे पांच-साला प्लान में रिजर्व बैंक ने खेती की तरक्की के लिये कर्ज देने के लिये 400 करोड़ रूपये की रकम रखी है, ताकि वह ठीक सूद पर काश्तकार तक पहुंच सके। स्टेट को-आपरेटिव बैंक की मार्फत रिजर्व बैंक एग्रीकल्चर और देहात की तरक्की के लिये जो रूपया कर्ज देता है, वह बैंक रेट से दो फीसदी कम देता है। उस रूपये को स्टेट बैंक की मार्फत सस्ते सूद पर दिया जा सकता है, ताकि काश्तकार और समाज के गरीब अंग को जो सूद देना पड़ता है, वह घट सके। रिजर्व बैंक काश्तकार को दो परसेंट सूद के ऊपर जो रूपया बढ़ाता है, वह 98 करोड़ रूपये तक पहुंचा है। लेकिन, काश्तकार तक वह रूपया सात से नौ फीसदी तक के सूद पर पहुंचता है, यानी सूद की तादाद तिगुनी और चौगुनी बढ़ जाती है।

मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि जहां तक काश्तकार का ताल्लुक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंटस ने करोड़ों रूपया खर्च किया है और इस सिलसिले में एक कम्यूनिटी प्रोजेक्ट का महकमा बनाया गया है। उस महकमे के ऊपर दूसरे पांच साला प्लान में जीपों, कर्मचारियों और अफसरों की तनख्वाहों और भत्तों और उनके लिये मकानों की शक्ल में कोई 60 करोड़ रूपया खर्च किया गया। लेकिन, इवैल्युएशन कमेटी की रिपोर्ट से पता चलता है कि नान-प्रोजेक्ट एरियाज में पब्लिक

को-आपरेशन ज्यादा मिला। मैं कम्यूनिटी प्रोजेक्ट महकमे के खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। क्योंकि, समय नहीं है। लेकिन, मेरा मुद्दा यह है कि आज से डेढ़ साल पहले इस देश में चीनी की पैदावार 19 लाख टन थी। इस अरसे में एक या दो सीजन्ज में--बोने का तो एक ही सीजन गुजरा है--सरकार ने कुछ बुद्धिमता से काम लिया और किसानों को तकरीबन 58 लाख रूपये का सहारा दिया, जिसकी वजह से हालत बेहतर हुई और चीनी की पैदावार में दस लाख टन का इजाफा हुआ। मुझे इस बात की खुशी है कि कल हमारे फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा कि जो चीनी हम बाहर भेजेंगे, उसमें जो घाटा पड़ता है, वह सरकार कबूल करेगी। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि शूगरकेन को ज्यादा बढ़ा कर जो चीनी की मिकदार ज्यादा बढ़ी और उससे सरकार को जो एक्साइज ड्यूटी ज्यादा मिली, क्या वह फायदा भी किसान की वजह से नहीं हुआ? आज हालत अजीब है। पिछले तेरह-चौदह सालों में जो रूपया एक तरह से अनाज खाने के लिये इमदाद की शक्ल में उपभोक्ताओं को दिया गया, उसकी तादाद 298.94 करोड़ रूपये है। एक तरफ तो अनाज खाने के लिये यह लगभग तीन सौ करोड़ रूपये की इमदाद दी जाती है और दूसरी तरफ इमदाद नहीं दी गई, बल्कि चीनी से जो भी आमदनी होती है, इसमें से सिर्फ पांच करोड़ रूपये की माफी हिन्दुस्तान की सरकार ने गन्ने की पैदावार करने और गन्ने के कारखाने वालों को दी। मुझे बताया जाये कि हमारी यह नीति हमको कहां ले जायेगी? मुझे साफ दिखाई देता है कि जो भाई उपभोक्ता हैं, उनके लिये ज्यादा रियायतें हैं और उसका नतीजा यह है कि 1946 से 1960 तक हिन्दुस्तान में 1791.96 करोड़ रूपये का अनाज बाहर से आया।

मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर, चीनी बाहर भेजने में हमको कुछ घाटा रहता है और एक्साइज ड्यूटी को छोड़ने के बावजूद घाटा रहता है तो मैं मानता हूँ कि उसको घाटा नहीं मानना चाहिए। अगर, आप किसी भी देश की इसके मुतालिक पालिसी को देखें तो आपको पता चलेगा कि यह बात सत्य है। जापान के लोगों ने एक्सपोर्ट को इसी ढ़ंग से बढ़ाया है। वहां के भाव और एक्सपोर्ट के भाव में काफी फर्क है। एक्सपोर्ट हमेशा घाटा खाकर किया जाता है, यह इकानामिक्स भी मानती है। कई दफा अपनी मार्केट को बनाने के लिये अपने देश में चीज महंगी बेची जाती है और जिस कीमत पर वह पैदा होती है, उससे कम पर और घाटा उठाकर बाहर भेजी जाती है।

जो एग्रीकल्चरल लेबर के बारे में रिपोर्ट निकली है, उसमें लिखा है कि

अगर, हिन्दुसतन के गरीब अंगों की रक्षा करनी है तो उनके आर्थिक स्तर को ऊंचा करना पड़ेगा। जो भाई हल के पीछे काम करते हैं, जो हाली हैं, जो खेती करते हैं, उनके आर्थिक स्तर को ऊंचा करना पड़ेगा। अगर, इसका कोई तरीका मुझे आज दिखाई देता है तो वह यह है कि गन्ने की पैदावार ज्यादा से ज्यादा की जाये। किसानों ने पांच करोड़ से 46 करोड़ रूपया एक्साइज ड्यूटी, उत्पादन-कर के रूप में चीनी पर दिया है। अगर, थोड़ी बहुत और भी रियायत देनी पड़े तो वह देनी चाहिए। क्योंकि, उससे तरक्की होती है।

आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि अगर, हम चाहते हैं कि इस देश की पैदावार बढ़े, इस देश की इकानोमी सही तौर पर और मजबूत नींव स्थानांतरित की जा सके तो इसके लिये यह जरूरी है कि खेती की पैदावार बढ़ाई जाये। लेकिन, उसके लिये सिर्फ अफसरों को भेजने की जरूरत नहीं है। उसके लिये रूपया चाहिए, उसके लिये बेहतर हालत चाहिए, ताकि किसान ज्यादा पैदा कर सकें। आज काश्तकार चाहता है कि वह एक एकड़ में 600 पौंड के बजाय 4,000 पौंड धान पैदा करे। लेकिन, वह ऐसा नहीं कर सकता है। क्योंकि, उसके मुताबिक हालत नहीं है और वे हालात पैदा किये जाने चाहिएं।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे अफसोस है कि घंटी की बिल्कुल परवाह नहीं की जाती।

चौधरी रणबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह देश की आबादी के सत्तर फीसदी हिस्से का सवाल है। बीस, पच्चीस फीसदी वाले पता नहीं कितना समय ले लेते हैं।

द्वितीय लोकसभा

शनिवार, 22 अप्रैल, 1961 *

आवश्यक वस्तु (मूल्य का निर्धारण विनियमन और नियंत्रण) विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह (रोहतक) : सभापति महोदय, मैं समझता हूँ कि कई दोस्तों और खास तौर पर इस विधेयक के प्रस्तावक महोदय ऐसा मानते हैं कि इस देश के अन्दर जो वर्किंग फोर्स है, काम करने वाले भाईयों की तादाद जो है वह 2 करोड़ के करीब है हालांकि, इस देश के अन्दर जो काम करने वाले भाई हैं उनकी तादाद अन्दाजन 19 करोड़ के करीब होगी। कुछ भाई फैक्टरियों में काम करते हैं, सरकारी नौकरियों में काम करते हैं, सरकारी नौकरियां करते हैं और कुछ भाई खेतों में काम करते हैं। अब चाहे वह खेतिहर मजदूर के रूप में काम करते हों अथवा छोटी छोटी जमीन के मालिक हों, उन्हें आप किसान कहिए, या भूमिधर कहिए, कुछ भी कहिए, वह लोग हैं।

मैंने प्रस्तावक महोदय के विधेयक को ध्यान से पढ़ा है। मैं इससे इंकार नहीं करता कि उनकीं दलीलों और खयालातों में कुछ वजन हो सकता है। चीजों के भाव नहीं बढ़ने चाहिएं। लेकिन, आखिर उसका कोई अन्दाजा भी तो होना चाहिए कि किस अन्दाज से, किनके वास्ते और देश के कितने हिस्से के लिए मेरे माननीय मित्र कोई कायदा अथवा कानून बनाना चाहते हैं। अगर, वह सिर्फ दो करोड़ के नुक्ते निगाह से इस देश के अन्दर कोई कायदा और कानून बनाना चाहते हैं तो वह देश का कानून तो हो नहीं सकता है। वह तो कुछ दो करोड़ भाईयों के लिए कानून हो सकता

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 22 अपैल, 1961, पृष्ठ 13242-13249*

है। मैं समझता हूँ कि जो हमारे सोचने का तरीका रहा है, उससे कई दफे इस देश को नुकसान हुआ है। देश को काफी घाटा हुआ है।

सभापति महोदय, आप जानते हैं कि जैसा प्रस्तावक महोदय चाहते हैं इस देश ने उपभोक्ताओं को सस्ता अनाज सुलभ करने के लिए काफी रूपया खर्चा है और काफी रूपया इस देश ने घाटे के तौर पर बर्दाश्त किया है।

सन 1946 से लेकर सन 1960 वह कोई 298 करोड़ रूपया कहा जा सकता है। 300 करोड़ रूपया इस देश के अन्दर इस बात के लिए खर्च हुआ है कि देशवासी सस्ता गेहूँ और चावल खायें।

अभी प्रस्तावक महोदय ने वित्त मंत्री महोदय का जिक्र किया था और उनकी उस तकरीर का भी जिक्र किया था, जो उन्होंने राज्य सभा में उनके साथियों की तकरीरों के जवाब में कहा था। कल भी उन्होंने इस सदन में कहा था और मैं समझता हूँ कि आज भी उन्होंने उसी चीज की कोशिश की कि वित्त मंत्री महोदय की तकरीर के बारे में अपने तरीकेकार के हिसाब से अंदाजा लगाये। मैं अपने दोस्त को बतलाना चाहता हूँ कि यह गांधियन तरीका नहीं है कि कोई आदमी सत्याग्रह करें और दुकान के ऊपर जाकर झगड़ा करें। चीजों के दाम जरूरत से ज्यादा न बढ़ने पायें इसका तरीका बिल्कुल आसान है कि उपभोक्ता उस चीज को इस्तेमाल करने से इंकार कर दे। अगर, चीनी की कीमत ज्यादा है तो उपभोक्ता को चाहिए कि वह चीनी खाना बन्द कर दें। चीनी बगैर खाये कौन आदमी मर जाता है? मैं समझता हूँ कि उपभोक्ता यदि पांच दिन भी चीनी लेने से इन्कार कर दे तो दुकानदार मजबूर हो जायेगा कि वह चीनी महंगी न बेचे। मेरी राय में इसके लिए कोई सोसाइटी बनाने या किसी किस्म का सत्याग्रह वगैरह करने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर, उपभोक्ता लोग जैसा मैंने सुझाव दिया कि वह मंहगी होती जाने वाली चीज का इस्तेमाल बन्द कर दें, अगर, इस ढ़ंग से सोचना शुरू कर दें तो चाहे वह अनाज का व्यापारी हो, चाहे वह चीनी का व्यापारी हो, सही रास्ते पर लाये जा सकते हैं।

मुझे मालूम है कि फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने काफी रूपया इस बात के प्रचार के लिए खर्च किया है और इस बात की बहुत कोशिश की जा रही है कि लोग अपनी ईटिंग हैबिट्स यानी खाने की आदतें बदलें अर्थात् चावल खाने वाले इलाकों के लोग चावल के साथ साथ गेहूं खाने की भी आदत डालें, चावल के साथ में गेहूं की रोटी भी खाना सीखें, निरा चावल ही चावल न खायें। इसमें देश का भला

है। उपभोक्ता लोग काफी समझदार लोग हैं। वह इस मंशा को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। लेकिन, वह समझने से इंकार करते हैं। यह इस देश की बदकिस्मती है कि उपभोक्ता हालांकि, काफी पढ़े लिखे हैं और काफी देश का रूपया उनकी पढ़ाई लिखाई पर खर्च हुआ है। लेकिन, उपभोक्ता लोग देश के हित की बात नहीं सोचते। उपभोक्ता केवल अपने स्वार्थ की ही बात सोचता है। उसके मुंह में गेहूं लगा है, उसे गेहूं का स्वाद है तो वह गेहूं नहीं छोड़ सकता। वह गेहूं के बदले में ज्वार और बाजरे की रोटी खाना नहीं चाहता। इसी तरह से जो चीनी का उपभोक्ता है और जिसके मुंह चीनी लगी है, जिसे चीनी का स्वाद है, वह उस चीनी को नहीं छोड़ना चाहता। वह गुड़ खाने को तैयार नहीं है। वह तो बस सफेद चीनी ही खाते रहना चाहता है। यही नहीं, आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले यहीं सदन में इस बात के लिए बहस हुई थी कि वनस्पति तेल का जमाया जाना बन्द कर दिया जाये। अब दरअसल देखा जाये तो जमे हुए तेल में और वैसे ताजे तेल में कोई फर्क नहीं है। सिर्फ एक सफेद रंग का फर्क है। जिसके लिए करोड़ों रूपये उपभोक्ता देते हैं। जहां तक स्वाद का सम्बन्ध है, साधारण बगैर जमे हुए तेल और जमाए हुए तेल के स्वाद में कोई फर्क नहीं पड़ता है और न ही कोई उसके गुण में कोई फर्क आता है, अलबत्ता फर्क उसकी शक्ल में आ जाता है और उसका जमा हुआ सफेद रूप दिखाई पड़ता है और वह सफेद रंग उपभोक्ता को अच्छा लगता है। उसके मन को भाता है। इसलिए वह तेल को जमाये हुए रूप में कबूल करता है। अब गांधियन तरीका बिल्कुल साफ है। इस देश का हित तभी हो सकता है जब आदमी अपने ऊपर कोई प्रतिबन्ध लगाये। जब तक हम कुर्बानी नहीं करेंगे, तब तक देश का हित कैसे हो सकेगा? हर एक देश कुर्बानी से बढ़ता है। कोई भी देश केवल कायदे और कानून बनाने से आगे नहीं बढ़ सकता है।

कौन नहीं जानता कि इन पिछले 14, 15 साल के अन्दर इस देश में कंट्रोल्ड एकोनोमी रही है। गेहूं के भाव कंट्रोल्ड रहे, चीनी के भाव कंट्रोल्ड रहे। अब गेहूं का जहां तक वास्ता है, मुझे एक पंजाब का किसान होने के नाते मालूम है कि सन 1947 के अन्दर गेहूं की कीमत 16 रूपये प्रति मन थी, जब आज हमारा गेहूं 14 रूपय प्रति मन बिकता है। इस तरह धान के बारे में मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि जो धान 10 रूपये, 12 रूपये और 15 रूपये मन तक बिकता था, वही धान इस देश के अन्दर 6 रूपये मन तक बिका है। मुझे तो सख्त हैरत होती है, जब हमारे मेनन साहब कहते हैं कि दाम बढ़ गये हैं। पता नहीं कि वह कैसे आंकड़े हैं जिनको वह पेश करके इस बात का दावा करते हैं कि दाम बढ़े हैं। अजीब हालत है कि 10, 20 फीसदी के ऊपर इतना

बावैला उठाया जाता है और कभी सरकारी नौकरों का सत्याग्रह कराया जाता है तो कभी इस सदन के अन्छर आवाज बुलन्द की जाती है। मैं अपने माननीय मित्र से निवेदन करना चाहूंगा कि यह गांधीवादी तरीका नहीं है और इस तरह से उनको उपभोक्ताओं को लीड नहीं देनी चाहिए....

श्री नारायण कुट्टि मेनन : सत्याग्रह मत करिए। लेकिन, बिल तो पास करिए।

चौधरी रणबीर सिंह : खाली बिल और कानून बना देने से ही सारा काम हल होने वाला नहीं है। मैं कोई कंट्रोल्ड एकोनोमी के खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन, मैं यह जरूर समझता हूँ कि खाली कानून से ही जैसा वे समझते हैं, देश आगे चलने वाला नहीं है। देश आगे चलता है देश का दिमाग बदलने से, देश का स्वभाव बदलने से और देश का स्वाद बदलने से। कानून की भी जगह होती है, कानून का भी स्थान होता है। उसका इस्तेमाल किया गया है। मैं भी इन बातों को मानने के लिए तैयार हो सकता हूँ, अगर, देश की उस 16 करोड़ वर्किंग फोर्स का भी इसमें ख्याल रखा जाये--उसमें से 50 लाख वैस्टिड इन्ट्रेस्ट्स को चाहे निकाल दिया जाये--वे अनाज खुद पैदा करते हैं, जो अगर, ज्वार पैदा करते हैं, तो ज्वार ही खाते हैं, अगर, बाजरा पैदा करते हैं, तो बाजरा खाते हैं--वे चावल गेहूं को खरीदने नहीं जाते हैं--जिसको मोटे दाने कहते हैं, उसको पैदा करते हैं और खाते हैं, जो इसी तरह गुड़ और शक्कर खाते हैं, जो रफ खुराक को भी खाते हैं, वे तेल को भी खाते हैं, वनस्पति को नहीं खाते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि देश में जो हालात होते हैं, उनका असर इस वर्किंग फोर्स पर भी पड़ता है। उसका भी कोई इन्डेक्स नम्बर है, उसका भी कोई नापतौल है। एक तरफ तो यह नाप-तौर है कि 1952-53 में चावल का इन्डेक्स नम्बर 100 था और वह 1960 में 109 हो गया और गेहूं का 100 से घट कर 91 हो गया। फिर भी आवाज उठाई जाती है। दूसरी तरफ गेहूं का भाव इस देश में पिछले चौदह साल में 16 रूपये 8 रूपये मन घटा, गुड़ 21 रूपये से घटर कर 7, 8 रूपये मन बिका, धान 16 रूपये घट कर 6 रूपये मन बिका। मैं कहना चाहता हूँ कि उस वर्किंग फोर्स का भी इन्डेक्स नम्बर है। उसके लिए भी आवाज उठाई जानी चाहिए। क्या उनके लिए भी किसी इन्डेक्स नम्बर की जरूरत है या नहीं ? मैं मानता हूँ कि किसान बहुत खासा समझदार है। जिन बातों का जिक्र माननीय सदस्य ने किया है, उनमें से ज्यादा बातों का किसान से भी सम्बन्ध है और किसान के जीवन पर उनका घाटा-नफा होता है।

माननीय सदस्य एक तरफ किसान की खेती की बात करते हैं और दूसरी तरफ तनख्वाहदार आदमियों के लिए सत्याग्रह की बातें करते हैं। टैक्स उनसे लिये आयेंगे और इनकी तनख्वाहें बढ़ा दी जायेगी। वह गेहूं के भाव कम करने की बात करते हैं। मैं पूछता हूँ कि किसके पेट पर पट्टी बांध कर गेहूं का भाव कम किया जायेगा ? मेरे माननीय मित्र को यह मालूम होना चाएि कि काश्तकार सर्दियों में सख्त सर्दी में और गर्मियों में इतनी गर्मी में काम करते हैं, जिसमें वे लोग नहीं कर सकते, जो सस्ता अनाज खाना चाहते हैं। हर किस्म के मौसम का मुकाबला करके वे देश में धन दौलत पैदा करते हैं। किसान ने इस देश में इतना अनाज पैदा किया, जितनी उसकी जरूरत थी। एक वक्त ऐसा आया कि इतना गेहूं हो गया, जिसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, इतना धान पैदा किया गया, जिसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। आज चीनी का भी वक्त आया है। आज से डेढ़ साल पहले 19 लाख टन चीनी पैदा हुई। सारे देश में कुल 5 करोड़ की सहायता दी गई, जिसमें से 4,42 करोड़ रूपया तो चीनी के कारखानेदारों को दिया गया और शूगरकेन ग्रोअर्ज को 58 लाख रूपया उनके गन्ने की कीमत बीस नये पैसे बढ़ा कर दिया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि दस लाख टन चीनी ज्यादा हुई और अगर, अन्दाज लगाया जाये, तो 30 करोड़ रूपया एक्साइज के लिये ज्यादा दिया गया।

अगर, माननीय सदस्य और यह गवर्नमेंट देश की हालत सुधारना चाहते हैं तो कानून के बजाय कोशिश करें कि इस देश में ऐसे हालात पैदा हों, जिनमें ज्यादा अनाज पैदा किया जा सके। वह तभी हो सकता है जब अनाज पैदा करने वाले को भी कुछ सुविधायें दी जायें। उसके लिये भी कुछ रूपया खर्च किया जाये। माननीय सदस्य ने किसानों के लोहे के औजार, फाली वगैरह, पर कंट्रोल करने के बारे में जिक्र नहीं किया, क्योंकि, उससे लेबर पर असर पड़ता है, जिसके लिये वह पूरा संरक्षण चाहते हैं। वह मिली भगत हो जाती है। किसान की जरूरतों का इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है। कई भाई कहते हैं कि और देशों में चार हजार पौंड धान एक एकड़ में पैदा होता है। यहां सिर्फ पांच छ : सौ पौण्ड पैदा होता है। मैं कहना चाहता हूँ कि यहां का किसान भी उतना ही धान पैदा कर सकता है, बगैर किसी प्रचार के कर सकता है। लेकिन, उसके लिये मुनासिब हालात चाहिए। गन्ना क्यों नहीं ज्यादा पैदा होता है ? जब पानी की ज्यादा जरूरत होती है तो हम पानी नहीं दे सकते हैं। पानी का इन्तजाम हमने नहीं किया है। पंजाब प्रदेश खेती में बहुत आगे है। लेकिन, वहां भाखड़ा डैम के लिये जहां प्लानिंग कमीशन ने 154 करोड़ रूपये खर्च करने के लिये दिये हैं,

वहां अगर, उस जमीन को ठीक करने के लिये, जहां पानी ज्यादा है, 60 करोड़ रूपया दिया जाये, तो किसान 120 करोड़ रूपये की पैदावार एक साल में करने के लिये तैयार है।

मैं कहना चाहता हूँ कि इस कानून को पास करने की जरूरत नहीं। सरकार सही तरीके पर चलना चाहती है तो काटेज इण्डस्ट्रीज और माइनर इरीगेशन पर ज्यादा से ज्यादा रूपया लगाया जाये। कानून बनाना है तो ब्लैक मार्केटिंग पर कण्ट्रोल करना चाहिये, जिससे चोरी भी नहीं होगी और उनका मुद्दा भी पूरा होगा।

द्वितीय लोकसभा

सोमवार, 1 मई, 1961*

दिल्ली (शहरी किरायेदार राहत) विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह (रोहतक) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ। क्योंकि, इसके द्वारा उन मुजारों को किसी हद तक, थोड़ी बहुत संरक्षण मिला है, जो दिल्ली स्टेट के उस हिस्से में काश्त करते हैं, जिसे 1956 से पहले से शहरी हिस्सा कहा जा सकता था। मुझे मालूम है कि दिल्ली शहर के आसपास के इलाके में कई जमीनें हैं, जिनको लीज पर दिया जाता है सोसायटियों को और वे सोसायटियां आगे खेती करने वालों को लीज पर देती हैं। वह लीज मनी 200, 250 रूपये फी एकड़ तक पहुंचता है। इससे अन्दाजा लगाया जा सकता है कि जो भाई शहरी इलाकों में खेती करते हैं, उनकी क्या समस्यायें हैं? लेकिन, कुछ भाई यह भूल जाते हैं, जैसा माननीय सदस्य, श्री नवल प्रभाकर ने कहा है कि यह विधेयक बड़े महदूद इलाके के लिये है। सारी दिल्ली रियासत या दिल्ली टैरिटरी के लिए नहीं है। यह सिर्फ उन लोगों के बारे में है, जिनके इलाकों को 1956 में शहरी इलाके करार दे दिया गया था। लेकिन, जैसा अभी श्री बलराज मधोक ने कहा है मैं समझता हूँ कि यह जो बिल है, यह एक तरह से आंसू पोंछने वाला है, उन आदमियों के जिनकी आंखों के सामने उनकी मौत नाच रही है और दो, चार, पांच, सात, आठ, दस या बारह साल के अन्दर अन्दर जिनको वहां से उठाया जाएगा। उस वक्त उठाना होगा, अपने खेतों को छोड़ना होगा, रि चाहे वे मुजारे हों या जमीन के मालिक और चाहे भूमिधर। अभी मेरे माननीय सदस्य श्री मधोक ने कहा है कि उन लोगों के दिलों में बड़ी ख्वाहिश है जिनके पास घर नहीं हैं, उनको इस बढ़ती जाने वाली दिल्ली नगरी के अन्दर घर मिलें।

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 1 मई, 1961, पृष्ठ 14763-14769*

हर इन्सान चाहेगा कि उसको घर मिले। लेकिन, देखना यह है कि किसी को घर देते वक्त हम दूसरे को बेघर न कर दें। लेकिन, हो यही रहा है और यही होता चला आया है। दिल्ली शहर जो इतना बड़ा हो गया है, वह कुछ भाईयों को बेघर करके बसा है। मुझे दो चार दिन हुए एक आदमी ने जिनकी जमीन दिल्ली कैंट में ली गई थी, बताया और मुझे कागज दिखाया कि 1912 या 1928 में उस वक्त की सरकार ने यह कहा था कि जहां वह उसकी जमीन 15 रूपये एकड़ पर लेती है, वहां साथ ही साथ अगर, कभी उस जमीन को वह लीज पर देगी तो उसी को देगी या उसके वारिसों को देगी। लेकिन, आज हालत यह है कि जिस भाई की जमीन पन्द्रह रूपये एकड़ के हिसाब से ली गई थी, वह बेघर हुआ फिरता है। उस जमीन को हम जिस काम के लिए ली गई थी, इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जब उसको हम लीज पर देते हैं तो उसको या उसके वारिसों को न दे करके दूसरों को देते हैं।

अभी हमारे माननीय सदस्य श्री राधा रमण जी ने कहा कि बहुत सारी जमीन दिल्ली शहर में ऐसी है, जिसके बारे में एक्विजिशन नोटिस कई साल पहले निकाला गया था। लेकिन, आज तक वे जमीनें नहीं ली गई हैं। जमीन के ऊपर एक और नोटिस निकल गया है। उसमें से कितनी जमीन ली जाएगी, कितनी नहीं ली जाएगी और कब ली जाएगी? कोई नहीं जानता। यही नहीं, जो कम्पेंसेशन का तरीका है, मुआवजा देने का तरीका है, वह भी अजीब है। अभी चन्द दिन हुए सदन की टेबल पर एक स्टेटमेंट रखा गया था। उसमें बताया गया था कि 34,000 एकड़ जो भूमि ली जाएगी, उसके बारे में कम्पेंसेशन का या बंटवारे का क्या तरीका होगा? उसमें लिखा है कि जिन भाईयों ने जो जमीन इवक्की प्रापर्टी की थी, खरीदी थी, उनका जो बिड मनी है, वह उतना जरूर दिया जाएगा और उससे कोई 15 परसेंट के करीब ज्यादा भी दिया जा सकता है। अभी एक बहुत बड़े अखबार के ज्वाएंट एडीटर मुझसे मिले थे और उन्होंने बताया था कि उन्होंने तीस चालीस हजार की बिड के अन्दर एक जमीन खरीदी और उसकी कीमत सरकार को कम्पेंसेशन बांड की शक्ल में या नकदी की शक्ल में अदा की। अब वह जमीन दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए ली जा रही है। अगर, वह जमीन 34,000 एकड़ भूमि का हिस्सा होती तो उसके मुआवजे का तरीका मुख्तलिफ होता। अब चूंकि वह दिल्ली यूनिवर्स्टी के लिए ली जा रही है, इस वास्ते उसके मुआवजे का तरीका मुख्तलिफ होगा। यह सब उस आदमी का कसूर नहीं हो सकता, जिसने जमीन खरीद है। न ही वह इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है कि आप किस काम के लिए उसको ले रहे हैं। मगर मैं समझता हूँ कि आपके मुआवजे का जो तरीका होना चाहिये, वह यकसां होना चाहिये। मुआवजा भी उसको

नहीं मिलता है और वह मारा मारा फिरता है। उसको सलाह दी जाती है कि वह अदालत में जा सकता है। यह सही है कि कोई भी अदालत में जा सकता है। जिसकी जमीन ली जाती है, उसके कम्पेंसेशन के बारे में जो कानून है, वह दूसरा है, हिदायतें दूसरी हैं। होम मिनिस्ट्री का ध्यान उस तरफ नहीं गया है। लेकिन, जब दिल्ली यूनिवर्सीटी के लिए हम जमीन ले रहे हैं, उसके जो मुआवजे का तरीका है, वह तरीका 34,000 एकड़ वाली जो जमीन है, उससे मुख्तलिफ है।

हिन्दुस्तान की सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस रह चुके हैं। कल परसों एक दोस्त मुझे बतला रहे थे कि उनका कसूर यह है कि उन्होंने जमीन खरीदने और मकान बनाने के लिए लेकिर किसी सोसायटी के मेम्बर नहीं बने। अब किसी कोआप्रेटिव सोसायटी का मैम्बर बनने के लिए किसी ने सौ दो सौ रूपया दे दिया और अपना नाम लिखवा लिया, उनको तो जमीन मिल जाएगी। जिनसे जमीन ले ली गई है, वे बिना जमीन के रह जायेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस रह चुके हैं, उनको उतनी जमीन नहीं दी जा सकती है, जितनी उनको जरूरत है। वैसे तो यहां पर समाजवाद है और इसके अन्दर किसी के स्टैट्स का कोई लिहाज नहीं है, कोई ऊंचा और नीचा कानून की नजर से नहीं है। लेकिन, कुछ भाई हैं जिनको बारह सौ तक मिल जाएगी और उन्होंने खरीदी भी नहीं है, सिर्फ सौ दो सौ रूपये देकर किसी सोसायटी के मैम्बर बन गए हैं। लेकिन, जिस भाई ने दस, पन्द्रह या बीस हजार रूपया लगाया और जमीन खरीद की है और चाहा है कि मकान बना लूं, उसको जमीन नहीं मिल सकती है, या बहुत कम मिल सकती है। अगर, किसी का कुटुम्ब बड़ा है, बारह चौदह बच्चे हैं, उसको भी उस हिसाब से नहीं मिलेगी। लेकिन, अगर, उसने किसी कोआप्रेटिव सोसाइटी में नाम लिखा दिया है, तो उसको दूसरे तरीके से अधिक ही जमीन मिल सकती है।

एक बात देखकर बड़ा दु:ख होता है। हम भी सरकारी मकानों में किराया देकर रहते हैं। हमें चार सौ मिलता है और हमसे डेढ़ सौ रूपया किराया ले लिया जाता है। दूसरी तरफ जो सरकारी अफसर हैं, उनको दस परसेंट ही अपनी तनख्वाह का देना पड़ता है।

Mr. Chairman : The hon. Member mayconfine his speech to this Bill. We are not discussing the general rent structure at the present moment.

चौधरी रणबीर सिंह : यह मेरी बदकिस्मती है कि मैं जो कहना चाह रहा

था, उसको आपको ठीक तरह से समझा नही सका हूँ। लेकिन, मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं बिल्कुल रेलेवेंट हूँ। मैं यह कह रहा था कि किस जमीन को शहरी कहा जाता है, वह जो एक्वायर की जानी है, उसके कम्पेसेशन का जो तरीका है, वह क्या है? मैं उससे बाहर नहीं जा रहा हूँ। एक अजीब हिसाब से हम चलते हैं। मैं बंटवारे के तरीके को ही लेता हूँ। जिस चीज के लिए जमीन ली जाएगी, उसको आप देखें। सरकारी नौकर जब तक वह नौकरी में था तब तक तो वह सस्ते किराये के मकान में रहा। बाद में वह सरकारी नौकरों की कोआपरेटिव सोसाइटी का मेम्बर बन गया। अब नौकरी के बाद उसको चाहिये था कि जिस प्रदेश से वह आया है, वहां वापिस चला जाए। लेकिन, अगर, वह वापिस जाना नहीं चाहता है और चाहता है कि यहां दिल्ली में ही रहे। क्योंकि, यह केपिटल है, तो उस वक्त भी किसी को बेघर करके हम उसको जमीन देते हैं। उस सोसाइटी के जरिये देते हैं जो सरकारी नौकरों की बनती है। किसी को बेघर करके हम दूसरों को जो घर देते हैं, यह कोई न्यायप्रद नीति नहीं है।

माननीय श्री नवल प्रभाकर जी ने कम्पेसेशन का जिक्र किया है। एक तरफ उन्होंने मौरूसी मुजारों का जिक्र किया और दूसरी तरफ गैर-मौरूसी। अगर, गैर मौरूसी मुजारों को भी मौरूसी मुजारा जितना कैम्पेसेशन मिलना है तो गैर मौरूसी मुजारों को गैर-मौरूसी कहने की क्या आवश्यकता है? बहरहाल एक बात मैं नहीं समझा हूँ कि अगर, किसी मुजारे को उठाया जाएगा तो उसको कोई मुआवजा देने का सिलसिला क्यों नहीं रखा है। मुझे मालूम है कि प्लानिंग कमिशन की यह नीति है कि जिनके पास अपनी जमीन नहीं है या जो दूसरों की जमीन बोते हैं और वह पांच एकड़ से कम है---

श्री नवल प्रभाकर : इस बिल में जो मुआवजा मिलेगा, वह मालिक को मिलेगा, मुजारे को नहीं मिलेगा।

चौधरी रणबीर सिंह : मैं वही कहने जा रहा हूँ। प्लानिंग कमिशन की नीति है कि जिन मुजारों के पास पांच एकड़ से कम भूमि है, उनको अगर, बेदखल किया जाता है, किसी भी वजह से तो उनके लिए दूसरी जमीन या दूसरे काम धंधे का या पेशे का जब तक कोई इंतजाम नहीं किया जाता है, उस वक्त तक उनको बेदखल नहीं किया जा सकता है और बावजूद इस बात के कि अदालत बेदखली की डिग्री भी दे देती है, तो भी बेदखल नहीं किया जा सकता है। ऐसे कानून सारी रियासतों में हैं। फर्ज किया कि किसी को जमीन के बदले जमीन दी जाए तो भी बेदखल करते वक्त उसको मुआवजा जरूर दिया जाना चाहिये। कम से कम इतना जरूर होना चाहिये कि

उसमें से दस आने अगर, मालिक को मिलते हैं तो छ : आने मुजारे को मिल जायें या इसका उलट हो जाए कि छ : आने मालिक को मिलें और दस आने मुजारे को मिल जायें। जो गैर-मौरूसी मुजारे हैं, उनका भी थोड़ा बहुत इंतजाम जरूर होना चाहिये।

श्री महावीर त्यागी ने कहा और खास तौर पर विधवा के नाम पर कहा तो उससे मन्त्री महोदय को जरा दिल में रहम आया। मेरा ख्याल है कि वे शायद इसमें कुछ तबदीली भी करना चाहते हैं। लेकिन, मैं इस सम्बन्ध में एक बात कहूंगा। चाहे वह छोटा बच्चा हो, चाहे फौज के अन्दर सिपाही हो, या वह विधवा ही हो, या विधवा दुबारा शादी कर ले, उसको जो सहूलियत है, वह एक दफा ही मिले। इस बातें में मुझे कोई ऐतराज नहीं कि जब वह छोटा बच्चा बड़ा हो तभी उसकी जमीन बेदखल हो सके, हालांकि, शायद वह दिन आयेगा नहीं। क्योंकि, उस वक्त तक शायद यहां महल बन जायें, यह सिर्फ दो या चार साल की बात है। लेकिन, मैं समझता हूँ कि यह उसके लिये एक भुलावे की बात है। छोटे बच्चे को या जो आदमी फौज में है, उसको अधिकार रहे। लेकिन, यह चीज ध्यान में रखी जानी चाहिये कि यह बेदखल करने का अधिकार एक दफा से ज्यादा इस्तेमाल न हो सके। विधवा को अधिकार रहे यह जरूरी नहीं कि वह रिमैरेज करे, तभी उसे बेदखल करने का अधिकार मिले, या लड़का बालिग बने तभी उसे अधिकार मिले। वह अधिकार उसका रहे। लेकिन, उस अधिकार को इस्तेमाल करने का हक एक बार ही होना चाहिये।

मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, पर आखिर में यह बात जरूर कहना चाहता हूँ कि प्लैनिंग कमीशन के हिसाब से इस देश के अन्दर 5 करोड़ 40 लाख एकड़ जमीन कल्चरेबल वैस्ट लैण्ड है और जैसा मधोक साहब ने कहा, राजस्थान के अन्दर बहुत अच्छी भूमि है। वहां नई नहर आयेगी और वह गैर आबाद इलाका है। इसी तरह दूसरे प्रदेशों में भी है। जिस समय नई दिल्ली बसी थी उस समय जिन भाईयों से यहां जमीन ली गई थी उनको पंजाब के अन्दर जमीन देकर कालोनी बसाई गई। इसी तरह से आज की सरकार जिनका धन्धा छीनती है, उसको उसे धंधा देना चाहिए और वे दूसरा धन्धा कर नहीं सकते सिवा जमीन पर खेती करने के। इसलिये, उनको राजस्थान में या दूसरे प्रदेशों में जमीन के बदले में जमीन देने का इन्तजाम होना चाहिये। यहां जो भाव हो वह सरकार उनको दे और वहां जो भाव हो वह उनसे सरकार ले।

द्वितीय लोकसभा

मंगलवार, 2 मई, 1961*

अतिरिक्त अनुदान मांगें (सामान्य)

चौधरी रणबीर सिंह : सभापति महोदय, हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बातें कही हैं और बहुत बढ़ा चढ़ा कर टीका-टिप्पणी की है। मैं कहना चाहता हूँ कि 141 ग्रांट्स हैं और उन 141 ग्रांट्स में से सिर्फ 15 ग्रांट्स में ही मंजूर शुदा रकम से कुछ फालतू रूपया खर्च हुआ, वह भी शायद 50 लाख से नीचे नीचे है, 44.12 है। आप जानते हैं कि हमारे यहां जो खाता रखा जाता है, उसमें करोड़ से कम की गिनती कम ही होती है। इसका कारण यह है कि हजारों करोड़ रूपया साल में खर्च करने की यह सदन मंजूरी देता है। एडमिनिस्ट्रेशन अपने काम को चलाने के लिए खर्च करता है और हजारों करोड़ रूपयों में एक आध करोड़ की गिनती नहीं हो सकती है। बड़ी-बड़ी और नई-नई योजना चालू करने के लिये या जो पहले से चली आ रही हैं, उनको पूरा करने के लिए इस रूपये का इस्तेमाल होता है।

मेरे माननीय दोस्तों ने गिला किया है कि ये प्रिवी पर्स क्यों दिये गये हैं या यह रकम पहले क्यों दी गयी थी ? अगर, उन्होंने यह बताया होता कि यह जो रूपया रोका गया है, यह किसी सियासी नुक्तेनिगाह से रोका गया है और इसी वजह से पेमेंट में देरी की गई है या कांग्रेस पार्टी ने एडमिनिस्ट्रेशन के जरिये इसको रूकवाया और राजा महाराजाओं को कांग्रेस पार्टी में शामिल करने के लिये ऐसा किया गया है, उनकी बात और उनकी टीका-टिप्पणी समझ में आ सकती थी। लेकिन, उनको पता नहीं है कि किसी राजा का जो प्रिवी पर्स रोका गया था, वह क्यों रोका गया था ? मैं मानता हूँ कि इसके अन्दर कुछ हद तक जिम्मेदारी मंत्रालय की भी है। अगर,

---

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 2 मई, 1961, पृष्ठ 14950-14954*

मंत्रालय पूरी तरह से इसके कारण विस्तार से लिख देता और इस तरफ ध्यान देता तो शायद जो टीका-टिप्पणी हुई है और बेवक्त हुई है, वह बेवक्त की टीका-टिप्पणी न हुई होती। जहां तक प्रिवी पर्स का ताल्लुक है और राजाओं को उनके दिये जाने का ताल्लुक है, मेरे भाई भूल जानते हैं कि क्या वजह थी, उनको प्रिवी पर्स दिये गये थे। इस बिना पर नहीं दिये गये थे कि वे इलैक्शन में हिस्सा न लें। वे इलैक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। इस प्रश्न पर जब विधान बन रहा था, विचार हुआ था कि इलैक्शन में वे हिस्सा लें या न लें, इसकी उनको इजाजत हो या न हो। उस वक्त हमने कम्युनिस्ट पार्टी का जो विधान है, या जो उनका तरीका है, उसको कबूल नहीं किया। यह कम्युनिस्ट देशों का तरीका है कि लाखों की तादाद में जिन भाईयों को वे वैस्टिड इंटिरेस्ट का नुमाइंदा मानते हैं, राय देने से वंचित कर देते हैं। इस देश में हमने इस तरीके को कबूल नहीं किया और महात्मा गांधी जी के बताये हुए तरीके को कबूल किया। उनका कहना था कि बुराई से हमें बैर है, इंसान से बैर नहीं है।

आप जानते हैं कि चीन में तीस साल तक गृहयुद्ध चलता रहा है। वे किसी विदेशी राज से नहीं लड़े, बल्कि आपस में ही लड़े हैं। इसमें देश की तबाही हुई है, बरबादी हुई है। तीस साल के बाद कुछ थोड़ा बहुत फैसला हुआ है और कम्यूनिस्ट पार्टी वालों के हाथ में शासन की बागडोर आई है। करोड़ों रूपया उस देश का इस गृहयुद्ध में खर्च हुआ होगा। आज भी आप देखें तो पता चलेगा कि कांगो के अन्दर लड़ाई और भेदभाव चल रहा है। जिन लोगों को प्रिवी पर्स देना विधान में मंजूर किया गया है, उनके पास अपनी फौजें थीं, हथियार थे और वे इस देश में खानाजंगी करा सकते थे। उनके साथ सरकार ने वायदा किया था, प्रिवी पर्स देने का और यह शरीफ आदमी का काम नहीं है कि वायदा करके उससे वह मुकर जाये। शरीफ आदमी का काम होता है कि वक्त गुजर जाने के बाद भी जो वायदा दिया गया है, उसको निभाये। अगर, कोई बुरा वक्त भी आ जाता है तो उसमें भी अपने वायदे को न भूल जाये। अपने वायदे को निभाने की कोशिश करे। उन लोगों ने शान्ति से, अमन से अपने राज को इस देश के नुमाइंदों के हाथ में दे दिया और इस देश का एक नया नक्शा बनाने में हम लोगों की मदद की। उनके इस काम के लिए इनाम के तौर पर मुआवजा के तौर पर ये प्रिवी पर्स दिये गये हैं। अगर, कोई भाई समझते हैं कि ये इसलिए दिये गये हैं कि वे इलैक्शन में न खड़े हों तो वे गलतफहमी में हैं। अगर, यह बताने की और इसको साबित करने की कोशिश की जाती कि जो रूपया किसी प्रिंस का रोका गया था, वह इसलिये, रोका गया था कि उसके अन्दर कोई सियासत छिपी हुई थी य किसी प्रिंस को किसी पार्टी के साथ लगाना या उसके खिलाफ करना थ्रा तो

टीका-टिप्पणी को मैं समझ सकता था और वह टीका-टिप्पणी वक्त के मुताबिक होती। लेकिन, ऐसा कोई सबूत नहीं दिया गया है। इस वास्ते यह टीका-टिप्पणी मेरी समझ में नहीं आई है।

मेरे मानयोग साथी श्री वी. चं. शर्मा जी ने जो अब चले गये हैं, पेंशनर्ज की हमदर्दी में एक बात कही। वह इस बात को भूल गये कि हमदर्दी करते करते कहीं उनके खिलाफ तो वही नहीं बोल रहे हैं। पैंशन का जो रूपया ज्यादा दिया गया है, उसके अन्दर यह लिखा है कि यह सरकार के खयाल के मुताबिक एंटीसिपेटिड नहीं था, उसके अन्दाज में यह नहीं था और उसको नहीं पता था कि यह देना पड़ेगा। पैंशनर्ज के साथ हमदर्दी के बावजूद सरकार को इस बात का पता नहीं था, हिसाब-किताब के मुताबिक इसका अंदाजा नहीं था कि उन लोगों को उसे इतना रूपया पैंशन के तौर पर। देना पड़ेगा। उनके साथ हमदर्दी के तौर पर यह सब कुछ किया गया है। हमारे भाई इस बात को नहीं समझते हैं कि सरकार ने उनकी तकलीफ को समझा है और उसको समझ करके जितना रूपया ज्यादा देना पड़ा है, देने की कोशिश की है।

श्री त.ब. विट्ठल राव : क्या इसके लिए सप्लीमेंटरी डिमांड नहीं ला जा सकती थी ?

चौधरी रणबीर सिंह : वह भी लाई जा सकती थी। लेकिन, अगर, मेरे लायक दोस्त का यह मुद्दा हो कि किसी के साथ ज्यादती की गई है या किसी के साथ कोई रियायत की गई है, तो मैं उनकी बात को समझ सकता था। वरना सप्लीमेंटरी डिमांड के तौर पर या बजट के अन्दर या फिर एक्सेस ग्रांट के तौर पर इसको कर दिया गया है तो इसमें ऐतराज की कौन सी बात है। यह तो एक तरीका है हिसाब किताब रखने का। हम लोग इतने ज्यादा पेंचों के अन्दर फंस जायें कि एक हजार करोड़ रूपया जो हम खर्च करते हैं, उसकी तरफ तो ध्यान न दें और इस 44 लाख रूपये की जो एक्सेस ग्रांट्स है, उनके बारे में टीका-टिप्पणी करते जायें या उसके बारे में अपनी बुद्धिमत्ता दिखाते जायें, तो यह कोई ज्यादा समझ की बात नहीं हो सकती है। मैं यह चाहता हूँ कि एक भी पैसा मंजूरशुदा पैसे से ज्यादा खर्च न किया जाये। ऐसा हो सके तो यह स्वागत योग्य बात होगी। लेकिन, देश बन रहा है, तरक्की कर रहा है और आप जानते हैं कि इस सदन ने मंजूर किया है भाखड़ा नंगल के मामले में, कि सरकार 140 करोड़ के बजाय 170 करोड़ रूपया खर्च कर सकती है और यह एक अच्छी बात है। जितने भी ये छोटे बड़े प्रोजैक्ट्स हैं, इनके मुताल्लिक कौन कह सकता है कि जो अंदाजा है, उससे ज्यादा खर्च नहीं होगा या कौन नाप तौल से पैसा

खर्च कर सकता है। हमारी एक कमेटी ने सिफारिश भी की है कि जहां तक डिवेलपमेंट प्रोजैक्ट्स होना चाहिये, उसके अन्दर यह पाबन्दी नहीं होनी चाहिये कि 31 मार्च तक इतना ही रूपया खर्च हो। जहां पर आसानी से और ठीक तरीके से रूपया खर्च हो सकता है, ज्यादा रूपया खर्च हो सकता है और वह किया जाता है। यह बड़ी खुशी की बात है। अगर, डिवेलपमेंट के कामों पर रूपया ज्यादा खर्च होता है या जल्दी खर्च होता है तो हमें अफसोस नहीं होना चाहिये। क्योंकि, मैं समझता हूँ कि जितनी जल्दी कोई प्रोजैक्ट पूरा होगा, उतनी जल्दी ही देश को फायदा पहुंचना शुरू हो जायेगा और इसके लिए हमें अफसोस नहीं करना चाहिये।

द्वितीय लोकसभा

बुधवार, 3 मई, 1961 *

कोयला खान (संरक्षण और सुरक्षा संशोधन) विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, कोयले पर उत्पादन-कर एक रूपया फी टन से बढ़ाकर चार रूपया फी टन करने का अधिकार सरकार ने इस मंत्रालय के पास उत्पादन कर लगाने की जितनी शक्ति अभी तक थी, उसका भी पूरे तौर पर इस मंत्रालय ने इस्तेमाल नहीं किया है। अभी तक 88 नए पैसे या 94 नए पैसे ही उत्पादन कर लगा हुआ था। उसके पास यह अधिकार था कि वह एक तरह से 12 नए पैसे और 6 नए पैसे तक इस कर को बढ़ा सकता है। लेकिन, खुशी की बात है कि मंत्रालय ने यह समझा कि देश के रिप्रिजेंटेटिव्ज के पास गए बिना उसको इस अख्तियार का इस्तेमाल नहीं करना चाहिये। अभी मेरे माननीय सदस्य श्री ब्रजराज सिंह जी ने सन्देह प्रकट किया है कि यह कर इस लिए लगाया जा रहा है या इसलिए बढ़ाया जा रहा है कि किसी जहाजी कम्पनी को फायदा पहुंचाना है या जो कोयले के उत्पादक हैं, जो बड़े-बड़े पूंजीपति हैं, उनको फायदा पहुंचाना है। मैं समझता हूँ कि जो इस तरह की बातें कहते हैं वे सरासर गलती पर हैं। यह शक्ति इसलिए ली जा रही है कि इस देश में कोयला अधिक पैदा करने की आवश्यकता है। कोयले का उत्पादन जब तक नहीं बढ़ेगा, तब तक देश की तरक्की पूरे तौर पर नहीं हो सकती। इस वास्ते आवश्यकता इस बात की है कि कोयले के उत्पादन को बढ़ाया जाए।

आए दिन कोयेले की खानों के अन्दर एक्सीडेन्ट्स होते रहते हैं। उनको भी जहां तक मुमकिन हो सके रोका जाये, यह भी एक इस विधेयक का उद्देश्य है। इसके

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 3 मई, 1961, पृष्ठ 15236-15239*

अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि कोयले का उत्पादन तो काफी हो जाता है। लेकिन, कोयले की ढ़ोने की रेलों में शक्ति नहीं होती और वह एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है। एक तरह से बाटलनैक्स पैदा हो जाते हैं, काम रूक जाता है, इस वास्ते यह आवश्यक प्रतीत होता है कि कोयले की ढुलाई का कोई और भी साथ-साथ प्रबन्ध किया जाए। कोयले का अन्य साधनों से ढ़ोने का और इस काम को सुचारू रूप से चलाने का अख्तियार भी इस विधेयक में मांगा जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूँ कि इस मंत्रालय ने जहां तक कोयले के उत्पादन का सम्बन्ध है, तीसरे प्लान के अन्दर 9 करोड़ 70 लाख टन उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। जो उत्पादन बढ़ेगा यह केवल प्राइवेट पूंजीपतियों द्वारा ही नहीं बढ़ाया जायेगा, बल्कि पब्लिक सैक्टर द्वारा भी बढ़ाया जाएगा। 200 लाख टन यानी दो करोड़ टन पब्लिक सैक्टर पैदा करेगा। ऐसी हालत में अगर, कोई यह कहता है कि प्राईवे पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है तो मैं समझता हूँ कि वह सही बात नहीं कहता है, गलत बात कहता है। इस मैदान में, इस फील्ड में पब्लिक सैक्टर ने हाथ बढ़ाया है और पब्लिक सैक्टर सुचारू रूप से आगे बढ़ सके और देश की उन्नति में सहायक हो सके, इस उद्देश्य से यह उत्पादन कर बढ़ाने की शक्ति मांगी जा रही है। उत्पादन कर बढ़ाने से जो लाभ होगा, उसका 25 प्रतिशत या उससे कुछ कम पब्लिक सैक्टर को पहुंचेगा। मैं श्री ब्रजराज सिंह जी की ताईद करता हूँ, जब उन्होंने यह कहा कि जहां आज हम यह देखते हैं कि जो अनाज है, वह रेल हैड पर, हर रेलवे स्टेशन पर सरकार एक ही भाव पर पहुंचाती है, उसी तरह उसे कोयला भी पहुंचाना चाहिये। अनाज हर एक के खाने की चीज है, चाहे कोई पंजाबी हो, चाहे बंगाली हो, चाहे मद्रासी हो या बम्बई वाला है, हर कोई अनाज खाता है। यह जीवन के लिये आवश्यक वस्तुओं में से सबसे आवश्यक वस्तु है। इसी तरह से कोयला भी मैं यह तो नहीं कहूंगा कि अनाज जितना ही जरूरी है। लेकिन, बहुत जरूरी चीज है और इसकी ओर भी आपका समुचित ध्यान जाना चाहिये। हो सकता है कि मंत्रालय के रास्ते में बहुत सी रूकावटें हों, बहुत सी मुश्किलात हों, उस नीति के निवारण में या उसको चलाने में लेकन मैं चाहता हूँ कि यह मंत्रालय इसके बारे में थोड़ा सोचे। क्योंकि, इस देश के सभी भागों का आर्थिक विकास तभी हो सकता है, जब देश की तरक्की के लिए, सब चीजों का और खास तौर पर कोयले का वितरण न्यायोचित ढ़ंग से हो। यह ठीक है कि भगवान ने बिहार, उड़ीसा इत्यादि में कोयले की खाने रखी हैं और इससे उन इलाकों को फायदा पहुंचता है। एक फायदा तो कोयला निकालने से

ही पहुंचता है। दूसरा फायदा कुछ कारखानों की इस वजह से स्थापना हो जाने की शक्ल में भी पहुंचता है। लेकिन, उस फायदे को हमें इस हद तक नहीं खींचना चाहिये कि दूसरे इलाकों को गिला होने लग जाए। आप जानते हैं कि रिजनल बेसिस पर विकास की हर इलाका मांग करता है। खास तौर पर प्रजातांत्रिक ढ़ांचा जहां होगा वहां पर तो यह कुदरती बात है कि हर इलाके के लोग यह चाहेंगे कि उनका इलाका भी आर्थिक तौर पर तरक्की करे। उसके लिये यह जरूरी है कि वहां जिन वस्तुओं की आवश्यकता है, उनको आप पहुंचायें।

कल माननीय मंत्री जी ने बताया कि 88 और 94 नये पैसे की दर जो उत्पादन कर की है, उसको ज्यादा से ज्यादा वह 120 या 150 नये पैसे तक ले जाना चाहते हैं। मेरी राय है कि अगर, इसको और भी कुछ बढ़ाने की आवश्यकता हो और मंत्रालय इस बात का इंतजाम कर सके कि पंजाब में तथा दूसरे प्रान्तों के अन्दर भी जिस भाव पर कोयला, बंगाल, बिहार इत्यादि में दिया जाता है, उसी भाव पर दिया जाये, तो एक स्वागत योग्य बात होगी। इस उद्देश्य से अगर, इस कर को बढ़ाया जाता है तो कैसे कहा जा सकता है कि यह उद्योगपतियों के हक की बात है या किसी जहाजरानी कम्पनी के हक की बात है। उस सूरत में यह देश के लाभ की बात होगी।

इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ जहां तक कोयले को सड़क से ढ़ोने का वास्ता है, अगर, है भी बिहार, उड़ीसा इत्यादि के आसपास के इलाकों में और हो सके तो उत्तर प्रदेश के भी कुछ इलाकों में ट्रकों से ढ़ो कर पहुंचाया जा सके, तो यह अच्छी बात होगी। वहां जितना कोयला जाना है, वह सब ट्रकों से भेजा जाये तो इसका मतलब यह होगा कि रेलों के ऊपर जो आज दबाव है, वह कम किया जा सकेगा। रेलवे के पास आज इतने वैगन नहीं हैं कि कोयले को सारे देश में ठीक तरह से और समय पर वह पहुंचा सके। मैं चाहता हूँ कि जहां थोड़ा बहुत रूपया जहाजरानी कम्पनियों पर दर को ठीक स्तर पर लाने के लिए, रेल के दर के बराबर लाने के लिए खर्च किया जाये, वहां ट्रक्स के ऊपर जो थोड़ा बहुत खर्चा अगर, फालतू होता है, तो उसको भी सबसिडाइज करने पर इस्तेमाल किया जाये।

द्वितीय लोकसभा

बुधवार, 3 मई, 1961 *

दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करता हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे इस बात का शौक है कि चीफ कमिश्नर को और ज्यादा अधिकार दे दिए जाएं। उनके पास पहले से ही काफी अधिकार हैं और उनके पास बहुत काम है।

कई भाई जो इस वक्त सोचते हैं तो वे दुकानदार और उसके नौकरों की समस्याओं से बाहर जाकर नहीं सोचते। लेकिन, इनके साथ साथ खरीदार का भी सवाल आता है और उसकी भी सहूलियत का ध्यान रखना चाहिए। हर किस्म के दुकानदार के अलहिदा-अलहिदा किस्म के खरीदार होते हैं। कई खरीदार बाहर से आते हैं और कई अपने मकान से उठकर दुकान पर सामान लेने चले आते हैं। अलहिदा-अलहिदा किस्म की दुकानों के अलहिदा-अलहिदा किस्म के खरीदार हैं। और उनको अलग-अलग तरह की सुविधा की जयरत होती है। यह कहना कि इन बातों का अन्दाजा यह सदन या कोई विधान सभा लगा सकती है, गलत है।

ब्रजराज सिंह जी ने कहा कि यह प्रतिक्रियावादी कानून लाया गया है। लेकिन, मैं इस बात को नहीं मानता। यह तो उससे उलटा है। इससे तो यह साबित होता है कि आज लोगों के आराम और तकलीफ का सरकार पर कितना असर होता है। लोगों के आराम के लिए ही सरकार मजबूर हुई है, यह कानून लाने के लिए। यह कानून लोगों के हकों को छीनने के लिए नहीं लाया गया है। यह तो लोगों को आराम

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 3 मई, 1961, पृष्ठ 15332-15334*

पहुंचाने के लिए लाया गया है।

मैं न दुकानदार हूँ और न दुकानदारों से मुझे बहुत सम्बन्ध है, खास तौर से दिल्ली के दुकानदारों से। लेकिन, दिल्ली के दुकानदारों में और रोहतक के दुकानदारों में ज्यादा अन्तर नहीं है। कुछ दुकानदार मेरे मतदाता जरूर हैं। मुझे मालूम है कि इन दुकानदारों के पास कई तरह के इंस्पेक्टर आते हैं। मेरे दूसरे भाईयों ने बताया कि कानून पर ठीक अमल होने के लिए यह जरूरी है कि दुकानदारों के पास इंस्पेक्टर जाएं। इससे काम ठीक हो सकता है। लेकिन, उनके पास तरह तरह के इंस्पेक्टर आते हैं और अलग-अलग सवाल लेकर आते हैं। इस तरह से इन इंस्पेक्टरों की तादाद भी बहुत बढ़ जाती है, जिससे दुकानदारों को दिक्कत होती है। सरकार का भी बहुत खर्चा होता है। यह ठीक है कि लेबर इंस्पेक्टर दुकानदारों के पास जाना चाहिए। इस बात की जांच पड़ताल होनी चाहिए कि नौकरों से कहीं 8 घंटे से ज्यादा तो काम नहीं लिया जाता। लेकिन, मेरा सुझाव है कि एक इंस्पेक्टर के जिम्मे चार पांच इंस्पेक्टरों का काम कर दिया जाए, ताकि वह एक साथ सब बातों को देख सकें। अभी कोई इंस्पेक्टर बाट देखने आता है। कोई दूसरी चीज देखने आता है। मैं समझता हूँ कि यह ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, अगर, इन इंस्पेक्टरों को चार पांच बातें देखने की ट्रेनिंग दे दी जाए। हमारे सामने भी तरह तरह की शिकायतें आती हैं। हम उनको समझने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से मैं समझता हूँ कि यह बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए, जो लेबर का इंस्पेक्टर हो, उसको दूसरे काम करने की भी ट्रेनिंग दी जाए। वह यह देखे कि मजदूरों से 8 घंटे से ज्यादा काम न लिया जाए, साथ ही बाट और नाप वगैरह भी देख ले। इससे सरकार का पैसा भी बच सकता है और दुकानदारों को भी सुविधा हो सकती है।

इसके अलावा खरीदार का भी हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए। जैसा नायर साहब ने कहा, यह जो अधिकार चीफ कमिश्नर को दिया जा रहा है, वह उनकी एडवाइजरी कमेटी को पहुंचता है। जो लोग शिकायत करते हैं, उनकी एसोसिएशन को भी पहुंचता है। जो हमने पहले कानून बनाया था, उसमें हमने सब चीज बांध कर रख दी थी और न चीफ कमिश्नर को अधिकार था। इसलिए लोगों की शिकायत कोई सुनने वाला नहीं था। यह अच्छा हुआ कि यह कानून आया। इसके द्वारा लोग अपनी शिकायत दूर करवा सकेंगे और अपनी आवाज चीफ कमिश्नर तक पहुंचा सकेंगे। मैं इस बिल का स्वागत करता हूँ।

द्वितीय लोकसभा

वीरवार, 4 मई, 1961 *

सालार जंग संग्रहालय विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधयेक का स्वागत करता हूँ। मैं नवाब सालार जंग बहादुर और अजायेबघर की कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि देश के कोने कोने से उन्होंने बहुत अच्छी चीजें इक्ट्ठी करके यहां रखी हैं। आने वाली नसलें और आज के युवक व वृद्ध सभी को इन अजायेबघरों से मौका मिलता है कि जाकर चीजों को देखें और उनसे सबक सीखें।

मैं मंत्री महोदय का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वह इस बिल को चाहे देर से ही सही, जैसे श्री दी. चं. शर्मा जी ने कहा, लाये हैं। इस बिल को उन्हें पहले ले आना चाहिये था। यह बहुत अहम चीज थी। लेकिन, इसमें सरकार की मुश्किलात हो सकती है। मंत्री महोदय ने जो इसके लिए दस लाख रूपया बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए निकाला है और इसी तरह से पांच लाख रूपया जो आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने बोर्ड के लिए रखा है, वह भी सराहनीय है।

जहां तक बोर्ड का ताल्लुक है, मैं मानता हूँ कि यह अच्छी बात है कि गवर्नर साहब को उसका प्रधान रखा जाए। उनके पास समय भी होता है। ऐसे कामों के अन्दर गर्वनर साहब को इस्तेमाल भी सही होता है। जैसे शर्मा साहब ने कहा कि बावजूद हमारे नेताओं द्वारा अच्छे कामों के लिए चन्दे देने की अपीलें किये जाने के बाद भी लोग कम चन्दे देते हैं। अगर, यहां पर छोटे आदमियों को रखा जाता तो चने न के बराबर मिलते। चूंकि गर्वनर साहब को और दूसरे बड़े-बड़े आदमियों को

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 4 मई, 1961, पृष्ठ 15575-15578*

इसमें रखने की तजवीज की गई है, वह चन्दे हासिल करने में फायदेमन्द साबित हो सकती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि उनका इस बोर्ड में रहना बहुत अहम है, बहुत जरूरी है।

आप जानते हैं, उपाध्यक्ष महोदय कि पंजाब में तथा दूसरी जगहों पर भी जब पुरानी तानाशाही थी या रजवाड़े थे, जागरीदार थे, तो उनको इस तरह की बातों का बड़ा शौक हुआ करता था। वे इस तरह की चीजें इक्ट्ठा किया करते थे जो आने वाली नसलों के लिए सबक आमेज हो सकती हैं। चूंकि देश बहुत बड़ा है, इस वास्ते मैं समझता हूँ कि हमारे इस मंत्रालय को इस तरह का प्रबन्ध करना चाहिये कि हर एक प्रदेश में एक या दो अजायेबघर बनें ताकि लोगों को इनको देखने के लिए बहुत दूर के स्थानों पर न जाना पड़े।

मैं यह भी महसूस करता हूँ कि जो भाई दूर दराज के स्थानों से अजायेबघरों को देखने के लिए जाएं रेलवे मंत्रालय की तरफ से उनके लिए किराये के अन्दर कुछ कमी की जानी चाहिए, थोड़े पैसों में उनको टिकट दिया जाना चाहिये ताकि ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग जाकर इन अजायेबघरों को देख सकें और सबक हासिल कर सकें। कोई गलत इस्तेमाल उन टिकटों का न करें, उसके लिए भी कोई न कोई रास्ता निकाला जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : अजायेबघर से निकलते ही उसको फिर गाड़ी में बिठा दिया जाये ?

चौधरी रणबीर सिंह : इस तरह की बात की जरूरत नहीं है।

उससे टिकट खरीदवा ली जाये और देख लिया जाए कि वह अजायेबघर देखने के लिए ही जाना चाहता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं संगरिया मंडी में गया हूँ, जहां पर हमारे दूसरे सदन के एक माननीय सदस्य स्वामी केशवानन्द जी ने बहुत से अमूल्य ग्रन्थ इक्ट्ठा करके रखे हुए हैं। जहां इस देश के बहुत से नवाबों और राजाओं ने अजायेबघरों के लिए बहुत सारी चीजें इक्ट्ठा करके बहुत अच्छा काम किया है, वहां एक साधु ने भी बहुत बड़ा काम किया है। देश के दूसरे भागों में हो सकता है और लोगों ने भी किया हो। बावजूद इस बात के कि वह साधु हैं, आर्य समाजी हैं, उन्होंने बड़ी ही सद्भावना के साथ हस्तलिखित कुरान शरीफ जो बहुत ही दुर्लभ है, इक्ट्ठा किया है और साथ ही साथ गुरू ग्रन्थ साहब और इस तरह के हिन्दुओं के धर्म ग्रन्थ जो हैं, न जाने कहां कहां

से कितने परिश्रम के साथ इक्ट्ठे करते हैं, उनको भी सरकार की तरफ से प्रोत्साहन मिलना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि सरकार इसके बारे में कोई चिट्ठी निकाले, कोई अपील निकाले। आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ी कमेटी ने उनको मकान आदि बनाने के लिए पांच लाख रूपया दिया है, जो आज के दिन देना किसी के लिए भी आसान नहीं हो सकता है। बिना पैसे के कोई भी व्यक्ति या कोई भी इंस्टीच्यूट क्यों न हो, किसी काम को जारी नहीं रख सकता है। इस तरह की जो चीजें इक्ट्ठी की जाती हैं, इनका लाभ देश को मिल सके, इसके लिए मैं चाहता हूँ कि सरकार एक अपील निकाले कि जिन जिन भाईयों के पास इस तरह के एग्जीविट्स हैं जो देश के लिए बहुत अहम हैं, बहुत जरूरी हैं, उनके बारे में वे सरकार को खबर करें और उन्होंने जो उन एग्जीविट्स को इकट्ठा करने पर खर्च किया है, उसमें से कुछ खर्चा सरकार उन्हें दे ताकि वे आगे भी अपने काम को जारी रख सकें।

श्री दी. च. शर्मा जी ने कहा है कि सिनेमा फिल्मों का तथा हथियारों का भी अजायेबघर बनना चाहिये। मैं न हथियारों का जिक्र करूंगा और न ही सिनेमाओं का जिक्र करूंगा। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और मैं चाहता हूँ कि कृषि मंत्रालय से मिल करके जगह जगह, हर प्रदेश में, एक एक या दो दो जो खेती में औजार काम में आते थे, या आते हैं, भिन्न भिन्न प्रदेशों में, उनके अजायेबघर खोले जायें। उनमें यह दिखाया जाए कि हमारा देश जो बहुत बड़ा देश है, उसके एक हिस्से में कौन से औजार इस्तेमाल किये जाते हैं, दूसरे में कौन से किए जाते हैं या किए जाते थे, किस समय कौन से किए जाते रहे हैं तथा दूरे देशों में कौन कौन से औचार, खेती के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर, ऐसा किया गया तो खेती की तरक्की हो सकेगी और इसके साथ ही साथ लोगों को शिक्षा भी मिल सकेगी। मैं चाहता हूँ कि ऐसे भी अजायेबघर बनाये जायें।

द्वितीय लोकसभा

वीरवार, 24 अगस्त, 1961 *

आयकर विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह : सभानेत्री जी, मैं सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट का स्वागत करता हूँ और मैं समझता हूँ कि मेरे पूर्व वक्ता एन्थनी साहब ने जितनी बातें कहीं और जो आपत्ति की उसी के कारण मैं इसका स्वागत करता हूँ।

मैं समझता हूँ कि जहां इस कानून को सादा बनाने की कोशिश की गई है, वहां जिन पर टैक्स लगाया जाता है, उनको किसी कदर ऐतबारी आदमी मानने की तरफ भी एक कदम आगे बढ़ाया गया है। इसमें जो 11 से 13 तक क्लाजेज हैं, वे सबसे अच्छे हैं।

हमने जब इस देश का संविधान बनाया था उस वक्त हमारी कोशिश थी कि इस देश के अन्दर जो मत मतान्तर या कास्टीज्म या धर्म के नाम पर झगड़े होते हैं, वे खत्म हों। हिन्दुस्तान का वासी अपने आपको भारतीय समझना सीखे। मेरे पूर्व वक्ता ने बहुत सी बातें कहीं हैं। उन्होंने कहा कि कुछ विशेष प्रकार की संस्थाओं को काम करने से रोकने का प्रयत्न किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि उनको रोकने का इरादा नहीं है। इस बिल में सिर्फ टैक्स का सवाल है। वह कह सकते थे कि टैक्स का सवाल है। वह कह सकते थे कि टैक्स न लगाया जाये। लेकिन, इसमें रोकने की कौन सी बात आई, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। अगर, अंग्रेजी मीडियम की बात है तो वह भी हमारी भाषाओं में से एक भाषा है। लेकिन, अंग्रेजी मीडियम का स्कूल सिर्फ एक जाति के लिए क्यों न हो, सब के लिये क्यों न हो, इस बात का

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 24 अगस्त, 1961, पृष्ठ 4685-4687*

उनके पास क्या जवाब है? वह जरा हिन्दुस्तान के पिछले इतिहास को देखे कि जात-पात और धर्म के झगड़ों में कई लाख भाईयों को कुर्बानी देनी पड़ी। क्या एन्थनी साहब यह चाहते हैं कि यह देश फिर वैसी मुश्किलात में से गुजरे? हो सकता है कि उनकी बातों से मेरे दिल में इसलिये, क्षोभ हुआ और मुझे ख्याल आया कि मैं भी अपने ख्यालात इस बारे में हाऊस के सामने रखूं कि मैं पंजाब से आता हूँ। हमने देखा कि मद्रास के मन्दिरों में यह कायदा है कि उनको चलाने के लिये और उसका हिसाब किताब रखने के लिये एक आई.ए.एस. ऑफिसर है।

अभी कल परसों जिक्र हुआ कि श्री अशोक मेहता ने कहा कि उनको मास्टर तारासिंह यह वायदा देने के लिए तैयार हैं कि वह अकाली पार्टी को तोड़ देंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि यह बात....

एक माननीय सदस्य : इसका इनकम टैक्स से क्या ताल्लुक है?

चौधरी रणबीर सिंह : यह रिलिजस एंड चैटिबल ट्रस्ट्स के तहत आता है।

Shri S.M. Banerjee : On a point of order, Sir,...

Ch. Ranbir Singh : I am dealing with religious and charitable trusts, I know the Income-tax law. It applies to Punjab. Why do you worry?

Mr. Chairman : He is rising on a point of order.

Shri S.M. Banerjee : My point of order is very simple. We are discusing the Income-tax Bill. Religious trusts also come in. But, he is discussing Punjab politics.

Ch. Ranbir Singh : No; I am not discussing Punjab politic. Punjab is a part of India. Punjab is paying income tax...(Interruptions).

Shri S.M. Banerjee : Master Tara Singh is also a citizen of the country. Why should he be attacked? (Interruptions).

Mr. Chairman : There is no point of order in this. The hon. Member may continue.

16:33 hrs.

[Mr. Speaker in the Chair.]

चौधरी रणबीर सिंह : शायद मेरे दोस्त यह समझते हैं कि पंजाब के जो वासी हैं, उनके ऊपर इनकम टैक्स का कानून लागू नहीं होता। अगर, उनका यह

कहना है, तो शायद मुझे कुछ कहने की आवश्यकता न हो। लेकिन, मैं जानता हूँ कि इनकम टैक्स का कानून एक एक पंजाबी के ऊपर लागू है, चाहे वह हिन्दू है या सिख है या किसी दूसरे मजहब का मानने वाला है।

द्वितीय लोकसभा

शुक्रवार, 25 अगस्त, 1961*

आयकर विधेयक

चौधरी रणबीर सिंह (रोहतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं कल सेलेक्ट कमेटी की 11, 12 और 13 नवम्बर की धाराओं का स्वागत करते हुए यहां पर जो उनके बारे में कुछ लोगों ने ऐतराज किया था उनके बारे में अर्ज कर रहा था।

आपत्ति करने वालों की ओर से यहां इस बात को साबित करने की कोशिश की गई कि यह धाराएं छोटी गिनती की जातियों के खिलाफ जाती हैं और यह उनकी तरक्की के रास्ते में रोड़ा खड़ा करने के लिए लाई गई हैं। मेरी समझ में उनकीं यह बात नहीं आती है। क्योंकि, यह धाराएं हर एक जाति के स्कूलों और शिक्षण संस्थाओं पर यकसां लागू हैं भले ही वह किसी धर्म की हों, चाहे वह हिन्दू धर्म की हों, अथवा अन्य किसी धर्म की, बड़ी से बड़ी जाति की हों, ब्राह्मणों की हों, अथवा छोटी जाति वालों की हों।

आपत्ति करने वालों की ओर से दूसरी चीज यहां यह बताने की कोशिश की गई कि सरकार जब सब आदमियों की पढ़ाई का इन्तजाम नहीं कर सकती है तो वह लोगों के रास्ते में खड़ी क्यों होती है? इसके लिये मेरा यह कहना है कि सरकार को इनकम टैक्स के रूप में जो जनता से पैसा मिलेगा, उससे वह देशवासियों को तालीम आदि देने का इन्तजाम करेगी और मैं हाऊस को बतलाना चाहता हूँ कि उसके द्वारा यह काम बखूबी अन्जाम दिया जा रहा है। अंग्रेजी को ही ले लीजिये। यह हकीकत है कि पिछले डेढ़ सौ सालों में अंग्रेजों की प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं भारतवासियों को उतनी

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 25 अगस्त, 1961, पृष्ठ 4904-4908*

अंग्रेजी नहीं पढ़ा सकीं, जितनी अंग्रेजी कि हमारी अपनी सरकार द्वारा पिछले 14 वर्षों में लोगों को पढ़ाई गई है। इसी तरह से मैं आपको बतलाऊं कि हिन्दी लोगों को सिखाने ओर पढ़ाने के लिए जो प्राइवेट संस्थाएं थीं, उनके द्वारा 100–150 साल में इतने लोगों को हिन्दी नहीं पढ़ाई जा सकी है, जितनी हिन्दी कि इन पिछले 10–12 साल में लोगों को पढ़ा दी गई है। इसी तरह से पंजाबी का मामला है। पंजाबी सिखाने के वास्ते जो कुछ संस्थाएं थीं और जो किसी के दान पर चलती थीं वे इन पिछले 150 साल में इतनी पंजाबी लोगों को नहीं सिखा पायी हैं, जितनी पंजाबी कि पिछले 5, 7 साल के अन्दर लोगों को सिखा दी गई है। यह बात हर एक छोटी और बड़ी जाति की संस्थाओं के लिए कही जा सकती है। अस्पतालों के बारे में भी यही बात लागू होती है। जाति विशेष द्वारा प्राइवेट संस्थाओं के के मातहत चलने वाले अस्पतालों की अपेक्षा आज सरकारी अस्पतालों द्वारा अधिक लोगों की अधिक सुचारू रूप से दवा–दारू और देखभाल की जा रही है। इसलिए आज यदि कोई यह कहे कि इन मौजूदा धाराओं के द्वारा किसी भी जाति की तरक्की के रास्ते में बाधा खड़ी की जा रही है तो यह गलत बात है। मैं मानता हूँ कि यह इनकम टैक्स का विधयेक, हमने इस देश के अन्दर जो एक समाजवादी समाज और धर्म निरपेक्ष राज्य अर्थात बगैर किसी जात–पांत का लिहाज किये जो एक मिलाजुला समाज बनाने का प्रयत्न किया है, उसकी तरफ यह एक कदम आगे बढ़ने के लिए है और इसलिए मैं मानता हूँ कि हम सब लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए। इस विधेयक में जो मुझे सबसे अच्छी धाराएं लगीं, वे यह धाराए हैं।

इसके अलावा इस विधेयक के अन्दर कुछ डाइरैक्टर्स का जिक्र है, जिसमें कहा गया है कि जो भी टैक्स वसूल नहीं हो पाया है और अगर, सम्बन्धित संस्थाएं जिन पर कि सरकार का टैक्स बाकी रहता है, वह संस्थाएं अगर, खत्म हो जायें तो फिर उस टैक्स की अदायगी की जिम्मेदारी डाइरैक्टर्स पर आयेगी और उनसे सरकार वह टैक्स वसूल करेगी। जहां तक इनकम टैक्स ऐक्ट के लागू होने का सवाल है, वह कोआपरेटिव सेक्टर पर भी लागू है। मैं भी एक कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी का डाइरेक्टर हूँ। मुझे मालूम है कि स्टेट का 10–12 लाख रूपया आज तक वसूल नहीं हो पाया है, अब खुदा न ख्वास्ता उस संस्था में अगर, कुछ खराबी हो जाये तो उस टैक्स की बकाया रकम को कौन डाइरैक्टर दे सकता है?...

श्री मोरारजी देसाई : यह तो प्राइवेट कम्पनियों पर लागू होता है।

चौधरी रणबीर सिंह : यही स्पष्टीकरण मैं वित्तमंत्री द्वारा जवाब देते वक्त चाहता था। यह खुशी की बात है कि उन्होंने इस चीज को साफ कर दिया है।

इसके साथ ही मुझे एक चीज यह भी अर्ज करनी है कि यह दिल्ली तथा दूसरे जो सेंट्रली एडमिनिस्र्ड एरियाज हैं, उनकीं टैक्सेशन पालिसी के लिए यह सदन जिम्मेदार है। दिल्ली के देहाती क्षेत्र में बसने वाले निवासियों का मुख्य उद्यम खेतीबाड़ी है, जब शहरी क्षेत्र के लोग नौकरी आदि अन्य पेशों में लगे होते हैं। होता यह है कि वे लोग जो खेती से अपनी रोजी कमाते हैं, उनके ऊपर तो घाटे पर भी टैक्स लगाया जाता है, जब शहरी लोगों को 3000, 3000 और 4000, 4000 रूपये तक टैक्स की छूट मिलती है। मैं चाहता था और मेरी यह ख्वाहिश थी कि कम से कम हम इस बारे में देश के अन्य राज्यों को पथ-प्रदर्शन करते और दिल्ली और सेंट्रली ऐडमिनिस्टर्ड ऐरियाज के लिए इस इनकम टैक्स में कोई ऐसी व्यवस्था करते ताकि वे लोग जो खेती से अपनी आमदनी कमाते हैं और वे लोग जो खेती से रोजी न कमाकर अन्य साधनों से आमदनी कमाते हैं, उन दोनों के लिए यकसां कर नीति हो। यह छूट जो गैर खेतिहर लोगों को दी जाती है, वह छूट खेती करने वालों को भी दी जाये। कर में छूट देने की नीति यकसां हों। एक तरफ तो खेती करने वालों पर घाटे पर भी टैक्स लगे और दूसरी तरफ लोगों को 3000-4000 रूपये तक टैक्स से छूट दी जाये, यह कोई न्यायोचित बात नहीं मालूम होती है। इन सारी बातों को कहते हुए मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ और मैं मानता हूँ कि यह जो धर्म और जातिपांत की बातें की जाती हैं, छोटी गिनती वाली जाति और बड़ी गिनती वाली जाति की बात कही जाती है, इससे देश की तरक्की होने वाली नहीं है।

जहां तक रियायतों को देने का सम्बन्ध है, मैं मानता हूँ कि उनको कुछ संरक्षण देना चाहिए, जितनी जरूरत हो। लेकिन, बहुत ज्यादा रियायत देने का तरीका सही नहीं है। उसका असर अच्छा नहीं होता है। एक धर्म से सम्बन्ध रखने वाले कुछ भाई अल्पसंख्यक होने के नाते यह दावा करते हैं कि इस देश में उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। लेकिन, यह बात सही है कि हिन्दुस्तान का पब्लिक सैक्टर का जो सबसे बड़ा काम--रेलवे मन्त्रालय, उस जाति के एक भाई रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है और एक भाई एक जौन के जनरल मैनेजर हैं। मुझे खुशी है कि वह लायक हैं। इसी तरह लोहे के सैक्टर का काम चलाने वाले जो मन्त्री हैं, वह उसी जाति से आते हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि रास्ते से बाहर जाकर यह जो खुश करने का तरीका होता है, वह बहुत ज्यादा फायदेमन्द नहीं रहता। देश को आगे नहीं ले जाता। हां, यह बात सही है कि जिन छोटी जातियों को उनका हक नहीं मिलता है, उनको वह मिलना चाहिए। चाहे टैक्सेशन की नीति हो, या देश की दूसरी नीति हो, उसमें उनका ध्यान रखना चाहिए।

द्वितीय लोकसभा

मंगलवार, 29 अगस्त, 1961*

पंजाबी सूबे के बारे में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए बयान पर चर्चा

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, आज सुबह हमने देखा कि प्रजा सोशलिस्ट वाले भाई और कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यगण मुख्तलिफ रास्तों पर चल रहे थे। लेकिन, कुछ घंटों के वकफे ने उनको तबदील कर दिया। इस मौके पर हम देख रहे हैं कि वह एक साथ चल रहे हैं। श्री अशोक मेहता जो इस अवसर पर यहां हाऊस में मौजूद नहीं हैं और जिन्होंने पंजाबी सूबे के निर्माण की हिमायत में बयान दिया है, यह वही श्री अशोक मेहता थे, जिन्होंने जब स्टैट्स रिआर्गेनाइजेशन बिल के ऊपर विचार हो रहा था तो वे सारे देश के अन्दर द्विभाषी सूबे चाहते थे और वह यूनीलिंगवल स्टेट के खिलाफ थे। जहां तक हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के भाईयों का ताल्लुक है, मैं बतलाना चाहता हूँ कि पंजाब की बदकिस्मती से जब सन 1947 में भारत को स्वाधीनता मिलने के अवसर पर पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो वह यही हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के भाई थे, जिन्होंने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की डिमाण्ड के साथ अपनी आवाज मिलाई थी और इतिहास इस बात का गवा है कि विभाजन के परिणामस्वरूप इस देश को और पंजाब को काफी नुकसान हुआ। एक दो लाख नहीं, गरीब चार लाख के करीब पंजाब के रहने वाले भाईयों पर जो आज के हिन्दुस्तान के अन्दर या पाकिस्तान के अन्दर उनके जीवन पर वह बदकिस्मत तजुर्बा हुआ। यह बड़े अफसोस की चीज है कि आज फिर यह सोशलिस्ट पार्टी वाले भाई उनके साथ मिलकर इस तरह की कम्युनल डिमाण्ड का साथ दे रहे हैं। जो देश के

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 29 अगस्त, 1961, पृष्ठ 5649-5660*

वास्ते और पंजाब के वास्ते अहितकर है। (Intrruptions)....

Mr. Speaker : Order, order.

कुछ माननीय सदस्य : चौधरी रणबीर सिंह बिल्कुल गलत चीज कह रहे हैं। सोशलिस्ट पार्टी ने कब ऐसा कहा है?

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माफी चाहता हूँ। वास्तव में मेरा मतलब प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से है।

एक माननीय सदस्य : बिना जाने यदि इस तरह से कहते हैं तो उनको माफी मांगनी चाहिए।

चौधरी रणबीर सिंह : मैं दरअसल सोशलिस्ट पार्टी के लिए न कहकर पी.एस.पी. और कम्युनिस्ट भाईयों के बारे में कह रहा था। मैं अपने सोशलिस्ट भाईयों को चेतावनी देना चाहता हूँ कि पहले की तरह फिर वे न बहक जायें। मेरी समझ में यह नहीं आता कि जो भाई यह कहते हैं कि पंजाबी सूबे की मांग कम्युनल मांग नहीं है, वह हकीकत से क्यों घबराते हैं? मैं गोर साहब की सेवा में निवेदन करना चाहता हूँ कि इस देश के अन्दर दो आम चुनाव हुए और वह आम चुनाव पंजाब के अन्दर भी हुए। जहां सिख लोग आबाद हैं, वहां भी हुए। अब हमारे गोरे साहब जो अकाली पार्टी को सिक्खों की वाहिद नुमायन्दा जमात समझते हैं और जो समझते हैं कि शायद तमाम सिक्खों का नाम ही अकाली पार्टी है, मैं उनको बतलाना चाहता हूँ कि सन 1952 के आम चुनावों के अन्दर पंजाब में अकालियों का बड़े से बड़ा नेता कांग्रेस के सिपाहियों के खिलाफ हारा। क्या उनको यह भी मालूम है कि आज जो हमारे एक मन्त्री हैं, वह सन 1951 के आम चुनावों में अपने सूबे के कांग्रेस के एक छोटे से सिपाही के मुकाबले में हारे थे? उनका नाम ज्ञानी करतार सिह है। आज पंजाब असेम्बली के अन्दर 154 मेम्बरों में से जहां 62 आदमी सिक्ख हैं, उन 62 सिक्ख मेम्बरों मे ंसे सिर्फ 10 मेम्बर्स ऐसे हैं जो पंजाबी सूबे के हक में आवाज उठाते हैं। मैं अपने श्री गोरे से पूछना चाहूंगा कि बाकी 52 सिक्ख मेम्बर जो पंजाबी सूबे के हक में नहीं हैं, उनको वे सिक्ख मानते हैं या नहीं? (Intrruptions)....

Mr. Speaker : Order, order.

चौधरी रणबीर सिंह : यहां पर दस सिक्ख मेम्बर्स हैं और वह जो पंजाबी सूबे के हक में नहीं हैं तो क्या आप उनको सिक्ख नहीं मानेंगे? इसलिये, गोरे साहब जितनी जल्दी यह चीज समझ जायें कि अकाली पार्टी नाम नहीं है, तो बेहतर होगा।

जहां तक सिक्ख जाति का सम्बन्ध है, वह एक बहादुर कौम है। उसके प्रति हमारे दिल में आदर का भाव है। बहुतेरे सिक्ख हमारे साथ में हैं और जो इस कम्युनल डिमाण्ड के हामी नहीं हैं। पंजाब के मुख्यमंन्त्री सरदार प्रताप सिंह कैरों हमारे साथी हैं और उन्होंने मास्टर तारा सिंह को कहा है और प्यार से हाथ जोड़कर कहा है कि मेहरबानी करके वे यह भूख हड़ताल न करें और उसको समाप्त कर दें।

मैं अपने उन भाईयों को बतलाना चाहता हूँ कि सन 1957 के आम चुनावों के दौरान हमने मास्टर तारा सिंह के साथ जो सिक्ख लोग थे, ज्ञानी करतार सिंह और सरदार हुक्म सिंह के साथ नहीं थे। लोगों ने सिक्ख मैजारिटी हलकों से मास्टर तारा सिंह के उम्मीदवारों को हराया। ख्याुद सिक्ख वोटर्स ने मास्टर तारा सिंह ने उम्मीदवारों को चुनावों में हाराया। छह महीने के अन्दर फिर आम चुनाव होने को हैं। सरदार प्रताप सिंह कैरों के चुनाव क्षेत्र में सिक्ख टोटल एलेक्ट्रोट का 85 फीसदी हैं और इससे यह साबित हो जाता है कि कितने सिक्ख अकालियों के साथ हैं। उनकी समझ में यह चीज क्यों नहीं आती कि अकाली और सिक्ख दो जुदा हैं। जो पंजाबी सूबे की मांग गुरूद्वारे से उठे और गुरूद्वारों के चुनावों से उठे, उसके लिए उनका यह समझना कि वह मांग आम सिक्खों की है, सही चीज नहीं है। पंजाबी सूबे के निर्माण की मांग के वास्ते हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल ठीक कहा है कि यह एक कम्युनल डिमाण्ड है। मैं एक हिन्दू के नाते नहीं पंजाबी के नाते यह कहना चाहता हूँ कि पंजाब को दो हिस्सों में तकसीम किया था। एक को हिन्दी रिजन माना था और एक को पंजाबी रिजन माना था। बावजूद इस बात के कि हिन्दी रिजन की भाषा सरकारी तौर पर हिन्दी है, वहां के हर एक उस बच्चे को, जो तीसरी जमाअत पास करता है, चौथी जमाअत में पंजाबी लाजिमी तौर पर पढ़नी होती है। यही नहीं, आज पंजाब में अगर, कोई सरकारी नौकर होना चाहता है, चाहे वह हिन्दी रिजन से हो और चाहे पंजाबी रिजन से, उसके लिये पंजाबी का इम्तिहान पास करना लाजिमी है। अगर, कभी ऐसा दिन आये, जब ऐसी स्टेट बने, जैसी कि वे चाहते हैं--वह बदकिस्मती होगी इस देश की और पंजाब की तो होगी ही--तो मुझे बताया जाये कि उस स्टेट में इससे ज्यादा और क्या होगा ? मराठी-भाषी लोगों का एक सूबा है और दूसरे भी सूबे हैं। हमारे देश में पच्चीस छोटी बड़ी रियासतें हैं, जिनमें सेन्ट्रली एडमिनिस्टर्ड एरियज भी हैं। उनमें से सिर्फ नौ सूबे ऐसे हैं, जो जबान की बिना पर बने हुए हैं। अगर, देश में सूबे बनाने की सिर्फ भाषा ही कोई बिना होती, तो फिर बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब का हिन्दी रिजन, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान का एक सूबा होता। ये किस

तरह लोगों को बहकाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि ये लोग वे हैं जो मास्टर तारासिंह का बलिदान चाहते हैं। अगर, वह दिल देखना पड़ता है, तो इसकी जिम्मेदारी उन लोगों पर होगी, जो गलत तौर पर लोगों को बहकाते हैं कि सब सूबे जबान की बिना पर बने हैं। (Interruptions).

जहां तक पंजाबी की तरक्की का सवाल है, हमारे पास इस बारे में सरकारी आंकड़े हैं। पंजाबी रिजन में जो भाई पंजाबी को फर्स्ट लैंग्वेज लेकर मिडल परीक्षा में अपीयर हुए थे, 1956 में उनकी तादाद 41,033, 1960 में 41632 और 1961 में 46,088 थी। इसके मुकाबले में पंजाबी रिजन में जिन लोगों की सैकण्ड लैंग्वेज पंजाबी थी, जिन्होंने मिडल का इम्तिहान दिया, उनकी तादाद 27,821 थी 1956 में और 1960 में 26,136 और 1961 में 30,450 थी।

इसी तरह से हिन्दी रिजन में, जहां की सरकारी भाषा इस सभा ने हिन्दी मानी है, जहां माध्यम आम तौर पर हिन्दी रखा गया है, वहां पर जिन लोगों की पंजाबी सैकण्ड लैंग्वेज थी, जिन्होंने आठवीं जमाअत का इम्तिहान दिया था, उनकी तादाद 1961 में 47,655 थी। इन हालात में हमको कोई बताये, कोई ईमानदारी से सोचे कि क्या इससे यह जाहिर नहीं होता है कि पंजाबी जबान की तरक्की के लिये पूरी कोशिश की गई है और की जा रही है।

मुझे मालूम नहीं कि अगले चुनाव में, जो छह महीने के बाद हो रहा है, क्या नक्शा होगा(उनको कोई एक आध मेम्बर मिल सकेगा या नहीं। लेकिन, इस वक्त तो पी.एस.पी. के दो मेम्बर हैं। (Interruptions).उनमें से एक तो कांग्रेस में आ चुका है और दूसरा कब आयेगा, या नहीं आयेगा, यह मुझे मालूम नहीं है। लेकिन, उनका कोई नामलेवा पंजाब में नहीं है। आज पंजाब के सियासी जीवन में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और श्री अशोक मेहता का कोई नामलेवा नहीं है। बेशक वे मास्टर तारा सिंह को गलत रास्ते पर ले जायें, उनको गलत आश्वासन दें। लेकिन, पंजाब में उनका कोई नामलेवा पैदा नहीं हो सकता।(Interruptions).

जहां तक कम्युनिस्ट पार्टी का सवाल है, मेरे जो साथी मुझसे पहले बोले थे, वह हमारे ही जिले में हमको हरा कर कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर यहां आये थे। इसी तरह दो साथ कम्यूनिस्ट पार्टी के टिकट पर असेम्बली में हमको हराकर आये। लेकिन, वे लोग अब कम्यूनिस्ट पार्टी से टूटते जा रहे हैं। क्योंकि, वे समझते हैं कि चाहे पंजाब का सवाल हो, चाहे हिन्दुस्तान और चाइना का सवाल हो, उस पार्टी की

सियासी समझ भारतीय या पंजाबी के नाते नहीं है।

जैसा मैं कह रहा था, यहां पर लोकसभा में दस मेम्बर हैं, जिनको लोगों ने चुनकर यहां भेजा है। वे पंडित जवाहर लाल नेहरू की कांग्रेस पार्टी के टिकट पर जरूर आये हैं। लेकिन, जिस तरह से हमारे विरोधी भाई अपने हल्कों से हमको हराकर आये हैं, उसी तरह ये लोग भी अपने हल्कों के नुमायंदे हैं और चुनाव जीत कर आये हैं। इन दस मेम्बरों में से एक भी भाई जो सिक्ख धर्म, मजहब से ताल्लुक रखता है, पंजाबी सूबे का नामलेवा नहीं है (Interruptions).आज की हालत में कम से कम इन दस भाईयों में एक भाई भी ऐसा नहीं है, जो पंजाबी सूबे की मांग करता हो। मुझे बतायें श्री अशोक मेहता और उनके हिमायती कि किस तरह से पंजाबी सूबे की मांग कम्यूनल नहीं है। वह डिमांड सीधे तौर पर गुरूद्वारों से पैदा हुई है और गुरूद्वारों के चुनावों से पैदा हुई है।

मैं अपने इन भाईयों का ध्यान एक और तरफ दिलाना चाहता हूँ कि जाने दीजिये हमारे हिन्दी रिजन के इलाके को, छोड़ दीजिये कि हम क्या चाहते हैं? हम नौ मेम्बरों ने लिखकर पंडित जवाहर लाल नेहरू को और देश को यह बताया है कि हरियाणा के चुने हुए भाई यह चाहते हैं कि हम पंजाब का हिस्सा रहें और पंजाब मिलाजुला रहे, यह हमारी ख्वाहिश है। क्या मैं मास्टर तारा सिंह और उनकी मार्फत उनके हवारियों को यह बताऊं कि 1956 में एक जमाना था, जब हमारे में से कुछ भाई इस ख्याल के थे कि दिल्ली को मिलाकर कोई अलाहदा सूबा बनाया जाये। लेकिन, पिछले पांच-छह सालों में जिस ढ़ंग से और जिस तरीके से गुरूद्वारों के जो चुनाव हुए और पंजाबी सूबे के नारे लगे, उसका नतीजा यह हुआ कि आज हमारे यहां जो हमारे मुखलिफ हैं, जो कांग्रेस के खिलाफ हैं, वे दिल से चाहे चाहते हों कि कोई अलाहदा सूबा बने। लेकिन, वे खुले तौर पर यह कहने का हौंसला नहीं कर सकते कि हमारा सूबा अलाहदा कर दिया जाये।

यही वजह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने सही तौर पर यह कहा है कि यह कम्यूनल डिमांड है। अगर, कम्यूनल डिमाड हो, तो कुदरती तौर पर दूसरी-जातियों पर सीधा या टेढ़ा असर पड़ेगा। जो लोग हमारे खिलाफ हैं, जिन पर हमारा व्हिप नहीं चलता है, उन्होंने इस सिलसिले में आवाज नहीं उठाई। यहां पर व्हिप का जिक्र किया गया। मैं कहना चाहता हूँ कि व्हिप तो किसी पार्लियामेंटरी पार्टी का एक सबसे बड़ा गुण होता है। अगर, कोई पार्टी व्हिप को मानती है तो यह उसका गुण है। इन लोगों की कोई चलती नहीं है, कोई किसी की मानता नहीं है। यह उसका गुण है। इन लोगों

की तो कोई चलती नहीं है, कोई किसी की मानता नहीं है और इसी वजह से इनके पास कोई राज्य का शासन नहीं है और न ही ये टिक सकते हैं। सारे देश में जो हालत ये पैदा करना चाहते हैं, वह नहीं आने दी जायेगी। इस बात को वे जितनी जल्दी समझ लें, उतना ही अच्छा है।

अब मैं पंजाबी रिजन की तरफ आता हूँ। पंजाबी रिजन की आबादी का 44 फीसदी हिन्दू है। एक एक हिन्दू पंजाबी सूबे की मांग के खिलाफ है। मैं मानता हूँ कि गुरूद्वारों के इन्तजाम के लिये जो इलैक्शन का तरीका है, वह गलत है। श्री अशोक मेहता जो यह मानते हैं कि अगर, पंजाबी सूबे की मांग को मान लिया गया तो अकाली राजनीति से हट जाएंगे, यह भी गलत है। मैं मानता हूँ कि अकाली गुरूद्वारों का इन्तजाम महंतों से छीनने के लिये और जब तक गुरूद्वारों के इलैक्शन का यह तरीका रहेगा, तब तक अकाली राजनीति से हट नहीं सकते हैं, चाहे इस बारे में मास्टर तारा सिंह 1957 में पंडित जवाहर लाल नेहरू को यकीन दिलायें और चाहे 1961 में श्री अशोक मेहता को यकीन दिलायें कि वे सियासी जिन्दगी से हट जायेंगे। जिस तरह मद्रास में मन्दिरों का इन्तजाम होता है, जब तक वैसा ही इन्तजाम पंजाब में गुरूद्वारों का नहीं किया जायेगा, उस वक्त तक पंजाब की आफत, जिसमें दो करोड़ रूपये पिछले पांच सालों में खर्च हुए, नहीं हट सकती है।

जिस इलैक्शन की वह दुहाई देते हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि वह इलैक्शन गुरूद्वारों के इन्तजाम का था। इस साल ही नहीं, इससे पांच साल पहले भी जब चुनाव हुआ था, उस वक्त भी हम हारे थे। लेकिन, चुनावों में हम 1952 में भी जीते और 1957 में भी जीते। उसकी क्या वजह थी? वजह यह है कि गुरूद्वारों के चुनावों में सिर्फ सिक्ख भाईयों की राय को कटवा दिया गया, उनको राय का, मत का अधिकार नहीं था। लेकिन, जिन लोगों को अधिकार था, उनमें से 33 फीसदी लोगों ने मास्टर तारा सिंह के पंजाबी सूबे के नारे के खिलाफ राय दी। वहां यह कहा गया कि सरदार प्रताप सिंह कैरों जिनके हाथ में पंजाब की बागडोर है, वह पंडित नेहरू जो हिन्दू हैं और उनके साथी जो हिन्दू हैं, उनके हाथ में इन गुरूद्वारों की चाबियां भी देने जा रहे हैं। नेहरू का परमिट होगा कि गुरूद्वारे में कौन दाखिल हो और किस वक्त दाखिल हो। अगर, नैशनलिस्ट सिक्ख गुरूद्वारा इलैक्शंज में जीते तो कैसे जीते और अकाली जीते तो कैसे जीते, मैं चाहता हूँ इस पर आप विचार करें। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर, मंदिरों का भी कोई इलैक्शन हो रहा हो और वहां पर इस तरह का प्रचार किया जाए तो हमारे में से अगर, बड़े से बड़ा आदमी भी इलैक्शन के लिए खड़ा हो

जाए तो वह जरूर हारेगा। 33 परसेंट सिक्खों की आबादी है। 56 परसेंट का एक तिहाई लगाया जाए तो वह 18 परसेंट आदमी पंजाबी रिजन के ऐसे हैं जो इस चीज के खिलाफ हैं। मेरे अनुमान के मुताबिक तो 25 से 30 परसेंट ही इसके हक में हैं। उनके हिसाब से 62 परसेंट आदमी पंजाबी रिजन के आज नहीं चाहते हैं कि पंजाबी सूबा बने।

हमारे गोरे साहब ने गुजरात और महाराष्ट्र का सवाल उठाया है। मैं उनको बतलाना चाहता हूँ कि वहां हालात बिल्कुल दूसरे थे, वहां के हालात पंजाब से बिल्कुल जुदा थे और उनका और पंजाब के हालात का मुकाबला नहीं है। पंजाबी रिजन की 40 परसेंट से ज्यादा आबादी है जो यह चाहती है कि धर्म के नाम पर पंजाब की जबान पंजाबी हो। जहां तक सियासी लीडरों का ताल्लुक है, मैंने अर्ज किया कि 62 में से सिर्फ दस पंजाब असैम्बली के मैम्बरों ने मुश्किल से खुले तौर पर यह कहा है कि पंजाबी सूबा दिया जाए। इन हालात में मैं मुकर्जी साहब से तथा दूसरे कम्युनिस्ट साथियों से, जिन्होंने इस देश में पाकिस्तान बनवाया, पंजाब का पार्टिशन कराया, अपने सूबे का पार्टिशन कराया, जो बोर्डर के बारे में हिन्दुस्तान के हितों के खिलाफ अपनी राय देते हैं और चीन के साथ मेल दिखाते हैं, पूछना चाहता हूँ कि वे क्या चाहते हैं? क्या वे पंजाब के अन्दर फिर से खूनरेजी कराना चाहते हैं? मास्टर तारा सिंह जो 25 परसेंट या 30 परसेंट आदमियों के नेता हैं पंजाबी रिजन के, उनको वह अगर, नेता मानते हैं तो मानें। मैं उनसे यही प्रार्थना करता हूँ और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि वह उनको सद्बुद्धि दे और वह अपनी भूख हड़ताल को तोड़ दें। इस तरह से जब मैं कहता हूँ तो इसकी वजह यह है कि यह चीज बिल्कुल गलत है, सिक्ख धर्म के खिलाफ है, सिक्ख गुरूद्वारों की जो रवायात है, उनके खिलाफ है, पंजाब के हितों के खिलाफ है। हो सकता है कुछ भाई जो उनके चारों तरफ फिरते हैं, वे यह स्वपन देखते हों कि शायद पंजाब के अन्दर वे मुख्यमंत्री बन जायेंगे या वजीर बन जायेंगे। मैं उन्हें बतलाना चाहता हूँ कि पंजाब के अन्दर वह भाई दिन कभी नहीं आएगा जब उनके ये स्वपन पूरे होंगे फिर चाहे वे कम्युनिस्ट भाई हों या प्रजा सोशलिस्ट भाई हों या कोई और हों। बेशक उनके साथ हाथ मिलाते रहें, उनको वह दिन देखना नसीब नहीं होगा। अगर, सारे पंजाब को लिया जाए तो 20 परसेंट क्या 19 परसेंट आदमी भी आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जो पंजाब का पार्टिशन चाहते हों।

कुछ लोगों ने इसी बात पर आपत्ति की है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कैसे यह कहा कि पंजाबी पंजाब की प्रिडामिनेट लैंगुएज है। मैं जानता हूँ कि सैंसस के

दौरान में हिन्दू गो वे घरों में पंजाबी बोलते हैं। लेकिन, उनमें से कईयों ने अपनी जबान हिन्दी लिखाई है। मेरी उनके साथ हमदर्दी भी हो सकती है और अफसोस भी हो सकता है। लेकिन, एक बात सही है कि पंजाब में जो पंजाबी रिजन है और जिसकी आबादी आज एक करोड़ 20 लाख के करीब है, उसकी सरकारी जबान पंजाबी है। जो मेरा इलाका है और जो दूसरी भाषा बोलता है, उसकी आबादी 80 लाख है, उसकी भाषा 1 करोड़ 20 लाख के मुकाबले में कैसे प्रिडोमिनेंट हो सकती है, यह सीधा सा सवाल है। हमारे में से कुछ साथी हैं, जिनकी समझ में यह बात नहीं आई है और कुछ भाई हैं जो आज रोहतक में एक दूसरा मोर्चा लगाने की फिक्र में हैं। मैं अर्ज करूं कि पहले अकाली मोर्चे के अन्दर दस हजार आदमी जेल गये थे। जब हिन्दी वालों ने रोहतक में मोर्चा लगाया तो कहा कि जब तक तेरह हजार आदमी जेल नहीं जायेंगे, तब तक हिन्दुस्तान की सरकार हिन्दुओं की बात को नहीं सुनेगी और सिक्खों के आगे हथियार डाल देगी। मैं जानता हूँ कि क्या हुआ है। चक्रवर्ती साहब ने भूख हड़ताल की नई दिल्ली के अन्दर तो उनके खिलाफ कौन बैठे भूख हड़ताल करे, यह मैं आपको बताता हूँ। दो साधु बैठे, भूख हड़ताल की, एक आदमी वह जो कांग्रेस की मूवमेंट में जेल गए थे। दूसरे आदमी रोहतक जिले के जाट जिनका पंजाबी सूबा बनने पर कोई असर नहीं हो सकता था। इसी तरह से आज मास्टर तारा सिंह के खिलाफ भूख हड़ताल करने पर दो आदमी बैठे हुए हैं और दोनों स्वामी हैं, साधु हैं, आर्य समाजी हैं। लेकिन, जन्म से वे भी जाट हैं, एक रोहतक जिले के और दूसरे करनाल जिले के।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि उनके दिमाग में कोई परेशानी नहीं है, इससे कि पंजाबी सूबा बनता है या दिल्ली का सूबा बनता है।

अब इसका हल क्या है? इसका हल वही है जो मैंने कांस्टिट्यूएट असैम्बली के सामने पेश किया था। पंजाब के साथ नई दिल्ली को छोड़ करके दिल्ली का इलाका जोड़ दिया जाए। क्योंकि, दिल्ली की जो आज आबादी है, उसका 50 फीसदी नहीं बल्कि, 60 फीसदी हिस्सा पंजाबी है। नई दिल्ली को छोड़ करके बाकी दिल्ली को पंजाब के साथ मिला दिया जाए। हिमाचल वाले जब तक न चाहें तब तक उनको पंजाब के साथ न मिलाया जाए। अगर, वह राजी हों तो उनको भी पंजाब के साथ जोड़ दिया जाये। यह एक सही हल होगा और इससे पंजाब जो पहले से ही सभी प्रान्तों से आगे चलता आ रहा है, आगे से भी आगे चलता रहेगा और उसकी और भी तेजी से तरक्की होती रहेगी।

द्वितीय लोकसभा

बुधवार, 30 अगस्त, 1961 *

बाढ़ की स्थिति पर प्रस्ताव

चौधरी रणबीर सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, तीसरी पंचसाला योजना के अन्दर 661 करोड़ रूपया सिंचाई विभाग के लिये मिनिस्ट्री ऑफ इरीगेशन एंड पावर के लिए रखा गया है, जिसमें से सिर्फ 61 करोड़ रूपया फ्लड कंट्रोल और वाटर लागिंग के लिए है।

आप जानते हैं कि पंजाब के अन्दर पिछले दस बारह सालों के अन्दर 200 करोड़ रूपया नहरों के ऊपर और बिजली के ऊपर खर्च हुआ है। उसके जरिए 60 लाख एकड़ जमीन सिंचाई के नीचे आई। उसी के साथ पिछले 10-12 साल में पंजाब के अन्दर वाटलागिंग के नीचे तीस लाख एकड़ भूमि आ गयी। उसके इंतजाम के लिए सौ दो सौ करोड़ रूपया नहीं चाहिए, 50-60 करोड़ रूपए से उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन, मेरी समझ में नहीं आता कि यह प्लानिंग कैसा है कि उसके लिए यह रूपया नहीं दिया जाता। आप भाखड़ा डैम से तीस लाख एकड़ जमीन की सिंचाई करने के लिए सौ करोड़ रूपया खर्च कर रहे हैं और उस पर 14 साल से काम लगा हुआ है। अभी उसमें और भी समय लगेगा, तब कहीं उसका पूरा फायदा मिलेगा। लेकिन, यहां तो केवल 50-60 करोड़ रूपये में उतना ही फायदा हो सकता है और उसका फायदा आपको दूसरे साल में ही मिलने लगेगा। लेकिन, इसके लिए रूपया नहीं रखा गया। मेरा ख्याल है कि जो 61 करोड़ रूपया इस काम के लिए रखा गया है उसको बढ़ाना चाहिए और पंजाब को ज्यादा से ज्यादा रूपया मिलना चाहिए

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 30 अगस्त, 1961, पृष्ठ 6005-6008*

ताकि उसके वाटर लाग्ड ऐरिया का इंतजाम हो सके और उस ऐरिया में फिर पहले जैसी पैदावार होने लगे।

पिछले साल मेरे जिले रोहतक शहर में बाढ़ आयी थी। लेकिन, उस वक्त मेरा पैर टूटा हुआ था। मैं अस्पताल में था। यह बाढ़ ड्रेन नंबर 8 की वजह से आई थी।

उपाध्यक्ष महोदय : शुक्र कीजिए कि आप उस वक्त अस्पताल में थे।

चौधरी रणबीर सिंह : मैं नहीं जानता कि अस्पताल में होने के लिए मुझे ईश्वर का शुक्र करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : फ्लड का असर इस वजह से आप पर नहीं पड़ा।

चौधरी रणबीर सिंह : बाढ़ का असर तो मेरे चुनाव क्षेत्र के ऊपर पड़ना ही था। लेकिन, मुझे खुशी है कि पंजाब की सरकार ने और हिन्दुस्तान की सरकार ने बाढ़ग्रस्त लोगों की ज्यादा से ज्यादा इमदाद की। मेरे इलाके के ऊपर डेढ़ करोड़ के करीब रूपया खर्च किया गया बाढ़ग्रस्त लोगों को इमदाद देने में।

मैं आपसे निवेदन करूं कि ड्रेन नम्बर 8 के मसले को हमेशा के लिए हल करने के लिए पंजाब सरकार ने एक करोड़ रूपया निकाला और वह उस स्कीम को तेजी के साथ पूरा करना चाहते थे। लेकिन, बदकिस्मती है रोहतक की और दिल्ली के देहात की कि वह काम पूरा न हो सका। रोहतक के 286 गाँवों में और दिल्ली के 90 गाँवों में ड्रेन नम्बर 8 और 6 के पानी के कारण बाढ़ आ गयी। यह बाढ़ केवल इसलिए आयी कि दिल्ली के कई नेताओं ने पंजाब की सरकार को काम नहीं करने दिया। पंजाब सरकार इस ड्रेन को जमुना में मिलाना चाहती थी। इसके लिए वे लोग प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले थे। वह बहुत अच्छे इन्सान हैं। किसी आदमी की चोट से उनका दिल तड़प उठता है। उन्होंने समझा कि इस बात को देखा जाए। लेकिन, दिल्ली के लोकसभा के सदस्यों ने पंजाब सरकार को काम नहीं करने दिया। आज फिर इस इलाके में बाढ़ आयी है और रोहतक जिले में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि उन दोस्तों ने, जो दिल्ली में भारत सेवक समाज के कार-मुख्तार हैं, ड्रेन का गहरा, डीपन, करने और नजफगढ़ झील के पानी को जमुना के साथ जोड़ने का ठेका लिया। लेकिन, वे उस काम को नहीं कर पाये और न ही उन्होंने पंजाब सरकार को काम करने दिया। उसका नतीजा यह हुआ कि दिल्ली के देहात में किसानों की लाखों रूपये की फसल तबाह हुई--दिल्ली के 90 देहात को और रोहतक जिले के 286 देहात को तबाही का मुंह देखना पड़ रहा है। श्री पाणिग्रही

ने कहा कि पिछले दस बारह सालों में फ्लड कंट्रोल और ड्रेन्ज के बारे में कोई काम नहीं किया गया है। मुझे मालूम है कि इस सिलसिले में काम किया गया है। हम जानते हैं कि पहले अम्बाला और करनाल में फ्लड्ज आते थे और उनका इलाज हो गया है। लेकिन, उसके साथ ही उसका असर यह भी हुआ है कि अम्बाला और करनाल का सारे का सारा पानी रोहतक में आता है और पिछले चार पांच सालों में रोहतक जिले को तबाह करता है। क्योंकि, ड्रेन नम्बर 8 का कोई आउट-फाल नहीं है। सरकार ने कोशिश की थी कि उसको जमुना से जोड़ दिया जाये, ताकि दिल्ली और रोहतक के देहात को बचाया जा सके। लेकिन, यह बदकिस्मती है, हम देहातियों की कि ऐसा नहीं हो सका है। यहां पर दिल्ली प्रदेश में देहातियों के नुमायंदे भी थे। लेकिन, उन में से एक ने भी इस बारे में आवाज नहीं उठाई। जिन लोगों ने इस बड़े काम को इतने थोड़े अर्से में करने का ठेका लिया, वे उसमें फेल हुए। वे दिल्ली राज्य के काम में रोड़ा बने और पंजाब राज्य के काम में भी रोड़ा बने।

इसमें प्लानिंग की भी गलती है। अगर, ड्रेन्ज वगैरह के सिलसिले में ऊपर के बजाय पहले नीचे आउटफुल का इन्तजाम किया जाये, तो ज्यादा अच्छा होता है, ताकि किसी को नुकसान न हो, वरना नतीजा यह होता है कि अम्बाला और करनाल तो तबाही से बच गये। लेकिन, रोहतक और दिल्ली के देहात की तबाही की भयंकरता बढ़ती जा रही है। मैं मंत्री महोदय और हिन्दुस्तान की सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि चाहे कोई कितना ही बड़ा दोस्त हो, चाहे वह दिल्ली से लोक सभा का सदस्य हो, चाहे कोई भाई सौ, दो सौ लोगों के साथ यहां पर आये। लेकिन, अगर, उसकी बात सही नहीं है, तो उसको नहीं माना जाना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि अगर, कुछ भाई आते हैं, तो उनकी बात सुननी ही चाहिए। उनके दबाव को मानना कोई सही तरीका नहीं है। अगर, कोई मुकाबला करना चाहे तो मैं उनसे दस गुना आदमी पंडित जवाहर लाल नेहरू और मंत्री महोदय की सेवा में पेश कर सकता हूँ। लेकिन, मैं मानता था और आज भी मानता हूँ कि यह तरीका गलत है। इसीलिये, मैं हिन्दुस्तान की सरकार के मंत्रियों, हाफिज जी और हाथी साहब से प्रार्थना करता हूँ कि वे किसी दबाव में न आयें और वे एक ही दबाव मानें और वह यह कि दिल्ली और रोहतक के देहात के लोगों की तबाही बचे। उनको तबाही से बचाने के लिए जो भी प्रोग्राम हो, उसको जल्दी से चलाया जाये। अगर, दिल्ली का भारत सेवक समाज इस काम को पूरा नहीं कर सकता है, तो उसको बीच में से निकाल दिया जाए और जो कोई भी ठेकेदार उस पानी को जमुना से जोड़ सकता है और वह जुड़ सकता है--

उसको वह काम दिया जाये। यह तबाही कई महीने तक चलेगी। जहाजगढ़ के इलाके में तो तबाही पिछले पांच साल से चल रही है। लोग पिछले पांच साल से फसल नहीं बो सकते हैं। उस तबाही से उस इलाके को बचाया जा सकता है और उसके लिए अहम कदम जितनी जल्दी हो सके, उठाये जायें।

भारत सेवक समाज से मेरा वास्ता रहा है। उसके लिए मेरे दिल में श्रद्धा है। लेकिन, भारत सेवक समाज की संस्था से ऊपर भारत के नर-नारियों का हित है और वही सबसे बड़ी सेवा है। अगर, उसको बीच में से निकालने की आवश्यकता हो, तो उसको निकाला जाये।

द्वितीय लोकसभा

वीरवार, 31 अगस्त, 1961*

भारत में कृषि श्रम पर रिपोर्ट

चौधरी रणबीर सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बात से न ही यह रिपोर्ट इन्कार करती है और न ही कोई और इनकार कर सकता है कि इस देश का सबसे ज्यादा कमजोर जो अंग है, वह एग्रिकलचरल लेबर है। उसी को सबसे ज्यादा बढ़ावा देने की जरूरत है। उसकी तरक्की के लिए चाहे हिन्दुस्तान की सरकार हो या प्रान्तीय सरकारें हों, सभी को बहुत ज्यादा ध्यान देना है।

यहां पर आज की बहस में यह साबित करने की कोशिश की गई है कि पिछली रिपोर्ट के मुकाबले में इस रिपोर्ट के हिसाब से तरक्की के बजाय तनज्जुली हुई है। लेकिन, यह बात सही नहीं है। मैं उन दोस्तों को जो इस चीज को साबित करने की कोशिश करते हैं याद दिलाना चाहता हूँ कि इस सदन के अन्दर माननीय श्री नन्दा जी ने बताया था कि यह जो फर्क है रिपोर्ट में, इसका कारण यह नहीं है कि उनकी तरक्की होने के बजाय अवनति हुई है, बल्कि उसका कारण यह है कि पहली रिपोर्ट के अन्दर जितने कुनबे शामिल किये गये थे, उनके मुकाबले में अब कम कुनबे शामिल किये गये हैं और जो कमी की गई है, वह ऊपर के तबकों की गई है, उनकी की गई है जिनकी आमदनी पहले कुछ ज्यादा थी। इन लोगों को एग्रिकल्चरल लेबर की कैटेगरी में से निकाल दिया गया है। जब उनको उस गिनती से निकाल दिया गया है तो कुदरती तौर पर यह स्थिति बन जाती है। यह बात हिसाब में बिल्कुल सही उतरती है। लेकिन, असल में वह सही नहीं है। जिनकी ज्यादा आमदनी थी, उनको निकाल

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 31 अगस्त, 1961, पृष्ठ 6301-6304*

दिया गया है और नीचे के जो आदमी हैं, जिनकी आमदनी कम थी, उनको रख कर ही औसत निकाला गया है, जो कुदरती तौर पर कम निकलता है। हिसाब के मुताबिक तो यह चीज सही है। लेकिन, असल में सही इसलिए नहीं है कि कम्पैरिजन जो है वह पहले के मुकाबले में दूसरी चीज से है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह मोटी समझ की बात है कि देश के अन्दर हजारों मील लम्बी सड़कें बनी हैं और उनके ऊपर मिट्टी डालने का काम हुआ है। माननीय दोस्त बतायें कि यह काम बिड़ला जी ने किया या बड़े बड़े जमींदारों ने किया है।

अर्थ वर्क या मिट्टी डालने का जो काम है या सड़कें बनाने का काम है, या नहरें बनाने के सिलसिले में मिट्टी का जो काम है या लोहे के और दूसरे छोटे बड़े कारखाने बनाने के सिलसिले में जो इस तरह के काम हैं, उनको करवाने में जो करोड़ों रूपया खर्च हुआ है, वह सारे का सारा एग्रिकल्चरल लेबर के पास, उसके कुनबों के पास गया है। इससे अंदाज लग सकता है कि हिसाब किताब पेश करने का जहां तक सम्बन्ध है, वह जैसा मैंने कहा हिसाब किताब के लिहाज से तो सही है। लेकिन, असल में सही नहीं है।

मैं इस बात को मानता हूँ जैसा और माननीय सदस्यों ने कहा है कि उनकी हालत दयनीय है, सोचनीय है और उनकी तरक्की करना बड़ा जरूरी है। कुछ मेरे भाईयों ने जमीन के बंटवारे की बात कही है। वह भी इनकी हालत को सुधारने में मदद कर सकती है। यही कारण है कि हमारे देश में सीलिंग का कानून तकरीबन सारे प्रान्तों में बनाया गया है और उसको लागू किया गया है। इससे थोड़ी बहुत जमीन मिलेगी। लेकिन, असल में इन लोगों की मदद करनी है और इनकी हालत में सुधार लाना है तो एक दूसरा ही काम आपको करना होगा। कोई भी देश जो बढ़ा हुआ है, तरक्की किये हुए है, उसके अन्दर हमारे देश की तरह से 70 परसेंट आबादी खेती के ऊपर निर्भर नहीं करती है। एग्रिकल्चरल लेबर की तरक्की हो नहीं सकती है, जब तक कि उनमें से काफी को खेत से हटा करके उनका इनहसार किसी दूसरे धंधे पर नहीं किया जाता है। मेरी राय साफ है और आप भी इस बात को जानते हैं और इस रिपोर्ट में भी लिखा है कि उनको साल में कुछ दिन काम मिलता है और कुछ दिन नहीं मिलता है। जिन दिनों इनको काम नहीं मिलता है, उन दिनों काम मिले। अब सवाल पैदा होता है कि कैसे काम हम इनको दे सकते हैं। जाहिर है कि घरेलू धंधे, छोटे धंधे, छोटे छोटे कारखाने देहातों में चला कर ही इनको काम दिया जा सकता है। इस सिलसिले में माननीय श्री मनुभाई शाह ने एक नोट सर्क्युलेट किया था जिसमें उन्होंने

तजवीज की है कि एक बोर्ड बनाया जाये और उस बोर्ड के पास तृतीय योजना में ढ़ाई तीन सौ करोड़ रूपया रहे। उसके साथ आल इंडिया खादी एंड विल्लेज इंडस्ट्रीज कमिशन, हैंडीक्राफ्टस बोर्ड और इसी तरह की दूसरी संस्थाओं को जोड़ दिया जाये। इस बोर्ड का यह काम हो कि देहातों के अन्दर छोटी छोटी इंडस्ट्रीयल एस्टेट बनाई जायें, छोटे छोटे काम धंधे बढ़ाये जायें। अंग्रेजों के जमाने में आज से डेढ़ दो सौ साल पहले के हिन्दुस्तान के देहात के नक्शे को देखा जाये तो पता चलेगा कि इतनी बड़ी तादाद, जब जमीन बहुत काफी थी और जब जमीन के बारे में आज जो कानून है,वे नहीं थे, किसी के जमीन पर खेती करने में कोई बहुत ज्यादा कानून हायल नहीं थे, जमीन पर निर्भर नहीं करती थी। इस वास्ते खेत मजदूर की तरक्की करने का सही तरीका यह है कि गांवों के अन्दर छोटी छोटी एस्टेट्स हम बनायें, इंडस्ट्रियल एस्टेट्स बनायें, छोटे छोटे कारखाने लगायें, जिनमें से कुछ बिजली से चलें और कुछ हाथ से चलें। हाथ के धंधे जो हमारे कारीगर किया करते थे, वे करने की उनको सभी सहूलियत देने की व्यवस्था की जाये। कुछ धंधे पिछले डेढ़ दो सौ सालों में देहात के कारीगर करते थे। लेकिन, अंग्रेजों ने उनकी कारीगरी को छुड़वाया और कईयों के हाथ कटवाये। वह जो हमारा पहले समाज का नक्शा था उसको हमें रिहैबिलिटेट करना है।

मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि पिछले दो प्लान्स के अन्दर, पिछले दस साल के अन्दर, जो देहात की कारीगरी, रूरल इंडस्ट्रियलाजेशन, की तरफ ध्यान देना चाहिए था, उतना नहीं दिया गया। देहात की इंडस्ट्रीज की तरक्की के लिए जितना ध्यान देना चाहिए था, उतना नहीं दिया गया। जब तक वह नहीं किया जायेगा, तब तक इस देश के अन्दर कोई भी लैंड रिफार्म करने से एग्रीकल्चरल लेबर की तरक्की नहीं हो सकती, कुछ हद तक हो सकती है, यह मैं मानता हूँ।

मैं सीलिंग के खिलाफ नहीं हूँ, मैं उसके हक में हूँ। मैं यह भी मानता हूँ कि कानून बनाकर एग्रीकल्चरल लेबर की मिनिमम वेजेज भी मुकर्रर करनी चाहिए। उस कानून को लागू करना चाहिये। लेकिन, कानून के लागू होने से कोई यह समझ कि समस्या हल हो जायेगी, तो वह थोड़ी बहुत बढ़ सकती है। लेकिन, उसका असली हल वह नहीं है। असली हल तो देहात में कारखानों का बढ़ावा ही है। जब तक हम उसकी तरफ नहीं जायेंगे तब तक हमारी आने वाली रिपोर्टें भी ऐसी ही दिल को तोड़ने वाली होंगी। मैं चाहता हूँ कि मंत्रालय सरकार के ऊपर जोर डाले और 300 करोड़ रूपये के साथ वह बोर्ड बनाया जाये और एक एक देहात के अन्दर छोटे और बड़े कारखाने बनाये जायें।

द्वितीय लोकसभा

शुक्रवार, 24 नवम्बर, 1961 *

नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अस्थियां

चौधरी रणबीर सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि मुझसे पूर्व के वक्ता, बजाय इसके कि इस प्रस्ताव के हक में या विरोध में कुछ कहते, एक ही बात कहते रहे जिससे यह मालूम होता था कि हिन्दूस्तान की सरकार नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के खिलाफ है और वह चाहती है कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जिन्दा रहते हुये भी मरे समझ लिये जायें। मेरे लायक दोस्त को यह विश्वास भी हो, या अगर, उनकी यह मंशा ही हो, तो यह ख्याल उनको मुबारक रहें। । इस बात में किसी को कोई विरोध नहीं है। सवाल यह है कि नेता जी सुभाष चन्द्र बोस किसी एक स्टेट के नहीं हैं, वे सारे हिन्दुस्तान की मिल्कियत हैं, सारे सूबों की मिल्कियत हैं। जिस तरह से किसी एक स्टेट के आदमियों के दिल या उनके कुटुम्ब के भाईयों के दिल में उनके लिये आदर है, उसी तरह से सारों के दिल में भी उनके लिये आदर है। जिस बात की वे दूसरों से अपील करते हैं, हम भी उनसे उसी तरह से अपील करना चाहते हैं कि वे यह मान लें कि दुनिया में ईमानदारी भी कोई चीज हो सकती है। अगर, मैं आपकी ईमानदारी में यकीन करता हूँ और मानता हूँ कि आप ईमानदारी से ऐसा समझते हैं तो आप भी मेरी ईमानदारी में यकीन कीजिये। अगर, मैं ईमानदारी से यह समझूं कि वे अस्थियां नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की हैं तो भले ही आप मन में इस बात को नहीं समझते या एक स्टेट के कुछ भाई इस बात को नहीं समझते। लेकिन, उनको मेरी भावना को कुचलने का क्या अधिकार है?

मैं और डा. राम सुभग दोनों जापान गये थे। हम रंकोजी मंदिर के अन्दर भी

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 24 नवम्बर, 1961, पृष्ठ 1096-1099*

गये थे। वहां हमने श्रद्धा से उनकी अस्थियों को देखा और फूल भेंट किये। आज भी उसी श्रद्धा से आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हम सब चाहते हैं कि नेताजी की उम्र लाख साल की होती, वे देश आते और 100 साल या हजार साल या जितने भी साल जिन्दा रह सकते हों, जिन्दा रहें। फिर भी, मैं अपने मित्र से पूछता हूँ कि उनकी कहानी पर आज दुनिया में कौन यकीन कर सकता है?

मुझे याद है, जब मैं कालेज में पढ़ता था, तब नेता जी रोहतक के अन्दर आये थे। उस वक्त वे हिन्दुस्तान की कांग्रेस के सदर थे। उस वक्त उन्होंने कहा था कि दुनिया के अन्दर लड़ाई होने वाली है और मुझे पता नहीं कि उस वक्त मैं कहां होऊंगा। लेकिन, एक बात मैं कहे जाता हूँ कि जब अंग्रेज की लड़ाई किसी विदेशी शक्ति से हो तो हिन्दुस्तानियों को उसका फायदा उठाकर यहां से अंग्रेजों की शक्ति को खत्म कर देना चाहिये। वह नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जो उस वक्त हौंसले से अपने विचार हमारे सामने रख सकते थे, आज उनके रास्ते में कौन सी रूकावट है? उनके दिल में हिन्दुस्तान के लिये उतना ही प्यार था, जितना कि हमारे किसी साथी के दिल में हो सकता है। उन्होंने हिन्दुस्तान के लिये कुर्बानी दी। अपनी जान की बाजी लगा दी, जो मैं या मेरे साथी नहीं लगा सके। मुझसे पूर्व वक्ता या मैं उनकी तरह अपनी जान की बाजी नहीं लगा सके। जिसके दिल में देश के लिये इतना प्यार हो और जिसके दिल में इतनी बड़ी ख्वाहिश हो कि हिन्दुस्तान आजाद हो और जब हिन्दस्तान आजाद हो जाये और लाल किले पर हिन्दुस्तान का झंडा फहराता हो तो क्या कोई आदमी यह विश्वास कर सकता है, जिसको नेता जी के ख्यालात का कुछ भी ज्ञान होगा, कि वह जिन्दा होते तो उस वक्त हिन्दुस्तान न आते? मैं कहता हूँ कि अगर, वह जिन्दा होते तो अम्बर को भी फाड़ कर उस वक्त दिल्ली आते अगर, हिन्दुस्तान के सबसे बड़े आदमी की हैसियत से न आते तो हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई के एक वालंटियर की तरह आते। क्योंकि, उनको ओहदों से प्यार नहीं था, उनके दिल में तो देश का प्यार उनके दिल में देश की आजादी का प्यार था।

मैं अपने साथी के विचारों का विरोध करके उनके सेंटीमेंट को चोट नहीं लगाना चाहता। मैं इस बात की कोई कोशिश नहीं करना चाहता कि उनको समझ सकूं कि नेताजी सुभाषचन्द्र बोस जिन्दा नहीं हैं। क्योंकि, ऐसा करने से उनके सेंटीमेंट को, उनके दिल को चोट लगती है। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। मैं उनसे और उनके खयालात रखने वाले उनके साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान की सरकार ने उनके विचारों का बहुत दिन तक ख्याल रखा। आज हिन्दुस्तान की

जनता की एक बहुत बड़ी तादाद यह चाहती है कि नेता जी सुभाषचन्द्र बोस और रास बिहारी जी की अस्थियों को हिन्दुस्तान में लाया जाये और उनकी यादगार बनायी जाये।

उन्होंने दो चार बात कहीं। मैं चाहता हूँ कि जब प्रधानमंत्री जी जवाब दें तो सारी बातों को कबूल कर लें। इसमें किसी को क्या इन्कार हो सकता है। कोई ऐसी बात नहीं है जिसमेंसी को विरोध हो। वह आज एक बात कहकर उलाहना देते हैं। वह इस सभा के पिछले पांच साल के सदस्य हैं। अगर, वह इस अरसे में कोई इस प्रकार का रिजोल्यूशन लाते और यह सदन इस बात को कबूल न करता तब तो प्रधानमंत्री को और सदन को दोष दिया जा सकता था। आज, जब हम उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं, वह इस सवाल को उठाते हैं।

मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि उनके खयालात का ध्यान रखते हुए, हिन्दुस्तान की जनता के बहुत बड़े हिस्से के दिल में जो श्रद्धा है, उसका भी ध्यान रखें और इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लें।

द्वितीय लोकसभा

शनिवार, 25 नवम्बर, 1961 *

पंचायतराज की कार्यप्रणाली

चौधरी रणबीर सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर कई दोस्तों ने इस बारे में अपने विचार प्रकट किये कि पंचायतों को और पंचायती राज को किस ढ़ंग से चालू किया जाये। कईयों को, खास तौर पर श्री तंगामणि को, यह गिला है कि हिन्दुस्तान के प्रधानमंत्री को पंचायतदारों से क्यों इन्ट्ररोड्यूस कराया गया। वे समझते हैं कि हिन्दुस्तान के प्रधानमंत्री कोई भूत हैं। मैं समझता हूँ कि अगले चुनाव का डर उनको उस तरफ ले जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री हिन्दुस्तान के ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े इन्सान हैं। अगर, उनको लोगों से इन्ट्रोड्यूस कराया जाये तो हर एक आदमी उसका स्वागत करेगा और उनको भी करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण अगले दिन जारी रखें।

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 25 नवम्बर, 1961, पृष्ठ 1440-1441*

द्वितीय लोकसभा

सोमवार, 27 नवम्बर, 1961 *

पंचायत राज पर प्रस्ताव

चौधरी रणबीर सिंह (रोहतक) : अध्यक्ष महोदय, प्रस्तावक महोदय श्री तंगामणि जी को यह ऐतराज था कि पंचायतीराज का उद्घाटन प्रधानमंत्री क्यों करें और प्रधानमंत्री पंचायतदारों और ब्लाक समितियों के मेम्बरों से क्यों मिलें? आप जानते हैं कि प्रस्तावक महोदय जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उनके यहां आम तौर पर यह होता है कि प्रधानमंत्री आइरन कर्टन में रहते हैं। उनका आम जनता से कोई मेल मिलाप नहीं हो सकता। लेकिन, इस देश ने तो तरीका ही दूसरा कबूल किया है। यह जरूरी है कि प्रधानमंत्री पंचायत या ब्लाक समिति के जो मेम्बर चुनकर आये हों, उनसे मिलें, उनका हौंसला बढ़ायें। इसमें प्रस्तावक महोदय को कोई डर नहीं होना चाहिये कि इससे कोई कांग्रेस पार्टी का दखल होगा या उसका प्रचार होगा। अगर, इस तरह से कोई प्रचार होता है तो वे इसको कहां तक रोक सकते है? यह उनके बस की बात नहीं है। क्योंकि, हम उनकी पार्टी की तरह से प्रधानमंत्री को आइरन कर्टन में नहीं रखते हैं। उनको तो लोगों तक जाना ही है और उनसे मिलना ही है।

प्रस्तावक महोदय कल यह चाहते थे कि जो हरिजन हैं वे भी ब्लाक समिति के प्रधान बनें और उन्होंने अपने हलके की मिसाल दी। मुझे पता नहीं है कि यह जानकर उनको दु:ख हो या खुशी हो कि कम्यूनिस्ट पार्टी का कोई भी मेम्बर पंजाब के अन्दर ब्लाक समिति का प्रधान नहीं बन सका और न ही कम्यूनलिस्ट बन सका। हां, एक बात है, पंजाब के अन्दर पंचायती राज में लोगों ने कितना उत्साह दिखलाया इसका अन्दाजा इसी से हो सकता है कि असेम्बली चुनावों के अन्दर मतदाताओं में

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 27 नवम्बर, 1961, पृष्ठ 1609-1614*

से सिर्फ 50 फीसदी ने अपनी राय डाली। पंचायत के इलेक्शन जब हो रहे थे तो वहां पर हालांकि, मास्टर तारा सिंह का पंजाबी सूबा आन्दोलन चल रहा था, 80 फीसदी मतदाताओं ने अपने मत डाले और अपने सदस्यों का चुनाव किया।

[Shrimati Renu Chakravartty in the Chair]

जब ब्लाक समिति के चुनाव हुए तो 100 फीसदी मेम्बरों ने राय दी। इससे यह बात जाहिर होती है कि आज लोग कितनी उत्सुकता से पंचायत राज के तजुर्बे को देखना चाहते हैं। इस तजुर्बे में आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने हरिजनों का भी जिक्र किया। मैं उनको बतलाऊं कि जहां तक पंजाब का ताल्लुक है, मैं नहीं समझता कि किसी और प्रदेश ने ऐसा किया हो। लेकिन, पंजाब के अन्दर हमने यह किया है। अगर, किसी ब्लाक के अन्दर जो सदस्य होंगे, उनमें से कोई हरिजन चुनकर न आये तो जो मेम्बर चुनकर आयें, वे चार हरिजनों को सदस्य कोआप्ट करेंगे। मैं नहीं जानता कि मद्रास के अन्दर क्या कायदा रखा गया है। लेकिन, जहां तक पंजाब का ताल्लुक है, वहां यह है कि ब्लाक समिति का जो एलेक्टोरल कालेज बनता है, उसके अन्दर सारे पंचायतदारों और सरपंचों को मतदाता माना जाता है। जैसा वह चाहते थे। यहां तक कि पंजाब के अन्दर जो चुनाव हुए, उसमें भी यह रखा गया था कि जितने सदस्य चुनकर आते हैं, उनमें से हर पांच सदस्यों के पीछे एक शेड्यूल्ड कास्ट्स का सदस्य चुनकर आयेगा। इस तरह से एक ब्लाक के अन्दर अगर, 500 सदस्य होंगे तो उनमें से करीब 100 सदस्य हरिजन होंगे। एलेक्टोरल कालेज में इतनी बड़ी तादाद होने के बावजूद भी पंजाब के अन्दर यह रखा गया कि अगर, चुनाव में हरिजन चुन कर न आ सकें तो हर एक ब्लाक के अन्दर 4 हरिजनों को जिला परिषद् कोआप्ट करेगी। आप जानते हैं कि एक जमाना था, खास तौर पर पिछले जमाने में, जब बहनों को पंचायत में जाने का अधिकार नहीं था। ऐसा समझा जाता था कि जहां पंचायत बैठती है, वहां वे जा नहीं सकतीं, उनके लिये वहां जाने की मुमानियत थी। आज बदले हुए जमाने के अन्दर यह रखा गया है कि अगर, कोई बहन चुनकर पंचायत में न हाये तो हर एक पंचायत में एक बहन जरूर रखी जायेगी। इसी तरह से जो ब्लाक समिति होगी, उसमें भी दो बहने सदस्य जरूर होंगी। या तो वे चुन कर आ जायें और अगर, वे चुन कर न आ सकें तो उन्हें कोआप्ट किया जायेगा। इसी तरह से जिला परिषद के अन्दर भी उन्हें रखा जायेगा।

जहां तक चुनाव का ताल्लुक है, कई भाईयों को ऐतराज है कि चुनाव सर्वसम्मति से नहीं होने चाहिये। वे समझते हैं कि अगर, सर्वसम्मति से चुनाव होंगे तो

वहां पर किसी खास किस्म के आदमी शायद चुने जायें और वे लोग आगे न बढ़ पायेंगे। मैं ऐसा नहीं मानता । मैं मानता हूँ कि देहात की जिन्दगी अभी तक मिली जुली जिन्दगी है। जो वेस्टने तरीके की डिमाक्रेसी है, उसमें जो चुनाव की पद्धति है, वह उस समाज को दरहम बरहम करने की एक तरकीब है। पंचायत राज के अन्दर हमें इस चीज को बहुत आगे नहीं बढ़ने देना चाहिये। क्योंकि, वह पंचायत की बुनियाद को ही खत्म कर देगी। मैं लोक सभा का सदस्य बना, मेरे मुकाबले में चार भाई और खड़े हुए, कोई 100 मील का, कोई 50 मील का, कोई कहीं का, कोई कहीं का। मेरे रहन सहन का उनसे कोई वास्ता नहीं। लेकिन, इसके बावजूद जब कभी भेंट होती है, तो कौन नहीं जानता कि हमने जिन जिन भाईयों को हराया है, हम हरीफ की तरह उनकी आंखों में रड़कते हैं। हम कितनी ही कोशिश करें। लेकिन, उस वैर भाव को भूल नहीं सकते। जिनको गांवों में रहना है, मिली जुली जिन्दगी में अपना जीवन व्यतीत करना है, वहां अगर, पंचायत के अन्दर यूनैनिमस एलेक्शन न हों तो हम गांवों की जितनी तरक्की चाहते हैं, हम पंचायती राज की जितनी कामयाबी चाहते हैं, वह सम्भव नहीं हो सकती। इसलिये, पंजाब के अन्दर जहां यूनैनिमस एलेक्शन हुए पंचायतों को जितनी भूमि कर दी थी, दी गई। पंचायतों को इस तरह 42 लाख रूपये की ग्रांट दी गई। इस तरह से ब्लाक समितियों में जहां पर यूनैनिमस एलेक्शन हुए, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। यही नहीं, जहां तक आर्थिक पहलू का ताल्लुक है, पंजाब के अन्दर पंचायतों का बजट 2 करोड़ रूपये का है।

Mr. Chairman : The hon. Member's time is up.

Ch. Ranbir Singh : The hon. Speaker has given the ruling that speakers can I have ten minuts.

Mr. Chairman : The ruling with me is that they can have only seven minutes.

Ch. Ranbir Singh : The hon. Speaker revised it to ten minutes.

Mr. Chairman : If it is ten minutes, I am afraid the majority of speakers will not get a chance. There are at least 20 hon. Members who want to speakk. Therefore I would request hon. Members to try to make their remarks short and concise and finish within weven minutes.

Ch. Ranbir Singh : I am doing my best.

Mr. Chairman : He should try to wind up now.

Ch. Ranbir Singh : I suppose I would have finished by now.

मैं आपको बतला रहा था कि पंचायतों के काम के लिए और पंचायत राज के काम के लिए रूपये की जरूरत होती है। पंजाब के अन्दर 2 करोड़ रूपये का पंचायतों का बजट है। हर एक ब्लाक समिति का तकरीबन 5 या 6 लाख रूपये का बजट होगा। कोई 228 के करीब ब्लाक समितियां पंजाब में बनी हैं और उसमें शहरों और कस्बों को छोड़कर सारे पंजाब का इलाका आ जाता है, चाहे वहां ब्लाक हो या न हो। इसी तरह से करीब 16 लाख एकड़ भूमि है और पंचायतों की तरक्की के लिये 70 लाख रूपये इंटरेस्ट फी लोन दिया गया है, ताकि वह कोई ऐसा काम धन्धा कर सके, जिससे पंचायत की आमदनी बढ़ सके। प्रस्तावक महोदय को यह जानकर खुशी होगी कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कुछ ऐसी भी पंचायतें हैं, जिनकी आमदनी 25 या 30 हजार रूपये सालाना है। उनसे मैं 500 रूपये की बात नहीं कहता, हमारे यहां एक एक पंचायत की आमदनी 25 और 30 हजार रूपये तक है। हर एक पंचायत की आमदनी और भी बढ़ाई जा सकती है। मैं चाहता हूँ कि इन पंचातों को अपने प्रोग्रामों को पूरा करने के लिए लोन दिये जायें और जैसे स्टेट गवर्नमेंट्स को दिये जाते हैं, पर इन लोनस पर कोई इंटरेस्ट न लिया जाये। स्टेट गवर्नमेंट्स को जो केन्द्रीय सरकार लोन देती है, उन पर तो यह उनसे सूद लेती है। लेकिन, अगर, पंचायतें कोई अच्छा काम करने के लिए जैसे अच्छे पीने के पानी की सप्लाई करने के लिए या आमदनी बढ़ाने का कोई खास काम करना चाहें तो उनको उसके लिए बिन ब्याज लोन दिया जाना चाहिए। इसके लिए मंत्रालय को प्लानिंग कमीशन से 100 करोड़ के करीब हासिल करना चाहिए।

द्वितीय लोकसभा

शुक्रवार, 8 दिसम्बर, 1961*

अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण पर प्रस्ताव

चौधरी रणबीर सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने मित्र डा. राम सुभग सिंह के इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ कि 15 साल के ऊपर की उम्र के बच्चों को लाजिमी तौर पर फौजी शिक्षा दी जाये। लेकिन, मैं इसका समर्थन इस कारण नहीं करता, जैसा मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि देश पर कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है। मुझे तो आज देश के अन्दर या देश के चारों तरफ कोई बड़ा संकट नहीं दिखाई देता। यों तो सारे संसार में कुछ न कुछ संकट रहता है और हमारा देश भी उस संसार का एक हिस्सा है।

जैसा राजा साहब ने कहा कि हमारे देश के अन्दर जो पहले समाज था, उसका एक अजीब संगठन था। उसको चार वर्गों में बांटा गया था। जो भाई पढ़ने लिखने का काम करते थे, वह अपने को ब्राह्मण मानते थे। कुछ भाई क्षत्रिय समझे जाते थे जो देश की रक्षा के लिये लड़ने को अपना धर्म समझते थे। इसी तरह से जो भाई व्यापार या खेती करते थे, उनको वैश्य समझा जाता था। जो भाई सबकी सेवा करते थे, उनको शुद्र कहा जाता था और नीच समझा जाता था। वह जमाना बदल गया। उस जमाने में जो शिक्षा दी जाती थी, उसका एक खास असर देश के अन्दर था और उसका मैं सबूत दे सकता हूँ। हमारे राजा साहब भी दिल्ली के पास के रहने वाले हैं और मैं भी दिल्ली के करीब का रहने वाला हूँ। हम लोग दिल्ली के चारों तरफ रहते थे। लेकिन, हमने कभी लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि, वह हमारा काम नहीं था। दिल्ली में अनेकों राज आए और चले गये। लेकिन, हमने किसी लड़ाई में भाग नहीं

** संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957-62), 8 दिसम्बर, 1961, पृष्ठ 4308-4312*

लिया। मुसलमान आए। लेकिन, उन्होंने हमको मुसलमान नहीं बनाया। क्योंकि, हम लड़ने का काम नहीं करते थे। उन्होंने दूर दराज के लोगों को जो लड़ने का काम करते थे, मुसलमान बनाया। इसका नतीजा यह हुआ कि हम लोगों को जो दिल्ली के चारों ओर रहते थे, इससे कोई मतलब नहीं रहा कि कौन राजा आया और कौन चला गया।

लेकिन, आज देश स्वतंत्र हो गया है। पुराने हालात बदल गए हैं। आज कोई मारशल रेसेज नहीं हैं। सभी देशवासी देश की रक्षा में भाग ले सकते हैं। इसलिये, जरूरी है कि हम अपने बच्चों को लाजिमी तौर पर फौजी शिक्षा दें। लेकिन, उस शिक्षा का यह मकसद नहीं है कि इन बच्चों को देश की रक्षा के लिये यह शिक्षा देना लाजिमी है। इस प्रस्ताव का खास मकसद यह है कि इस तरह से बच्चों को अनुशासन की शिक्षा दी जाए। जहां तक देशों की रक्षा का सवाल है, आज कल यह अवस्था है कि एक एटम बम ने जापान की सारी फौजी शिक्षा को और हथियारों को नष्ट कर दिया था। आज के जमाने में फौजी शिक्षा इसलिये, जरूरी है कि देश के अन्दर बच्चों में अनुशासन पैदा हो।

देश को आजाद हुए 14-15 साल हो गए। देश ने बहुत तरक्की की है। लेकिन, उसके साथ यह भी मानना होगा क जहां तक अनुशासन का सवाल है, वह कम हुआ है। हमने अनुशासन की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसी का नतीजा है कि देश में अनुशासनहीनता बढ़ गई है। यह खास तौर से देश की तरक्की में रोड़ बनेगी। अगर, हम चाहते हैं कि तीसरी पंचसाला योजना में, चौथी पंचसाला योजना में देश आगे बढ़े तो हमको यह जरूरी है कि हम अपने 15 साल से ऊपर की उम्र के बच्चों को फौजी शिक्षा दें।

मैं यह जानता हूँ कि जब से देश स्वतंत्र हुआ है, तब से एन.सी.सी. और ए.सी.सी. के अन्दर लाखों बच्चों को फौजी तालीम दी जा चुकी है। इस दिशा में हम काफी आगे बढ़े हैं। लेकिन, मैं समझता हूँ कि हमको इस तरफ और आगे बढ़ना है। इसलिये, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

Section-II

Questions
&
Answers

Second Lok Sabha

Tuesday, 11th March, 1960 *

Oral Answers

Woollen Hosiery Yarn Distribution Scheme

* 516

Shri Ajit Singh Sarhadi :

Pandit Thakur Das Bhargava :

Chaudhry Ranbir Singh :

Shri Achint Ram :

Shri ram Krishan Gupta :

Shri Ajit Singh :

Shri Raghunath Singh :

Shri Padam Dev :

Will the Minister of Commerce and Industry be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Governement have interdicted the private sale of Woollen Hosiery Yarn and promulagated the "Woollen Hosiery Yarn Distribution Scheme" which provided for the sale of woollen hosiery yarn through the Hosiery Federation with effect from the 1st January, 1960 and assured the hosiery industry of getting yarn at reasonable rates and in adequate quantities;

(b) whehter it is also a fact that the Spinner Federation have not

---

** Parliamentary Debates (Lok Sabha Proceedings 1957-62), 1 March, 1960, Page 3369-33701*

sold any yarn to the Hosiery Federation so far and as a result thereof 900 Hosiery factories and about 80,000 employees directly and indirectly employed in the industry have been thrown out of work and the industry is suffering a great loss and is in distress;

(c) what are the obstacles in the way of Government securing the sale yarn at fair and reasonable rates; and

(d) by what time do Government propose to relieve the distress and restore the industry to its normal working ?

The Minister of Commerce (Shri Kanungo) : (a) to (d). Governemnt received several complaints from small hosiery units in 1959 that they were unable to obtain adequate quantities of hosiery yarn of the right qualities.

Government arranged for representatives of the hosiery industry and the woolllen apinning industry to meet together in a common forum to resolve these difficulties. The Hosiery Federation organised itself so as to bring under its fold most of the hosiery units. It collected necessary data from the units regarding qualities and quantities of yarn required, On the basis of this data, spinning mills have planned their production within the foreign exchange available. It was also arranged that deliveries of yarn would be made directly to the Federation for distribution to the units.

All this progress was made as a result of several meetings between the spinners' representatives and the Federation. There is now some slight difference of opinion as to the manner in which the interim price agreed upon by both parties, should be paid by the Federation to the mills Government hope that the Federation and the mills will, in the same spirit of cooperation, implement the decisions agreed amongest them in a recent meeting in Textile Commissioner's office and deliveries of yarn will be made without delay. At the same time, Government are expediting the examination of the reasonableness of prices of yarn and hosiery goods as to be availabe before the nest quarterly allocation of yarn is lifted.

Second Lok Sabha

Monday, 6th March, 1961 *

Written Answers

Allotment of Accommodation to Government Employees.

***554 : Shri Tangamani :, Ch. Ranbir Singh :**

Will the Minister of Works, Housig and Supply be pleased to state :

(a) whether it is a fact that large number of Central Government employees who have completed ten years' service at New Delhi have not yet been allotted Government accommodation.;

(b) whether in the past Government had taken a decision to allot accommodation out of turn to all such employees as had completed ten years' service at New Delhi; and

(c) whether the employees who have completed ten years' service on 1st January, 1961 will be similarly allotted accommodation out of turn in the new colonies nearing completion?

The Deputy Minister of Works, Housing and Supply (Shri Anil K. Chanda) : (a) No. The number of such employees is very small compared to the total number of Government servants entitled to the accommodation in the General Pool.

(b) No.

(c) Does not arise.

** Parliamentary Debates (Lok Sabha Proceedings 1957-62), 6 March, 1961, Page 2870-2871*

Second Lok Sabha

Monday, 6th March, 1961 *

Written Answers

Flag Station between Bazpur and Gularbhoj Stations

1097. Ch. Ranbir Singh : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether there is a proposal to open a Flag Station between Bazpur and Gularbhoj Stations on Moradabad-Lalkuan Section of the North Eastern Zone; and

(b) if so, when it is likely to be opened?

The Deputy Minister of Railways (Shri S.V. Ramaswamy) : (a) and (b). A proposal to open a Railway station between Bazpur and Guarbhoj stations is under the examination of North-Eastern Railway.

** Parliamentary Debates (Lok Sabha Proceedings 1957-62), 6 March, 1961, Page 3228*

Second Lok Sabha

Monday, 6th March, 1961 *

Written Answers

Flag Station between Rohtak and Makrauli Stations

1098. Ch. Ranbir Singh : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether there is a proposal to open a Flag Station between Rohtak and Makrauli stations on Rohtak-Gohana branch line of Northern Railway;

(b) whether it is also a fact that a temporary stop was opened at the proposed site during the Secptember, 1960 floods; and

(c) if so, when the Flag Station is likely to be sanctioned as a permanent stop?

The Deputy Minister of Railways (Shri S.V. Ramaswmy) : (a) No.

(b) Yes.

(c) The need for permanent retention of Halt opened during the floods was examined by the Northern Raiway but was not accepted as it lacked adequate justification.

** Parliamentary Debates (Lok Sabha Proceedings 1957-62), 6 March, 1961, Page 3228*

Second Lok Sabha

Monday, 6th March, 1961 *

Written Answers

Flag Station between Safidon and Budha Khera Stations

1099. Ch. Ranbir Singh : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether there is a proposal to open a Flag Station between Safidon and Budha Kera stations on the branch line of Jind-Panipat of Northern Zone; and

(b) if so, when it is likely to start functioning?

The Deputy Minister of Railways (Shri S.V. Ramaswmy) : (a) and (b). It is proposed to open a contractor-operated Train Halt betwwen Safidon and Budha Khera stations. As the requisite land qcquisition proceedings are in progress, it is not possible at this stage to say when the Halt will start functioning.

** Parliamentary Debates (Lok Sabha Proceedings 1957-62), 6 March, 1961, Page 3229*

Second Lok Sabha

Monday, 6th March, 1961 *

Written Answers

Flag Station between Narwana and Kalayat Stations

1388. Ch. Ranbir Singh : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether there is a proposal to open a new Flag Station between Narwana and Kalayat Stations on the Narwana Kurukshetra branch line of the Northern Zone; and

(b) if so, when it is likely to be opened?

The Deputy Minister of Railways (Shri S.V. Ramaswamy): (a) and (b). It has been decided to open a contractor operated Train Halt between Narwana and Kalayat stations and the work is expected to be taken up during the year 1961-62.

** Parliamentary Debates (Lok Sabha Proceedings 1957-62), 6 March, 1961, Page 3841*

Second Lok Sabha

Monday, 1st May, 1961 *

Oral Answers

Central Secretariat Service Officers

***1808.**

:Shri D.C. Sharma :

Ch. Ranbir Singh :

Willl the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that officers belonging to Central Secretariat Service selected for appointment through U.P.S.C. against temporary posts have to resign from the Central Secretariat Service and have to forego their lien;

(b) whether this criterion is applicable to the personnel of other services under the Government of India for recruitment to temporary posts; and

(c) if the reply to part (b) above be in the negative, whether Government propose to remove the discrimination against the Central Secretariat Service Officers?

The Minist**er of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Datar) :** (a) to (c) A statement is placed on the Table of the House. [See Appendix VI, annexure No. 33].

** Parliamentary Debates (Lok Sabha Proceedings 1957-62), 1 May, 1961, Page 14557*

Second Lok Sabha

Tuesday, 2nd May, 1961 *

Written Answers

Central Secretariat Service Officers

***4408. : Ch. Ranbir Singh :, : Shri Ganpati Ram :**

Will the Minister of Raillways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Train Examiners in the scale of Rs. 150-225 who qualified prior to 10th February, 1958 in the Suitability Test have been treated Senior to those who qualified subsequently on the Northern Railway;

(b) if so, whether the same has been imlemented in the Delhi Division also; and

(c) whether it is also a fact that the representations of the personnel who were adversely affected have been considered and rejected by the General Manager, Northern Railway; and

(d) if so, the resons therefore?

The Deputy Minister of Railways (Shri Shahnawaz Khan) : (a) and (b). Yes, Sir.

(c) Yes, by the Chief Personnel Officer, Northern Railway.

(d) The decision to treat the persons who qualified prior to February 1958 as senior to those who qualified subsequently is applicable to all the Divisions of the Northern Railway and no exception could be made in respect of staff of Delhi Division.

** Parliamentary Debates (Lok Sabha Proceedings 1957-62), 3 May, 1961, Page 15176*

Second Lok Sabha

Wednesday, 6th September, 1961 *

Oral Answers

Seniority of Trains Examiners

***1251. : Raja Mahendra Pratap :**

Ch. Ranbir Singh :

Shri Ganpati Ram :

Shri Nardev Snatak :

Shri R.S. Tiwari :

Will the Minister of Railways be pleased to refer to the principle of seniority of train examiners as mentinoned in Rajya Sabha in reply to Starred Question No. 689 on the 7th September, 1960 and in Lok Sabha in reply to Unstarred Question No. 4408 on the 3rd May, 1961 and state :

(a) whether it is a fact that the Divisional Superintendent, Delhi gave verbal assurance to the representatives of the Utriya Railway Mazdoor Unior against the above stated policy;

(b) if so, whether Government propose to stick to the policy announced or not; and

(c) if not, the resons therefore?

The Deputy Minister of Railways (Shri S.V. Ramaswamy): (a) No.

(b) and (c). Do not arise.

** Parliamentary Debates (Lok Sabha Proceedings 1957-62), 6 September, 1961, Page 7276-7277*

Second Lok Sabha

Wednesday, 6th September, 1961 *

Written Answers

Confirmation of Train Examiners

***3554.**

Ch. Ranbir Singh : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that certain Train examiners (scale Rs. 150-225) of Delhi Division of the Northern Railway who have been given the benefit of seniority with effect from 1st April, 1956 and paid arrears as well, have not been confirmed uptil now;

(b) if so, whether their juniors have been confirmed ignoring their seniors;

(c) if the answer to parts (a) and (b) above are in affirmative, whether it is a fact that vacancies reserved for confirmation of the senior personnel were to be filled in on the completion of one year's continuous service in the grade;

(d) if so, whether some Train examiners who have completed their one year continuous service and are declared seniors have not yet been confirmed; and

(e) if so, the reasons therefore?

The Deputy Minister of Railways (Shri Shahnawaz Khan):

Debates (Lok Sabha Pro Parliamentary ceedings 1957-62), 6 September, 1961, Page 7364-7365*

(a) Yes.

(b) Though juniors were confirmed, vacancies were reserved for seniors.

(c) Confirmation is made on completion of 12 months' efficient and continuous service;

(d) Only one train examiner has recently fulfilled the above now being considered;

(e) Does not arise.